

भोलानाथ तिवारी



प्रकाशक	बालकार 2203 गनी डकीतान हुकमान गट दिल्ली 110006
मूल्य	पत्तीस रुपये
प्रथम संस्करण	1982
मद्रक	शान प्रिंटस शाहदरा दिल्ली 110032
आवरण	चतन दास
आवरण मुद्रक	परमहंस प्रस नारायणा नई दिल्ली
पुस्तक-बंध	खराना बुक बाइंडिंग हाउस दिल्ली 110006

शब्द विज्ञान

भौलानाथ तिवारी

आदर्श

मध्यकालीन हिंदी साहित्य के ममज्ञ विद्वान्
श्रद्धेय नमदेश्वर चतुर्वेदी के लिए
जो मेरे लिए सबदा ही
प्रेरणा के अक्षय स्रोत रहे हैं।

लेखकीय

शब्दों के अध्ययन में बचपन से ही मेरा मन बहुत रमता रहा है तथा पिछले तीस बत्तीस वर्षों से मेरी यह मायता रही है कि 'शब्दों का अध्ययन' अपने आप में इतना महत्त्वपूर्ण है कि अथर्वविज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूपविज्ञान तथा ध्वनिविज्ञान की तरह उसका भी अलग नाम होना चाहिए तथा उसे भी भाषाविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्वीकृति मिलनी चाहिए। यह पुस्तक मेरी उसी मायता का मूल रूप है।

इसके पूर्व शब्दों के संवध में मेरी चार पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं शब्दों का जीवन, 'शब्दों का अध्ययन', 'पारिभाषिक शब्दावली कुछ समस्याएँ तथा 'शब्दों की कहानी'। इस पाचवी पुस्तक 'शब्दविज्ञान' के रूप में मैंने शब्द विषयक अपने पूरे चिंतन को एक सैद्धांतिक अध्ययन का रूप देने का प्रयास किया है। यों, इस दिशा में पहली पुस्तक होने के कारण, इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। आशा है आगे काम करनेवाले इस विषय को अधिक पूर्णता प्रदान कर सकेंगे।

—भोलानाथ तिवारी

अनुक्रमणिका

1	शब्दविज्ञान	9
2	शब्द	15
3	शब्दा का वर्गीकरण	20
4	शब्द-सकलन	38
5	शब्दरचनाविज्ञान	54
6	शब्दाद्यविज्ञान	61
7	शब्दसमूहविज्ञान	73
8	नामविज्ञान	81
9	शब्दध्वनिविज्ञान	101
10	व्युत्पत्तिविज्ञान	109
11	शब्दकोशविज्ञान	126
12	शब्दप्रयोगविज्ञान	135
13	समाजशब्दविज्ञान	147
14	आधारभूत शब्दावली	153
15	पारिभाषिक शब्द	159

है
 ब
 न
 न द
 न क
 मैने
 उमर
 'श
 इका
 क लिए
 या। उमर बा
 म मैं Wordolo
 मर कई

यह नाम

जिन प्रकार अर्थ, वाक्य, रूप तथा ध्वनि के अध्ययन का क्रमशः अर्थविज्ञान, वाक्यविज्ञान, रूपविज्ञान तथा ध्वनिविज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार शब्दों के अध्ययन को 'शब्दविज्ञान' नाम दिया जा सकता है।

नाम का औचित्य

मैं 1949 से एम० ए० की परीक्षा देने के बाद, जिन दिनों मैं अपनी पुस्तक 'भाषाविज्ञान' की पाठ्यलिपि को अंतिम रूप दे रहा था, मेरे सामने अध्यापकों के नामकरण की एक समस्या आई। अंग्रेजी में भाषाविज्ञान की शाखा के रूप में उभरने वाले चार वा उल्लेख्य परंपरागत ग्रंथों में मिलता था *Semantics, Syntax, Morphology, Phonetics*। इनके आधार पर मैंने इन विषयों से सम्बद्ध अध्यापकों को अर्थविज्ञान, वाक्यविज्ञान, रूपविज्ञान तथा ध्वनिविज्ञान नाम दिया। समस्या थी 'शब्द' की। शब्दों के अध्ययन के लिए अंग्रेजी में कोई भी नाम उभरने तक प्रचलित नहीं था, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज भी नहीं है। मगर मैंने आया कि जब अर्थ, वाक्य, रूप, ध्वनि के अध्ययन को हम अर्थविज्ञान, वाक्यविज्ञान, रूपविज्ञान, ध्वनिविज्ञान कहते हैं तो शब्दों के अध्ययन को शब्दविज्ञान कहा जा सकता है। यह सोचकर भी मैं अपने शब्दवाले अध्यापकों को शब्दविज्ञान नाम नहीं दे सका, क्योंकि अंग्रेजी में कोई नाम नहीं था, जिसके प्रति शब्दों के रूप में मैं 'शब्दविज्ञान' नाम का प्रयोग कर सकूँ। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उभरने वाले अध्यापकों को 'शब्द' रखा था। बाद में कदाचित् 1954 में जब उसका दूसरा संस्करण निकला तो मैंने शब्दों के सभी प्रकार के अध्ययनों के लिए 'शब्दविज्ञान' नाम का प्रयोग करने का निश्चय कर लिया था, तथा चूँकि अंग्रेजी में इसका समानार्थी कोई शब्द नहीं था, अतः मैंने Word के आधार पर, 'शब्दविज्ञान' के लिए, अंग्रेजी Morphology के सादृश्य पर Wordology शब्द गढ़ लिया था। उभरने वाले अध्यापकों में शब्दविज्ञान के साथ अंग्रेजी प्रतिशब्दों के रूप में मैं Wordology शब्द का प्रयोग करता रहा हूँ।

मेरे कई अपरिचितों, परिचितों तथा मित्रों ने मेरे इन नामों का विरोध

विया तथा जैसाकि प्राय होता है, कुछ महानुभावा न इन दोनों का सवर म मजाव उठान का भी यत्न किया।

एक बार क्ल्याचित उदयपुर विश्वविद्यालय म कोई समिनार चल रहा था दिल्ली स में तथा कुछ और लोग गए थे। मुझ भाषा क अध्ययन की अनुनातन प्रवृत्तिया पर बोलना था। वह सेशन हिन्दी अग्रजी का सयुक्त था, अत मुझ मिश्रित भाषा म बोलन को कहा गया था। वहाँ मैंने अच्छा अवसर रखा तथा शब्दविज्ञान की विस्तार म चर्चा की तथा उसक प्रतिशब्द रूप म, जग्रजी म Wordology शब्द अपना का मुझाव दिया। अनुकूल तथा तीधी सभी प्रकार की प्रतिश्रियाएँ आई। राजस्थान के एक भाषाशास्त्री न कहा कि 'शब्दविज्ञान म जो कुछ भी आ सकता है उस रूपविज्ञान म रखा जा सकता है। इमा तरह Wordology की भी आवश्यकता नहीं। Morphology म उसकी सभी बातें आ जाती हैं। मेरा उत्तर था

(क) रूपविज्ञान रूपा के अध्ययन विग्नपण का विज्ञान है। रूप नामायन दो प्रकार के होते हैं कारकीय रूप और त्रिया रूप। रूप और शब्द एक नहीं हान। शब्द का केवल अथ होना है किंतु रूप या पद म अथ क अतिरिक्त वाक्य क अथ घटका स अपने को जोडन की शक्ति भी होती है। शब्द म सम्बन्धतत्व जाडन स रूप/पद बनते हैं मुप्तिर तम पदम। लडका शब्द है तो लडक न', लडके को लडके से आदि पद या रूप हैं। इस तरह रूपविज्ञान शब्द स रूपा की रचना का विज्ञान है।

(ख) किसी भी भाषा म सवदा शब्द एक नहीं होत। हिदी म जा शब्द आदिकाल म प्रयुक्त होते थे भक्तिवाल म व ही शब्द नहीं थे इसी तरह रीति-काल तथा आयुनिक काल म भी बहुत स शब्द सुप्त हो गए तथा बहुत स नए आ गए। इस तरह किसी भी भाषा की शब्द-सपदा उसके शब्दभाण्डार या शब्दमूह का अध्ययन पुराने शब्द के सुप्त होने तथा नए शब्द के आ जान का अध्ययन शब्दविज्ञान' मे हो सकता है रूपविज्ञान म नहीं।

(ग) इस तरह Morphology को हिदी मे रूपविज्ञान नाम दें या 'पद विज्ञान, शब्दों से सबद्ध सभी प्रकार के अध्ययना को उस (रूपविज्ञान या पद विज्ञान) म नहीं रखा जा सकता। वह तो मूलत रूपा या पदा की रचना के (वणनात्मक ऐतिहासिक, तुलनात्मक या 'यतिरेकी) अध्ययन का विज्ञान है। इसक बाद अग्रजी के एक विद्वान् ने कहा कि यह ठीक है कि पद या रूप क विशेष अथ के कारण पदविज्ञान तथा रूपविज्ञान म शब्दविज्ञान नहीं रखा जा सकता, किंतु अग्रजी Morphology म केवल रूप या पद रचना का अध्ययन नहीं आता, यतिक शब्द रचना का अध्ययन भी आता है अत Morphology के रहते किसी Wordology जस शब्द की आवश्यकता नहीं।

मेरा उत्तर था—

अग्रजी म Wordology ले या न लें, यह अग्रजीवालो की इच्छा पर निर्भर

वरता है, मेरा तो यह मुझाव मात्र है। हाँ, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शब्द की रचना का अध्ययन तो Morphology में आ सकता है किंतु शब्द सम्बन्धी सभी अध्ययन उसमें नहीं आ सकते। उदाहरण के लिए चाँसर के जमान की अंग्रेजी में जो शब्द चलते थे, वङ् सवय के जमाने में वे नहीं थे तथा जो वङ् सवय के जमाने में चलते थे, आज नहीं हैं। इस तरह हर जमान में कुछ शब्द प्रयोग से निकल जाते हैं तथा कुछ नए शब्द प्रयोग में आ जाते हैं। नए शब्दों के इस तरह आने तथा पुराने शब्दों के जाने का अध्ययन, शब्दों के अध्ययन या शब्दविज्ञान में तो आता है किंतु आप शायद खुद ही इस तरह के अध्ययन को Morphology में रखना नहीं पसंद करेंगे।

स्वभावतः उन प्रश्नकर्ता महोदय की खामोशी का अर्थ मैं सहमति ली और बात आगे बढ़ी।

अंग्रेजी के ही एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि डॉ० तिवारी की इस बात में सहमत हूँ कि शब्दों से संबंधित सभी अध्ययन Morphology में नहीं रखे जा सकते और भाषाविज्ञान की कोई और शाखा उसके लिए अपेक्षित है जिसके लिए 'शब्दविज्ञान' नाम ठीक है, किंतु Wordology की जरूरत नहीं। Lexicology में शब्दों के सभी प्रकार के अध्ययन को समेटा जा सकता है।

इस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन यह था कि Lexicology यूनानी भाषा के Lexis तथा legein से बना है। Lexis का अर्थ है 'शब्द' तथा legein का अर्थ है 'बोलना' अर्थात् शब्दों के बारे में बोलना अर्थात् शब्दविज्ञान, किंतु आज जहाँ तक मेरी जानकारी है, अंग्रेजी में Lexicology शब्द का प्रयोग 'कोशविज्ञान' के लिए हो रहा है तथा Lexicography का 'कोशकला' के लिए। कहना न होगा कि 'कोशविज्ञान' और 'शब्दविज्ञान' एक नहीं हैं। इस तरह मेरे विचार में 'शब्द-विज्ञान' के ठीक अर्थ में अंग्रेजी में कम-से-कम इस समय कोई शब्द नहीं है, और उस कमी की पूर्ति के लिए Wordology शब्द बुरा नहीं है। इन सबके बावजूद भी यदि अंग्रेजी वाले Wordology शब्द न लेना चाहें तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है।

इस पर एक अंग्रेजी के ही व्यक्ति ने कहा कि इस नए अर्थ में अंग्रेजी में Wordology का स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं दीखती। अंग्रेजी में एक शब्द है linguist, जिसका सामान्य अर्थ है 'कई भाषाएँ जाननेवाला'। इस शब्द का प्रयोग कुछ लोग भाषाविज्ञानवेत्ता के लिए भी करते हैं। इस द्विअर्थता से बचने के लिए एक बार डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने इंग्लैंड में अपने किसी भाषण में भाषाविज्ञानवेत्ता के लिए linguistics में linguistician शब्द बना लेना का सुझाव दिया था। इस पर प्रसिद्ध अंग्रेज ध्वनिविज्ञानवेत्ता डैनियल जोस ने कहा था कि शब्द अच्छा है, आप भारतीय इसका प्रयोग शुरू करें वहाँ से हमें लाभ मिलेगा।

खैर, आगे चलकर मैंने अंग्रेजी शब्द Wordology पर अपना आग्रह तो छोड़

दिया किंतु 'शब्दविज्ञान' तब से प्रयुक्त करता आ रहा हूँ, और इधर मैं पाया है कि मरे आधार पर कई अ्य लोग भी भाषाविज्ञान की एक शाखा के रूप में शब्दविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। या उसके साथ एक स्थान पर मैंने Wordology का भी कोष्ठक म प्रयोग देया है।

तो यह है भाषाविज्ञान की एक शाखा के रूप में 'शब्दविज्ञान' नाम की कहानी और उसका औचित्य।

इस तरह ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान तथा अर्थविज्ञान की तरह ही शब्दविज्ञान भी भाषाविज्ञान की एक शाखा है और प्रस्तुत पुस्तक का सबध इस नई शाखा से ही है।

शब्दविज्ञान का प्रतिपाद्य

शब्दविज्ञान चूकि शब्दा के अध्ययन का विज्ञान है, अतः शब्दा से सबध सभी प्रकार के अध्ययन इसमें समाहित किए जा सकते हैं। इस दृष्टि से 'शब्द की परिभाषा शब्दों का वर्गीकरण', 'शब्दरचना', 'शब्दाथ और उसमें परिवर्तन', 'शब्दों की व्युत्पत्ति', 'शब्द समूह और उसमें परिवर्तन', 'नामा का अध्ययन', 'ध्वनि की दृष्टि से शब्दा का अध्ययन', 'शब्दकोशविज्ञान', तथा प्रयोग और समाज की दृष्टि से शब्दा पर विचार आदि इसके प्रतिपाद्य या वण्यविषय हैं।

शब्दविज्ञान की शाखाएँ

उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए शब्दविज्ञान की मुख्यतः निम्नांकित शाखाएँ मानी जा सकती हैं—

शब्दरचनाविज्ञान

इसमें शब्दा के निर्माण या उसकी रचना का अध्ययन होता है। कहना न होगा कि भाषा में शब्द दो प्रकार के होते हैं—रूढ और यौगिक। शब्दनिर्माण-विज्ञान में प्रायः यौगिक शब्दा की रचना का अध्ययन होता है किंतु रूढ शब्दों का अध्ययन भी इस रूप में हो सकता है कि वे शब्द कैसे बन गए।

शब्दाथविज्ञान

इसमें शब्दाथ क्या है, 'वह कितने प्रकार का होता है, 'उसमें परिवर्तन किन किन कारणों से तथा कितने प्रकार का होता है आदि शब्द के अर्थ-संबंधी अन्यान्य प्रकार की बातों का अध्ययन किया जा सकता है। यह सत्य है कि अर्थ-संबंधी शब्द का ही नहीं होता, शब्द के अतिरिक्त शब्द से बड़ी भाषिक इकाई का भी होता है और ऐसा भी होता है कि शब्द से बड़ी इकाई का कोई अर्थ होना उगम प्रयुक्त शब्दा में न हो। उदाहरण के लिए Is Ram going? वाक्य में, इसके घटका

(तीन पदों) के अतिरिक्त 'क्या' का भी अर्थ है। इस तरह शब्दाथ पूरे भाषाथ का एक अंग है, और मात्र उसी का अध्ययन शब्दाथविज्ञान में होता है। इसके विपरीत अर्थविज्ञान में शब्द, पद, पदवध, वाक्य, प्रोक्ति आदि सभी का जथ मवधी अध्ययन आ जाता है।

शब्दसमूहविज्ञान

किसी व्यक्ति, भाषा या बोली द्वारा प्रयुक्त होने वाले या हुए शब्दा क समूह को शब्दसमूह (Vocabulary) या शब्दभाण्डार कहते हैं। किसी (व्यक्ति, भाषा या बोली पुस्तक आदि) का शब्दसमूह कैसा है, उसके कौन कौन से घटक है तथा उसमें क्या कभी परिवर्तन हुए है, यदि हुए है तो कब कब हुए है तथा किन कारणों से हुए हैं आदि बातों का अध्ययन शब्दसमूहविज्ञान का प्रतिपाद्य माना जा सकता है।

नामविज्ञान

वसे तो प्रत्येक सज्ञा शब्द किसी न किसी के नाम होते हैं किंतु नामविज्ञान का सबध प्राय व्यक्तिवाचक सज्ञाओं से है। इसमें व्यक्तित्नाम, स्थाननाम, नदीनाम, पर्वतनाम आदि व्यक्तिवाचक सज्ञाओं या नामों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन शुद्ध भाषिक दृष्टि से भी हा सकता है तथा साम्कृतिक दृष्टि से भी। इसमें नामों का निर्माण या उनकी रचना, उनका जथ तथा उनकी व्युत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है अत 'शब्द' सं सम्बन्धित शब्दनिर्माणविज्ञान, शब्दाथविज्ञान तथा व्युत्पत्तिविज्ञान आदि भी जशत इसमें जात है।

शब्दध्वनिविज्ञान

भाषा के ध्वनीय घटकों का अध्ययन शब्द के स्तर पर भी हो सकता है तथा शब्द से बड़ी भाषिक इकाई के स्तर पर भी। उदाहरण के लिए हिंदी में अनुनास (Intonation) का अध्ययन शब्द-स्तर पर न होकर वाक्य के स्तर पर होता है। ऐसे ही बहुत सी सधिया ऐसी हैं जो हिंदी में शब्द-स्तर पर नहीं मिलती, अपितु वाक्य-स्तर पर मिलती हैं। जैसे आध-सर = आस्सर, मार-डाला = माड-डाला। शब्दध्वनिविज्ञान से मेरा आशय है शब्द के स्तर पर किमी भाषा की ध्वनियों का अध्ययन। इसे वड फोनोलॉजी (Word Phonology) का समानार्थी माना जा सकता है। ता इस प्रकार ध्वनि की दृष्टि से शब्द का अध्ययन शब्द-ध्वनिविज्ञान है।

व्युत्पत्तिविज्ञान

इसमें सभी प्रकार के शब्दा की व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि संस्कृत में उपसर्ग, प्रत्यय और घातु से जो शब्दा क

व्युत्पत्ति दी जाती है, वह तत्त्वतः आधुनिक अर्थों में व्युत्पत्ति न होकर शब्द रचना है। व्युत्पत्ति से आशय है किसी शब्द का उद्भव और उसका अर्थ, ध्वनि तथा एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने आदि का पूरा इतिहास।

शब्दकोशविज्ञान

यह शब्दों का कोश बनाने का विज्ञान है जो शब्दों के उच्चारण, उनकी व्याकरणिक कठोरियाँ व्युत्पत्ति तथा अर्थ आदि से सम्बद्ध है। यह सकेत्य है कि कोश-विज्ञान और शब्दकोशविज्ञान पूर्णतः एक नहीं है। क्योंकि कोश तो शब्द से अलग अर्थ (लोकोक्तिकोश) उद्धरणकोश प्रयोगकोश) का भी हो सकता है इसी-लिए यहाँ 'कोशविज्ञान' का प्रयोग न करके 'शब्दकोशविज्ञान' का प्रयोग किया जा रहा है।

शब्दप्रयोगविज्ञान

इसका सबंध शब्दों के प्रयोग से है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के प्रयोग के विषय में कुछ सततताएँ बरतनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग में सबंध में ऐसा कुछ बहुत निश्चित नहीं होता कि उनका प्रयोग किन शब्दों के साथ करें तथा किनके साथ न करें। दूसरी ओर कुछ शब्दों के सबंध में ऐसे नियम होते हैं। उदाहरण के लिए 'भोजन' और 'खाना' हिंदी में सत्ता पर्याय हैं, किंतु जहाँ तक क्रिया शब्द का प्रश्न है 'भाजन' का साथ 'करना' का प्रयोग होता है (मैंने भोजन किया) ता 'खाना' के साथ 'खाना' का (मैंने खाना खाया)। यदि कोई व्यक्ति मैंने 'भोजन' खाया तथा मैंने खाना किया प्रयोग करे तो प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध होगा। दो भाषाओं में भी इस प्रकार के अंतर मिलते हैं। अंग्रेजी में रेडियो के साथ प्ले (खलना) चलता है किंतु हिंदी में रेडियो के साथ खलना का प्रयोग नहीं होता, 'बजाना' का होता है। इसी प्रकार पर्यायों में अंतर बचन और लिंग का ध्यान आदि भी शब्द-प्रयोग की दृष्टि से विवेच्य विषय हैं।

समाजशब्दविज्ञान

समाज के परिप्रेक्ष्य में या समाज की जानकारी के लिए शब्दों का अध्ययन समाजशब्दविज्ञान का विषय है।

व्युत्पत्ति

'शब्द' का मूल अर्थ है 'ध्वनि'। इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में पर्याप्त मत-भेद हैं। 'शब्' 'शब्', आदि एक से अधिक धातुओं से इसका सम्बन्ध जाड़ा जाता है। अधिक प्रचलित मत यह है कि शब्द का सम्बन्ध 'शब्' धातु से है (शब् + घञ), जिसका अर्थ है 'शब्दकरना', 'ध्वनिकरना' या 'बोलना' आदि। या कुछ लोग 'शब्द' को 'शब्द' से बनी नामधातु भी मानते हैं। अंग्रेजी शब्द word (डच woord, जर्मन wort, गोथिक waurd, आइसलैंडिक orth, लैटिन verbum) का सम्बन्ध भी 'बोलना' या 'ध्वनि करना' से है। अरबी 'लफज' भी मूलतः 'मुह से फेंका हुआ' या 'ध्वनि किया हुआ' या 'बोला हुआ' है। इस प्रकार 'शब्द' के विभिन्न भाषाओं में प्राप्त पर्याय भी मूलतः एक-दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं।

परिभाषा

मत्सर की सभी भाषाओं को दृष्टि में रखते हुए शब्द की सभी दृष्टियों से पूर्ण परिभाषा देना प्रायः असम्भव-सा है। इस विषय पर विचार करते हुए येस्पमन विद्वये, डनियल जोस तथा उल्डल आदि अनेक विद्वानों ने इस अममयता को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। इस असम्भवता के बावजूद शब्द की अनवानक परिभाषाएँ दी गई हैं। पतञ्जलि कहते हैं 'श्रोत्रापलम्बियुद्धिनिग्राह्य प्रयोगेणाभिज्ञलित आकाशदेश शब्द'। अर्थात् शब्द, कान से प्राप्य, बुद्धि में ग्राह्य प्रयोग से प्रस्फुरित होने वाली आकाशव्यापी ध्वनि है। पतञ्जलि ने विस्तार में भी 'शब्द' पर विचार किया है जिसके निम्नपस्वरूप कहा जा सकता है उनकी दृष्टि में उच्चरित श्रव्य, बुद्धिग्राह्य और अद्यबोधक ये चार विशेषण शब्द की विनिष्ठा की आरम्भ करने हैं। दूसरे शब्दों में शब्द वह है जो उच्चरित, श्रव्य, बुद्धिग्राह्य और अद्यबोधक हो। पतञ्जलि एक स्थान पर कहते हैं— 'प्रतीतपदाद्यकाशात् ध्वनि शब्द'। अर्थात् वह ध्वनि जिससे व्यवहार या साक्ष्य में पद के अर्थ की प्रतीति हो, शब्द है। शृंगारप्रकाश में आता है, वेनीचचारितन अर्थ प्रतीत्यन सा शब्द'। अर्थात् जिसके बोलने से अर्थ की प्रतीति हो, वह (ध्वनि) शब्द है।

पश्चिम¹ में भी इस दृष्टि से काफी प्रयास हुए हैं। पामर शब्द का ऐसी लघुतम भाषिक इकाई मानते हैं जो एक पूर्ण उच्चारण के रूप में काम कर सके। उल्मैन इसे भाषा की लघुतम महत्त्वपूर्ण इकाई कहते हैं। एनटिवमल शब्द का विचार और अर्थ की स्वतंत्र इकाई मानने के पक्ष में है। मेये इसे अर्थ और ध्वनि समूह का ऐसा योग मानते हैं जिसका व्याकरणिक प्रयोग हो सके। टूमफील्ड इसे भाषा का लघुतम भुक्त रूप कहते हैं। रायटसन और कसिडी शब्द को वाक्य में लघुतम स्वतंत्र इकाई मानते हैं। स्वीट इसे लघुतम आधुनिक इकाई कहते हैं। अनेक अन्य विद्वानों ने भी ऐसी ही या इससे मिलती जुलती बातें कही हैं।

अब तक हम लोग 'शब्द' के विषय में विभिन्न भारतीय तथा अन्तर्देशीय विद्वानों की परिभाषाओं से परिचित होते रहे, अच्छा हो कि पढ़ने शब्द की भाषा में स्थिति देखें फिर शब्द की विशेषताओं पर विचार करें और तब उन विशेषताओं के आधार पर शब्द को परिभाषित करें।

वस्तुतः भाषा दो षं योग में बनी होती है। एक तो होने हैं शब्द, और दूसरे होते हैं व्याकरण के व नियम जिनके आधार पर इन शब्दों की सहायता में भाषा का भवन खड़ा होता है। किसी भाषा में प्रयुक्त इन शब्दों के समूह को 'शब्दसमूह' कहा जाता है तथा इन नियमों के समूह को 'व्याकरण'। यह ध्यान देने की बात है कि व्याकरण के नियम सीमित होते हैं तथा उनमें सामान्यतः जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत भाषाओं के शब्दों की संख्या में आवश्यकतानुसार हमेशा वृद्धि जाती रहती है तथा शब्दसमूह बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता रहता है। हम विभिन्न स्रोतों से शब्द ग्रहण करते रहते हैं। उदा-

1 Palmer—The smallest speech unit capable of functioning as a complete utterance

Ulman—The smallest significant unit of language

Entwistle—A word is an autonomous unit of thought and sense. It 'results from the association of a given meaning with a given grammatical employment or is a complex of sounds which in itself possesses a meaning fixed and accepted by convention or is 'the smallest thought unit vocally expressible'

Maillet—A word is the result of the association of a given meaning with a given combination of sounds, capable of a given grammatical use

Robertson तथा Cassidy—The smallest independent unit within the sentence

Sweet—An ultimate sense unit

हरण के लिए हिंदी की ही बात ले तो 1900 स अब तक हमारे व्याकरणिक नियमों में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है किंतु हमारे शब्दसमूह में बहुत परिवर्तन हुआ है, और होता जा रहा है। एक ओर तो जरूरी फारसी अंग्रेजी संस्कृत तथा अपनी बोलियों से शब्द लेकर हमने उसमें अभूतपूर्व वृद्धि की है तो दूसरी ओर नई संकल्पनाओं के लिए नए शब्दों का निर्माण करके हमने उसमें बढ़ावा दिया है। इस तरह शब्दसमूह भाषा का नित्य विवर्द्धमान अंग है ता व्याकरण के नियम प्रायः अविवर्द्धमान।

शब्द की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं

(क) भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं, इस तरह शब्द भाषा की एक इकाई है।

(ख) प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है।

(ग) भाषा के वाक्य उपवाक्य पदबंध पद, शब्द जादि इकाईयाँ में शब्द लघुतम होता है।

(घ) 'शब्द' भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है। उपसर्ग या प्रत्यय की तरह उनके लिए किसी के साथ जुड़कर आना आवश्यक नहीं।

उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर शब्द की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है—

भाषा की साधक, लघुतम और स्वतंत्र इकाई को 'शब्द' कहते हैं।

इस परिभाषा में निम्नांकित बातें ध्यान देने की हैं—

(क) शब्दों का अर्थ होता है अर्थ या साधक होते हैं। यदि गहराई में देखें तो यह साधकता भी मूलतः दो प्रकार की होती है विचारपरक और प्रकायपरक (फक्शनल)। विचारपरक साधकता वहाँ होती है, जहाँ शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ होता है। उदाहरण के लिए 'मोहन घर जा रहा है' में 'जा' की साधकता विचारपरक है। उससे राम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जान का विचार व्यक्त किया गया है। इसके विपरीत 'मोहन से यह बात कही जा सकती है' वाक्य में 'जा' की स्थिति वह नहीं है। 'जा' यहाँ साधक तो है किन्तु उसकी साधकता विचारपरक नहीं है, क्योंकि यहाँ जाने का भाव या विचार नहीं है। तत्त्वतः यह 'जा' कर्मवाच्य का छातक है इस प्रकार यह प्रकायपरक है। एम ही 'मैं' कहा जाता हूँ का 'जा' विचारपरक है ता मुझमें बोला नहीं जाता में 'जा' प्रकायपरक नहीं है। यह 'जा' भाववाच्य का प्रकाय (फक्शन) कर रहा है।

(ख) ऊपर शब्द के साधक होने की बात कही गई है, किंतु साधक ता वाक्य, उपवाक्य, पदबंध तथा पद भी होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब य सभी साधक होते हैं तो शब्द का अर्थ में क्या अलगाव है। इसके लिए हम कहना पड़ता है कि शब्द लघुतम होते हैं। अर्थात् वाक्य, उपवाक्य पदबंध पद तथा शब्द में सबसे छोटे शब्द ही होते हैं। उदाहरण के लिए 'मोहन के भाई का मित्र मिताया' वाक्य में 'भाई' एक शब्द है। इस शब्द से बड़ा भाई का पद या रूप

है। ऐसे ही यह पूरा वाक्य या 'मोहन के भाई का मित्र' पदबंध भी इस भाई शब्द में बड़े है। इस तरह शब्द सबसे छोटा होता है।

(ग) तो हमने देखा कि 'शब्द', 'लघुतम साधक' इकाई होता है, किंतु गहराई से देखें तो 'उपसर्ग' और 'प्रत्यय' भी भाषा की इकाई हैं, ये छोटे भी होते हैं तथा साधक भी। अब प्रश्न यह उठता है कि 'शब्द' को इन दोनों से कैसे अलग करें। वस्तुतः 'शब्द' को इन दोनों से अलग मानन का आधार प्रयोग है। उपसर्ग सबदा ही किसी शब्द के पहले जुड़कर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जैसे 'लापता' में 'ला' या 'अलौकिक' में 'अ' तथा 'विज्ञान' में 'वि'। ऐसे ही प्रत्यय सबदा ही किसी शब्द के अंत में जुड़कर आता है। उदाहरणार्थ 'सुंदरता' में 'ता' या 'बड़ाई' में 'आई' या 'दयालु' में 'आलु' आदि। किंतु शब्द के लिए इस प्रकार जुड़कर आना अनिवार्य नहीं है। ऊपर के उदाहरणों में ही देखें तो 'पता', 'लौकिक' 'ज्ञान' 'सुंदर' 'बड़ा' या 'दया' स्वतंत्र भी आ सकते हैं। इस तरह शब्द स्वतंत्र होते हैं किंतु उपसर्ग तथा प्रत्यय परतंत्र।

इस प्रसंग में इतना और जोड़ देना उपयुक्त होगा कि शब्द मूलतः स्वतंत्र या मुक्त होते हैं, और उनका प्रयोग प्रायः अलग-अलग ही होता है, किंतु किसी अपेक्षाकृत बड़े शब्द की रचना के लिए शब्द, किसी अन्य शब्द के आदि ('डाकघर' में 'डाक') मध्य ('समाजभाषाविज्ञान' में 'भाषा') तथा अंत ('राजनीति' में 'नीति') में भी आ सकते हैं। कहना नहीं होगा कि इस प्रकार किसी बड़े शब्द का अर्थ बनने से मूल शब्द की मुक्तता या स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं पड़ता।

शब्द वनाम पद या रूप

सामान्यतः शब्द तथा पद/रूप का एक ही माना जाता है। यदि किसी में पूछा जाए कि 'मैंने उसे पीटा' वाक्य में कितने शब्द हैं और वे कौन कौन से हैं, तो उत्तर मिलेगा, इसमें तीन शब्द हैं 'मैंने', 'उसे' तथा 'पीटा'। किंतु, वास्तविकता यह नहीं है। इसमें तीन शब्द हैं 'मैं', वह तथा पीटा। 'मैंने', 'उसे' तथा 'पीटा' शब्द न होकर पद या रूप हैं। 'शब्द' तथा रूप/पद में अंतर है। शब्द का केवल अर्थ होता है। उसमें केवल अर्थत्व होता है। इसके विपरीत पद में अर्थ तत्त्वता होता ही है इसके अतिरिक्त उसमें सम्बन्धतत्त्व भी होता है जिसके कारण वह वाक्य के अन्य पदों के साथ अपना सम्बन्ध स्पष्ट कर सकता है। ऊपर के उदाहरण में मैंने पद में मैं शब्द है तो ने सम्बन्धतत्त्व है। दोनों मिलकर 'मैंने' कर्त्ताकारक का रूप बना है। इस तरह शब्द से वाक्य नहीं बनते पद से वाक्य बनते हैं। उदाहरण के लिए 'राम रावण बाण मार' वाक्य नहीं है क्योंकि ये चारों शब्द हैं। यदि इनमें सम्बन्धतत्त्व जोड़ें तो ये शब्द पद बन जाएंगे और तब यह एक ठीक वाक्य बन जाएगा राम + ने रावण + को बाण + से मार + आ = राम ने रावण को बाण से मारा। 'ने' जाड़ने में 'राम ने कर्त्ताकारक का

रूप बन गया है। ऐसे ही 'रावण को' कम कारक तथा 'वाण से' सबध कारक के रूप हैं। इस तरह कारकीय रूप तथा क्रिया रूप पद या रूप होते हैं। शब्द में ने, को आदि कारकचिह्न या धातु में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़कर रूप की रचना की जाती है। इसीलिए ऊपर 'पद' को शब्द से बड़ी इकाई कहा गया है। कुछ शब्दों और पदों को देखने से 'पद' के शब्द से बड़े होने का अनुमान लग जाएगा भाई—भाई ने, बहन—बहन को, लाठी—लाठी से, घर—घर में, देख—देखा, खा—खाओ। या अपवादत कभी कभी ऐसे पद भी मिलते हैं जो शब्द जैसे ही होते हैं। उदाहरण के लिए 'भाई' शब्द है किंतु 'भाई आएगा' में 'भाई' पद या रूप है, कर्त्ता कारक का रूप। या 'जा' धातु शब्द है, किंतु 'तू जा' वाक्य में 'जा' धातु न होकर आज्ञा का रूप है। ऐसे स्थानों पर शून्य सबधतत्त्व की कल्पना की गई है। अर्थात् भाई (शब्द) + शून्य सबधतत्त्व = भाई (पद) या जा + शून्य = जा (आज्ञा का रूप)। इस तरह 'शब्द' में सामान्यतः माने जाने वाले शब्द भी आते हैं तथा धातुएँ भी, तथा शब्द और 'पद' या 'रूप' एक नहीं होते। दोनों में स्पष्ट अंतर होता है।

3

शब्दों का वर्गीकरण

कुछ प्राचीन-अर्वाचीन प्रयास

शब्दों का वर्गीकरण शब्दों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विश्व की अनेक भाषाओं में अनेक दृष्टियों से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। भारत में प्राचीनतम वैज्ञानिक वर्गीकरण यास्क मुनि का माना जाता है (यद्यपि इसके पूर्व भी शुभ-अशुभ साधु-असाधु रूप में शब्द वर्गीकरण किया जाता था) जो उनके निरुक्त में मिलता है। यास्क (8वीं सदी ई० पू०) के अनुसार शब्द चार प्रकार के होते हैं—चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसगनिपाताश्च (11) अर्थात् नाम, आख्यात, उपसग, निपात। स्पष्ट ही यह वर्गीकरण व्याकरणिक या वाक्य में प्रयोग पर आधारित है। आज तक जितने भी शब्द वर्गीकरण किये गये हैं, उनमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है तथा कुछ दृष्टियों में यह सर्वाधिक वैज्ञानिक भी है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य में भी शब्द चार प्रकार के माने गये हैं—तिङ् कृत तद्धित समास। कुछ अन्य प्रातिशाख्यों में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। पाणिनि (5वीं सदी ई० पू०) के अनुसार शब्दों के दो ही प्रमुख वर्ग हैं—सुबत और तिङत। यास्क का आख्यात त्रिया शब्दों के लिए जाया है, जिसे पाणिनि तिङत कहते हैं। यास्क के शेष तीन अर्थात् नाम, उपसग निपात् पाणिनि के सुबत के अंतर्गत आ जाते हैं। यो प्रयोग केवल नाम ही सुबत है। इस प्रकार अव्यय का भी पाणिनि सुबत के अंतर्गत (जटाभाष्य 2.4.82) रखते हैं यद्यपि यह बहुत ठीक नहीं है। सस्कृत प्रयोगों को देखते हुए शब्दों के सुबत, तिङत, अव्यय ये तीन भेद मानना कदाचित् अधिक समीचीन हो सकता है। महाभाष्यकार ने शब्दों के लौकिक और वदिक दो भेद माने हैं। कुछ सस्कृत व्याकरणों (भोज शृंगार प्रकाश) ने शब्दों के प्रकृति प्रत्यय, उपस्कार, उपपद, प्रातिपदिक, विभक्ति उपमजन, समास, पद वाक्य और प्रबन्ध—य 12 भेद माने हैं। अथ के आधार पर अपने यहाँ वाचक, लक्षक और व्यञ्जक तीन प्रकार के शब्द माने गये हैं। इसी प्रकार इतिहास के आधार पर तत्सम आदि भेद भी किए गए हैं।

पश्चिम में व्याकरणिक दृष्टि से शब्द आठ वर्गों (eight parts of speech) में विभाजित किए गए हैं—सज्ञा (noun), सर्वनाम (pronoun), विशेषण

(adjective), क्रिया (verb), क्रियाविशेषण (adverb), समुच्चयवाचक (conjunction), सव्यसूचक (preposition), तथा विस्मयादिवोधक (interjection)। यह वर्गीकरण अग्रेजी का है। अथ योरोपीय भाषाओं में भी प्रायः इन्हीं का स्वीकार किया गया है। जैसा कि यस्पसन ने कहा है, यह वर्गीकरण व्यावहारिकता है कि तुलात्मिक या वैज्ञानिक नहीं है। इसी कारण इस पर विचार करन हुए विद्वानों ने आठ व स्थान पर दो, चार तथा नौ जाति वर्ग मानन व सुझाव दिये हैं। इन आठ वर्गों का विकास मूलतः प्लेटो के वर्गीकरण के आधार पर हुआ था। अरस्तू ने भी कई रूपों में शब्दों का वर्गीकरण किया था जिनमें रचना के आधार पर मूल (इसी का हिन्दी में मूल या मूल कहत है) तथा योगिक (यह सन्धि या हिन्दी के योगिक व समान है)। इसी प्रकार प्रचलन, व्यञ्जना तथा अर्थ आदि के आधार पर भी अरस्तू ने प्रचलित-अप्रचलित लाक्षणिक, आत्मकारिक, नव निर्मित, व्यावृत्त, सव्युचित या परिवर्तित आदि भेद किये हैं। यस्पसन ने इन पर विचार करते हुए शब्दों का प्रायोगिक या व्याकरणिक दृष्टि से, (1) नाम या मन्त (substantives), (2) विशेषण, (3) सवनाम, (4) क्रिया, तथा (5) अव्यय (जिनमें व प्रथम चार को छोड़कर भाषा के शेष सभी शब्दों को रखन के पक्ष में हैं)—इन पाँच वर्गों में रखने का विचार प्रकट किया है। रचना की दृष्टि से व शब्दों को प्राथमिक (primaries), ऐडजक्ट्स (adjuncts) तथा सव्यजक्ट्स (subjuncts)—इन तीन वर्गों में रखने के पक्ष में हैं।

कुछ और भी, इसी प्रकार के वर्गीकरण किये गये हैं।

वर्गीकरण का आधार

वर्गीकरण के पूर्व यह विचारणीय है कि किसी भाषा के शब्दों को वर्गीकृत करन के कितने आधार हो सकते हैं। वस्तुतः यदि गहराई और विस्तार से देखें तो इतने बहुत अधिक आधार हो सकते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख आधार तथा उनके आधार पर किए जानेवाले शब्दों के वर्गीकरण निम्नांकित हैं।

(क) स्रोत या इतिहास

किसी भाषा में शब्द किस स्रोत से आया है, या उसका इतिहास क्या है, इस आधार पर भारतीय परंपरा के शब्दों का वर्गीकरण काफी पहले से किया जाता रहा है। दूसरी सदी ई० पू० में भरत मुनि ने इस दिशा में प्रथम वैज्ञानिक प्रयास अपने नाट्यशास्त्र में किया —

त्रिविधं तच्च विज्ञेयं नाट्ययोगं सप्तममथम् ।

समानशब्दैर्विभ्रष्टदशममथमपि वा ॥

अर्थात् शब्द समान, विभ्रष्ट तथा दशम, ये तीन प्रकार के हैं। इन्हीं को आगे चलकर तत्सम, तदभव तथा दशी या देशज कहा गया। बाद में इनमें ५

'विदेशी' बग जोड़कर इतिहास के आधार पर शब्द चार प्रकार के माने गए। भारत के बाहर इस प्रकार के किसी निश्चित वर्गीकरण की परंपरा बसाचित् नहीं मिलती।

आगे इन चारों तथ्यों से सबसे उपयुक्तों पर कुछ विस्तार से—विशेषतः हिन्दी के प्रसंग में—विचार किया जा रहा है।

तत्सम

इसका शाब्दिक अर्थ है 'उसके (तत्) समान (सम)' अर्थात् 'संस्कृत के समान'। भारत ने अपने नाट्यशास्त्र में 'तत्सम' को 'समान' तथा कुछ अन्य भाषाओं ने इसे 'तद्रूप' कहा है। इस तरह 'तत्सम' के शब्द हैं जो संस्कृत के समान हैं, अर्थात् जिनमें परिवर्तन नहीं हुए हैं। जैसे कृष्ण, दधि, आभीर, बधू, घाटक, सपत्नी, कम आदि। इस प्रसंग में यह बात भी उल्लेख्य है कि 'तत्सम' कह जाने वाले सभी शब्द मूलतः संस्कृत के ही नहीं हैं। हुआ यह कि अन्य भाषाओं से भी आकर अनेक शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में गहोत हुए और उनका प्रयोग होने लगा, फिर वे संस्कृत के माने लिये गये और आज वे भी तत्सम ही माने जाते हैं। जैसे 'गो' 'लौह' सुमेरी हैं, 'परशु' अक्कादी है, 'असुर' असीरियन है, 'कूप', 'शलाका' फिनो-उग्रिक हैं, 'बदली', 'बाण', 'ताबूल', 'पिनाक', 'गंगा', 'लिंग' आस्ट्रिक हैं, 'कला', 'गण', 'नाना', 'पुष्प', 'रात्रि' मक'ट', 'शव' द्रविड हैं, 'यवन', 'होडा' 'द्रम्म', 'क्रमल' यूनानी हैं, 'रोमक', 'दीनार' लातीनी हैं, 'रमल', 'सहम' अरबी हैं, 'बालिश', 'निशाण' ईरानी हैं, 'गुरुक', 'खच्चर' तुर्की हैं एवं 'मसार' तथा 'चीन' (चीनचालक, चीनाशुब) चीनी हैं।

हिन्दी में स्रोत की दृष्टि से 'तत्सम' शब्द चार प्रकार के हैं

(क) प्राकृतों (पालि, प्राकृत, अपभ्रंश) से हाते आने वाले शब्द जैसे अचल, अप अचला, बाल, कुसुम, जंतु दण्ड, दम आदि। इस वर्ग के शब्दों की संख्या काफी बड़ी है। इनमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो संस्कृत से परम्परागत रूप में प्राकृताओं में मिले और जो विशिष्ट कारणों से अपने स्वरूप को अक्षुण्ण रख सकें। दूसरे वे हैं जो संस्कृत के प्राकृताओं पर प्रभावस्वरूप, प्राकृतों में प्रयुक्त हुए। अर्थात् आगत शब्द (loan word) रूप में संस्कृत से प्राकृताओं में आए। ऐसे शब्दों के तद्भव रूप भी प्राकृतों में मिलते हैं।

(ख) संस्कृत से सीधे हिन्दी में भक्ति आधुनिक आदि विभिन्न कालों में लिये गये शब्द जैसे कम, विद्या, ज्ञान क्षेत्र, कृष्ण पुस्तक भाग, मत्स्य, मय, मेघ पुष्प, मग मधुर, कुशल आदि। ऐसे शब्दों की संख्या प्रथम वर्ग से भी बनी है। सर्वाधिक तत्सम शब्द सभी आधुनिक आय भाषाओं में इसी रूप में आये हैं।

(ग) संस्कृत के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिन्दीकाल में निर्मित तत्सम शब्द। इस प्रकार के अधिकांश शब्द आधुनिक काल में शब्दों की कभी

की पूर्ति के लिए बनाये गये हैं, और बतये जा रहे हैं। जैसे जलवायु (आवहवा), वायुयान (हवाई जहाज या एरोप्लेन), सम्पादकीय (editorial), प्राध्यापक (lecturer), रेखाचित्र (sketch), प्रभाग (section), वाक्यविश्लेषण (sentence analysis), निदेशक (director), नगरपालिका (municipality), समाचारपत्र पत्राचार (correspondence), कटिबद्ध (फा० कमरउस्ता) आदि। ऐसे शब्द इधर पारिभाषिक शब्दों के रूप में लाखों की संख्या में बने हैं।

(घ) अथ भाषाओं से आये तत्सम शब्द। इस वर्ग के शब्दों की संख्या अत्यल्प है। कुछ थोड़े शब्द बंगाली तथा मराठी के माध्यम से आये हैं। इनमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो संस्कृत में भी प्रयुक्त होते थे, और कुछ ऐसे हैं जो इन भाषाओं में संस्कृत के आधार पर बने। कुछ उदाहरण हैं बंगाली वक्तता, उपवास, गल्प, कविराज, सदेश, अभिभावक, निभर तत्त्वावधान, अभ्यर्थना, आपत्ति, सम्राज्य, स्वप्निल, उर्मिल, धर्मवाद, तथा मराठी वाङ्मय प्रगति आदि।

हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्द सज्ञा सवनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय हैं। सज्ञा शब्द प्रायः दो प्रकार के हैं

(क) संस्कृत के प्रातिपदिक—जैसे राम, कृष्ण, फल मित्र, कुसुम पुष्पक, पत्र, पुष्प, देव, बालक, वृक्ष, मनुष्य आदि अकारान्त, कवि, हरि, मुनि, कृषि, कपि, यति, विधि, रवि, अग्नि, पति रुचि, मति आदि इकारान्त, सुधी, लक्ष्मी आदि ईकारान्त भानु, शत्रु विष्णु गुरु, धेनु जंतु प्रभु, शिशु पशु, साधु आदि उकारान्त, तथा वधू, चमू, भू स्वयंभू आदि ऊकारान्त आदि।

(ख) संस्कृत के प्रथमा एकवचन—जैसे सखा, पिता, भ्राता, जामाता दाता, नेता, कर्ता, माता, दुहिता, वणिक, सम्राट्, आत्मा, ब्रह्मा, राजा, महिमा युवा, हस्ती, क्वरी, पक्षी, स्वामी, तपस्वी सीमा नाम चम, विद्वान् भगवान् धनवान् आदि।

कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जिनका प्रातिपदिक रूप एवं प्रथमा बहुवचन रूप एक ही होता है, अतः इन्हें उपर्युक्त दो में किसी में भी रखा जा सकता है। जैसे वारि दधि, अस्थि वस्तु, मधु, विद्या, रमा, बाला, निशा, कन्या, भाषा, नदी, स्त्री जगत सुहृद् आदि।

सवनाम केवल दो ही बहुप्रयुक्त हैं जो पष्ठी एकवचन के रूप में मम, तव। विशेषण प्रायः केवल प्रातिपदिक रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे तीव्र, नूतन, नव, नवीन पुरातन चिरंतन, सुंदर, श्वेत आदि।

तत्सम शब्दों के आधार पर कुछ क्रियाएँ भी बनी हैं जैसे स्वीकारना।

हिंदी में प्रयुक्त तत्सम अव्यय मुख्यतः तीन प्रकार के हैं

(क) संस्कृत के समान—जैसे पथक्, सहसा, धिक आदि। ये इसी प्रकार संस्कृत में भी आते हैं तथा हिंदी में भी।

(ख) संस्कृत के कई रूपों में एक—कुछ अव्यय ऐसे हैं, जो संधि के नियमों

आदि के कारण संस्कृत में तो कई रूपों में आते हैं, किन्तु हिंदी में प्रायः उनमें एक रूप ही प्रयुक्त होता है। जैसे 'शनैः शनैर शनैस'। संस्कृत में ये तीनों मिलेंगे किन्तु हिंदी में केवल 'शनै' प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार 'प्रातस्-प्रातस् प्रात' में हिंदी में 'प्रात' ही आता है। 'साय-सायम्' में भी प्रायः 'साय' हिंदी में गृहीत है।

(ग) संस्कृत का मूल रूप—कुछ अवयव भी हैं जो संस्कृत में तो दूसरे रूप में आते हैं किन्तु हिंदी में उनके रूप का न लकर मूल को स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ संस्कृत में अव्यय रूप में 'नित्यम्' ही आयेगा, 'नित्य' नहीं, किन्तु हिंदी में 'नित्य' ही आयेगा 'नित्यम्' नहीं।

हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो वस्तुतः तत्सम नहीं हैं, किन्तु जिन्हें प्रायः तत्सम समझा जाता है। ऐसे शब्दों के दो ढंग बनाए जा सकते हैं। प्रथम ढंग ऐसे शब्दों का है जो संस्कृत प्रथमा एववचन के रूप में संविभक्त हटाकर हिंदी में लिये गए हैं। जैसे अप्सरा। संस्कृत में अप्सरा कोई शब्द नहीं है। संस्कृत में इसका प्रातिपदिक है अप्सरस तथा प्रथमा एक० रूप है 'अप्सरा'। 'अप्सरा' का विभक्त हटाने से ही हिंदी 'अप्सरा' बन गया है। चंद्रमा, पथ, नभ, उर मन, वय रज वक्ष, तम, यश सर, शिर आदि भी ऐसे ही हैं। इन सभी का प्रातिपदिक है—संयुक्त तथा प्रथमा एववचन विभक्त-युक्त। आयु वपु का प्रातिपदिक है—य युक्त तथा प्रथमा एक० रूप विभक्त-युक्त। इस प्रकार य तथा इस तरह के अन्य शब्द तत्सम नहीं हैं। दूसरी श्रेणी के शब्द ऐसे हैं जो कुछ अवयव प्रकार में परिवर्तना के कारण तत्सम नहीं रह गये हैं (तत्सम रूप कोष्टक के भीतर हैं) अंतर्राष्ट्रीय (अंतरराष्ट्रीय, कुछ विद्वानों का इस संबंध में मतभेद भी है) राष्ट्रीय (राष्ट्रिय) उपरोक्त (उपयुक्त) प्रण (पण), सप्रहीत (सगृहीत), अनुप्रहीत (अनुगृहीत), धात्रीणी (शत्रियाणी शत्रिया), आधीन (अधीन), दंड (ऽड) प्रौढ (प्रौड), होडा (हाडा), औपधि (औपधि, औपध) मनोरामना (मनोरामना) आदि। ऐसे सभी शब्दों का तत्समाभास कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें तत्सम का आभास होता है। यो वस्तुतः ये शब्द तत्सम या परवर्ती तत्सम (जिन्हें प्रायः अध-तत्सम कहा जाता है) हैं।

तत्सम शब्द की तत्समता

संस्कृत, प्राकृत आदि के प्राचीन आचार्यों में लेकर आधुनिक भाषाशास्त्रियों तक, गौरी ने तत्सम का 'संस्कृत के समान' के रूप में स्वीकार किया है, किन्तु मुझे संशय है कि क्या नामकरण बहुत मान-मसतार पर किया गया है। जिन शब्दों का तत्सम कहा जाता है उदात्त, यदि ध्वनिगत दृष्टि से देखा जाए तो तत्समता में अधिक अक्षमता है। दूसरे ढंग में प्रायः कम या कम संस्कृत के समान हैं और अधिक भाषा में संस्कृत के अगमन हैं। आगे दृष्टिकोण का संस्कृत के लिए ही इन तत्समों को कुछ विचार में लेना चाहिए।

हूँ। शब्दों के दो पक्ष होते हैं। एक तो आत्म्य-तर पक्ष, जिसे उसका 'अर्थ' कहते हैं, और जो शब्द की 'आत्मा' कहलाने का अधिकारी है, तथा दूसरा बाह्य पक्ष, जिनमें उनका बाह्य रूप या उसमें प्रयुक्त ध्वनियाँ आती हैं, और जिसे शब्द का 'शरीर' कह सकते हैं। शब्द के इन दोनों पक्षा—आत्मा और शरीर—को दृष्टि में रखकर हम यह कह सकते हैं कि सच्चे अर्थों में कोई शब्द 'तत्सम कहलाने का अधिकारी तभी है, जब वह आत्मा एवं शरीर दोनों ही दृष्टियाँ से सस्कृत के समान हो। किन्तु तथ्य यह है कि इस रूप में बहुत ही कम शब्द समान मिलेंगे। पहले अर्थ या शब्द की आत्मा की बात ली जाय। हिन्दी में अनेक तत्सम कहलाने वाले शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ सस्कृत के समान नहीं है। उदाहरण के लिए हिन्दी में दो शब्द हैं 'जघा' और 'जाँघ'। प्रचलित परिभाषा के अनुसार पहला तत्सम है और दूसरा तद्भव है। 'जघा' शब्द वैदिक तथा लौकिक सस्कृत, दोनों में मिलता है, किन्तु उसका अर्थ 'जाँघ' न होकर 'धुटन और टखने के बीच का भाग' होता है। इस तरह सस्कृत एवं हिन्दी 'जघा' में अर्थ की असमानता है। अर्थात् अर्थ की दृष्टि से हिन्दी में 'जघा' तत्सम नहीं है, यद्यपि माना जाता है। शीपक (स० अर्थ 'सिर', हि० अर्थ heading), पतंग (स० अर्थ सूय, पक्षी, शलभ, हि० अर्थ 'गुट्टी' भी), पदवी (स० अर्थ रास्ता पथ, हिन्दी अर्थ उपाधि आदि), प्रणाली (स० अर्थ नाली, हिन्दी अर्थ ढग, पद्धति) कटि (स० अर्थ कूल्हा, नितम्ब, हिन्दी अर्थ कमर), निभर (स० अर्थ बहुत अधिक, पूण, भरा, हिन्दी आधित, अवलम्बित, मुनहसर भी), प्रान्त (स० अर्थ सीमा, अंत, किनारा, कोना हिन्दी अर्थ भूवा भी), परिवार (सस्कृत अर्थ घेरने वाला, नौकर चाकर समूह अनुयायी, म्यान, हि० अर्थ कुटुम्ब), सूची (स० अर्थ सूई, हि० अर्थ तालिका भी), तथा ऋटि (स० अर्थ टूट, टूटना, हि० अर्थ भूल, दोष) आदि शब्द भी इसी प्रकार के हैं।

जहाँ तक शब्दों के शरीर या उनमें प्रयुक्त ध्वनियाँ में तत्समता का संबंध है, यह एक भाटी बात ध्यान में रखनी की है कि विश्व में कोई भी दो भाषाएँ या बोलियाँ ऐसी नहीं हैं जिनकी ध्वनियाँ एक-दूसरे के पूणत समान हों। सस्कृत हिन्दी भी इस सामान्य नियम का अपवाद नहीं मानी जा सकती। यदि इस समस्या को बहुत गहराई से नहीं लें तो भी कुछ अंतर तो बहुत ही स्पष्ट है, जैसे 'ऋ' ध्वनि पहले स्वर थी, अब वह 'रि' है, 'प' पहले 'मूढ' ध्वनि थी, अब वह तालव्य 'ष' में प्रायः समाहित हो गई है, अत्यंत 'अ' पहले उच्चरित था अब प्रायः नहीं है, 'ज' अब बहुत कुछ 'जै' हो गया है, 'ज' ध्वनि 'न' या 'यै' सी हो गई है तथा 'ऐ', 'औ' वैदिक सस्कृत में 'आइ', 'आउ' थे, लौकिक सस्कृत में अइ, अउ किन्तु अब ये अए, अओ या मूल स्वर हैं। ऐसे अंतरों की सूची और भी बढ़ाई जा सकती है। निष्कपत तत्सम कहलाने वाले शब्द ध्वनि की दृष्टि से भी तत्सम नहीं हैं। कृष्ण, राम, चंचल, शेष, ऋण, शाप जैसे शब्द आज के उच्चारण में क्रिष्ण, राम्, चंचल, शेष, रिड, शाप् हैं। इस

प्रकार शब्द की आत्मा अर्थात् अथ एव शरीर अर्थात् ध्वनि, दाना ही दृष्टियाँ स तथाकथित तत्त्वमसी की तथाकथित तत्त्वमता यथानिक् दृष्टि स काफी विरूप है। मुझे ता पूरा निश्वास है कि तत्त्वम माता जान वाल शब्द। म बहुत ही कम होंगे, जिन्हें तत्त्वम नाम का वास्तविक अधिकारी कहा जा सके।

अधतत्त्वम

तत्त्वम स प्रथम म अधतत्त्वम भी विचारणीय है। म्गवा प्रयोग प्रथम, चटर्जी आदि आधुनिक काल के भाषा शास्त्रियाँ न उन शब्दों के लिए किया है जो एक प्रकार स तत्त्वम एव तद्भव के बीच म हैं। तद्भव य है जो म्भूत स पालि प्राकृत अपभ्रंश हात—परिवर्तित हात हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं म आय है। अधतत्त्वम व ह जा प्राकृत अपभ्रंश काल म या आधुनिक भाषा काल म मीघे म्भूत स लिय गये हैं और जिनम तद्भव जैम परिवर्तन नहीं हुए हैं, अपितु कुछ अथ प्रकार के थोड़े परिवर्तन हुए हैं। य शब्द तद्भवा की तुलना न तत्त्वम से कुछ ही हटे ह। उदाहरणार्थ 'कृष्ण तत्त्वम शब्द है, ना 'काहा, कहेया' आदि तद्भव हैं, तथा 'विशुन' विघन अधतत्त्वम हैं। मन् विचार न इनका अधतत्त्वम नाम ठीक नहीं है। तद्भव का अर्थ है जो म्भूत (तत्) स निकला हो और काहा तथा 'विशुन' दोनों ही म्भूत कृष्ण से निकले हैं न दाना ही तद्भव नामके अधिकारी है। हाँ 'काहा' के तद्भवीकरण की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी तथा 'विशुन' के तद्भवीकरण की म्भूत वाद में शुरू हुई। ऐसी स्थिति में पहले का तद्भव या 'पूर्ववर्ती तद्भव' तथा दूसरे का 'परवर्ती तद्भव' कहना मन् विचार जस शब्द परवर्ती में अधिक समीचीन है। हिन्दी में प्रयुक्त करम, चन्दर, धरम, अच्छर, बारज तद्भव ही हैं। पंजाबी में प्रमुखत नामों म, ये परवर्ती तद्भव बहुत अधिक है। जस सुरिन्दर, राजिन्दर, भुपिन्दर, मन् दर आदि।

तद्भव

य शब्द जो 'तत्' अर्थात् म्भूत स 'भव' अर्थात् उत्पन्न या विकसित हैं। जस काम (=कम) घाम (=घम) दूध (=दुग्ध) ताच (=नत्य) तथा घाडा (=घोटक) आदि। तद्भव का भारत में 'विभ्रष्ट', वाग्भट ने 'तज्ज' तथा चड और हेमचन्द्र ने 'संस्कृतयोनि' कहा है। संस्कृतभव, घ्रष्ट, अपघ्रष्ट, अपभ्रंश आदि नामों स भी य पुकार गये हैं। अगे इसक साध्यमान संस्कृतभव तथा सिद्धमान म्भूतभव आदि भेद भी किए गये हैं। साध्यमान म संस्कृत क्रियारूपों म विकसित होनेवाले शब्द आते हैं तो सिद्धमान में कदत और तिष्ठत से विकसित होनेवाले।

विदेशी/गृहीत/आगत

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विदेशी शब्द का अर्थ है वह शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से आया है। इन्हें 'भ्रूँच्छ' शब्द भी कहा गया है। प्राचीन भारतीय पण्डितों का विदेशी शब्दों का विशेष पता नहीं था। इसका प्रमुख कारण यह था उस समय तक भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की परम्परा नहीं थी और विदेशी भाषाओं के बारे में भी हमारे प्राचीन पण्डितों की जानकारी प्रायः बहुत ही कम थी। यही कारण है कि अनेक विदेशी शब्दों को हमारे यहाँ तत्सम या देशज आदि मान लिया गया। उदाहरणार्थ, संस्कृत में 'सूय' अथवा 'मिहिर' मध्ययुगीन फारसी का शब्द है, किन्तु संस्कृत के पण्डितों ने इसे संस्कृत धातु मिह (= छिड़कना आदि) से आया इर (किरच) प्रत्यय के योग से बना माना है। इसी प्रकार 'विदेशी नाममाला' में कई विदेशी शब्दों [जैसे 'दस्तार' जो वस्तुतः फारसी 'दस्तार' (रूमाल आदि) के संस्कृत में प्रयुक्त रूप 'दस्तार' से विकसित है] को देशज मान लिया गया है। 'दीनार', 'द्रम्म' आदि कुछ शब्दों के बारे में अवश्य कुछ प्राचीन पण्डितों को पता था कि ये विदेशी हैं, किन्तु इस प्रकार ज्ञात शब्दों की संख्या बड़ी नहीं है यद्यपि ऐसे शब्द हैं काफी।

भारतीय आर्यभाषा में विदेशी शब्दों के लिये जाने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। जैसा कि पुस्तक में अद्यतन सकेत किया गया है, भारतीय भाषा भाषियों ने बहुत पहले (भारत में जाने के कई सौ वर्ष पूर्व) सुमेरी भाषा से ग्वाड (संगी, जंगल, फाँस, गाँव आदि) संस्कृत परशु (अकवदी में 'पिलवकु' हात, सुमेरी बलय) तथा राध (संग लोह, रुधिर आदि) और एजिप्ट से अयेस (संग जयस) लिये थे। इसी प्रकार भारत ईरानिया में यूराली भाषा से उन शब्दों को लिया जा सकेत में शूक, मक्षिका, छाग, कप, कूप, शलाका, तण, हिरण्य एवं वाराह रूप में मिलते हैं। भारत में आने पर भी समय-समय पर अनेक विदेशी शब्द संस्कृत में आते रहे। जैसे यूनानी से संग द्रम्य, द्रम, द्रम्म (drakhme प्रांग दम्प, हिंग दाम, दमड़ी), संग समिता, समिदा (semidalis संग में अर्थ 'मैदा' है, प्रांग सिमिदा, हिंग सेवई, सेबिया), संग सुरग, सुग (Synnx हिंग सुरग) यवन (ion), होडा (ओरा), के द्र (के जान), खलिन (खलिनॉस), कमल, नमलन (त्रमेलास) वस्तूरी (वस्तूरेइओउस, वस्तोर) कम्पीर (वसिस्तराम हिंग कासा) कंगु (केग्रास हिंग कंगनी) लटिन में रोमक, रोमन् दीनार। ईरानी में क्षत्रप (क्षत्रप पावन), दीपि (दिपि), कुदुर (कुदुर), गिपिस्त (= लिपिस्त निपिस्त) मिहिर (प्राचीन फांग मिग्न, मध्य फांग मिहिर तुलनीय संग मिग्न) मग, (मग, मगुस ब्राह्मणों की एक जाति), गज, गजवर, तरन्जुज, तीर, तूत। प्राचीन में पाइक (पाईक, हिंग पाइक = पदल सिपाही या हरकारा), माचिआ (हिंग माची, मध्यवर्ती पहलवी माचक = घुटनों तक का जूता, परवर्ती फांग में 'माचक' ही 'माजा' हो गया जो हिंदी आदि में मूल अर्थ तथा जुराव दोनों में मिलता है)।

मध्यकालीन फ्रा० 'तश्त' का प्रा० 'टठ', 'टूठ' जो भोजपुरी, अवधी आदि म टाटी (पाली) बना। हिंदी का ठठेरा भी मूलत इन्हीं म सम्बद्ध है, फ्रा० तश्त > प्रा० ठटट + वार + व > ठठवारअ > ठठेरा। पुस्तक, पुस्तिका [पहलवी 'पास्त' (= लिखन का घमटा) व ससृतीकृत रूप 'पुस्त + क, प्रा० पोत्पिआ, हि० पोपी], स० संकष [प्रा० सेका < मध्ययुगीन फ्रा० सिक्क (हिंदी 'सिक्का') अर० सिक्क, सिक्कत < आमेइक् सिक्न' = सिक्ने का मौचा]। चीन स चीन से भी भारत का सबसे पुराना है। चीनी से सम्पृत म चीन (चीनागुन), कीचक (मूल शब्द 'किचाव', एक प्रकार का बीस), मिडूर (मूल चीनी शब्द 'स्मिडुतुड') शय (कागज के लिए पुराना ससृत शब्द, मूल चीनी शब्द 'हिसएह'), मुसार (एक रत्न, मूल चीनी शब्द 'म्ब-मर') तथा तसर (रश्म विशेष, मूल चीनी शब्द 'तद्-म्मेर, प्राकृत तथा हिंदी 'टमर') आदि शब्द आय हैं। हिंदी 'लीची' शब्द भी मूलत चीनी लीचू है। 'चीनी (शक्कर) शब्द भी मूलत चीन पर आधारित है किंतु यह शब्द कदाचित फारसी होते हुए आया है। मिथी स-मुद्रा (मुद्रिका भी इसी स है हि० मूटरी), हिंदी का मिथी भी मूलत 'मिथी' है जा स० मिथ' के प्रभाव से मिथी भी उच्चरित हाता है। या काफी लाग इस मिथी ही कहत हैं। तुर्की से तुल्क ठक्कुर, खच्चर।

इस प्रकार ससृत तथा प्राकृत म अनक भाषाया से शब्द लिय गये हैं। हिंदी ने भी इसी परम्परा मे पश्ता, तुर्की, फारसी, पुतगाली, अग्रेजी, फ्रासीसी, डच, स्पेनी हसी तथा कई भारतीय भाषाया स शब्द लिय हैं।

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि विदेशी शब्द भी दो प्रकार व हो सकत है, एक तो तत्सम और दूसरे तदभव। तत्सम तो व है जा उसी रूप म प्रयुक्त होते है, जैसे विदेशी भाषा मे होते थे, तथा तदभव वे है जो अपने मूल रूप से परिवर्तित हो गये हैं। उदाहरण के लिए हिंदी मे 'पम्प' तत्सम विदेशी (अग्रेजी) है तो 'दजन' तदभव (अग्रेजी) है।

हिंदी आदि अनक भाषाया म विदेशी शब्दा का एक और भी रूप मिलता है। यह है अनूदिन रूप। य अनूदिन शब्द अपनी रचना म तो तत्सम या मिथ या तदभव हो सकते है किंतु मूलत ये विदेशी है क्योंकि उही के आधार पर बन हैं। हिंदी मे ऐसे शब्दा मे कुछ तो फारसी से आय है जैसे जलवायु (आवहवा) कटिबद्ध (कमरबन्दा) आदि किंतु अधिक शब्द अग्रेजी से आये है। कुछ उदाहरण है लालपीताशाही (redtapism) दृष्टिकोण (angle of vision), श्वतपत्र (white paper) काला जादू (black magic) दृष्टि बिंदु (point of view) रजत जय ती (silver jubilee), डाकखाना (post office), माल गाडी (goods train) सवारो गाडी (passenger train), अंतरिम (interim), नदथ (ad hoc) प्रधानाध्यापक (head master), बातानुकूलित (air-conditioned) सुसंतुलित (well-balanced), उपकुलपति (v c), प्राथना पत्र (application), विराम चिह्न (punctuation mark), योजक चिह्न

(hyphen), पूणविराम (full stop), ललित कला (fine art), उपयोगी कला (useful art), सम्पादकीय (editorial), प्रकाशक (publisher), सम्करण (edition) आदि ।

विदेशी वर्ग में आने वाले शब्दों के लिए 'विदेशी' नाम बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि किसी भी अर्थ भाषा से आया शब्द इसी के अंतर्गत आयेगा, चाहे वह देश की हो या विदेश की । इसीलिए 'गृहीत' या 'आगत' नाम अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त ज्ञात होता है । उदाहरण के लिए, हिंदी में बंगला भाषा से आया शब्द 'विदेशी' नहीं कहा जा सकता, यद्यपि इन चारों वर्गों में उसे कहीं-न-कहीं स्थान अवश्य दिया जायेगा । इन तीनों नामों में 'गृहीत' या 'आगत' नाम अधिक स्वीकार्य हैं ।

देशज

भारत ने इसे 'देशीमत', चड ने 'दशीप्रसिद्ध', कुछ लोग ने 'देशजात', 'देसिका' तथा हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि ने 'देश्य' या 'दशी' कहा है । इसकी परिभाषा के सम्बन्ध में विवाद है । चड ने उन शब्दों को 'देशीप्रसिद्ध' कहा है जो संस्कृत एवं प्राकृत (अर्थात् तत्सम एवं तद्भव) न हों, रुद्रट के अनुसार इनकी प्रकृति प्रत्यय मूला व्युत्पत्ति नहीं दी जा सकती हेमचंद्र, वीम्ब, भडारकर आदि के अनुसार इनकी संस्कृत से व्युत्पत्ति सम्भव नहीं । हानले ने सकेत किया है कि ये तद्भव शब्द हो सकते हैं जो इतने विकृत हो गए हैं कि उनका तद्भव रूप पहचाना नहीं जा सकता । ग्रियसन मुंडा, द्रविड, प्रांतों में विकसित प्रांतीय शब्द एवं प्राथमिक प्राकृतों के तद्भव आदि को, जो संस्कृत शब्दों से जोड़े नहीं जा सकते, देशज मानते हैं । चटर्जी ने इन्हें आयपूर्व द्रविड, कोल शब्द कहा है । इसी प्रकार की ओर भी परिभाषाएँ एवं मायताएँ हैं ।

मैं 'वास्तविक देशज' शब्द तथा 'देशज माने जाने वाले' शब्दों में अंतर मानता हूँ । वास्तविक देशज शब्द तो वे हैं जो किसी भाषाक्षेत्र में बिना किसी आधार [जैसे तत्सम, तद्भव, गृहीत (loan) शब्द, तथा अनुकरण आदि] के विकसित हुए हों और जो शब्द देशज माने जाते हैं, वे वे हैं जिनकी व्युत्पत्ति का हम पता नहीं है । सच्चे देशज शब्दों को पहचानना मेरे विचार में प्रायः असम्भव-सा है । इसलिए यह तो कहा जा सकता है कि देशज शब्द हो सकते हैं, होते हैं, किंतु यह कहना मुझे भ्रामक और अवेज्ञानिक लगता है कि अमुक या य-य शब्द देशज हैं । देशज माने जाने वाले शब्द देशज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते । वास्तविक स्थिति यह है कि ये अनातव्युत्पत्ति के हैं । अतः इन्हें 'अनातव्युत्पत्तिक' नाम देना मेरे विचार में अधिक बज्ञानिक है, क्योंकि यह असम्भव नहीं कि इनमें अनुकरणात्मक, दूसरी भाषाओं से गृहीत, तद्भव या यहाँ तक कि—यद्यपि बहुत ही कम—तत्सम शब्द छिपे हों । हम जानते हैं कि हेमचंद्र द्वारा स्वीकृत देशज शब्दों में अनेक तद्भव या विदेशी सिद्ध हो चुके हैं । हिंदी में कुछ प्रसिद्ध अनात

व्युत्पत्ति शब्द य ह कवड्डी, छादी, गडबड, घपला, घूंट, चपत, चूहा, क्षमट, पगडा, टट्टू, टोस ठठ, टेस तेंदुआ घोधा, धघ्या, पेठा, पड, भता आदि ।

अनुकरणात्मक शब्द

इह प्राय देशज शब्दा के अतगत रखा जाता है, किन्तु मैं इनका एक अलग वर्ग बनाने का पक्ष में हूँ । देशज शब्दा की तरह ये अनातव्युत्पत्तिक तो हैं नहीं । हम इनकी व्युत्पत्ति का पता है । ये अनुकरण के आधार पर बने हैं । अतः इन्हें देशज के अतगत नहीं रखा जाना चाहिए ।

अनुकरणात्मक शब्दा के कई भेद हो सकते हैं —

(क) ध्वन्यात्मक—जैसे फटफटिया, भापू, मीटी आदि । इनमें अनुकरण ध्वनि का होता है । ऐसे शब्द प्राय सभी भाषाओं में थोड़े-बहुत मिल जाते हैं ।

(ख) दृश्यात्मक—वगवग, जगमग । इनमें दृश्य का अनुकरण होता है । इस प्रकार के शब्द बहुत ही कम होते हैं । यह भी अमम्भव नहीं कि इस वर्ग में आने वाले शब्द किसी पूर्ववर्ती शब्द पर आधारित हों । वसी स्थिति में इनके दृश्यात्मक होने पर प्रश्नवाचक चिह्न लग जाएगा ।

(ग) प्रतिध्वन्यात्मक—जैसे घोडा बोडा, चाय चूय पान शान । इनमें बोडा, चय शान क्रमशः घोडा, चाय, पान की प्रतिध्वनि के आधार पर बने हैं । प्रतिध्वन्यात्मक शब्द का प्रयोग प्राय 'वर्णरह' का भाव व्यक्त कराने के लिए होता है । विश्व की अनेक भाषाओं में ऐसे प्रयोग मिलते हैं । अधिकांश भाषाओं में इस बनाने का ढंग प्राय अलग अलग होता है । जम हिन्दी में चाय-पाय, अधिक चलता है तो पजाबी में चाय शाय । उजबेक भाषा में 'म लगाते हैं' किताब मिताब । ऐसे ही गुजराती घोडा बोडा मराठी घोडा बोडा, बंगाली घोडा बोडा आदि ।

आभास

कुछ शब्द होते हैं कुछ और, किन्तु उन्हें देखने-सुनने पर आभास कुछ और का होता है । इसी आधार पर पीछे कुछ शब्दा को तत्समाभास कहा जा चुका है । डॉ० श्यामसुन्दरदास ने राष्ट्रीय जागत, पौराणिक उच्चारण, सिचन सजन आदि को तत्समाभास कहा है । इसी प्रकार 'मौसा' को उच्चारण तदभास या अद-तदभाव कहा है । मूल तदभाव शब्द 'मौसी' है, जिससे 'मौसा' बना लिया गया है । टी० दाम ने आभास के आधार पर ये दो भेद किए हैं । यदि पाठक आभास के आधार पर और भी भेद बर्दाश्त कर सकें तो मैं विदेश्याभास (जैसे कलेजा, यह लगना है विदेशी किन्तु है स० कालियक का तदभाव) एवं देशजाभास (जैसे बाँगर जजाल खच्चर, समोसा ये सभी विदेशी हैं) का सुझाव देना चाहूँगा । यौवनानिक अध्ययन में आभास पर आधारित ये वर्गीकरण कोई महत्त्व नहीं रखते । यौवनानिक अध्ययन में हम देखना होता है कि कोई शब्द क्या है यह नहीं कि वह क्या लगता है ।


सन्नर, मिश्रित या द्विज शब्द

उपर्युक्त वर्गों में एक स अधिक वर्गों के शब्दा को मिलाकर बनाये गये शब्द इस वर्ग में आते हैं। उदाहरणार्थ, रेलगाडी, गुरडम, पावरोटी, मालगाडी, दलबंदी।

इस तरह मोट रूप से कहा जा सकता है कि शब्द या उसके अंश व इतिहास की दृष्टि में शब्द छ प्रकार के होते हैं तत्सम, तद्भव, अनातव्युत्पत्तिक (देशज), विदग्धी अनुकरणात्मक, तथा सन्नर ।

या विदग्धी को यदि गहीत या आगत नाम दें, जैसा कि ऊपर सवेतित है तो सम्बन्ध में लिये जाने वाले तत्सम शब्द भी इसी के अंतगत रखे जा सकते हैं ।

वस्तुतः शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी भाषा के शब्द मूलतः दो प्रकार के हो सकते हैं नवीन और परपरागत । आगे नवीन को तीन वर्गों में बाटा जा सकता है नवनिर्मित, गहीत अनातव्युत्पत्तिक । फिर गहीत के 'दश स गहीत', 'विदश स गहीत' आदि उपभेद हो सकते हैं ।



(ख) रचना

रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के माने गए हैं रूढ, यौगिक, योग-रूढ । आगे इन पर अलग अलग विचार किया जा रहा है—

रूढ—ये शब्द जो साधक भाषिक इकाइयों के योग से न बने हों। जैसे घर, कपडा आग का राज । इनमें से किसी के भी ऐसे साधक खड नहीं किए जा सकते जिनकी साधकता पूरे शब्द के अर्थ से सम्बद्ध हो । रूढ शब्दों का कुछ लोगो ने 'रूढि' भी कहा है ।

यौगिक—यौगिक का अर्थ है 'योग किया हुआ' या 'जाडकर बनाया हुआ' । रूढ शब्दा के विपरीत यौगिक शब्दा का ऐसे साधक खडा में विभाजित किया जा सकता है जिनके अर्थ पूरे शब्द के अर्थ से सम्बद्ध हों । ऐम शब्द प्रायः तीन प्रकार में बने हाने हैं (i) उपसग + शब्द । जैसे अनपड, कुरूप, लापता । (ii) शब्द + प्रत्यय । जन बटुता, भलाई बुढापा । (iii) शब्द + शब्द । जैसे रसोईघर भाषा-विज्ञान डाकखाना । कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी रचना में उपर्युक्त में बर्न का प्रयोग हुआ हाता है जैसे अनुपता (उपसग + शब्द + प्रत्यय), भाषाशास्त्रज्ञ विवेकविहीनता आदि ।

अपवादत कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जो मात्र उपसग तथा प्रत्यय से बने होते हैं । जैसे विन अन, प्रज्ञ, अभिन । हिंदी की दृष्टि से इनकी रचना उपसग

(ग) कभी-कभी केवल विदेशी शब्दों से ही इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। जैसे इच्छत आबरू, नाज़ नखरा दवा दारू, सील मुहर, बजा कुवाम, सौदा-मुल्क। ऐसे शब्दों का 'अनुवाद समास', 'अनुवादमूलक समास' या 'अनुवादमूलक समस्त पद' भी कहते हैं। इस प्रकार के शब्द बनाने की प्रवृत्ति नई नहीं है। संस्कृत में शालिहोत्र (शालि = घाडा, काल भाषा में, होत्र = घोडा, द्रविड में) एसा ही शब्द है।

(ग) प्रयोग

प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार में किया जा सकता है

(i) सामान्य-अर्धपारिभाषिक पारिभाषिक — सामान्य तो वे हैं जो सामान्य भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जन्म आना, पढ़ पानी मिट्टी आदि। पारिभाषिक शब्द उनको कहते हैं जो शास्त्र या विज्ञान विशेष में विशेष अर्थ में आते हैं। जन्म अद्वैतवाद (दर्शन), सबनाम (व्याकरण), प्रकरी (नाट्यशास्त्र), समीकरण (भाषा-विज्ञान) आदि। अर्धपारिभाषिक शब्दों की स्थिति बीच की है। वे सामान्य भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं और पारिभाषिक रूप में भी। जैसे दावा सामान्य भाषा में भी प्रयुक्त होता है और कानून में पारिभाषिक अर्थ में भी। घन (गणित), स्वर (व्याकरण), सकल्प (मनोविज्ञान) आदि भी इसी प्रकार के शब्द हैं। पारिभाषिक शब्दों पर आगे अलग से विचार किया जा रहा है।

(ii) साहित्यिक बोलचाल का—पहले का प्रयोग प्रायः साहित्य तक सीमित होता है। दूसरा बोलचाल में भी जाता है। यों यह भेद सभी भाषाओं में एक नहीं शब्दों में स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। बोलचाल वाले शब्द साहित्य में भी आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में गृह मयक, हस्त जैसे शब्द प्रायः साहित्य में ही आते हैं। बोलचाल में घर चाद, हाथ चलते हैं। या य बोलचाल के शब्द अवश्य साहित्य में भी मिल जाते हैं।

(iii) श्लील-अल्पश्लील-अश्लील—श्लीलता-अश्लीलता शब्दों के अर्थ से अधिक, प्रयोग पर निर्भर करती है। एक ही अर्थ में बहुप्रचलित शब्द अश्लील माना जाता है तो अल्पप्रचलित या प्रचलित उल्टा बुरा नहीं समझा जाता। उदाहरणार्थ गुदा, लिंग योनि, मंथुन अपन सामान्य समानार्थियों की तुलना में श्लील हैं। यों हाथ पर आदि अर्थ शब्दों की तुलना में गुदा, लिंग आदि भी अश्लील हैं। इस प्रकार, इस आधार पर श्लील, अल्पश्लील-अश्लील तीन भेद किये जा सकते हैं। हाथ, पैर श्लील हैं लिंग योनि अल्पश्लील हैं तालांड बुरा आदि अश्लील हैं। श्लील का सामान्य तथा अश्लील को वर्जित शब्द (Taboo word) भी कहते हैं।

(iv) सक्रिय-निष्क्रिय—किसी भी व्यक्ति के शब्दभांडार के शब्दों का उनका प्रयोग के आधार पर दो वर्गों में रखा जा सकता है (1) सक्रिय—य वे शब्द

होने - जिनकी जानकारी व्यक्ति विशेष को होती है तथा जिनका प्रयोग वह बोला तथा लिखने में करता है। (2) निष्क्रिय—ये वे शब्द होते हैं जिनकी जानकारी व्यक्ति का होती है किंतु जिनका प्रयोग वह कभी नहीं करता। हाँ यदि वह व्यक्ति उस शब्द को कहीं सुनता या पढ़ता है तो समझ जाता है। इस तरह शब्दों में ये दोनों वर्ग व्यक्ति सापक्ष होते हैं। अपनी शब्द संपदा बढ़ाने के लिए प्रयत्न यह होना चाहिए कि अधिक स-अधिक निष्क्रिय शब्द सक्रिय बन जाए।

(v) अनौपचारिक औपचारिक—श्रीमन् कृपया श्री, महोदय, शुभनाम, शुभम्याम जैसे शब्द केवल औपचारिक जानकीत या लेखन में प्रयुक्त होते हैं, अतः इस वर्ग के शब्दों को औपचारिक शब्द कहा जा सकता है। जो शब्द सामान्य होते हैं उन्हें अनौपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक अवसरों पर औपचारिक शब्दों का प्रयोग उचितता है तो औपचारिक अवसरों पर अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग।

(vi) आधारभूत माध्यमिक उच्च—आधारभूत शब्द उन्हें कहते हैं जिनके बिना भाषा विशेष का काम नहीं चलता। इसमें प्रायः सभी सर्वनाम तथा बहुप्रयुक्त सत्ता, क्रिया सङ्ग्राहक विशेषण और अय्य शब्द आते हैं। उच्च शब्द में प्रायः विज्ञानों और शास्त्रों के पारिभाषिक शब्द आते हैं। माध्यमिक शब्द बीच के होते हैं। हिंदी में म वह, तू, घर, आदमी, हाथ, खाना, चलना, बठना, सोना एतद्, दो तीन आदि आधारभूत शब्द हैं तो मुक्ति वस्त्र, भव्य, आकाश आदि माध्यमिक शब्द हैं और कथानक, जटिलवाद, रूपिम आदि उच्च शब्द हैं।

(vii) प्रयुक्त अल्पप्रयुक्त अप्रयुक्त—स्पष्ट ही पहले वर्ग के शब्द प्रयोग में होते हैं, और दूसरे का अपेक्षाकृत कम प्रयोग होता है और तीसरे का प्रयोग प्रायः नहीं करवाया जाता, या नहीं होता उदाहरणार्थ आग-जल हुनाशन हाथी-हस्ती मगल। किसी भी भाषा में सदा सर्वदा के लिए यह स्थिति नहीं होती। समय के साथ प्रयोग की बहुलता-यनता में कमी बंधी होती रहती है और प्रयुक्त अप्रयुक्त या अल्पप्रयुक्त वर्ग में आते रहते हैं तो अप्रयुक्त या अल्पप्रयुक्त प्रयुक्त में।

(viii) सर्वक्षेत्रीय—क्षेत्रीय—कुछ शब्द किसी भाषा के पूरे क्षेत्र में चलते हैं और कुछ क्षेत्र, प्रांत या स्थान विशेष या उस भाषा की किसी बोली विशेष के क्षेत्र तक सीमित होते हैं। उदाहरणार्थ, अच्छा, निम्न, कनारा-खोरा, घाली ठाड़ी उतना घालना, तारी ननुवाँ घेंवडा आदि शब्दों में पहला सर्वक्षेत्रीय है तो अन्य क्षेत्रीय हैं।

(घ) प्रथम

प्रथम आधार पर भी एकाधिक प्रसार का वर्गीकरण किया जा सकता है।
जैसे —

(1) सरल अल्पविलिप्त विलिप्त सरल और मूलतः प्रयोग पर ही आधारित है। बहुप्रयुक्त शब्द अर्थ की दृष्टि से सरल लगता है तथा अल्पप्रयुक्त अल्पविलिप्त

(12) अल्पभाषी लज्जालु एकातप्रिय या बहुत गभीर व्यक्ति प्राय अच्छे सूचक नहीं बन पाते। इसके विपरीत बातूनी, हँसमुख, न क्षोभनेवाला व्यक्ति सूचक के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होता है।

(13) सूचक ऐसा होना चाहिए जो सहज रूप में बोल। बहुत स लोग सतक हाकर बनावटी भाषा बोलने लगते हैं। इस बात का पता चलते ही, या तो उस छोड़ देना चाहिए या फिर उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दा की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का किसी अर्थ अच्छे सूचक की सहायता से पता लगा लेना चाहिए।

(14) सभी दृष्टियाँ स विचार करने पर अर्थ लोगों की तुलना में विज्ञान प्राय अपने क्षेत्र की भाषा को अधिक प्रवृत्त रूप में जानता तथा बोलता है, अत मजदूर या अर्थ नौकरी पेशा व्यक्ति की तुलना में वह प्राय अधिक अच्छा सूचक बन सकता है।

(15) ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसी भी भाषा जानता हो जिसका ज्ञान सर्वोभक्त को ही ऐसी भाषा न जानने वाले की तुलना में सूचक का काम अधिक अच्छी तरह कर सकेगा। उससे बड़ी सरलता से और कम समय में अपेक्षित सारी सूचनाएँ ली जा सकती हैं।

(16) यदि कई पढ़े लिखे सूचक उपलब्ध हों तो भाषाविज्ञान का जानकार सूचक अपेक्षाकृत अधिक अच्छा हो सकता है —

सर्वोक्षक—सर्वोक्षक स्वभाव, योग्यता तथा प्रशिक्षण आदि की दृष्टि से कसा हो इस सम्बन्ध में ये बातें ध्यान में रखने की हैं —

(1) सर्वोक्षक को यथाशीघ्र अपरिचित को परिचित एवं परिचित को मित्र बना लेने वाला, मिलनसार विनम्र व्यवहार-कुशल, हँसमुख, धैर्यवान अपना काम सहज ढंग से निकालने वाला जिज्ञासु सूचक से एक शिष्य की तरह भाषा सीखने तथा उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने को इच्छुक बातचीत में पटु चुस्त और सावधान होना चाहिए।

(2) उसकी स्मरणशक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे तुलना, विश्लेषण आदि में वह अपेक्षाकृत अधिक सफल हो सकता है।

(3) सर्वोक्षक को जिस क्षेत्र से सामग्री सकलित करनी हो उसके भूगोल, इतिहास सस्कृति और सम्बन्ध रहन सहन लोग जाति, उद्योग धर्म आदि का यथासाध्य समुचित ज्ञान होना चाहिए। इससे उस प्रश्नावली बनाने लोगों से निकट सम्पर्क स्थापित करने अच्छे सूचक चुनने और अतत वहाँ से अपेक्षित सामग्री अच्छी तरह एकत्र करने में सहायता मिलेगी।

(4) उसकी स्मरणशक्ति इतनी तज्ज होनी चाहिए कि उच्चारण-स्थ-प्रयत्न प्राणत्व, अनुनासिकता ममरता मात्राकाल सुर अनुतान कलापा-सगम आदि के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंतर को अत्यंत शीघ्रता से और ठीक ठीक पक-सक। इसके लिए सहज श्रवणशक्ति के अतिरिक्त ध्वनिविज्ञान का सहायक

ज्ञान, तथा उस ज्ञान के प्रयोग का उसे जितना ही अधिक अभ्यास होगा, वह उतनी ही कुशलता और सफलता से अपना काम कर सकेगा ।

(5) भाषाविज्ञान—विशेषतः सामग्री-सकलन एवं मामग्री विश्लेषण—में सद्धातिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से अच्छी गति सर्वेक्षक के लिए बड़ी सहायक होती है ।

(6) सर्वेक्षक को काफी तेज लिखने का अभ्यास होना चाहिए, ताकि वह सूचक की बोलने की सहज गति को कम किये बिना अपेक्षित सामग्री नोट कर सके ।

(7) ध्वन्यात्मक लिपि का न केवल अच्छा ज्ञान बल्कि तेजी से उसमें लिखने का अभ्यास भी होना उसे चाहिए ।

प्रश्नावली—लोककथा, लोकगीत पहेली या चुटकुले आदि के लिए तो किसी प्रश्नावली की अपेक्षा नहीं होती किंतु शब्द, रूप, वाक्य आदि जानने के लिए सर्वेक्षक को प्रश्नावली बना लेनी चाहिए । प्रश्नावली बना लेने से एक तो सरलता एवं सहजता से सूचक अपेक्षित सूचनाएँ दत्ता चलता है, दूसरे आवश्यक सूचनाओं के छूटने का भय नहीं रहता । यो ऐसी कोई भी प्रश्नावली नहीं बनाई जा सकती जो अपन मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन के सभी क्षेत्रों में भाषा-सर्वेक्षण का काम जा सके, क्योंकि हर भाषा या बोली की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भिन्न होती है । इसीलिए अच्छा यह होता है कि क्षेत्र के लोगो, जातियो, धर्म, रहन सहन एवं उच्चारण आदि से परिचय प्राप्त करके ही सर्वेक्षक प्रश्नावली तैयार करे । फिर भी मोटे रूप से इस अवधि में कुछ सामान्य बातें बताई जा सकती हैं (1) प्रश्नावली में स्थूल या मूल वस्तुओं या क्रियाओं से सम्बन्धित प्रश्न पहले जाने चाहिए तथा सूक्ष्म या अमूल से सम्बन्धित बाद में । (2) व्याकरणिक दृष्टि से सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा वाक्य के क्रम से सामग्री प्राप्त करने की दृष्टि से प्रश्नावली बननी चाहिए । (3) वाक्य के बाद कहानी चुटकुले गीत जसी चीजें पूछकर नाट की जा सकती हैं । (4) प्रारम्भ में मुहावरे लोकोक्तियाँ आदि कहानी आदि से खोजी जा सकती हैं । भाषा के बारे में अच्छी जानकारी हो जाने पर स्वतन्त्रता भी इन्हें पूछकर मालूम किया जा सकता है । प्रश्नावली बनाते समय क्षेत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न आधारों की सहायता ली जा सकती है

(अ) सज्ञा—(क) शरीर के अंग—सिर, पैर हाथ अँगुठा, उँगली, नाखून, दाढ़, नाक, मुँह, आँसू, गाल, दाँत जीभ, होठ भौं, गदन छाती पीठ, पेट, कमर, जाँघ, घुटना, पिंडली । हड्डी, रक्त, मांस, दिल, जिगर फेफड़ा जैसी चीजों के नाम बाद में पूछे जा सकते हैं ।

(ख) संबंधियों के नाम—बाप, माँ भाई, पति, पत्नी पुत्र, पुत्री भाभी, जीजा, दादा, दादी, ताऊ ताई चाचा, चाची, नाना नानी मामा मामी, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, साला साली, सास ससुर, पोता, पोती नाती,

नातिन पतोहू ।

(ग) घरेलू चीजों के नाम—चारपाई, बिछौना, रजाई तकिया चान्द लोटा गिलास, घाली, बटोरी, पत्तीला, पत्तीली, बडाही, तवा, चमचा, अँगोठी, चूल्हा ।

(घ) अन्न तथा खान पान—गेहूँ, धान, जौ मटर, चना, बाजरा, उ चावल दाल आटा खाना पानी मिठाई, रोटी, पूड़ी पराठा सब्जी, आ वँगन, गोभी पालक आम सब, अमरूद केला, अगूर, सतरा, नीं अन नास नाशपाती अखराट बादाम, विशमिश बाजू आदि ।

(ङ) जीव जंतुओं के नाम—गाय भस पकरी बल, भेड, कुत्ता, बिल्ली वन्दर घोडा हाथी शेर चीता, हिरन, गीदड ऊँ मछली, चूहा साँप, मडक ताता कोयल मुर्गी बतख, मकखी, मच्छर आदि ।

(च) फूलों के नाम—गुलाब चमेली गँदा, चम्पा, रातरानी, बेला आदि ।

(छ) भौगोलिक नाम आदि—नदी, नाला, समुद्र, पवत घाटी जमीन, आसमान सूर्य चाँद तारे, बादल ।

(ज) कपडे आदि—धोती, कुर्ता टोपी तोलिया अँगोछा रुमाल, बाट, पाजामा बनियाइन जूता मोजा कमीज स्वेटर आदि ।

(झ) पढने लिखने की चीजों के नाम—किताब, कागज, कलम, स्याही पत्र पत्रिका अखवार आदि ।

(अ) सवनाम—यदि एकभाषिक पद्धति से पूछना हो तो सवनामो म प्रारम्भ मे मरा घर उसका घर, तुम्हारा घर जसे प्रयोगो से सबध कारक क रूप मालूम किय जा सकते हैं तथा अय रूपो (मै, हम तुम वह, यह मुझ, उँह आदि) का बाद म जानन का यत्न किया जा सकता है । हाँ द्वभाषिक या बहुभाषिक पद्धति स यदि सामग्री एकत्र की जा रही हो तो मूल रूप (मै, तुम हम वह यह आदि) एव सबध के रूप दोनो ही नोट किये जा सकते हैं । अय रूप (उँहँ मुझे, जिस आदि) बाद म वाक्या के विश्लेषण के बाट जाने जाने चाहिए । उसके पूव इनको जानने का यत्न आवश्यक रूप स बहुत समय तो लेता ही है स्पष्टत पता चलना भी कठिन हो जाता है ।

(इ) विशेषण—सबसे पहले सब्यावाचक विशेषण लें । इनमे भी पूण तथा क्रम पहले और अपूण आदि बाद म । पूण म भी दस तक पहले तथा अय बाद म । रग जादि विषयक विशेषणा को छोडकर अय विशेषण वाक्य के माध्यम स अधिक अच्छी तरह जाने जा सकते हैं । ये बाते एकभाषिक पद्धति की दष्टि से कही जा रही हैं । द्वभाषिक आदि म इसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है ।

(ई) वाक्य—शब्दा क प्रयोग स सवधित जानकारी फुटकर शब्दो स नहीं प्राप्त की जा सकती । वाक्य के स्तर पर ही इँहँ पाया जा सकता है । इसका अथ यह है कि ऐस प्रश्न भी किए जाने चाहिए जिनक उत्तरस्वरूप वाक्यो की

(2) यदि चिटो पर कोई सशोधन करना हो तो ऐसे काटकर लिखना चाहिए कि पूर्वलिपित सामग्री भी पढ़ी जा सके। कभी-कभी सशोधन पूर्व सामग्री का जानना भी आवश्यक हो जाता है।

(3) सामग्री कितन बड़े कागज पर नाट करें, यह प्रश्न भी विचारणीय है। नाइडा ने बड़े कागज पर सामग्री नोट करने की राय दी है जिस पर काफी कुछ लिखा जा सके। मरे विचार में शब्द आदि छोटी छोटी चिटों पर नोट करना अधिक अच्छा है ताकि फिर से सामग्री उतारनी न पड़े और विश्लेषण में चिटों को आवश्यकतानुसार विभिन्न वर्गों में रखा जा सके। हाँ, कहानी, गीत आदि बड़े कागज पर नोट किये जा सकते हैं।

(4) कागज के एक तरफ लिखना चाहिए। दोनों तरफ लिखने में तुलना करते समय बहुत समय लग जाता है तथा विश्लेषण में भी कठिनाई पड़ती है।

(5) छिपाकर नहीं लिखना चाहिए। इसमें सूचक को सर्वेक्षक के उद्देश्य पर सदेह हो सकता है।

(6) प्रत्येक शब्द का सुनकर कम से कम दो बार लिखना अधिक अच्छा होता है। लिखने के बाद तुरंत एक बार दुहरा भी लेना चाहिए ताकि लेखन में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक किया जा सके।

(7) जो शब्द जैसे सुनाई पड़े, वैसे ही लिखना चाहिए। किसी स्तर पर बलात् एकरूपता लाने का यत्न नहीं किया जाना चाहिए। अनुसंधान में ऐसी ईमानदारी बहुत ही आवश्यक है।

(8) सामग्री सामान्य लिपि में न लिखी जाकर ध्वन्यात्मक लिपि में लिखी जानी चाहिए।

(9) सामग्री नाट करने के लिए अच्छी किस्म की पेंसिल या बाल पेन का प्रयोग अच्छा रहता है। इससे एक तो अपेक्षाकृत अधिक तेजी एक सरलता से लिखा जा सकता है, दूसरे, कागज के भीगने पर अपठ्य होने का भय नहीं रहता और तीसरे, स्याही साथ रखने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाता है।

(10) टेप रिकार्डर से टेप करके, बाद में अकेले बठकर भी सामग्री लिखी जा सकती है।

अथ—सामग्री लिखने के साथ साथ उसका अर्थ भी लिखते चलना चाहिए। इस सबध में निम्नोक्त बात ध्यान में रखी जानी चाहिए —

(1) स्थूल वस्तुओं के मुनिश्चिन अर्थ (जैसे रोटी चारपाई मकान आदि) को सरलता से लिखे जा सकते हैं।

(2) जिन शब्दों के लिए अपनी भाषा में शब्द न मिलें उनकी व्याख्या लिखी जा सकती है।

(3) बहुत सी वस्तुओं के ऐसे भी नाम मिल सकते हैं जिनके लिए अपनी भाषा में शब्द नहीं हैं, और उनकी ठीक व्याख्या लिखना भी जल्दी में कठिन होता है ऐसी स्थिति में उनका रेखाचित्र या संकेत से काम चलाया जा सकता है।

(4) अथ की दृष्टि से अस्पष्ट शब्दों के अथ उनके प्रयोग से पकड़न का प्रयास करना चाहिए क्योकि सूचक के लिए शब्द का अथ समझना—विशेषतः ठीक अथ समझना—सबदा सम्भव नहीं होता।

सर्वेक्षक के लिए अथ सुभाष—ऊपर, सर्वेक्षक वैसा हो, इस सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई हैं। यहाँ कुछ वे बातें दी जा रही हैं जिनका उसे सर्वेक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए —

(1) यदि सूचक की अभिवादन पद्धति से सर्वेक्षक परिचित है या मिलत ही देखकर परिचित हो जाता है तो उसे उसी पद्धति से तुरन्त अभिवादन करना चाहिए। प्रारम्भ में बिना विशेष परिचय के अपनी पद्धति से अभिवादन करना उचित नहीं होता क्योकि ऐसा भी हो सकता है कि सर्वेक्षक की पद्धति से सूचक परिचित न हो और पहली भेंट में ही उसकी यह हरकत सूचक के लिए एक रहस्य बन जाय, या यह भी हो सकता है कि उस प्रकार की क्रिया (जैसे हाथ उठाना) उसकी अपनी सस्कृति में कुछ भिन्न या खराब अथ रखती हो। विशेषतः किसी भी देश के बहुत पिछड़े आदिवासियों में जाते समय इस बात का ध्यान नितांत आवश्यक है।

(2) सूचक से मुस्कराते हुए मिलना चाहिए। या विभिन्न स्थितियों में मुस्कराहट व्यंग्य या मजाक उठाने की छोटक होती है, किन्तु प्रथम में मिलने समय की सहज मुस्कान प्रायः सभी सस्कृतियों में इसी बात का द्योतन करती है कि मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। विशेषतः एकभाषिक पद्धति में तो यह मुस्कान और भी आवश्यक हो जाती है क्योकि सर्वेक्षक ऐसी स्थिति में नहीं जानता कि बोलकर अपने भावों को सूचक तक पहुँचा सके।

(3) मिलते ही चुप न रहकर किसी न किसी भाषा में (चाहे उस सूचक भले न समझता हो) बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। सूचक पर इसकी महज प्रतिक्रिया यही होगी कि सर्वेक्षक बात करना चाहता है।

(4) यदि सूचक की सम्मति में प्रचलित विनम्रता एवं शिष्टता का ढगा से सर्वेक्षक परिचित हो तो उसे उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। उसमें सूचक को अपनी आर आर्कषित करने एवं उससे अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(5) पिछड़े क्षेत्रों में कुछ उपहार (जैसे मिठाई आदि) लेकर जाना प्रायः अच्छा साबित होता है। यदि सर्वेक्षक को इस बात का पता हो कि सूचक के क्षेत्र में कमा उपहार विशेष पसंद किया जायगा तो उस वही लेकर जाना चाहिए।

(6) सूचक से मन्त्रीपूर्ण भंगिमा से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

(7) सर्वेक्षक कुछ सीखने के लिए सूचक के पास जाता है। उसे सच्चे अर्थों में अपने को शिष्य समझना चाहिए।

(8) सूचक की हर परम्परा बात एवं व्यवहार आदि के प्रति सर्वेक्षक का सहज प्रशंसात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा ऐसा व्यवहार करना चाहिए।

कि सूचक को भी इस दृष्टिकोण का पता चल जाए।

(9) यदि सूचक से कोई गलती हो जाय तो ऐसा रूय अपनाना चाहिए या ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसे ग्लानि, सकोच आदि न हो, और उस लग कि सर्वेक्षक यह कहना चाहता है कि कोई बात नहीं, एसी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। या एसी गलती देखकर भी नजरनाज कर देना चाहिए ताकि सूचक का लगे कि सर्वेक्षक ने देखा नहीं या ध्यान नहीं दिया, ताकि उसमें लज्जा, सकाच आदि का भाव न आए।

(10) सूचक के साथ जब तक भी सर्वेक्षक रहे उस प्रसन्नचित्त रहना चाहिए।

(11) यदि किसी प्रकार यह पता चल जाय कि किसी कारण सूचक कुछ दुखी है तो ऐसी स्थिति में उस समय उससे सामग्री लेना का प्रयास न कर उसका लिए फिर कभी जाना चाहिए। यदि किसी प्रकार संभव हो तो ऐसी स्थिति में सहानुभूति का भाव व्यक्त करना उसके समीप जाने में बहुत सहायक होता है।

(12) सूचक यदि कोई बात अशुद्ध भी बतलाए तो न तो उस टोकना चाहिए और न उससे विवाद करना चाहिए। यदि किसी बात का अशुद्ध होने का संदेह है तो बिना उस बताए उससे फिर एक बार घुमा फिरा कर किसी अन्य प्रसंग में वही बात पूछ लेनी चाहिए। यदि फिर भी गलती का संदेह हो तो बार में दूसरे सूचक से पूछना चाहिए।

(13) यदि अपने से कोई गलती या अमदरता हो जाय तो सर्वेक्षक को क्षमा याचना करना चाहिए। नाइडा न अपनी भूला पर तुरत हँसने की सलाह दी है। मर विचार में कुछ स्थितियों में तो यह ठीक हो सकता है किंतु सभी स्थितियों में भूल करके हँसने से गलतफहमी हो सकती है।

(14) सूचक का शब्द या वाक्य दुहरान में यदि सर्वेक्षक से कोई अशुद्धि हो जाए और इस पर सूचक या अन्य लोग हँसें तो इसका बुरा न मान, फिर से ठीक कहने का प्रयास करना चाहिए और उन लोगों का साथ अधिक से अधिक बात-चीत करनी चाहिए।

(15) सर्वेक्षक का सूचक या उस भाषा का भाषिया का सम्पर्क में अधिक से अधिक रहना चाहिए ताकि उन लोगों को आपस में बात करत सुना जा सकें।

(16) सूचक से सुने गए कुछ शब्द या वाक्य यथावसर सूचक के सामने प्रयुक्त किए जाएँ तो सूचक आगे और भी तत्परता से बतलाता है क्योंकि उसे विश्वास हा जाता है कि उसकी भाषा का सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने वाला व्यक्ति बतलाइ गई चीज परिश्रम से यात्र कर रहा है।

(17) सूचक का साथ लगातार बहुत देर तक काम करना ठीक नहीं होता। एसा न हा कि वह ऊँच कर बतलान में रुचि लेना छोड़ दे। नाइडा न 45 मिनट का सामान्यतः ठीक समय माना है। मरे विचार में एसा कोई नियम बनाना कदा-

चित्त बहुत ध्यावहारिक नहीं। वस्तुतः समय का निर्धारण सूचक की प्रकृति (कम बालन वाला या बातूनी), उनके पास कितना समय है उसकी उम्र (मेरा अनुभव यह रहा है कि अघेड या कुछ बूढ़े देर तक बिना ऊबे बतलात रहते हैं, और 18 20 वर्ष की उम्र वाले सबसे जल्दी ऊब जाते हैं) तथा उसके स्वास्थ्य आदि के आधार पर भाषा सर्वेक्षक स्वयं कर सकता है।

(18) सूचक से एक ही बात बार-बार दुहराने को नहीं कहना चाहिए। इससे वह ऊब सकता है। यदि दो-तीन बार के बाद भी उसी का दुहराने की आवश्यकता है, तो ऐसा वाद में किसी और प्रसंग में करना अधिक उचित होता है।

(19) 'एसा क्यों' या इस प्रकार के प्रश्न पूछना उचित नहीं। यदि सूचक जानता है तो बतला देगा, और यदि नहीं जानता है तो यह सोचकर कि उसे अपनी भाषा के बारे में नहीं मालूम है बोल सकता है और आगे सर्वेक्षक की सहायता करने से बतरा सकता है। सूचक ऐसी स्थिति में यह सोचकर भी हीन ग्रंथ का अनुभव करता है कि सर्वेक्षक उसके बारे में क्या सोचेगा कि इसे अपनी भाषा के बारे में इतनी सी बात भी नहीं मालूम है।

(20) नाइटा ने लिखा है कि एक बार कोई सर्वेक्षक अँगुली से इशारा करके विभिन्न वस्तुओं के नाम पूछता रहा, और सूचक हर बार एक ही उत्तर देता रहा। हुआ यह कि हर बार सूचक यह समझता था कि सर्वेक्षक अँगुली का नाम पूछ रहा है और वह वही बताता रहा। इस प्रकार जब एक ही उत्तर बार-बार मिले तो ऐसी गलतफहमी का अनुमान लगा लेना चाहिए और इससे बचने के लिए वस्तु को छुआ जा सकता है या और तरीके अपनाये जा सकते हैं।

(21) नाम जानने के लिए सूचक की वस्तुओं को देखने में, अपनी वस्तुओं को दिखाना बहुत सहायक होता है। इसका आशय यह भी हुआ कि सर्वेक्षक भी अपने साथ कुछ वस्तुएँ ले जाय, और अच्छा हो कि वह पहले अपनी वस्तुएँ दिखाए।

(22) अपनी वस्तुएँ दिखाते समय सर्वेक्षक को सतर्कता के साथ सूचक के शब्दों को सुनना चाहिए। निश्चित रूप से वह 'यह क्या है या 'इसका क्या नाम है' या यह किस काम आती है' का समानार्थी कोई शब्द या वाक्य प्रयुक्त करेगा। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों या वाक्यों को जान लेने पर उनकी वस्तुओं के नाम तथा काम आदि पूछने में सर्वेक्षक को आसानी रहेगी।

(23) इस सम्बन्ध में एक यह बात भी ध्यान देने की है कि यदि सूचक से सुनकर उसी रूप में प्रश्न किया जाय और सूचक एक शब्द न कहकर एक या कई वाक्य कह, या देर तक बोलता रहे, तो उसका आशय यह समझना चाहिए कि उस प्रश्न का अर्थ 'इसका क्या नाम है न होकर यह किस काम आता है' है।

(24) अपनी वस्तुएँ दिवाते समय उनके नाम तथा काम आदि क बार म कुछ कहते रहना चाहिए यद्यपि यह निश्चित है कि सूचक कुछ नहीं समझगा। इसस लाभ यह होगा कि अपनी वस्तुएँ दिवाते समय वह भी उनक बार म कुछ कहना चाहेगा जिससे उसकी भाषा को सुनन और कुछ प्रारम्भिक बातों को पकड़ने का अवसर मिलेगा।

(25) सूचक की सञ्चति एव उसके अग्रविश्वास आदि को ध्यान म रखत हुए उन वस्तुओं के नाम प्राय नहीं पूछने चाहिए, जिहे बताने म सूचक को किसी भी कारण सकोच हा। उदाहरण के लिए, अनेक पिछड़ी जातियाँ के आदि वासी अपना नाम रात म साँप विच्छू के नाम तथा शतान भूत आदि तपाकथित अमागलिक शक्तियाँ आदि के नाम लेना नहीं चाहते। आदिम जातियाँ म कुछ शब्द टँठू होते हैं। यदि उनकी जानकारी हा तो उह भी नहीं पूछना चाहिए।

(26) सूचक की चीजें देखत समय उन चीजों के बारे में, उसके न समझने क बावजूद कुछ कहते और पूछते रहना चाहिए जिससे वह स्पष्ट समझ जाय कि उन वस्तुओं के बारे म सर्वेक्षक जानना-सुनना चाहता है। इसका परिणाम यह हागा कि वह हर वस्तु को दिखाने के समय उसके नाम-काम के बारे में कुछ कहता चलेगा जिसस अनेक वस्तुओं के नाम जानने तथा सूचक की भाषा समझने-मीखन म मदद मिलेगी।

(27) अनुसंधाता को सूचक की वस्तुओं के प्रति प्रशंसात्मक भाव व्यक्त करत समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि लोभ या उस वस्तु को लेने की गध न आन पाए।

(28) सूचक की सभी वस्तुओं के सम्बन्ध म सर्वेक्षक को सहज जिज्ञासा का भाव प्रदर्शित करना चाहिए।

(29) ऊपर यह क्या है का समानार्थी शब्द या वाक्य जानने क लिए कहा जा चुका है। वस्तुतः सर्वेक्षक के लिए सूचक की भाषा के तीन वाक्य जानने बहुत आवश्यक हैं वह क्या है, 'वह किसका है वह क्या कर रहा है। इनम प्रथम से अनेक सत्ता शब्दों दूसरे स सवनामों के सम्बन्ध कारक के रूपों तथा तीसरे से अनेक धातुओं की जानकारी हा जाती है।

(30) भाषा एव वक्ता स सम्बन्ध विभिन्न प्रकार की जानकारी क लिए विभिन्न विषयाँ एव अवसरों पर तथा विभिन्न वर्गों जातियों, धर्मों और स्तरों के लोगों के बीच बातें सुननी चाहिए। इससे उस भाषा के विभिन्न स्तरों के शब्द जादि समझन म आसानी होगी।

(31) काम के बाद समय मिलते ही सामग्री का विश्लेषण आरम्भ कर देना चाहिए। इससे आगे के काम म मन्द मिलती है तथा जानी गई बातों क भूलन का भय नहीं रहता और क याद होती चलती है। उपयुक्त पद्धति से किसी भाषा का अलिखित शब्द भांडार तथा उसस

सम्बद्ध अर्थ बातें एकत्र की जा सकती हैं, किन्तु इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। ध्वनि, रूप, तथा वाक्य नियम विषय सामग्री अपेक्षाकृत जल्द एकत्र की जा सकती है, किन्तु किसी भाषा की पूरी या पर्याप्त शब्दावली एकत्र करने के लिए कई वर्षों का समय चाहिए क्योंकि इसके लिए सम्बद्ध पूर प्रदश के सभी धर्मों, जातियाँ, व्यवसायियों, स्तरो एवं अवस्था के सूचको से सामग्री लेनी आवश्यक होती है।

शब्दरचनाविज्ञान

शब्दों के अध्ययन के प्रसंग में स्वभावतः हमारा ध्यान सर्वप्रथम शब्दों की रचना पर जाता है। इसीलिए सबसे पहले शब्दविज्ञान की एक शाखा के रूप में शब्दरचनाविज्ञान को लिया जा रहा है। जिस प्रकार भाषाविज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है, या शब्दविज्ञान में शब्द का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह शब्दरचनाविज्ञान में शब्दों की रचना का अध्ययन किया जाता है।

जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है रचना की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक को 'रूढ' कहते हैं तथा दूसरे को 'योगिक'। कहना न होगा कि रचना की दृष्टि से योगिक शब्द ही विचारणीय हैं। रूढ शब्द मूल होते हैं अतः उनकी रचना का प्रश्न नहीं उठता। विभिन्न भाषाओं में योगिक शब्दों की रचना मुख्यतः निम्नांकित ढंग से की जाती है

(क) उपसर्ग या पूर्वप्रत्यय के योग से—उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। जैसे क (कपूत) स (सपूत) प्र (प्रयत्न), ला (लावारिस), दुर (दुराग्रह) आदि।

(ख) मध्यसर्ग या मध्यप्रत्यय के योग से—हिंदी में इसका प्रयोग नहीं मिलता। मुंडा भाषा में दल = मारना, दपल = परस्पर या एक दूसरे का मारना। यहाँ 'प' को दल के मध्य रख दिया गया है अतः इसे मध्यसर्ग या मध्यप्रत्यय कहते हैं। मध्यसर्ग का प्रयोग कुछ ही भाषाओं में मिलता है।

(ग) प्रत्यय या परप्रत्यय के योग से—भाषा में इसके योग से सर्वाधिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे ता (सुंदरता), आई (बड़ाई), त्व (घनत्व), ई (जोड़ी), ओती (कटौती) आदि।

(घ) एक से अधिक शब्दों के योग से—इस तरह बने शब्द का हिंदी आदि बहुत-सी भाषाओं में 'समस्त शब्द' कहते हैं। इसमें दो या अधिक शब्दों का एक में मिलाकर रखते हैं। घोडागाडी, डाकखाना रामकटानी रामानुजाचार्य (राम + अनुज + आचार्य), मुग्धु खानुभूति (मुग्ध + दुग्ध + अनुभूति), टॉप-टॉप किंग। मसूत में ऐसे शब्द बहुत बड़े-बड़े भी बना कर रहे हैं। प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की व्याकरण की पुस्तकों में समास प्रकरण में इसका विस्तृत विवरण दिया रहता है। विश्व की सभी भाषाओं में इस प्रकार शब्द नहीं बनते।

मामागत दो शब्दों के ही समस्त शब्द बनते हैं। एक या दूसरे या दोनों शब्दों की प्रधानता के आधार पर समस्त शब्दों के संस्कृत व्याकरण में चार भेद किये गए हैं—अव्ययीभाव (पहला शब्द प्रमुख हो, जैसे हरघड़ी), तत्पुरुष (दूसरा प्रधान, जैसे दशनिशाला), द्वन्द्व (दोनों प्रधान, जैसे गाय बल), बहुव्रीहि (कोई प्रधान न हो, जैसे नीलकण्ठ)।

दोनों शब्दों को जोड़ने में कभी तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता (जैसे घोड़ागाड़ी हाथीखाना, कराड़पति) और कभी बीच में कोई नई ध्वनि आ जाती है। (जैसे अचञ्छटा)। अधिकतर ऐसा होता है कि न दोनों शब्दों के जोड़ने से नया शब्द बनता है, बल्कि दोनों शब्दों के मिलने के स्थान पर ध्वनियाँ एक-दूसरे से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे अति + अत = अत्यत, पर + उपकार = पराउपकार। आगे शब्दध्वनिविज्ञान अध्याय में इन पर संक्षेप में विचार किया गया है।

समस्त शब्दों के दोनों ही सदस्य कभी तो साथ ही होते हैं—घुड़दौड़, कथा-कार, पुस्तकालय, सवाददाता, ऐसा वसा जहाँ तहाँ, कभी एक साथ ही होता है और एक निरर्थक तथा निरर्थक शब्द प्रायः साथ ही के सानुप्रासिक पुनरुक्ति होता है—ठीक ठाक भोला भाला पूछना ताछना, और पौन, हाना ह्वाना, चाल-ढाल, आमने सामने, पास पास। निरर्थक शब्द कभी तो पहले आता है (औन-पौने, आमने-सामने) और कभी बाद में (घोना घाना, ठीक-ठाक, पूछताछ)। कभी-कभी दोनों ही शब्द निरर्थक होते हैं, किन्तु आश्चर्य है कि दोनों मिलकर साथ ही आते हैं—हट्टा कट्टा, टीम-टाम, अल्लम गल्लम, अट-सट, अट्ट-सट्ट, गिट-पिट, मिट्टी पिट्टी। कभी कभी तीन भी—आय बाय शाय, टाय टाय फिम। ये पुनरुक्ति पूर्ण भी हो सकती हैं—अच्छे-अच्छे कौड़ी कौड़ी, दाना दाना अपूर्ण भी—चौड़ा चकला, बीच-बचाव।

कभी-कभी एक ही अर्थ के दो शब्द साथ आ जाते हैं—मान सम्मान, लाज-शम हाट-बाजार सौदा-मुल्क, समझना-बुझना, भरा पूरा, बनिया बक्काल, लाज शम, बागल-पत्तर। कभी अर्थ एक न होने पर भी काफी समीपता रहती है—घर-द्वार, खलना-खूदना, लूता लूँगा, टूटा फूटा, जोर-शोर। कभी कभी शब्द भिन्नार्थी या विरोधी भी होते हैं—रात दिन, साझ सवेरे, सोना जागना, खाना पीना नाचना गाना, पढ़ना लिखना।

कभी कभी प्रति ध्वनि शब्द भी साथ आते हैं—घोड़ा-बोड़ा, पानी-सानी, चाय चूय चाय शाय।

कभी कभी दो शब्दों के कुछ कुछ भाग लेकर भी शब्द बनाए जाते हैं—मोटल (मोटर + हाटल), ब्रच (ब्रेकफास्ट + लच), टिल्क (टी + मिल्क)।

(ड) कई शब्दों की प्रारम्भिक ध्वनियों से—तत्पुरुष यह भी घ में ही आ सकता है क्योंकि इसमें भी किसी न किसी रूप में कई शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु जोड़ने की प्रवृत्ति भिन्न होने के कारण इसे अलग स्थान दिया जा रहा

विचारणीय तो किसी भाषा या सभी भाषाओं के शब्द हैं, किंतु किसी भी भाषा के सारे शब्दों के सम्बन्ध में यह जान पाना कि मूलतः वे कैसे बने हैं, कठिन ही नहीं, असम्भव सा है। वस्तुतः यह प्रश्न बहुत कुछ भाषा की उत्पत्ति से सम्बद्ध है। सत्कार की भाषाओं में अनेकानेक आधारों पर शब्द बने हैं, जिनमें कुछ निम्नांकित हैं —

(1) अधविश्वासों के आधार पर—भाषाओं में कुछ शब्द अधविश्वास के आधार पर बन जाते हैं। ऐसे शब्द उस समय बहुत अधिक बनते रहे होंगे जब विश्व के लोग बौद्धिक दृष्टि से बहुत अविकसित रहे होंगे, और उनमें अधविश्वास बहुत अधिक रहा होगा। शिक्षा तथा बौद्धिक विकास एवं ज्ञान विज्ञान के प्रचार जादि के कारण धीरे-धीरे ऐसे शब्दों का बनना कम और फिर बंद हो गया किंतु ऐसे बहुत से शब्द भाषाओं में अब भी चल रहे हैं, जो मूलतः अधविश्वास के आधार पर बने हैं। उदाहरणार्थ —

चक्षुश्रवा = सप (जो आँख से सुन वस्तुतः साँप आख से नहीं सुनता, यह एक अधविश्वास मात्र है)।

सुधाकर = चाद (अमृत का भण्डार। यह अधविश्वास रहा है कि चंद्रमा से अमृत द्रवित होता है। कदाचित् शीतल चादनी के कारण यह अधविश्वास चला होगा। सुधानिधि, सुधाधर, सुधाधाम, सुधामयूख, सुधापोनि, सुधारश्मि सुधावर्षा, सुधावाम, अमताशु, अमृतकर, पीयूषरश्मि आदि नाम भी इसी आधार पर हैं)।

मृगाक = चाद (जिसके अंक में मग हो। यह भी अधविश्वास है। मगधर, हरिणाक आदि शब्द भी इसी आधार पर बने हैं)।

एकाक्ष = कौआ (एक आँख का। विश्वास रहा है कि कौए की एक ही आँख हाती है, वही दाना गोलको में आती जाती है)। 'काकाक्षिगोलक' नाम भी इसी में सम्बद्ध है।

मेघसार = कपूर (विश्वास रहा है कि स्वाती की बूद केले में पड़कर कपूर बनती है। घनसार नाम भी इसी आधार पर है)।

काकसुता = कोयल (अधविश्वास है कि यह कौए की सड़की होती है। यह भी कहते हैं कि कौए अपने अण्डों को कोयल के घोंसले में रख देता है)।

(2) व्यक्तिनाम के आधार पर—व्यक्तियों के नाम के आधार पर भी बहुत से शब्द बने जाते हैं। जैसे माक्सवाद, गांधीवाद, बौद्ध (बुद्ध), जन (जिन) माहमडेन (मोहम्मद), मसराइज्ड (मसर नाम के जुलाहे के नाम पर, जिसने कपड़े मसराइज करने की पद्धति निकाली) एटलस (एक दैत्य का नाम। मरकेटर प्रथम एटलसवार थे। उन्होंने अपने एटलस के प्रारम्भ में इस दैत्य का चित्र दिया था, अतः भूगोल चित्र-मुस्तिका का नाम ही 'एटलस पड गया'), तथा बाईकॉट

है। भाषाओं में इस प्रकार की प्रवृत्ति उपयुक्त अर्थों की भाँति न तो बहुत पुरानी है और न बहुत अधिक एक-दो उदाहरणों का छोड़ शेष उदाहरण प्रायः अत्याधुनिक काल के हैं। इस नवीन प्रवृत्ति का कारण यह है कि आजकल कभी-कभी काफी शब्दों का एक साथ रखकर नाम (मस्या, व्यक्ति आदि के) के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है और बहुत बड़ा नाम धार-धार लना असुविधाजनक होता है। इसमें समय और शक्ति दोनों का अपव्यय होता है। इसीलिए 'माहनदास करमचंद गाँधी' का स्थान पर मा० क० गाँधी या एम० के० गाँधी कहा जाता है। एच० जी० वल्ड, जे० थो० कृपलानी, जी० वी० शा आदि भी ऐसी ही उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरणों में तो केवल प्रारम्भिक शब्द या शब्दों की आदि ध्वनि (या अक्षर) ली जाती है, अन्तिम शब्द प्रायः ज्या-वा-त्या रहता है। साथ ही ये सब मिलकर एक शब्द नहीं बनाते। इनके विपरीत ऐसे नाम भी मिलते हैं, जिनमें सभी शब्दों की प्रथम ध्वनि लेकर उन्हें मिलाकर एक शब्द बना लेते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी में 1966 में एक नया शब्द चला—'सविद'। यह शब्द 'संयुक्त विधायक दल' के सविद के योग से बना है। इसी प्रकार नाटो—नाँय अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (North Atlantic Treaty Organisation), इस्टा—इंडियन पीपल थिएटर असोसिएशन (Indian People Theatre Association), यूनेस्को—यूनाइटेड नेशंस एज्युकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation), राडार—रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग (Radio Detection and Ranging) आदि। मध्य प्रदेश में एक स्टेशन और नगर का नाम है नेपा। यह नाम वहाँ की वाणज्य मिल का नाम (National News Print Mill Limited) से 'ने' 'प' के आधार पर 'आ' जोड़ने की सुविधा के लिए जोड़कर बना दिया गया है। 'मिग' (जहाज का नाम) अपने बनानेवालों—मिकोयान (Mikoyan) तथा गुरेविच (Gurevitch)—के नाम के 'मि' और 'ग' का योग है। भारत की उत्तरी-पूर्वी सीमा के प्रदेशों के लिए इसी प्रकार नेफा (North East Frontier Agency) नाम प्रचलित हुआ, जिसे हिन्दी में उत्तरी उत्तरी पूर्वी सीमा कहा गया। ससोपा (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी), जीप (Vehicle for General Purpose = G P) नकेनवाद का नकेन (नलिन विलोचन शर्मा + केशरी कुमार + नरेश) आदि भी इसी प्रकार के शब्द हैं।

(च) पूरे नाम का एक भाग—कभी-कभी पूरे शब्द का एक भाग ही पूरे का स्थानापन्न शब्द बन जाता है। उदाहरण के लिए प्रिंसिपल टीचर = प्रिंसिपल, हस्तिन मृग = हस्तिन्, बाइसाइकिल = बाइक्, साइकिल मोटर कार = कार, जिनरिक्शा = रिक्शा साइकिल रिक्शा = रिक्शा। यह एक भाग आवश्यक नहीं कि योगिक हो।

यहाँ तक हम देख रहे थे कि योगिक शब्दों की रचना कैसे होती है। इससे हटकर भी शब्दों के बनने पर विचार किया जा सकता है। इस दृष्टि से

विचारणीय तो किसी भाषा या सभी भाषाओं के शब्द हैं, किंतु किसी भी भाषा के सार शब्दों के सम्बन्ध में यह जान पाना कि मूलतः वे कैसे बने हैं, कठिन ही नहीं, असम्भव सा है। वस्तुतः यह प्रश्न बहुत कुछ भाषा की उत्पत्ति से सम्बद्ध है। ससार की भाषाओं में अनेकानेक आधारों पर शब्द बने हैं, जिनमें कुछ निम्नांकित हैं —

(1) अधविश्वासों के आधार पर—भाषाओं में कुछ शब्द अधविश्वास के आधार पर बन जाते हैं। ऐसे शब्द उस समय बहुत अधिक बनते रहे होंगे जब विश्व के लोग बौद्धिक दृष्टि से बहुत अविनसित रहे होंगे, और उनमें अधविश्वास बहुत अधिक रहा होगा। शिक्षा तथा बौद्धिक विकास एवं ज्ञान-विज्ञान के प्रचार आदि के कारण धीरे-धीरे ऐसे शब्दों का बनना कम और फिर बढ़ हो गया किंतु ऐसे बहुत से शब्द भाषाओं में अब भी चल रहे हैं, जो मूलतः अधविश्वास के आधार पर बन हैं। उदाहरणार्थ —

चक्षुश्रवा = सप (जो आँख से सुने, वस्तुतः साप आख से नहीं सुनता, यह एक अधविश्वास मात्र है)।

मुधाकर = चाँद (अमृत का भण्डार। यह अधविश्वास रहा है कि चंद्रमा स अमृत द्रवित होता है। कदाचित् शीतल चादनी के कारण यह अधविश्वास चला होगा। सुधानिधि, सुधाधर, सुधाधाम, सुधामयूख, सुधायोनि, सुधारश्मि सुधावर्षा, सुधावास, अमताशु, अमृतकर, पीयूषरुचि आदि नाम भी इसी आधार पर हैं)।

मृगाक = चाद (जिसके अक में मृग हो। यह भी अधविश्वास है। मगधर, हरिणाक आदि शब्द भी इसी आधार पर बने हैं)।

एकाक्ष = कौआ (एक आख का। विश्वास रहा है कि कौए की एक ही आँख हाती है, वही दोनों गोलको भ आती जाती है)। 'काकाक्षिगोलक' 'याय' भी इसी में सम्प्रद है।

मेघसार = कपूर (विश्वास रहा है कि स्वाती की बूद केले में पड़कर कपूर बनती है। घनसार नाम भी इसी आधार पर है)।

काकमुता = कोयल (अधविश्वास है कि यह कौए की लडकी होती है। यह भी कहते हैं कि कौए अपने अण्डे कोयल के घोंसले में रख देता है)।

(2) व्यक्तिनाम के आधार पर—व्यक्तियों के नाम के आधार पर भी बहुत से शब्द बन जाते हैं। जैसे माकमवाद, गाधीवाद, बौद्ध (बुद्ध), जैन (जिन), मोहमडेन (मोहम्मद), मसराइज्ज (मसर नाम के जुताहे के नाम पर, जिसने कपड़े मसराइज्ज करने की पद्धति निवाली) एटलस (एक दत्य का नाम। मरकेटर प्रथम एटलसवार थे। उहान अपन एटलस के प्रारम्भ में इस दत्य का चित्र दिया था, अतः भूगोल चित्र-पुस्तिका का नाम ही 'एटलस' पड़ गया), तथा बाईकॉट

(इंग्लैंड में एक कारिदा जिसका आईकॉट प्रजा न किया) आदि।

(3) स्थान के नाम के आधार पर—जैसे सुरती (पुतगाली पहन-पहन भारत में तवाकू ले आए और इसका केंद्र 'सूरत' नगर में बनाया। वहां में यह चारा आर फैली। अतः भोजपुरी आदि कई बोलियों में 'तवाकू' के स्थान पर इस 'सुरती' कहते हैं। बनारसी (ठग, धूत), लखनौवा (छला शीकीन), बलि याटिक (मूख) शिकारपुरी (मूख), चीनी (मूलतः पक्की चीनी कदाचित् चीन से आई थी), मिथ्री (मिथ्री। मिस्र से आने के कारण), जापानी (सस्ता तथा कम टिकाऊ), मतना (मूलतः दिल्ली में ईन चुनने के काम आने वाले चुन का सतना कहते हैं क्योंकि वह सतना नामक स्थान से आता है), बदरपुर (दिल्ली में विशेष प्रकार के लाल पाउडर का कहते हैं जो बदरपुर से आता है), मकराना (मकराना नामक स्थान से आनेवाला पत्थर), ककैयी (केकय स), सडकिव (इसी नाम की स्टेट के स्वामी ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया अतः यह नाम पडा) आदि अथ उदाहरण हैं। कटस्थानीय आभूषण 'कठा' है तो अगुष्ठ (मूलतः उंगली) स्थानीय 'अंगूठी'।

(4) वतनी के आधार पर—इसके आधार पर शब्द का बनना अपवाद है। जब तक मुझे एक ही शब्द ऐसा मिला है। भौरे को संस्कृत में 'भ्रमर' कहते हैं। इसमें दो 'र' के आधार पर संस्कृत में इसके लिए 'द्विरेफ' (जिसमें दो र हों) शब्द का प्रयोग मिलता है।

(5) प्रयोग के आधार पर—कुछ शब्द जिस वस्तु को अभिहित करते हैं, उसके प्रयोग के आधार पर बन जाते हैं। जैसे रबर (अंग्रेजी rub = रगड़ना, rubber जिसे रगड़ा जाय, मिटाने के लिए) खड्नी (भोजपुरी में खान की तवाकू, जो खाई जाय) सुमिरनी (जिसका प्रयोग सुमिरन में किया जाय), कतरी (जिससे कतन किया जाय) आदि।

(6) स्वरूप के आधार पर—जैसे हाथी [जिसे हाथ (सूंड) हो हस्ती], करी (जिसके कर हो), द्विरद (= हाथी, जिसके दो दाँत हों, हाथी के दाँत खान के और दिखाने के और), केशरी (जिसके केश हों, विशेषतः गदन पर), बदगोभी (जो बद ही फूलगाभी की तरह खुली नहीं), गाँठगोभी (जो गाँठ जसी हो) आदि। हिंदी में बदगोभी को 'करमकल्ला' भी कहते हैं। यह फ़ारसी शब्द है। इसमें 'करम' का अर्थ है 'सब्जी' और कल्ला का अर्थ है 'सिर', अर्थात् बदगोभी सिर-जसी सब्जी है। अंग्रेजी 'कबेज' शब्द मूलतः फ़्रांसीसी भाषा का 'caboche' है और इसका अर्थ भी 'सिर' है। इसी में इसे 'कपूस्ता' कहते हैं, उसके मूल में भी 'सिर' का भाव है। चार पर के कारण 'चोपाया' (पशु) 'चोपाई' (एक छद), और 'चारपाई' (खाट) नाम पडे हैं। 'तिपाई' भी ऐसा ही शब्द है। हाथ जैसा होने से 'हत्या' नाम है।

(7) रंग के आधार पर—जैसे स्याही (जो 'स्याह' अर्थात् 'काली' है। पहल स्याही केवल काली हुआ करती थी), सब्जी (जो सब्ज अर्थात् 'हरी' हो

जैसे पालक, चौलाई बदगोभी आदि), पीलिया (रोग, जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है) आदि ।

(8) ध्वनि के आधार पर—इस श्रेणी के शब्दों की सभ्यता अच्छी खासी है । हिन्दी में भूकना खेखर (लोमड़ी के लिए शब्द, खे-खे करने के कारण), भापू, पटफटिया धडधड, भडभड, गडगड हडहड, चटचट । मस्कृत में काकिल और अंग्रेजी में कुक् आदि भी इसी प्रकार के शब्द हैं ।

(9) दृश्य के आधार पर—जगमग, बगबग, दकदक । इस श्रेणी के शब्द बहुत ही कम होते हैं ।

(10) कोई वस्तु जिससे बनी हो उसके नाम पर—इस श्रेणी के शब्द भी बहुत अधिक नहीं होते । गिलास [प्रारम्भ में यह glass (= शीशा) की बनी अतः यह नाम पड़ा], शीशा (= आईना शीशे से बनने के कारण), अंग्रेजी 'आइरन' (= प्रेस लाहे से बने होना) । पेन (मूलतः Penna = पख), बाइबिल (मूल अर्थ किताब, पहले यूनान में किताबें वृक्ष विशेष की छाल से बनती थीं । जिसे 'विब सास कहते थे) आदि कुछ शब्द ऐसे हैं ।

(11) सादृश्य के आधार पर—दूसरे शब्दों या वस्तुओं के सादृश्य के आधार पर भी कभी कभी शब्द बन जाते हैं । 'अधूरा' शब्द 'आधा' से 'पूरा' के सादृश्य पर बना है । छठा शब्द के स्थान पर कुछ लोग 'छठवा' का प्रयोग करने लगे हैं जो स्पष्ट ही 'छ' से पाँचवा सातवा के सादृश्य पर बना है । ऐसे ही 'बराती' के सादृश्य पर 'घर' से 'घराती', तथा 'गुलाम' के आधार पर 'तीन से तिलाम (गुलाम का गुलाम) आदि । इसी प्रकार वस्तुओं का सादृश्य भी कभी-कभी नये शब्द बनाने के लिए आधार का काम करता है । 'पानी की रवानी', जैसा होने के कारण एक कपड़ा 'जाव ए-रवा' कहलाता है तथा फूल जैसा होने के कारण कान के आभूषण को 'कणफूल' कहते हैं । 'जाकाशगगा भी दश्यात्मक सादृश्य के आधार पर ही बना है ।

(12) काय के आधार पर—इस आधार पर सभी भाषा-जा में काफी शब्द बन चुके हैं । नेतृत्व करने के कारण जाख सम्स्कृत में 'नक्' कहलाई । 'पभा' करने के कारण सूय 'प्रभाकर' या 'विभाकर' है । 'दिनकर' भी ऐसा ही नाम है । 'क्षपाकर' का अर्थ है चद्रमा । 'क्षपा' रात है जिसे करने वाला 'क्षपाकर' । 'कलछी' या 'करछी' मूलतः 'कररक्षिणी' है । हाथ की रक्षा करने के कारण उस पर यह नाम दिया गया । 'तृ' अर्थात् बुभन के कारण घास को सम्स्कृत में तण कहा गया । अगरखा (जग की रक्षा करने वाला) अजगर (बकरी का निगलन वाला), कठफोडवा (काठ फोड़ने से), नग (गमन न करने वाला = पहाड़), खग (आकाश में जान वाला) आदि भी ऐसे ही शब्द हैं ।

(13) बनाने की प्रक्रिया के आधार पर—उदाहरण के लिए 'जेब' का मूल अर्थ है जो काटकर बनाया गया हो । ऐसा ही 'टोस्ट' का अर्थ बनना है । अब 'सेक' कर बनाए जानेवाले को भी 'टास्ट' कहते हैं । ग्रय का मूल अर्थ है ।

हुआ' या 'प्रथित'। पहल भोजपत्र को घागे स तिनकर ग्रय वनात थ।

(14) स्थिति के आधार पर—नदिया व कितार स्थित होने स तायों का तीरस्थ' कहा गया। 'तीर्थ' उसी का विकास है। 'तटस्थ' भी ऐसा ही शब्द है जो धार मे न बूदकर तट पर हो। 'ओवरकोट' तथा 'कन्स्ट्राट भी इसी श्रेणी के है।

(15) जन्म से—पञ्ज, जलज, स्वदज, अटज उदभिज कार्तिज अग्निज, अत्यज द्विज (जा दो धार जमे—पक्षी, एक बार अडा फिर वच्चा, चन्द्रमा, प्रथम तीन वण था ब्राह्मण। य एक बार जन्मन है, फिर यगापवीत क समय दूसरा जन्म माना जाता है।)

(16) सख्या के आधार पर—चार सौ घीस, सठियाना (साठ स), दस नबरी पसा, सतरा बहुतरा होना (सत्तर उहतर)।

(17) कहानी के आधार पर—कभी-कभी किसी कहानी के आधार पर शब्द बन जाते हैं। उगहरण के लिए 'मक्खीचूम' ऐसा ही शब्द है। बहुत हैं कि कोई व्यक्ति धी लेकर जा रहा था। उसके धी म मक्खी पड गई। वह मक्खी को धी स निकालकर चूसन लगा ताकि जो धी उसके पख आदि म लग गया है, वह व्यय में जाया न हो। इसी आधार पर 'बजूस' के लिए 'मक्खीचूम' शब्द बन पडा।

इस तरह शब्दों की रचना कई प्रकार से तथा कई आधार पर की जाती है। यो पुरान शब्दो स नए शब्दो की रचना चार प्रकार से हाती है —

(क) याजन से—अर्थात् दो या अधिक् शब्द (डाक्घर, समाजभाषाविज्ञान) उपसग (अहित, लापता) या प्रत्यय (समता, भलाई) जाडकर।

(ख) पश्चरचना (Backformation) से—'सुर' शब्द पहले नहा था। 'असुर' म से 'अ' निकालकर 'सुर' बनाया गया। ऐसे ही अब श्लील का प्रयोग चल पडा है जो 'अश्लील' म से 'अ' निनालन से बना है। 'डालना' मे 'डलना' भी यही है। पहले पडना चलता था।

(ग) संक्षेपण से—1 एकाधिक शब्दा के आदि अक्षरों को जोडकर। जैसे 'भारतीय लोक दल' आनुका (आंतरिक सुरक्षा कानून), माक्राद (भारतीय शक्ति दल), मविद (सयुक्त विधायक दल), सुदी (शुक्ल दिवस), बदी (बहुल-कृष्ण दिवस)। राडार, न्वाँडडा, यूनेस्को आदि भी ऐस ही शब्द हैं। अंग्रेजी म एत शब्दों को acronym कहते हैं। 2 आदि-अंत जोडकर माटल (माटर+होटेल)।

3 कतन मे—अर्थात् एक भाग काटकर। जैसे 'हस्तिनमग से हस्ती', 'रेलवे स्टेशन से 'स्टेशन, 'जिनरिक्शा' से 'रिक्शा', 'कपिटल सिटी से 'कपिटल, 'प्रिसिपल टीकर से 'प्रिसिपल तथा 'माटरकार' से 'कार' या 'माटर' आदि।

(घ) किसी शब्द के आधार पर—जमे ग्रीक Chaos स गत।

शब्दार्थविज्ञान

‘अथविज्ञान’ भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन करता है तो ‘शब्दायविज्ञान’ भाषा में प्रयुक्त शब्दों के अथपक्ष के अध्ययन तक सीमित होना है। उसमें पद, पदबंध वाक्य आदि के अथ का अध्ययन नहीं आता।

श्वनि शब्द का शरीर है तो अथ उसकी आत्मा है। शब्द की सायकता इस अथ के ही प्रेषण में है। वस्तुतः अथ के प्रेषण के लिए ही भाषा का प्रयोग होता है। इस तरह अथ भाषा की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इकाई है।

शब्द और अथ का सम्बंध कुछ शब्दों (जैसे ध्व यात्मक आदि) को छोड़कर यादृच्छिक है। घ, ओ, ड, आ के मिले रूप से ‘घोडा’ (ध्वनि) का ‘घोड़े के अथ’ से सहजात सम्बंध नहीं है। यह सम्बंध केवल समाज का माना हुआ है। यदि समाज यह तै कर ले कि बल से ‘क’ का ‘घोडा’ के लिए प्रयोग होगा तो बल से ‘क’ का अथ घोडा माना जाने लगेगा। इसी प्रकार यदि सब लोग स्वीकार कर लें, तो बल से ‘घोडा’ शब्द का अथ फूल, आदमी, घर या कुछ भी हो सकता है। प्राचीन भाषाशास्त्रियों ने शब्द और अथ को एक माना है एकस्मैवात्मनो भेदो शब्दार्थावपथक स्थितौ (वाक्यपदीय 2-31)। तुलसी ने भी कहा है गिरा अथ जल बीच सम कहियत भिन न भिन। कालिदास भी कहते हैं वागार्थाविवसम्पृक्तौ वागथ प्रतिपत्तये (रघुवश 1 1)।

मैं इस परंपरागत मान्यता से बहुत सहमत नहीं हूँ। हम प्रायः पाते हैं कि शब्द बदल जाता है किन्तु अथ वहीं रहता है (गृह घर, कृष्ण काह, सपत्नी-सौत), और दूसरी ओर अथ बदल जाता है किन्तु शब्द ज्यो-का-र्या रहता है (कुशल—मूल अथ ‘कुश’ उखाड़ने में प्रवीण, परवर्ती अथ दक्ष, प्रवीण—मूल अथ वीणा वज्रान में प्रवीण, परवर्ती अथ दक्ष)। दोनों एक होते तो एक के परिवर्तन में कदाचित् दूसरा भी परिवर्तित हो जाता।

अथ है क्या और उसकी प्रतीति कैसे होती है? वस्तुतः अथ प्रतीकात्मकता में है। ‘कलम’ शब्द ‘कलम’ कहलाने वाली वस्तु का प्रतीक है और ‘अथ’ है वस्तु तथा शब्द का प्रतीकात्मक सम्बंध। यहाँ यह बात भी संकेत करने की है कि शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से शब्द का वास्तविक अथ नहीं होता, अपितु उसका अथ केवल प्रतीकात्मक या माना हुआ होता है। अथ की प्रतीति वाक्य पर निर्भर करती

है।¹ इसीलिए वाक्य ही भाषा का परम अर्थव्यय है। वाक्यों का प्रयोग करते-करते हम इतना अभ्यस्त हो जाते हैं कि अलग-अलग गुण गुणनर भी हममें अथ ही प्रतीति हाते हैं किन्तु मूलतः यह वाक्य पर ही आधारित है। दूसरे शब्दों में वाक्य का अर्थ प्रयोगाश्रित है। वाक्याय भी प्रयोग या प्रयोगों का ही मार होता है। अतः हरि त अथ विनयता व सम्बन्ध म कहा है — वाक्यात्प्रनरणर्पात्तौचित्याद्वाक्यात्मत

अर्थात् वेचल रूप जान लो म अथ का पता नही चलता इगन लिए वाक्य (अर्थात् वाक्य म प्रयोग) प्रवरण (अर्थात् बात कहने का सत्तम) अथ-ओचित्य (अर्थात् प्रसाग म उच्य अथ का औचित्य) देता (इगना अथ सोगा न तरह-उरह स किया है मर विचार म दन का अर्थ है स्थान। देता मा स्थान भेत् म अथ भेत् ही स किया है। उदाहरण व लिए बनारस म मौता शब्द मौ की बहन का पनि मात्र जाता है। उदाहरण व लिए बनारस म मौता शब्द मौ की बहन का पनि मात्र है, किन्तु हरियाना म भार्द का समुर भी मौता है) काल (इगना अथ भी सोगों न दूसरे रूप म किया है किन्तु प्रस्तुत पकियापा व मय्यन ने विचार म सतन यह है कि काल भेद स अथ भेद ही जाता है जते 'हरिजन या अथ पहले 'भवत्' था अब अछूत' है) जानता अपगिन है। इसी प्रकार तत्त्वचिंतामणि पर विचार करते हुए मपुरानाय ने अथ जानत

के लिए वदव्यवहार आप्तवाक्य व्याकरण बोग, वाक्यपाप, विवति सिद्धप-साहित्य और उपमान का उत्तम किया है जिनके अथ प्रमग 'व्यावृद्धों द्वारा प्रयोग' 'प्रामाणिक' व्यक्तियों द्वारा प्रयोग, व्यापारणिक रचना का ज्ञान, बोधाय सम्बद्ध सत्तम व अथ शब्द तथा वाक्य 'व्याख्या ज्ञात शब्दों का साय शब्द का प्रायोगिक समथ तथा उपमान द्वारा अथ स्पष्टीकरण है। बहना न होगा कि उपयुक्त सभी बातों म अथ को जानने का प्रमुख साधन प्रयोग ही है। अथ जितन हैं व भी मूलतः प्रयोग पर ही आधारित है। अपवा व्याकरण है।

अथविज्ञान इसी अथ के अध्ययन का विधान है। जसा अयन सकेत किया जा चुका है, यह अध्ययन वणनात्मक, ऐतिहासिक तुलनात्मक तथा व्यतिरकी हो सकता है। अथ के वणनात्मक अध्ययन का अर्थ है किसी एक समय म किसी शब्द के अथ का विवचन। ध्वनि, रूप या वाक्य की तुलना म अथ अधिक सूत्र होता है इसी कारण इसका अध्ययन भी अधिक कठिन है जिसका परिणाम यह हुआ है कि अथ शत्रो (ध्वनि या वाक्य आदि) में वणनात्मक या सरचनात्मक दृष्टि से जितना काम हुआ है उतना अर्थ को लेकर नहीं हुआ है।

1 वाक्यभ्रमवशात्प्रत्ये सायवस्यावबोधत सम्पद्यते शब्दबोधो न तमातस्य बोधत (शब्दशक्ति प्रकाशिका १२)

किसी एक काल में किसी शब्द के कौन कौन से अर्थ हैं इसका पता—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है—प्रयोग से चलता है। इसका आशय यह हुआ कि भाषा के सारे प्रयोगों को एकत्र करके ही इस बात का पता लगाया जा सकता है। इस दृष्टि से अच्छे-से अच्छे वाक्य भी हमारी बहुत सहायता नहीं कर पाते।

शब्दों के अर्थ के वर्णनात्मक अध्ययन के आधार पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि किसी भी भाषा में किसी एक समय में शब्द का अर्थ मुख्यतः तीन प्रकार का होता है—

(क) केन्द्रीय अर्थ—यह उस शब्द का उस काल में मूल प्रकृत या सामान्य अर्थ होता है। इसी अर्थ में यह शब्द अधिक प्रयुक्त होता है। बच्चा, घर शाकाहारी के केन्द्रीय अर्थ में प्रयोग हैं उसका बच्चा मर गया, उस गाँव में सौ घर हैं, मैं शाकाहारी हूँ, मास और अंडे नहीं खाता।


(ख) परिधीय अर्थ—परिधीय अर्थ केन्द्रीय अर्थ से ही विकसित होता है। यह किसी एक काल में एक से अधिक भी हो सकता है। 'राम पच्चीस का हुआ तो क्या, अभी तो बच्चा है, ये बातें नहीं समझ सकता।' में 'बच्चा' का अर्थ 'नासमझ' है। इसी प्रकार 'भोला भाला', 'अपरिपक्व' आदि भी इसके परिधीय अर्थ हैं। परिधीय अर्थ में शब्द का प्रयोग प्रायः केन्द्रीय अर्थ की तुलना में कम होता है। परिधीय अर्थ के कुछ और उदाहरण हैं 'यह बात उसके मन में घर कर गई है', 'वह तो पूरा बनिया है, एक पैसा नहीं दे सकता', 'क्या मुहरमो मूरत बना रखी है', 'भारत में जान कितने ऐसे हैं जिनको दोना जून रोटी नहीं मिलती।'।

(ग) आभिप्रायिक अर्थ—केन्द्रीय अर्थ तो सुनिश्चित अर्थ होता है और परिधीय अर्थ केन्द्रीय से ही विकसित होता है। यह भी प्रायः निश्चित रहता है। किसी शब्द का आभिप्रायिक अर्थ वहाँ मिलता है जहाँ कोई व्यक्ति किसी ऐसे विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करने के अभिप्राय से उस शब्द का प्रयोग करता है, जिस अर्थ में सामान्यतया वह शब्द प्रयुक्त नहीं होता। श्लोकार्थ साहित्यिकों के लेखन में ऐसे प्रयोग कभी-कभी मिल जाते हैं 'वह आदमी तो बिलकुल ही शाकाहारी है, उसके साथ लडकी भेजन में भला क्या परेशानी हो सकती है, 'अरे भला राम क्या खाकर धानेदार बनगा, बिलकुल ही शाकाहारी है, धानेदार का पद पा जान से थोड़े कोई धानेदार बनता है, 'जाज पत्नी का पत्र मिला मगर बिलकुल ही शाकाहारी, कहीं भी कोई प्रेम मुहब्बत की बात नहीं, 'कोयला कोयला ही रहेगा चाहे सौ मन साबुन खा जाय।'

इस तरह पहले अर्थ में शब्द का प्रयोग सर्वाधिक होता है, दूसरे में कम और तीसरे में बहुत कम। बहुप्रयुक्त होने पर कोई आभिप्रायिक अर्थ परिधीय बन सकता है तथा परिधीय अर्थ (यद्यपि बहुत कम) केन्द्रीय। तीनों अर्थों को चित्र

(1) यो सामाजिक अर्थ (जसे भाषा में मध्यम पुरुष के अर्थ के अनिश्चित भावर का सामाजिक अर्थ भी है) तथा श्लेष अर्थ (जसे 'बठना और तशरीफ रखना में श्लेष अर्थ का अर्थ है) आदि कुछ और अर्थ भी होते हैं।

रूप में यो दिया सकते हैं —



ध्वनि (स्वन) विज्ञान और रूपविज्ञान आदि के क्षेत्र में स्वनिम (phoneme)—सस्वन (allophone) तथा रूपिम (morpheme)—सरूप (allomorph) की बात बहुत प्रचलित है। अयविज्ञान में भी ऐसे विभलेपण की पूरी गुजाइश है। अयिम (sememe) किसी शब्द के सारे अर्थों का योग है और सअय (alloseme) विभिन्न अर्थ हैं जो अलग-अलग सदभों में आते हैं। य अलग अलग सदभ ही वितरण हैं। इस दृष्टि से किसी भी भाषा का कोई व्यवस्थित विवेचन अभी तक मरे देखने में नहीं आया। यहाँ एक हिंदी शब्द 'पानी' द्वारा इस बात को उग्राहृत किया जा सकता है। मान लीजिए, पानी के चार प्रयाग हमने लिए —


- (1) आसाम का पानी अच्छा नहीं है। (जलवायु)
- (2) सबक सामने उसका पानी उतार दिया। (इरजत)
- (3) पानी आया छतरी तान लो। (वर्षा)
- (4) यह पेड़ पाँच पानी का है। (वप)

इन अर्थों में भी पानी का सामान्य अर्थ नहीं है। पानी का सामान्य अर्थ इन अर्थों की तुलना में अधिक प्रयुक्त होता है तथा आधिक संरचना की दृष्टि से वही केन्द्र में है। अय अर्थ विशेष प्रसंग या सदभ के हैं। यदि हम थोड़ी दूर के लिए मान लें कि 'पानी' शब्द के सामान्य अर्थ को छोड़कर केवल य ही चार अर्थ हिंदी में चलते हैं तो कहा जा सकता है कि पानी के अर्थ या अयिम क पाँच सअय है। जलवायु अर्थ में वह एक प्रसंग में आता है 'इरजत अर्थ में दूसरे में वर्षा अर्थ में तीसरे में 'वप अर्थ चौथे में और सामान्य, मूल, प्रकृत या केंद्रीय अर्थ में अयम। इसी प्रकार भाषा क अधिकांश शब्दों क सअर्थों तथा उनक वितरणों का पता लगाया जा सकता है।

वर्णनात्मक स्तर पर शब्दों क अध्ययन की यह एक पद्धति थी। दूसरी पद्धति हो सकती है उसी अर्थ क्षेत्र के अर्थ शब्दों के अर्थ के सदभ में शब्द क अर्थ को देखना। अर्थ इतना सूक्ष्म होता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर उसे प्राय दूसरे


समानार्थी शब्दों के साथ अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। 'प्रयोगविज्ञान शीपक अध्याय में कुछ जोड़ों को लेकर इसी पुस्तक में अथवा यह देखा गया है। यहाँ हमने देखा है कि पर्याय शब्दों में अर्थ का सूक्ष्म अंतर होना है। वैसे शब्दों में एक का अर्थ दूसरे की पृष्ठभूमि में अधिक स्पष्ट होना है। एक उदाहरण लें — 'कष्ट' का अर्थ यों तो कोशों में 'दुःख' दे दिया जाता है तथा 'दुःख' का 'कष्ट' किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि इन दोनों में किसी का भी ठीक अर्थ दूसरे के मद में या दूसरे की तुलना में ही अधिक अच्छी तरह समझा या समझाया जा सकता है। दुःख या कष्ट दोनों समानार्थी-जैसे हैं, किंतु दुःख मानसिक है तो कष्ट शारीरिक।

वस्तुतः होता यह है कि किसी भाव या अर्थ का एक क्षेत्र होता है, और यदि उसके लिए एक से अधिक शब्दों—मान लें दो—का प्रयोग होता है तो कभी तो दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात् उस अर्थ-क्षेत्र के कुछ भाग का एक व्यक्त करता है तथा शेष को दूसरा।



चित्र अ


और कभी कुछ प्रयोगों में दोनों समानार्थी होते हैं और कुछ में भिन्न। उदाहरण के लिए इस चित्र में वाले भाग में —



चित्र आ


दोनों का प्रयोग हो सकता है किंतु दोनों के भागों में एक का तथा ख में दूसरे

का । प्रयोग या अर्थ का यह अंतर कभी तो बहुत कम होता है —



चित्र इ

और कभी बहुत अधिक —



चित्र इ

उदाहरण के लिए 'आधार' के लिए अंग्रेजी के दो शब्द—'बेस' (base) तथा बेसिस (basis)—लें । इन दोनों के प्रामाणिक अर्थ या प्रयोग में चित्र 'अ' वाली स्थिति है । बेस का प्रयोग ठोस वस्तुओं के लिए (पहाड़) होता है, जबकि बेसिस आलंकारिक रूप से तक, आराप, विश्वास जैसे सूक्ष्म के लिए । इसी प्रकार 'चाइल्डलाइक' और 'चाइल्डिश' भी है । पहला अच्छे अर्थ में आता है, दूसरा बुरे में । कुछ लोग कभी कभी दोनों को कुछ सन्दर्भों में समानार्थी जैसा प्रयोग करते हैं तो चित्र इ वाली स्थिति होती है । चित्र ई वाली स्थिति कभी नहीं होती ।

उद्देश्य ध्येय की स्थिति चित्र इ जैसी है । अधिकांश प्रयोगों में य प्राय एकार्थी-जस आते हैं किन्तु सतक प्रयोगों में उद्देश्य वह होता है जिसे पान के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील होता है, ध्येय वह है, जिस पर प्रयत्न के समय हमारा ध्यान रहता है । इस तरह उद्देश्य में प्रयत्न का भाव प्रमुख है तो ध्येय में प्राप्य पर ध्यान का ।

चित्र अ वाली स्थिति के कुछ और उदाहरण भी लिये जा सकते हैं । रोग के लिए हिन्दी में आधि और व्याधि दोनों शब्द चलते हैं, किन्तु दोनों के अर्थ में भेद है । भेद यह है कि आधि मानसिक बीमारी के लिए है तो व्याधि शारीरिक के लिए । इसी प्रकार हथियार के लिए अस्त्र और शस्त्र दो शब्द हैं । प्रथम में अ

हथियार आने हैं जिन्हें फेंक कर मारते हैं जैसे तीर, दूसरे में ये हथियार आते हैं जिन्हें हाथ में पकड़े हुए मारते हैं जैसे तलवार। आविष्कार और अध्ययन भी इसी प्रकार के हैं। आविष्कार जिम्मा करते हैं, उसका पहले से अस्तित्व गनी रहता। अध्ययन जिसका करत है, उसका अस्तित्व पहले से रहता है, अतएव उसका बस सामने ला दता है।

इस प्रकार के शब्द-युक्तियों के अथ या अथ पर आधारित प्रयोग में स्पष्ट अंतर का अध्ययन तुलना के आधार पर ही अच्छी तरह किया जा सकता है।

एक शब्द के एवाधिक अर्थों के आपसी संबंध का अध्ययन भी इस मानी-नारण्यक अर्थविज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। या इसका ऐतिहासिक अध्ययन भी अर्थात् अर्थ है कि कबसे पानी का अर्थ इन्द्रजत, चमक, वष आदि हो गया।

कभी-कभी कुछ भाषाओं में दुहरे प्रयोग चलते हैं। हिन्दी में भला बुरा, बड़ा छोटा ऊँच-नीच इसी वर्ग के हैं। ऐसे प्रयोगों में प्रायः एक शब्द ही प्रमुख रहता है, जिसका ही अर्थ कुछ-कुछ शब्दों के साथ आकर कुछ शब्द अपना अर्थ प्रायः ही प्राप्त करते हैं। जैसे 'भला' में 'धरती-खोटी सुनाई' में 'धरती' का भाव तो बहुत गहरा था कि 'जहाँ-तहाँ' में 'धरती' का अर्थ तीव्र नहीं है, किंतु 'उसने बहुत बुरा भला कहा' में 'धरती' का अर्थ ही प्रमुख नहीं है। 'अगर फिर कुछ कहा-सुना तो ठीक-गलत' में 'धरती' का अर्थ ही प्रमुख नहीं है। 'खड्डन मडन के अनेक प्रयोगों में 'धरती' का ही अर्थ प्रमुख है।

कुछ उपसर्ग भी अथ की दृष्टि से इसी प्रकार के हैं। जैसे 'अधिकांश', 'अधिकांश', 'अधिकांश', 'अधिकांश' के अर्थ में प्रयुक्त शब्द 'अधिकांश' में 'अधिकांश' ही प्रमुख है।

मोटर, इजन, कमरा, रडिया, ग्रामाफोन, लारी, बस, साइकिल, कार, आपरेसन, अस्पताल, डाक्टर, ट्रेसिंग, स्कूला, वॉनिज, मास्टर, रोडर, प्रोफेसर, फीम पट, काट सूट, टाई, वारंट, डिप्टी क्लकटर, क्लकटर कमिश्नर, टाउप, प्रूफ, हाकी, क्रिकेट, बंडमिंटन विस्कुट, वॉफी, टास्ट, आइसक्रीम, रजर, टव, वम, ब्रग, फोटो, स्केच, क्रीम, पाउडर, स्ना आदि। कुछ पुतगाली, फ्रासीसी, स्पेनी तथा रूसी शब्द भी आए हैं।

किसी भाषा में इन प्रकार के विदेशी शब्द तीन रूपा में जाते हैं। कुछ तो प्रायः ज्या के-त्या आ जाते हैं पट कोट, ट्रक, स्कूल, ब्रकील, मुख्तार, यहा प्रायः इमलिए कहा गया कि मूळम दृष्टि से उच्चारण में अंतर तो आ ही जाता है किंतु सामान्यतः इस श्रेणी के शब्द मूल जैसे ही लगते हैं। दूसरे प्रकार के शब्द व हैं जो ग्रहण करने वाली भाषा की ध्वनि-व्यवस्था के अनुकूल परिवर्तित या अनुकूलित होकर आते हैं। निजोरी (ट्रेजरी), रपट (रिपोर्ट), अगस्त (आगस्ट) अदली (आडरला), कुर्ता (कुतह) आदि। तीसरे प्रकार के शब्द अनूदित होकर आते हैं कटिवद्ध (कमरवस्ता) लालफीताशाही (redtapism), स्वणजयता (golden jubilee), हीरक जयती (diamond jubilee), दृष्टिकोण (angle of vision), प्रधानाध्यापक (headmaster), मालगाडी (goods train)।

किसी भाषा में अथ भाषाओं में, सर्वाधिक शब्द सन्नाहण के आते हैं और सबसे कम सवनाम। विशेषणों की मख्या सन्नाहण से कम किंतु अथों से अधिक होती है। धातु और अथय सवनाम और विशेषण के बीच में आते हैं। हिन्दी में फारसी से आने वाले शब्दों का संख्या की दृष्टि से क्रम है सन्ना (सर्वाधिक) विशेषण, धातु अथय सवनाम (सबसे कम)। सन्ना के उदाहरण ऊपर आ चुके हैं। अथय के उदाहरण हैं आसान, बड़मान, खुश, तज, बदनम, वारीक, तराजना, बसूलना, शर्माना, खरीदना, अगार, कि, बरना, लकिन खुद फना। यूरोपीय भाषाओं से केवल सन्ना शब्द ही आए हैं। विशेषण (फाइन, रफ मुपर-फाइन, मस राइज्ड, डबल गोलडन, हेड, हाफ) इने गिन हैं तथा क्रिया (फिन्माना) तो इक्की दुक्की।

भाषाओं के शब्दभंडार से कभी कभी कुछ शब्द अश्लील हो जाने में निकल जाते हैं। स्त्री पुरुष के विशेषण अथों या उनसे सम्बद्ध क्रियाओं के लिए प्रयुक्त शब्द ऐसे ही हैं। कभी कभी कुछ शब्द उच्च स्तर के लोगों के शब्दसमूह से ही निकल या प्रायः निकल जाते हैं। यहा हिन्दी की तुलना में अंग्रेजी का उदाहरण सुविधाजनक हुआ गया। पहले लटिन और यूरिनल शब्द चलते थे। अल्पतः प्रचलित हो जाने पर इनमें अश्लीलता की गंध आ गई अतः 'वायरूम' शब्द इन दोनों या दूसरे के लिए प्रयुक्त होने लगा, हालांकि इसका अर्थ स्नानघर है। धीरे-धीरे यह भी अश्लीलता की गंध से युक्त हो गया तो 'टवायलेट' (जिसका मूल अर्थ बालों का शृंगार करते समय कंधों पर डाला जाने वाला कपडा, शृंगार की मेज, सिंगारदान, या शृंगारघर आदि था) का प्रयोग होने लगा और अब इस

शृङ्खला में आने वाला नवीनतम शब्द 'क्लोक्लूम' (मूल अथ जापरकाट तथा हैट रत्ने का बाहरी कमरा या स्टेशन पर सामान रखने का कमरा) है। पता नहीं अभी और कितने शब्दों को इस परम्परा में आ-आकर अश्लील बनना है।¹


जमा कि कहा जा चुका है कि किसी भाषा में प्रयुक्त सारे शब्दों को उस भाषा का शब्दसमूह या 'शब्दसमूह' कहते हैं। प्रयोग-वाहुत्य और भाषा की विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं के आधार पर किसी भाषा के शब्दसमूह को तीन वर्गों में बाटा जा सकता है —

(क) उच्च या वाह्य शब्दसमूह—इसमें वे शब्द जाते हैं जिनका प्रयोग दैनिक व्यवहार की सामान्य भाषा में अपेक्षाकृत कम होता है। पारिभाषिक शब्दों का काफी बड़ा भाग इसी प्रकार का होता है। हिन्दी में अद्वैतवाद, विषय नाभिकीय जस शब्द इसी श्रेणी के हैं।

(ख) मध्यवर्ती शब्दसमूह—इस वर्ग के शब्दों 'क' की तुलना में अधिक प्रयुक्त हान ह माय ही वे अपनी भाषा के अधिक आवश्यक अंग होते हैं किन्तु भाषा की मूलभूत अभिव्यक्ति के लिए ये प्रायः बहुत आवश्यक नहीं होते। सामान्य शब्दों के अल्पप्रयुक्त पर्याय, साहित्य में शैलीय सौंदर्य के काम आने वाले शब्द तथा सामान्य जीवन में नहीं, अपितु जबसर विशेष पर काम आने वाले शब्द आदि इनमें आते हैं। उदाहरणार्थ हिन्दी में नीर, मनोरम, गह दिवस लखनी आदि शब्द ऐसे ही हैं।

(ग) आधारभूत शब्दसमूह—इस वर्ग के शब्द भाषा के आधार या नींव होते हैं, तथा इनका प्रयोग उपयुक्त दानों की तुलना में बहुत अधिक होता है। हिन्दी में पहाड़, पानी सुन्दर घर आदि शब्द इसी श्रेणी के हैं। आधारभूत शब्दसमूह का वेमिक या बुनियादी शब्दावली भी कहते हैं।

किसी भाषा के शब्दसमूह को निम्न रूप में रेखांकित किया जा सकता है—



(1) शब्दसमूह में परिवर्तन पर विस्तार में दखने के लिए प्रस्तुत पत्रिका के लेखकों भाषाविज्ञान का शब्दविज्ञान शीघ्र भ्रम्याय देया जा सकता है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपयुक्त आरेख में 'ग' आधारभूत शब्दसमूह है, जो क-द्र में है तथा 'क' एवं 'ख' में छोटा है। 'ख' मध्यवर्ती शब्दसमूह है जो 'ग' की तुलना में बाहरी है तथा उससे बड़ा भी है। 'क' उच्च या बाह्य शब्दसमूह है जो ग और ख दोनों की तुलना में बाहरी या ऊपरी है, साथ ही दोनों की तुलना में बड़ा भी है।

आगे चौथे अध्याय में 'आधारभूत शब्दावली' शीर्षक में इस पर अलग से भी विचार किया जा रहा है।

नामविज्ञान

'नामविज्ञान' शब्दों के अध्ययन या 'शब्दविज्ञान' की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है जिसमें नामों का अध्ययन होता है। अंग्रेजी में इसके लिए तीन नामा (onomatology, onomasiology, onomastics) का प्रयोग होता है। नाम वह शब्द या शब्दा का समूह है जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या सत्ता आदि का बोध होता है। कोई आवश्यक नहीं कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि का साधक संबन्ध उनके नाम से हो। सुन्दरलाल नाम का व्यक्ति महा असुन्दर हो सकता है और घूरलाल नाम के अवतार हो सकते हैं। 'मानवरिसा' (जहाँ माना बरसे) नाम के गाँव में घल उड़ सकती है और 'सूखेपर' (जहाँ की धरती सूखी ही सूखी हो) में लहलहाते पत्तों की सरसता दृष्टिगत हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाम संकेत या प्रतीक होना है। वह संकेत यादृच्छिक भी हो सकता है जैसे जिस घर में फूटी कौड़ी भी न हो, उस घर के लड़के का नाम अशर्फीलाल या करोड़पति के लड़के का नाम छकौड़ीमल और दूसरी ओर साधक भी हो सकता है जैसे माताबदल, कनछेड़ी, नकछेड़ी बेचू आदि। उल्लेख्य है कि कुछ क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों के लड़के मर जाते हैं वे अधविश्वासवश पुत्र पैदा होने ही माँ बदल दते हैं, अर्थात् दूसरी स्त्री (मा) को दे देते हैं (मानाबदल), कुछ लोग उसके कान (कनछेड़ी) या नाक (नकछेड़ी) या दोना छेद देने हैं और कुछ आनन्द आनन्द टाना-टाटका स्वरूप उस बेचू (बेचू) दते हैं, और तदनुसार नामकरण करते हैं। नाम बहुत छोटे भी होते हैं जैसे शिव, लारा (गाँव का नाम) तथा बड़े भी होते हैं जैसे उदयप्रताप बहादुर सिंह, मोहनदास करमचंद गाँधी। ग्रैंट रिट्टेन में एक रेलवे स्टेशन का नाम 58 वर्णों (*Leanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlilanantysiliogogoch*) का तथा आस्ट्रेलिया में एक झील का नाम 38 (*Kardivilliwarrakurrakurricapparlarndoo*) वर्णों का है।

क नाम (नात आदि क जैम आत्माराम, शिवशंकर, रामू आदि), भौगोलिक नाम (महासागर, सागर, खाड़ी, नदी, झील तालाब, महाद्वीप, द्वीप, अतरीप, प्रायद्वीप आदि) क सभ, दस प्रदश या प्रात, द्विविजन, सर्वद्विविजन, कमिन्तरी, जिना नदमीत परगना, गगर कम्बा ग्राम, मुहल्ना, स्टेशन सडक, गला, चौराहा तिराहा आदि क) लागो के मवाता क बेंगला के नाम, पुस्तकों क नाम, पत्र-पत्रिका-नाम क नाम तथ कविता, कहानी, नाटक रेखाचित्र, तथा चलचित्र के शीघ्र जाति, धम, गान क नाम, त्योहार के नाम, संस्थाओं के नाम, छापनाम [जस जशोक (बुड) सनसाइट (साबुन), कोकाकाला (पप), डालडा (वनस्पति घी), घुवगाड (चाय) नस (काफी) पाकर (कलम), मरफो आदि], ऋतुआ महीना तिथिया जिना क नाम तारा ग्रह उपग्रह राशि क नाम, भाषा-उपनामा बोली उपवाली क नाम—कहन का आशय यह कि सभी तरह क नाम आत ह

इन नामा क वर्गीकरण के आधार पर नामविज्ञान को कभी द्वा (व्यक्ति-नामविज्ञान तथा स्थाननामविज्ञान), कभी तीन [व्यक्तिनामविज्ञान, सामूहिक नामविज्ञान (जस जानि धम आस्पद, गान आदि क नामा का अध्ययन), भाषा-लिङ्गनामविज्ञान] तथा कभी और अधिक शाखाओं में बांटा गया है। वस्तुतः उपर्युक्त नामा का ठीक ठीक वर्गीकरण काफी कठिन है, इसी कारण अभी तक सवमम्मति या अनुमम्मति स नामविज्ञान की शाखाओं प्रशाखाओं क नाम स्वीकृत नहीं हुए हैं। या माट रूप स व्यक्तिनाम स्थाननाम, सामूहिकनाम तथा अन्य नाम—य चार वग मान जा सकते हैं।

नामविज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान में पर्याप्त काम हुआ है। अंग्रेजी वाड मय इस दृष्टि से काफी सम्पन्न है। गाडिनर की 'द थ्यूरी ऑफ प्रापर नम्ज', एकवल (Elwail) की 'द कसाइज आकमफड टिक्शनरी आफ इगलिश प्लेस नम्ज' तथा रनल एव अन्य लागो की 'द ओरिजिन ऑफ इगलिश प्लेस नम्ज' इस क्षेत्र में उल्लेख्य हैं। लदन की गलियों के नामों पर भी काम हो चुका है।

भारत में, नामविज्ञान रूप में शब्दविज्ञान की यह शाखा अभी अपनी प्रशवा कस्या में है, किंतु नामा के अध्ययन के प्रयाम अत्यंत प्राचीन काल से होते रहे हैं। नस्टन वाड मय में जनक प्रयो में यत्र-तत्र स्थान या व्यक्तिनामों की व्युत्पत्ति दन क प्रयाम हुए हैं। इस दृष्टि से यास्क का निरक्त प्राचीनतम उल्लेख्य ग्रथ है। उसमें पृथ्वी अग्नि, आदित्य, ब्रह्मानर आदि अनक देवी देवताओं तथा कम्बाज आदि कई स्थाननामों की व्युत्पत्तिया दी गई हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी, वात्मीकि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, ब्रह्मववत्त पुराण आदि में भी यत्र तत्र अच्छी सामग्री है।

आधुनिक काल में अंग्रेजों के आने के बाद इस दृष्टि से ठीक प्रयास हुए हैं। इस दिशा में सबप्रमुख उल्लेख्य ग्रथ विभिन्न जिना के गजेटियर हैं जिनमें नगरो कम्बो आदि के नामों पर काफी सामग्री है। कुछ अन्य प्रकार के ग्रथों

(जन ग्राउज वा मयुरा मेम्बॉयर' या प्रयाग, काशी, अयोध्या आदि तीर्थों पर धार्मिक दृष्टि से लिखी गई परिचयात्मक पुस्तिकाएँ) में भी कुछ नामग्री मिल जाती हैं। उन्नी प्रकार नामाभा के इतिहास पर लिखी गई पुस्तका में भी स्थाना और कहीं कहीं व्यक्तिनामों की व्युत्पत्ति पर थोड़ी बहुत सामग्री (जैसे सुनीति कुमार चटर्जी के 'ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेंगाली लन्विज' या वानीजात बावती के 'जसमीज, इट्स फार्मेशन एंड डेवलपमेंट में') है।

हिंदी में नामविज्ञान के क्षेत्र में धीरे-धीरे वर्मा का लेख अवध के जिला के नाम' (उनकी पुस्तक 'विचारधारा' में संकलित) प्रथम व्यवस्थित अध्ययन है। बाद में उन्ही के निर्देशन में वाय करके विद्याभूषण विष्णु ने हिंदी प्रदेश के हिंदी पुष्पा व नाम पर प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिन० की उपाधि ली। ग्रंथ 'अभिधान अनुशीलन' नाम से छप चुका है। राहुल साहृत्यायन व एन लम्बा लेख 'जिला आजमगढ़ के नामा का इतिहास' सम्मेलन पत्रिका (भाग 43, सद्या 1) में प्रकाशित किया था। मरयूप्रसाद अग्रवाल ने 'अवध के स्थाननामा का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन' पर लखनऊ विश्वविद्यालय से डी० लिट० तथा श्री प्रकाश कुल ने सहारनपुर जिले के स्थाननामों (a socio linguistic study of District Saharanpur place names) पर एक लक्ष्मीनारायण शर्मा ने 'ब्रज के स्थानाभिधाना का भाषावैज्ञानिक अध्ययन' पर आगरा से पी एच० डी० की उपाधि प्राप्त की है। श्री शर्मा जी ने एम० ए० के लिए लघु शोधप्रबंध भी इसी विषय (आगरा मुहल्ले के नामों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन) पर प्रस्तुत किया था। मुरादाबाद के स्थाननामों पर भी एक शोधप्रबंध डॉ० उपा चौधरी जा चुका है। प्रस्तुत पत्रिका के लेखक ने भी 'जमत पत्रिका (प्रयाग से प्रकाशित हिंदी दैनिक जो अब बंद हो चुका है) के कुछ अंकों में इस विषय पर कुछ लेख लिखे थे। इसी प्रकार प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'भाषाविज्ञान बोध' में विश्व की प्रमुख भाषाओं के परिचय में बहुता के नाम पर संक्षेप में विचार किया गया है। लेखक की दूसरी पुस्तक 'हिंदी भाषा' में हिंदी उर्दू आदि नामों पर काफी विस्तृत तथा हिन्दी प्रदेश की प्रमुख बोलियों के नामा पर संक्षिप्त सामग्री दी गई है। या हिंदी में ऐसे कार्यों का अभी श्रीगणेश ही हुआ है और काफी कार्य होना शेष है।

नामों का अपने आप में एक मनोरंजक अध्ययन तो है ही, और इसके माता के माता में हमारी जिज्ञासा की शांति तो होती ही है साथ ही इससे हमारे अध-विश्वास, प्राचीन इतिहास और संस्कृति, जाति मिश्रण तथा मनोविज्ञान आदि पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है।

भारत एक घन प्रधान देश है। इसीलिए यहाँ व्यक्तिनामा में रागभंग असी प्रतिशत नाम घन और दशन पर आधारित हैं शेष में अय प्रकार १ नाम हैं। स्थाननामा की आवश्यकता तो कभी कभार ही पड़ती है अतः उा का प्रभाव बहुत अधिक नहीं पड़ता, किंतु व्यक्तिनामा की

पडती है, अतः उन पर बहुत अधिक प्रभाव दृष्टिगत होता है। हमारे नाम समय के साथ बदलते रहे हैं। वैदिक काल से लेकर अब तक के नामों पर एक दृष्टि डालें तो यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती। प्राचीन वैदिक नाम बहुत अधिक धर्म प्रधान नहीं हैं किंतु परवर्ती काल में जैसे-जैसे धर्म के प्रति अध आस्था घटती गई धार्मिक नाम बढ़ते गए। बौद्ध और जन धर्म आए, तो उनके आधार पर भी नाम वरण किए जाने लगे (अमिताभ, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, राहुल, बुद्धदेव, ऋषभ, जिनेश्वर, जैनेन्द्र सुपाश्व)। आगे चलकर मुसलमानों के आगमन तक इसी प्रकार के नामों की सम्मिलित प्रवृत्ति विशेष रूप से चलती रही। मुसलमानों के आगमन ने अरब क्षेत्रों की भांति नामों पर भी प्रभाव डाला और राम गुलाम, राम इकबाल इज्जतमिह, उलफन राय मुसहीलाल, खुशीराम, हुसमत, खुशबख्त, मुशीराम बहराम हज़ूरसिंह, सुहराब, रस्तम, चुरशेद जम नाम हिंदुओं में भी काफी प्रचलित हो गए। अंग्रेज भारत में राजा तो रहे किंतु हमारी संस्कृति में प्रवेश न कर सके। इसी कारण स्वीटी, बेबी, रबी, सिली, डाली जैसे कुछ ही नाम विशेष मिलते हैं। इनमें भी प्रायः वास्तविक नाम न होकर पुकारने के नाम होते हैं। हाँ डिप्टीसिंह वृत्तानमिह जैसे कुछ नाम अवश्य हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के आय समाज आन्दोलन में भी नामों का बहुत अधिक प्रभावित किया शाना देवी, ओमवती, आमप्रकाश बदपाल, बदप्रकाश, वृत्तमित्र, वृत्तवदमणि। दश की जाजादी के लिए सभ्य और स्वराज्य की प्राप्ति में भी नामों पर अपनी छाप छोड़ी है नशराज, देशरत्न, भारत भूषण, भारत मित्र, स्वदेशी लाल, नातिकुमार, स्वतंत्रनारायण स्वराज्यपाल, सुदेशचंद, स्वदेश कुमार।

व्यक्ति नामों में सबसे मनोरंजक सामग्री अधविश्वास पर आधारित नामों में मिलती है। पीछे माताबदल, छेदी, बचू का उल्लेख किया जा चुका है। एम नाम अनपढ़ या कम पढ़े लिखे निम्न श्रेणी के लोगों के लिये विशेष रूप से मिलते हैं। कुछ नाम हैं खदेरन, खदेरू पवारू, घुरफेंकन, फेंकू लुटई, बदलू, घसीटू, घसीटेलाल खचेडू, छेदी, वनछेदी, छिद्दन, नत्थू नथुनी जोषू तुल्लू फेरू लौटू, बिककू बिकाळ बेचन बेचई, बेचू सौदू मालू बिसाळ, मांगू, मँगटू घुरहू, अलियार।

ये सारे के सारे मूलतः अधविश्वास पर आधारित हैं। एक सबसे बड़ा अधविश्वास तो यह है कि जिस अच्छी चीज सबको पसंद आती है वैसे ही अच्छा नाम रखने से वह सबका पसंद जाएगा अतः नाम पर नजर लग कर उस पर भी लग जाएगी और दूसरे, वह भगवान को भी पसंद आ जाएगा, अर्थात् मर जाएगा। इस कारण बहुत से अनपढ़ भारतीय अच्छे नामों की तुलना में बुरे नामों का पसंद करते रहे हैं।

उपयुक्त नाम मूलतः इस अधविश्वास पर आधारित हैं कि बच्चे को यदि पैदा होत ही घर से निकाल (खदेरन खचेडू) या बाहर फेंक (पवारू फेंकू) दें, घरे पर फेंक दें (घुरफेंकन) लुटा या किसी और के बच्चे से बदल दें (लुटई

फेर बदल) जमीन पर घसीट दें (घसीटू घसीटेलाल, खचेडू = जो खींचा गया हो) वान या नाक या दोना छे दें (छेनी कनछेदी, नकछेदी, नत्थू = जो नाथ दिया गया हो, नथुनी = नथ), पैदा होते ही तराजू पर तौन कर बेच दें (जोखू, तुल्लू वचऊ, सौदू मोलू, बिकाऊ, बिक्कू) या बदल दें (उदलू) ता वह दीर्घायु होता है। वृत्त से लोग, जिनके वच्चे बार बार मर जाते हैं, ऐसा करते रहे हैं, और इसी आधार पर ऐसे नाम रखते रहे हैं। बाद में परपरा चल जान पर ऐसी कोई क्रिया न करने पर भी लोग ऐसे नाम रखने लगे। अब शिक्षा के प्रचार के साथ एस नाम कम होते जा रहे हैं, और शायद शीघ्र ही वह समय आएगा जब ये नाम इतिहास की चीज बन जाएंगे।

पुराकालीन नामों का अध्ययन अपार सभावनाओं से भरा है। रामायण और महाभारत के बार में परंपरागत विश्वास यह है कि ये सागी की सारी घटनाएँ ऐतिहासिक हैं और इन दोनों काव्या के सभी पात्र ऐतिहासिक हैं। किन्तु इनके नामों के अध्ययन से विचिन सकेत मिलता है। कौरवों के नाम दुर्योधन, दुःशासन, दुःसह आदि हैं। कौन बाप अपने लड़के के ये नाम रखेगा? इसी प्रकार रामायण में रावण पक्ष के नाम कुम्भकण, मेघनाद, शूषणखा आदि भी वही बात कह रहे हैं। तो क्या ये कल्पित हैं?

महाभारत के कुछ पात्रों के नामों का अध्ययन कुछ विद्वानों ने किया है जिससे बड़े आश्चर्यजनक परिणाम निकलते हैं। यहाँ विस्तार से इस प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता। किन्तु निष्कर्षस्वरूप यह कहा जा सकता है कि पाँचों पांडव वस्तुतः सगे भाई नहीं थे। अर्जुन जाति के प्रतीक अर्जुन, बक जाति के प्रतीक भीम, यौधेय जाति के प्रतीक युधिष्ठिर तथा मद्र जाति के प्रतीक नकुल और सहदेव थे। इन चारों जातियों ने मिलकर पुष्प और भरत जातियों के मिश्रण कौरवों में युद्ध किया था (विस्तार के लिए देखिए महाभारत एक ऐतिहासिक अध्ययन—बुद्ध प्रकाश इलाहाबाद 1959)।

यह कम लोगों को पता है कि 'विनोबा भाव' का वास्तविक नाम विनायक भाव है। वे जब पहले-पहले गांधीजी के आश्रम में गए तो वहाँ पहले से एक पजावा नाम के सज्जन रहा करते थे। गांधीजी ने पजावा के सादृश्य पर इनको विनोबा कहना प्रारंभ किया और 'विनायक भाव' 'विनोबा भावे' बन गए।

अब तक हम लोग व्यक्तिगत नामों पर विचार कर रहे थे। स्थाननामों का अध्ययन भी कम उपयोगी और मनोरंजक नहीं है। नीचे कुछ नामों पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है।

'विहार' प्रात का नाम यहाँ पर बौद्ध विहारों के आधिक्य के कारण पडा है। अडमान द्वीप का पुराना नाम अगमान (अग बग का उल्लेख मिलता है) माना जाता रहा है। अब लोगों का विचार है यह नाम 'हनुमान' का विकसित रूप है। संभव है पहले यहाँ 'वानर' जाति के लोग रहते हों। उल्लेख्य है कि राम नाम सेना बंदरों की नहीं थी, यह 'वानर' नामक आदिवासियों की

पूजा के कारण या कुछ कुछ बदर-सा होने के कारण उह बदाचित् यह नाम दिया गया था। मध्य एशिया स्थित 'बुयारा' नगर का नामकरण वहाँ प्राचीन काल में बौद्ध विहारों के वाहन्य के कारण पड़ा है। इतिहास के विद्वानों का मत है कि बौद्ध धर्म किसी समय में वहाँ तक पला था। प्रस्तुत पवित्रता के लेखक का अपनी बुयारा-यात्रा में वहाँ काफी भग्नावशेष देखने को मिले जो भारतीय सम्पत्त के प्रमाण थे। एक प्राचीन घोंडहर पर तो स्वस्तिक का चिह्न भी मिला।

आसाम में मिटटी के तेल का प्रसिद्ध केन्द्र है 'डिगबोई'। इस नाम का मूल बड़ा जजोब है। कहा जाता है कि 'जसम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड' को डिगबोई से जाग रेलवे लाइन बनाने के समय उधर मिटटी का तेल होने का संकेत मिला। तेल के लिए खुदाई एक अग्रेज की देख रेख में शुरू हुई। खान वाले मजदूरों से वह अग्रेज 'डिग ब्याय डिग ब्याय' (खोदत जाओ, खानत जाओ) कहता था। यह 'डिगब्याय' मजदूर-मजदूर में वहाँ के मजदूरों की जमान पर चढ़ गया और वह स्थान डिगब्याय के आधार पर डिगबोई कहलान लगा।

प्राचीन काल में नगर, ग्राम, मुहल्ल आदि के नामों के साथ ग्राम पल्ली, क्षेत्र, प्रस्थ, स्थल, हट्ट, पुर, नगर पट्टन, मडप, चत्वर, चतुष्क आदि का प्रयोग होता था। मुस्लिम काल में कटरा, बाजार, बाड़ा, बूचा, गली, बाग, बस्ती, दरवाजा मोहल्ला दरवा, गन आदि प्रयोग शुरू हुए। अग्रेजों के समय में राड, गाडन मार्केट सिटी, गेट टाउन आदि जोड़े जाने लगे। इस श्रेणी का कुछ नाम बड़ दिलचस्प है। मुगलमानों के काल में भारत में 'गुलामों की बिक्री होने लगी थी। घोड़े का प्रचार भी बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हर अन्द्रे नगर में घोड़ा और गुलामों के बाजार लगा करत थे। अरबी भाषा में एक शब्द है नख्वास जिसका अर्थ होता है 'जानवर या गुलाम बेचने वाला'। भारतीय नगरों में वह स्थान जहाँ गुलाम और घोड़े बेचे जाते थे, इसी बाजार पर नख्वास कहलाए। आज भी गाज़ीपुर बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ जागरा, फर्रुखाबाद आदि अनेक नगरों में नख्वास, नख्वाय कोना या नख्वास मुहल्ला नाम के स्थान हैं। यों अब लोग भूल चुके हैं इनका अर्थ कि तु इनका विश्लेषण स्पष्ट करता है कि ये स्थान कभी गुलामों और घोड़ों के बिक्रय-स्थल थे।

इसी प्रसंग में दिल्ली के मुहल्ले 'मोरी गेट' का नाम लिखा जा सकता है। यह मुहल्ला मुसलमानी काल का है, और उस समय इसका नाम 'मारी दरवाजा था। 'मोरी' तुर्की भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है 'घोड़ा'। इस शब्द के अर्थ का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि तुर्कों के जमाने में इस स्थान पर घोड़े बिका करत थे। इसी प्रकार दिल्ली के 'उर्दू बाजार' को सामान्यतः लोग 'उर्दू भाषा की पुस्तकों का बाजार' समझते हैं। वस्तुतः उर्दू का मतलब है 'फौजी शिविर'। उर्दू बाजार मूलतः सैनिकों के लिए बाजार होने के कारण इस नाम से

अभिहित हुआ था।

यहाँ तक हमने स्थाननामा पर कुछ फुटबल रूप से विचार किया। स्थाननामों का पूरा और विस्तृत अध्ययन विस्तार से भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से नगर गाजीपुर के नाम का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

'गाजीपुर' या इससे मिलते जुलते नाम से, गाजीपुर नगर का कोई पुराना उल्लेख हमें नहीं मिलता। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान पटना से बनारस गङ्ग से हो गया हांगा किंतु उसने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। फाह्यान के प्रायः 200 वर्ष बाद ह्वेनसांग यहाँ गया था। उसके अनुसार इस प्रदेश का नाम चिन चू था। कहने की आवश्यकता नहीं कि चीनी भाषा में व्यक्तिवाचक नामों का भी अनुवाद कर लिया जाता है। 'चिन चू' का शाब्दिक अर्थ 'युद्ध के स्वामी का राज्य' होता है। इस आधार पर लोगों का अनुमान है कि उस समय इसका नाम कदाचित्त 'युद्धपतिपुर' था। बनिधम न 'चिन चू' के आधार पर उस स्थान का नाम 'गजपतिपुर' या 'गजपुर' होने का अनुमान लगाया है और 'गाजीपुर' इस विचार से गजपतिपुर या गजपुर का विगडा रूप है। फ्लीट ने भी इस मन का समर्थन किया है। किंतु पल्लव विद्वानों ने प्रायः इसे अशुद्ध माना है। नदनाल डे ने भी अपने भौगोलिक बोध में इसे अशुद्ध कहा है। डॉ० ह्योर्ड भी इसी मत के हैं। नविल के मतानुसार ह्वेनसांग का 'चिन चू' गाजीपुर जिले का 'उधरनपुर' है जिसका उस समय अनुमानित नाम युद्धरनपुर रहा होगा। आज का 'उधरनपुर' युद्धरनपुर का ही विगडा या विकसित रूप है।

गाजीपुर के नाम के सम्बन्ध में दूसरा अनुमान वहाँ के एक बड़े टीन या कोट से लगाया जाता है। गाजीपुर नगर से बिल्कुल लगा एक बहुत ऊँचा टीला है जिसे लोग गाजा गाधि का टीला कहते हैं। इस अनुमान पर लोगों का कहना है कि महर्षि विश्वामित्र के पिता राजा गाधि का यहाँ किला था और उहाँ के नाम पर उस नगर का प्राचीन नाम 'गाधिपुर' था। इस आधार पर 'गाजीपुर' 'गाधिपुर' का ही विकसित रूप ठहरता है। एक 'गाधिपुर' नाम का उल्लेख पुराणों में है किंतु वह कदाचित्त कन्नौज के पास था। कुछ लोगों के अनुसार 'कन्नौज' का ही पुराना नाम 'गाधिपुर' था।

'गाजीपुर' नाम के सम्बन्ध में एक और जनश्रुति भी है। कहा जाता है कि माघाता नाम के राजा एक बार जगन्नाथपुरी जा रहे थे। रास्ते में गाजीपुर जिले के कठौत गाव के एक तालाब में स्नान करने से उनकी इच्छा पूरी हो गई। इसके फलस्वरूप माघाता वहाँ खूब गए और एक किला बनाकर रहने लगे। उनके परिवार में किसी ने एक मुसलमान की लड़की पकड़ ली और फलस्वरूप उनकी विधवा माँ उस समय के मुसलमान बादशाह के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया और उनके यहाँ से चालीस गाजियों का एक समूह आया और राजा को मार डाला। गाजियों के इस समुदाय के नेता सईद मसऊद ने यहाँ के बागी हिन्दुओं को

तरह पीमा, जिससे फलस्वरूप उमे 'मलिक-उस-सदत-गाजी' की पदवी मिली।
उमन इम गाजी उपाधि व उपलक्ष्य म ही 'गाजीपुर' का शहर बनाया।

यह जनश्रुति कुछ साधारण मालूम हानी है। 'गाजीपुर' नाम निश्चय ही
किमी मुसलमान का बसाया या बसाये बस उनसे नाम पर रखा जात हाना है।
गाजी शब्द किमी पुरान गस्त्रुत शब्द का (जम गाधि बा) बिगडा रूप नहीं हो
सकना। बिगडे रूप म 'ग' और 'ज' जैसी विदेशी ध्वनि आने की प्रवृत्ति प्रायः
नहीं मिलती। यह 'ए' और घात की ओर भी ध्याया जाता है। ह्वेननाग के
अनुसार इसका नाम 'चेन चू' या जिसका अर्थ 'लडाई के स्वामी का प्रदेश' या
'लडाई करने वाले का प्रदेश' है। आश्चर्य के साथ कहना पडता है 'गाजी' का
भी शाब्दिक अर्थ यही है। 'गाजी' शब्द अरबी का है। इसका सम्बन्ध अरबी
शब्द गज्युत से है जिसका अर्थ लडना होता है। अरब में इसी आधार पर बड़े
धमपुडा का 'गजवा' तथा छोट के 'सरिया' कहते थे। इसका अर्थ तो यह हाता
है कि ह्वेननाग के समय में भी इसका नाम 'गाजीपुर' ही था। पर यह समभव
नहीं लगता। उसका समय 5वीं सदी है और इस प्रकार की घटना घटन का समय
एक हजार इसवी के आस पास। अतः यह अर्थक्य आकस्मिक हो सकता है।

यो एक सम्भावना यह भी हो सकती है कि इसका पुराना नाम भी इसी प्रकार
का कुछ रहा हो और मुसलमानी काल में यह नया नाम दे दिया गया हो या
उसी का मुसलमानीकरण कर दिया गया हो। आश्चर्य है कि इसे गाजियाबाद
(गाजी + आबाद) नहीं कहा। वस्तुतः मुसलमानी काल में मिश्रित नाम भी
बाफी रहे गए थे—बादशाहपुर, बेगमपुर, मुलतानपुर।

नामों के अध्ययन से तरह-तरह की सूचनाएँ मिलती हैं। 'व-दावन' कहा
है कि कभी वहाँ जंगल था। व्रज का महावन स्थान भी अपने वारे में यही सकत
करता है यद्यपि अब वहाँ वन बिलकुल नहीं हैं। 'मिर्जापुर' स्पष्ट ही मुसलमानी
शासन काल का नाम है। इधर भारतीय संस्कृति के बहुत से तथाकथित प्रेमी उसे
'मीरजापुर' कहने और लिखने लगे हैं। उनका कहना है कि 'मीर' का अर्थ है
समुद्र और 'जा' का अर्थ 'उत्पन्न'। अर्थात् यह 'मिर्जा' नहीं है, अपितु 'मीरजा'
अर्थात् 'लक्ष्मी' है और इस तरह 'मीरजापुर' का अर्थ है 'लक्ष्मीपुर'। कहना न
होगा कि यह शब्द इन प्रयोक्ताओं के मनोविज्ञान का अच्छा उद्घाटन कर रहा
है। बनारस का पुन 'वाराणसी' या 'अलकौंडर' का 'अलक्षेत्र' कर देने वालों
का मनोविज्ञान भी इससे बहुत भिन्न नहीं है।

वाराणसी नाम स्पष्ट कहता है कि मूलतः यह नगर गंगा के 'असी घाट तथा
'वरुणा नदी के बीच में स्थित था।
अतः म दो शब्दों की कहानी देखकर हम यह प्रकरण समाप्त करेंगे।

सिनहा

हिंदी का एक बहुत प्रचलित शब्द है 'सिनहा' जिसे कुछ कायस्थ अपने

नामो के साथ लगाते हैं। मूलतः यह शब्द संस्कृत भाषा का 'हिंस्र' है जिसका सम्बन्ध 'हिंस्र' धातु से और जिसका अर्थ है 'खूँखार' या 'हिंसा करने वाला'। आगे चलकर वणविषय से यही शब्द हिंस्र 'सिंह' बन गया ('र'का लोप) जो शेर का संस्कृत पर्याय है। सिंह अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, अतः प्रारम्भ में क्षत्रियों ने प्रतीकस्वरूप इसका प्रयोग अपने नामो के साथ आरम्भ किया, और धीरे-धीरे यह क्षत्रियाँ या राजाओं के नाम के साथ प्रयुक्त होने लगा। साहित्य में प्राप्त सबसे प्राचीनतम प्रयाग अमरसिंह के अमरकोश में 'शाक्यसिंह' रूप में मिलता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि पहली ईसवी के आस पास यह प्रयोग में आ चुका था। आगे चलकर यह केवल क्षत्रियों तक सीमित नहीं रहा कोई भी राजा जाट गुजर, अहीर आदि तथा यो भी अपने को वीर समझने वाले इसका प्रयोग करने लगे। राजस्थान के बहुत से ब्राह्मण अपने नाम के साथ 'सिंह' लगाते हैं। अपने इसी प्रचार में यह कायस्थों के नामों के साथ भी प्रयुक्त होने लगा। अंग्रेजी भाषा के प्रचार के बाद कुछ 'सिंह' लोगों ने अपने 'सिंह' की बतनी अंग्रेजी में SINHA की जिसे इस शब्द से अपरिचित अंग्रेजों और अन्य लोगों ने 'सिनहा' पढ़ा। प्रारम्भ में ऐसा कदाचित अंग्रेजी से कायस्था के नाम के साथ हुआ, अतः वही 'सिनहा' कहलाए। आश्चर्य है कि 'हिंस्र' शब्द की यात्रा की परिसमाप्ति 'सिनहा' में हुई है।

हिन्दी

'हिन्दी', 'हिन्दू', 'हिन्दुस्तान' मूलतः 'हिन्दु' शब्द से सम्बन्धित हैं। प्रश्न यह है कि इस 'हिन्दु' का मूल क्या है ?

हमारे परम्परावादी संस्कृत-पण्डित मूल शब्द 'हिन्दु' मानते हैं। इसकी व्युत्पत्ति कई प्रकार से दी जाती है। कुछ लोग 'हिन' (= नष्ट करना) + 'दु' (= दुष्ट) से हिन्दु मानते हैं। अर्थात् 'हिन्दु' का अर्थ है 'दुष्टों का विनाश करने वाला (हिनस्ति दुष्टान्)। 'शब्दकल्पद्रुम' (खण्ड 5, 1961) में 'हीन + दुष्ट + दु' से 'हिन्दु' सिद्ध किया गया है। इस दृष्टि से 'हिन्दु' का अर्थ हुआ 'हीन या आछा का दूषित करने वाला' हीन दूषयति। 'महानत्र' के 23वें प्रकाश में शंकर, पापती ने कहते हैं —

हिन्दुधमप्रलोप्तारो जायते चक्रवर्तिनः ।

हीनञ्च दूपात्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रिये ॥

अर्थात् हीनों को दूषित करने वाला 'हिन्दु' है। यहाँ 'हीन' का अर्थ कुछ लोग 'म्लेच्छ' आदि विदेशी मानते हैं। 'महानत्र' को प्रायः परम्परावादी पण्डित प्राचीन ग्रन्थ समझते हैं, किन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है। इसमें फिरगी शब्द का प्रयाग मिलता है जिससे स्पष्ट है कि यह बहुत बाद का ग्रन्थ है और यूरोपीयों के भारत में आने पर लिखा गया है।

हिन्दु पी एन तीमरी व्युत्पत्ति हीन—दु [हीनो (म्लेच्छो) का दान या

दण्डित करन वाला] से भी मानी गई है। 'हिन्दु' की एक चौथी व्युत्पत्ति है— 'यो हिमाया द्रुपत, स हिन्दू' अर्थात् हिमा को देखकर जो दुर्घी हात है, वे हिन्दू हैं।

वस्तुतः उपर्युक्त चारों व्युत्पत्तियाँ कल्पनाप्रसून हैं। 'हिन्दु' शब्द 'ह' क साथ सस्कृत पाद नहीं है। उक्तम्प है कि किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। मुझे इसका प्राचीनतम प्रयोग सातवीं मदी के अंतिम चरण क ग्रन्थ 'निशीथ चूर्ण' में मिला है।

आधुनिक विद्वानों द्वारा स्वीकृत एक प्रायः मवमाय मत यह है कि 'हिन्दु' शब्द फारसी भाषा का है। यो फारसी का यह अपना शब्द नहीं है अपितु संस्कृत शब्द 'सिधु' का फारसी रूपान्तरण है। प्रश्न उठता है कि 'सिधु' की व्युत्पत्ति क्या है? संस्कृत के अधिकांश वैयाकरण इसका सम्बन्ध 'स्यद्' धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ ह पसीजना द्रवना, खयित होना। इसी स, य' के सम्प्रसारण, 'दस्य ध', तथा 'उद' प्रत्यय के योग में 'सिधु' शब्द बना है, जिसका अर्थ नगी विशेष तथा समुद्र आदि है। हाथी के गण्ड-स्थान से मद बहने के कारण उम भी 'सिधु' या 'सिधुर' आदि कहा गया है। इस प्रकार इसका मूल अर्थ 'वर्तन' है।

'सिधु' की एक दूसरी व्युत्पत्ति संस्कृत की 'इद्' धातु से मानी गई है। 'इद्' का अर्थ हाता है 'पेशवर्ष हाना'। संस्कृत का 'इद्' शब्द भी इसी में सम्बद्ध है। ग्रासमान, रॉय आदि विद्वान् 'इद्' को मूलतः 'इध' या 'इघ' मानते हैं, यद्यपि वेनफे तथा कुछ और विद्वान् 'इद्' को भी मूलतः 'स्यद्' से ही निम्नतः मानते हैं। 'इद्' या 'स्यद्' से ही स्लाव शब्द 'इद्र', स० 'इद्र अवेस्ता 'जर्ह' (जिदा, जिदगी) आदि सम्बन्धित है। 'सिधु' शब्द की 'इद्' या 'इघ' में सम्बद्ध मानने वाले उस नदी में पेशवर्ष या उमकी जीवन शक्ति पर चल दत हैं। मोनियर विलियम्स 'सिधु' शब्द की 'सिध' (= जाना) धातु से निकला होना का अनुमान लगाते हैं।

प्रस्तुत पवित्रयो का लेखक उपयुक्त मतों से सहमत नहीं है। य सब पुरानी धातुएँ तो ठीक हैं, किन्तु मेरी निजी राय यह है कि इम नदी विशेष का 'सिधु' नाम, मूलतः संस्कृत का शब्द नहीं है। जब आर्य भारत में आये उस समय पश्चिम मोत्तर भारत में आर्योत्तर लोग रहते थे, और ये लोग पर्याप्त सुसंस्कृत थे। ऐसी स्थिति में यह म्त्राभाषिक है कि 'सिधु' नदी का कोई नाम इन आर्योत्तर लोगों द्वारा प्रयुक्त हाता रहा होगा। प्रायः ऐसा होता भी नहीं कि कोई विदेशी जाति किसी देश में आये और वहाँ के सारे क सारे नामों को बदल डाले, विशेषतः ऐसी स्थिति में जब कि वहाँ के रहने वाले असम्प नहीकर सुसंस्कृत हों। हाँ नवान्तुक ऐसी नदियों या ऐसे पहाड़ों आदि के नाम तो बदल सकते या रख सकते हैं, जिनको अधिक लोग नहीं जानते, किन्तु पश्चिमोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी के सम्बन्ध में, जिसकी घाटी में इतनी बड़ी संस्कृति थी, उनको ऐसा करना पडा

हो या उहोने ऐसा किया हो, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दीखता¹। ऐसी स्थिति में कम-से-कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह शब्द मूलतः द्रविड भाषा का है। यो, यह भी असम्भव नहीं कि द्रविड लोग जब भारत में आये हो तो उह भी यह नाम आस्ट्रिक आदि किसी अथपुरानी जाति से मिला हो। साथ ही यह भी सम्भव है कि आर्यों के आने के समय इस नदी का जो नाम प्रचलित रहा हो, आर्यों ने 'सिंधु' रूप में उसका संस्कृत रूप बना लिया हो, क्योंकि शब्दों के संस्कृतीकरण की परम्परा आर्यों में प्राचीनकाल से मिलती है। उहोने अनेक देशी विदेशी नामा ('एलेग्जेंडर' के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'अलकद' आया है) एवं शब्दों के साथ ऐसा किया है। 'सिड' 'मिद', 'सिद्' या 'चिद' आदि रूपों में, द्रविड परिवार की कई भाषाओं में एक अत्यंत प्राचीन धातु मिलती है, जिसका प्रयोग 'छिडकने', 'सीचने' या 'बहने' आदि के लिए होता है। मेरा अनुमान है कि द्रविडों को यह शब्द यदि किसी पुरानी जाति से नहीं मिला था, तो इसी धातु के आधार पर प्राचीन द्रविडों ने इस बड़ी नदी (सिंधु) को 'सिद' या 'सिद्' नाम दिया। यह नाम इसमें बहते हुए बहुत अधिक पानी के कारण भी हास्यता है या इस कारण भी हो सकता है कि इनकी सम्यता का उस काल में मूल क्षेत्र (सिंधु की घाटी) जो था, इसी से सींचे जाने वाली भूमि पर बसा था। नदी ही नहीं, मेरे विचार से तो, नदी के आधार पर आसपास के प्रदेश का भी तात्कालिक नाम कदाचित् 'सिद' या 'सिद्' ही था। सन् 1928-29 में पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त कुछ अभिलेखों से यह पता चलता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोगों के स्थान का नाम उस काल में 'सिद्' या 'मिद्' था²। इससे मेरे उक्त अनुमान की पुष्टि होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि संस्कृत में इस नदी या प्रदेश के लिए 'सिंधु' शब्द वस्तुतः संस्कृत शब्द न होकर प्राचीन द्रविड शब्द 'सिद्' या 'सिद्' का ही संस्कृतीकृत रूप है, जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है। ज्ञान की वर्तमान परिधि में 'सिंधु' शब्द को और पीछे तक ले जाना सम्भव नहीं। किंतु यह असम्भव नहीं कि भविष्य में और प्रमाणों के मिलने पर इसे आस्ट्रिक या और किसी प्राचीन भाषा का शब्द सिद्ध किया जा सके।

द्रविड 'सिद' या 'मिद' के आधार पर संस्कृतीकरण के द्वारा बने इस 'सिंधु'

- 1 गंगा का भी संस्कृत में पण्डित संस्कृत रूप मानते हैं तथा सम्यत ब्रह्मन्मनया गच्छताति वा गम्+गन+टाप् रूप में उसकी व्युत्पत्ति देने हैं। किन्तु भव यह प्रायः स्वाहृत तत्त्व है कि यह शब्द मूलतः संस्कृत का नहीं है और भारत के प्राचीन निवासियों से ही यह आर्यों को मिला है।
- 2 जर्नल ऑफ़ ओरियण्टल रिसर्च मद्रास प्रक. II पृष्ठ 2-6
- 3 प्राचीन चानी साहित्य में शिन्धु (परवर्ती साहित्य में 'सिन्धु') को देवा का देश कहा गया है यह भी सिंधु ही है। भारत में भारत के लिए प्राचीनतम नाम मानसिन्धि (मयनवे) है। भारतवर्ष (महाभारत) भारत (विष्णुपुराण) भरत खण्ड जम्बवन्धप (वीरशाय) तथा कुमारवन्धप (परवर्ती पुराण) बाद में मिलते हैं। हिन्द पर आधारित

शब्द का भारतीय साहित्य में प्रथम प्रयोग 'ऋग्वेद' में मिलता है। 'ऋग्वेद' में इसका प्रयोग सामान्य रूप से नदी (भात्वक्षसो अत्यक्नुन सिध्वोऽग्ने 1 143 3 आदि), नदी विशेष (10 75) तथा कदाचित नदी के आम पास के प्रदेश (2 8 96) के लिए हुआ है। जो जल-देवता आदि अथ अथ भी हैं जो मूल अथ से बहुत दूर नहीं हैं। प्रदेश विशेष के अथ में वाद में यह 'महाभारत' तथा परवर्ती काव्य ग्रंथों में भी आता है। 'ऋग्वेद' में 'सप्तसिध्व' (सात नदियाँ) तथा 'सप्तसिध्वु' आदि भी मिलते हैं।

जार्जों के भारत-आगमन के पूर्व भी भारत से ईरान का सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध रहा है, जसा कि ज्योतिष, पौराणिक कथाओं तथा अथ क्षेत्रों में आपसी प्रभावों से स्पष्ट होता है। जार्जों के भारत आगमन के बाद यह सम्पर्क सगोत्रीय होने के कारण कदाचित और अधिक बढ़ गया। 500 ई० पू० के आस-पास द्वारा प्रथम के काल में सिधु नदी के आसपास का प्रदेश ईरानी लोगों के हाथ में था। इन्हीं सम्पर्कों के साथ भारत से ईरान तथा ईरान से भारत में याजक आया जाया करते थे। शकद्वीप के मग ब्राह्मण (जो भारत में शाकलद्वीपी ब्राह्मण कहलाए) फारस के पूर्वोत्तर भाग से ही आकर यहाँ बसे। कदाचित याजकों के साथ हमारे 'सिधु' और 'सप्तसिध्व' आदि शब्द भी ईरान पहुँचे। हमारी प्राचीन 'सिध्वनि' ईरान की अवेस्ता आदि में 'ह' उच्चारित होती रही है जैसे स० 'सप्त', अवेस्ता 'हपत', स० 'असुर', अवेस्ता 'अहुर' आदि। इसी कारण ये 'सिधु' और 'सप्तसिध्व' आदि शब्द अवेस्ता में 'हिदु' (अवेस्ता में महाप्राण ध्वनिया नहीं होती, अतः 'ध' का 'द' हो गया है) और 'हपतहिदव' आदि रूप में मिलते हैं। प्राचीन ईरानी माहिथ में 'हिदु' शब्द नदी के अथ में तो प्रयुक्त हुआ ही है साथ ही सिधु नदी के पास के प्रदेश के अथ में भी प्रयुक्त हुआ है। उस समय ईरान वालों के पास भारत की भूमि के लिए केवल वही एक शब्द था अतः धीरे धीरे ईरानी भारत के जितने भी भाग में परिचित होते गए, उस वे इसी नाम से अभिहित करते गए। इस प्रकार किसी अथ शब्द के अभाव में इस शब्द का अथ विस्तार होता गया और 'सिधु' नदी के पास की भूमि का वाचक शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। ईरानी सम्राट दारा (प्राचीन रूप दारयवहु स० धारयदवसु) के अभिलेखों में 'भारत' के लिए 'हिदु' आया है। सूसा के राजमहल के अभिलेख में आता है 'पिरुह्या इदा श्रत हचा कुण उता हिदोय उता हचा हरउतिया अपरिय, धर्थात राजमहल के अभिलेख में हाथीपत्त जिस पर यहाँ काम किया गया कुश (सम्भवत अवी-सीनिया) हिदु (भारत) और हरह्वती (स० सरस्वती) काचित सीमा प्राप्त) से लाया गया। अवेस्ता ग्रंथ 'वदीदाद' (1 18) में हत्त हिदु (सप्त सिधु) को

नाम भारत में प्रथम बार का मिलता है, जतः अथ निगाय चूणि में एहि हिदुगैय दध्याप्रो रूप में (7 वा सती अन्तिम चरण) में आता है।

सोलह पवित्र स्थानों में एक माना गया है। 'यस्न' (57 29) में भी 'हिंदु' शब्द भारत के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन ईरानी साहित्य में 'हिंदुश' (यूनानी शब्द Indos यही है), हिंदु हिंदुवअ (स० सिधुव्य=सिधुवासी) आदि अनेक अर्थ प्रयोग भी मिलते हैं। 'हिंदु' शब्द में धीरे धीरे अर्थ सम्बन्धी विकास ('सिध प्रदेश' से बढ़कर 'भारत') तो हुआ ही, साथ ही इसमें ध्वनिव विकास भी हुआ और इसमें 'हि' पर बलाघात होने के कारण अर्थ 'उ' लुप्त हो गया, और इस प्रकार यह शब्द 'हिंद' हो गया। आगे चलकर 'हिंद' शब्द में ईरानी के विशेषणार्थक प्रत्यय 'ईक' जुड़ने से 'हिंदीक'¹ शब्द बना जिसका अर्थ था 'हिंद का'। इसी 'हिंदीक' का विकास ('क' के लुप्त हो जाने के कारण) 'हिंदी' रूप में हुआ। इस प्रकार 'हिंदी' का मूल अर्थ है 'हिंद का' या 'भारतीय'। इस अर्थ में 'हिंदी' शब्द का प्रयोग मध्यकालीन फारसी तथा अरबी आदि में अनेक स्थानों पर हुआ है। उदाहरणार्थ अरबी में 'तमर' का अर्थ है 'सूखा खजूर'। इससे कुछ मिलते जुलते होने के कारण उन लोगों ने 'इमली' को (जिसका परिचय उर्दू भारत से ही प्राप्त हुआ था) 'तमर हिंदी' या 'तमर ए हिंद' कहा। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने के अतिरिक्त 'हिंदी' शब्द सज्ञा रूप में भी बहुत सी भाषाओं में प्रयुक्त होता रहा है उदाहरणार्थ फारसी तथा अरबी में 'हिंदी' शब्द का प्रयोग विशेष प्रकार की तलवार के लिए (जो भारतीय इस्पात की बनी होती थी या भारत से जाती थी) तथा तलवार के वार के लिए भी होता रहा है। मिस्र में मनुमल (जो भारत से जाती थी) के लिए 'हिंदी' शब्द चलता रहा है। भारतीयों के काला हाने के कारण फारसी में 'हिंदू' का अर्थ 'काला' भी है। कभी भारतीयों से उनकी अनबन भी थी, इसी कारण फारसी में 'हिंदू' के अर्थ अर्थ 'ढाकू' भी है।

भाषा के लिए 'हिंदी' शब्द के प्रयोग का इतिहास भी फारसी और अरबी से ही आरम्भ होता है। छठी सदी ईसवी के कुछ पूर्व से ही ईरान में 'जान-हिंदी' का प्रयोग भारत की भाषाओं के लिए होता रहा है। इस दृष्टि से कुछ उदाहरण उल्लेख्य हैं (1) ईरान के प्रसिद्ध बादशाह नौशेरवाँ (531-579 ई०) ने अपने दरबार के प्रमुख विद्वान हकीम बजरोया को 'पञ्चतन्त्र' का अनुवाद कर लाने के लिए भारत भेजा था। बजरोया ने यह काम पूरा किया। 'ककटक और दमनक के आधार पर उसने इस अनुवाद का नाम 'कलीला व दिमना' रखा। इसकी भूमिका नौशेरवाँ के मंत्री बुज्ज मिहर ने लिखी। भूमिका में अर्थ बातों के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि यह अनुवाद जबाने हिंदी से किया गया है। यहाँ स्पष्ट ही जबाने 'हिंदी' का प्रयोग 'भारतीय भाषा' या 'संस्कृत' के

1 यही 'हिंदीक' शब्द अरबी से होता, ग्रीक में इंदिक इंदिका लटिन में इंदिया तथा अरबी आदि में इण्डिया हुआ। चीनी साहित्य में कभी कभी प्रयुक्त इतुको भी यही है।

2 यहाँ शब्द अरबी में टमरिण्ड (Tamarind=इमली) है।

लिए है। (2) इस पहलवी अनुवाद से इस पुस्तक के अरबी गद्य तथा पद्य में कई नामा से कई अनुवाद हुए। 9वीं सदी तक के प्रायः सभी अनुवादों में मूल पुस्तक को 'जवाने हिंदी' का कहा गया है। उदाहरणार्थ 700 ई० के आस-पास में किए गए अब्दुल्ला इब्नुल मुकफ्फा के अनुवाद में, इब्ने मकना के अनुवाद में तथा 'जाविदाने खिरद नाम से 813 ई० में इब्ने सुहैल द्वारा किए गए अनुवाद में।

(3) 'महाभारत के भी कुछ भागों का रूपांतर पहलवी भाषा में 7वीं सदी में किया गया था। उसमें भी मूल भाषा को 'जवाने हिंदी' कहा गया। (4) 1227 ई० में मिनहाजुस्सिराज भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक 'तज्कते नासिरी' में लिखा है कि 'जवाने हिंदी में 'बिहार' का अर्थ 'मदरसा' है। स्पष्ट ही यहाँ 'जवाने हिंदी का प्रयोग संस्कृत के लिए न होकर या तो मामाया भारतीय भाषा के अर्थ में है, या फिर भारत के मध्य भाग की भाषा (कदाचित् हिंदुवी) या हिंदी) के लिए। (5) 1333 ई० में इब्ने बतूता अपने 'रेहला इब्ने बतूता' में तारन नगर के सम्बन्ध में लिखता है— 'किताबत अला वाज अलजदरात विल हिंदी अर्थात् कुछ दीवारों पर हिंदी में लिखा था। भाषा के अर्थ में स्वतंत्रत 'हिंदी' शब्द का विदेशों में यह कदाचित् प्राचीनतम प्रयोग है यद्यपि यह नाम आज की हिंदी के लिए न होकर संस्कृत के लिए है। (6) तमूर लंग के पीते के काल में (1424 ई०) शरफुद्दीन यस्नी ने तमूर और उसके परिवार के सम्बन्ध में 'जफरनामा नामक ग्रन्थ लिखा। इसमें एक स्थान पर आता है कि 'राव हिंदी शब्द है। विदेशों में हिंदी भाषा के लिए 'हिंदी शब्द का सम्भवतः यह प्रथम प्रयोग है।

भारतवर्ष में भी भाषा के अर्थ में 'हिंदी शब्द' के प्रयोग का प्रारम्भ मुसलमानों द्वारा ही किया गया। भारतीय परम्परा में प्रचलित भाषा' के लिए प्राचीन काल से ही 'भाषा' शब्द का प्रयोग होता आया है। इसका प्रयोग क्रम में संस्कृत, प्राकृत तथा बाद में हिंदी आदि के लिए हुआ। यहाँ कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं— सो देव के बनमाली शिष्याथ भाषा टीका की है (1438 ई० में लिखित भास्वती की भाषा-टीका), संस्कृत कविरा कूप जल भाषा वहता नीर' (कवीर) आदि अतः जति कथ्या अहै लिखि भाषा चौपाई कहै' (जायसी) 'भाषा भवति मोर मति घोरी, 'भाषा निवद्ध मति मजुल (तुलसीदास), भाषा बोल न जानही जेहि के कुल के दास (वेशवदास)। संस्कृत आदि के ग्रन्थों की हिन्दी टीकाओं में भाषा-टीका रूप में भी यह शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। रामप्रसाद निरञ्जनी वृत्त भाषा योगवासिष्ठ' (1741 ई०) 19 फरवरी 1802 को फोटो उक्त कालिज के काण्डों में 'भाषा मुशी की माँग की स्वीकृति तथा सल्लू लास की विलियम कालिज द्वारा 'भाषा मुशी वह जान से पता चलता है कि हिन्दी के लिए 'भाषा' शब्द का प्रयोग आधुनिक काल तक चलता रहा है। संस्कृत के टीका ग्रन्थों में तो यह अर्थ भी चल रहा है। पुरानी पीढ़ी के पण्डित हिन्दी-टीका न कहकर 'भाषा-टीका' ही कहते हैं।

मुसलमान यहाँ आये तो यहाँ की भाषा को 'जवानी हिंदी' कहने लगे। उनका विशेष सम्बन्ध मध्यदेश से था, अतः धीरे-धीरे मध्यदेशीय बोली के लिए उन्होंने 'जवा हिंदी' या 'हिंदी जवान' या 'हिंदी' नाम का प्रयोग किया। आरम्भ में इस नाम के अतः पञ्जाबी (कम से कम पूर्वी) भी कदाचित् आती थी।

'हिंदी' नाम का भारत में प्रथम प्रयोग कब और किसने किया, यह अभी तक अनुमान का विषय है। प्रायः यही कहा जाता है कि अमीर खुसरौ की रचना में सबसे पहले 'हिंदी' शब्द हिंदी भाषा के लिए मिलता है। वस्तुतः भाषा के अर्थ में खुसरौ में 'हिंदी' शब्द का प्रयोग सदिग्ध है। हाँ उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग 'भारतीय मुसलमानों' या 'भारतीय' (इलिअट 3 8 539) के लिए किया है। यहाँ बहुत विस्तार से इस विषय को लेना सम्भव नहीं है, किंतु संक्षेप में कुछ बातें कही जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा तर्क तो यह दिया जाता है कि खुसरौ लिखित 'खालिक्वारी' में 'हिंदी' शब्द कई बार आया है। किंतु कुछ के अनुसार 'खालिक्वारी' खुसरौ की रचना नहीं है, वह खुसरौ के बहुत बाद के किसी खुसरौ शाह की रचना है। इसके लिए कई तर्क दिये जा सकते हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं (क) अमीर खुसरौ जैसे विद्वान की रचना यदि 'खालिक्वारी' होती तो वह पर्याप्त व्यवस्थित होती, जबकि 'खालिक्वारी' बहुत ही अव्यवस्थित है। कभी फारसी शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्दादि दिये गये हैं, तो कभी वाक्यों के समानार्थी वाक्य। भाषा सीखने की दृष्टि से भी इन वाक्यों या शब्दों में कोई एकरूपता नहीं है। जो शब्द लिये गये हैं, उनमें सब ऐसे नहीं हैं जिनको भाषा के प्रारम्भिक ज्ञान के लिए आवश्यक समझा जाय। साथ ही, प्रारम्भिक ज्ञान के लिए बहुत से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्द छूट भी गये हैं। जो वाक्य दिये गये हैं वे भी तुक या छन्द बँटाने की दृष्टि से लिये गये ज्ञात होते हैं। भाषा के प्रारम्भिक ज्ञान की दृष्टि से उनका कोई विशेष मूल्य नहीं है। कारक, काल रचना आदि की दृष्टि से भी वे महत्त्व नहीं रखते। (ख) छन्दों का बिना किसी योजना के परिवर्तन और कहीं कहीं उनमें अप्रवाह या दोष भी 'खालिक्वारी' को कविवर खुसरौ की रचना मानने में व्याघात उपस्थित करते हैं। (ग) बीच में आता है— 'तुर्की जानी ना'। तुर्की का विद्वान् खुसरौ यह लिखे कि उस अमुक शब्द की तुर्की उस नहीं आती, यह बात कल्पनानीत है। जो सभी शब्दों के लिए तुर्की शब्द दिये भी नहीं गये हैं। अतः एना कथन निरर्थक-सा लगता है। यह बात भी खालिक्वारी को अमीर खुसरौ में सम्बद्ध करने में अड़चन डालती है। (घ) शब्दों की गलतियाँ भी हैं। 'हिंदी काना' के लिए फारसी 'कोर' दिया गया है जबकि 'कोर' का अर्थ 'अधा होता है। निदब', 'कुवक' और 'हस' को एक माना है, जबकि तीनों अलग-अलग हैं। 'तीतर' के लिए एक म्यान पर 'दुराज' तथा 'अयत्र लगलग' दिया गया है। 'खालिक्वारी' से इस तरह की अनुद्धियों के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। ऐसी भद्दी गलतियाँ खुसरौ नहीं कर सकते और न ऐसी कम योग्यता के आदमी को, जसा कि 'खालिक्वारी' का लेखक लगता है, गयासुद्दीन तुगलक

अपने लडको को हिन्दी पढाने के लिए ऐमा कोश बनाने का आदेश ही दे सकत थ। (कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बहन से अमीर खुसरो ने उनक लडको को हिन्दी पढाने के लिए इसे बनाया था।) उपर्युक्त बात का देखते हुए यह कहना उचित नहीं लगता कि 'खालिक्वारी' खुसरो की रचना है। ऐसी स्थिति में हिन्दी शब्द का खुसरो द्वारा प्रयोग 'खालिक्वारी' के आधार पर नहीं माना जा सकता। दूसरे प्रमाण के रूप में खुसरो का एक वाक्य उद्धृत किया जाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने फारसी के साथ-साथ हिन्दी में भी चन्द नज़्मे कही है ('जुज़्ज चन्द नज़्मे हिन्दी नीज़ नज़्जे दोस्ता करदा शुदा अस्त') वस्तुतः यह वाक्य उनके किसी भी प्रामाणिक सस्वरूप में मुझे नहीं मिला। 'देवल देवी खिच्च खा' मसनवी में कुछ लोगो ने उद्धरण दिये हैं, किन्तु वहाँ भी मूलतः 'हिन्दुवी' का प्रयोग है न कि 'हिन्दी का। इसके अतिरिक्त खुसरो द्वारा भाषा के अर्थ में 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग का कोई अर्थ प्रमाण देखने में नहीं आया। जो भाषा के अर्थ में 'हिन्दुवी' या 'हिन्दुई' शब्द का प्रयोग खुसरो ने कई स्थलों पर मिलता है। एक स्थान पर वे कहते हैं—'तुक हिन्दुस्तानियम मन हिन्दवी गोयम जवाब' अर्थात् मैं हिन्दुस्तानी सुक हूँ, हिन्दुवी में जवाब देता हूँ। उनकी मसनवियों में भी यह शब्द एकाधिक स्थलों पर आया है। इस प्रकार खुसरो के द्वारा 'हिन्दी' नाम के प्रयोग की बात बहुत प्रामाणिक नहीं ज्ञात होती। हाँ यह अवश्य है कि उनके कुछ ही बाद इस शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग हो गया था।

यह प्रायः कहा जाता है कि 'हिन्दी' और 'हिन्दवी' शब्दों का एक ही अर्थ था और ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते थे। किन्तु मुझे यह बात ठीक नहीं ज्ञात होती। एक ही भाषा के लिए बिना किसी विशेष कारण के दो नामों का साथ-साथ प्रयुक्त होना और बिल्कुल एक ही अर्थ में चलना कुछ जँचता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रारम्भ में ये दोनों शब्द भिन्नार्थी थे। ऊपर कहा गया है कि खुसरो ने 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और 'हिन्दवी' शब्द का प्रयोग 'मध्यदेशीय भाषा' के लिए। यह 'हिन्दवी' शब्द वस्तुतः 'हिन्दुवी' या 'हिन्दुई' है। हिन्दू + ई = अर्थात् 'हिन्दुआ' की भाषा। 'हिन्दवी' शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद 'हिन्दी' (अर्थात् भारतीय मुसलमानों) की भाषा के लिए कदाचित्त 'हिन्दी' शब्द चल पड़ा। 'हिन्दुवी' या 'हिन्दवी' ता वह भाषा थी जो और सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी और मध्यप्रदेश में सहज रूप से प्रयुक्त हो रही थी। 'हिन्दी' अर्थात् 'भारत के मुसलमानों' न भी इसे अपनाया, किन्तु स्वभावतः धार्मिक तथा सांस्कृतिक (खान पान रहन सहन, कपड़ा लत्ता) कारणों से उनकी भाषा में अरबी फारसी तुर्की के शब्द अधिक थे। इसी भाषा के लिए प्रारम्भ में कदाचित्त 'हिन्दी' शब्द चला। इसी प्रकार 'हिन्दवी' शब्द पुराना है और 'हिन्दी' अपेक्षाकृत बाद का। साथ ही मूलतः दाना में कुछ अंतर भी है। शुद्ध हिन्दी में लिखने वाले पुराने कवियों तथा लेखकों ने सम्भवतः इसी कारण अपनी भाषा को प्रायः 'हिन्दवी' ही कहा है—'तुर्की अरबी हिन्दवी भाषा जेति आहि। जामे

मारग प्रेम का, सबे सराहे ताहि' ॥ (जायसी) । श्री परकासदाम (1666 ई०) के अम्बेर के दीवान को लिखे गये पत्र, तुलसी के फारसी पञ्चनामे, जटमल की 'गोरा-वादल की कथा' तथा इशा अत्ला खाँ की 'रानी बेनकी की कहानी मे भी 'हिंदवी' शब्द ही मिलता है, 'हिंदी' नहीं ।

किंतु ऐसा लगता है कि यह भेद अधिक दिनों तक चला नहीं। अरबी फारसी-तुर्की के बहुत स आम-फहम शब्द 'हिंदवी' में आ गये, और दूसरी ओर हिंदुओं एवं भारतीय वातावरण के प्रभाव से पर्याप्त भारतीय शब्द मुसलमानों की भाषा में भी गृहीत हो गये तथा हिंदी हिंदवी दाना ही शब्द प्रायः (किंतु पूर्णतः नहीं) समानार्थी हो गये । या कुछ विशेष प्रयोगों में इन शब्दों के भूल अर्थ भी लगभग 18वीं सदी उत्तरार्द्ध तक या उसके भी बाद तक चलते रहे । हातिम (18वीं सदी उत्तरार्द्ध) ने 'दीवानेजादे' के दीवावे में लिखा है—'जवान हर तयार ता वहिंदवी, कि आरा भाका गोयद ।' इससे स्पष्ट है कि हिंदवी और भाषा प्रायः एक थी। उसी के कुछ दिन बाद 'तजकिरह मखन उलगरायव' में लिखा मिलता है—'दर खवाने हिंदी कि मुराद उर्दू अस्त' अर्थात् हिंदी में जिससे मतलब उर्दू है । किंतु जसा कि संकेत किया गया है तथा आगे भी कुछ उदाहरणों से स्पष्ट होगा इस प्रकार का अंतर सक्ती नहीं किया गया है । श्री चंद्रवली पाण्डेय ने यह दिखाने का (उर्दू का रहस्य, पृष्ठ 40-48) प्रयास किया है कि 'हिंदवी' हिंदुओं की भाषा नहीं थी । इसी आधार पर डॉ० उदयनारायण तिवारी (हिंदी भाषा का उदगम और विकास, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 184) ने भी कदाचित् इसे स्वीकार कर लिया है, किंतु पाण्डेय जी के तर्कों वस्तुतः उनके मत को प्रमाणित करने में समर्थ नहीं दीखते ।

'हिंदी' शब्द का प्रयोग, जब भी और जगहों के भी द्वारा हुआ है, इसके अविच्छिन्न प्रयोग की प्राचीन परम्परा 'दक्खिनी हिंदी' के कवियों एवं गद्यकारों में ही मिलती है । उदाहरणार्थ (1) शाह मीराजी (1475 ई०)—'या दखत हिंदी बोल' (2) शाह बुर्हानुद्दीन (1582 ई०)—'ऐव न राखें हिंदी बोल' ('इशादिनामा' में), (3) मुल्ता वजही (1630 ई०)—'हिन्दोस्तान में हिंदी जवान सा (सवरम) की भूमिका में', (4) जुनूनी (1690 ई०)—'मैं इमको दर हिंदी खवाँ इस वाम्ते कहन लगा (मोलाना हम के 'मोजजा के अनुवाद में) । इसके साथ साथ हिंदवी शब्द भी प्रयुक्त हो रहा था । 17वीं सदी से 'हिंदी' शब्द उत्तर भारत में भी अविच्छिन्न रूप से मिलने लगता है । उदाहरणार्थ रफी खाँ के 'मुल्खबुल्लवान' (17वीं सदी उत्तरार्द्ध), मिर्जा खाँ के 'तुल्फतुल हिंद' (1676 ई०) बरकतुल्ला पेमी के 'अवागफे हिंदी (लगभग 1700 ई०) तथा 'मआसिरुल उमरा (1742-1747) आदि में । हिंदी कवियों में 1773 ई० में सूफ़ी कवि नूर मुहम्मद ने लिखा है—'हिंदू मग पर पाव न राख्यो ! का जो बहुते हिंदी भाख्यो ॥' इससे संकेत यह मिलता है कि इस काल तक आते-आते 'हिंदी' शब्द हिंदुओं की भाषा की ओर झुक गया था और इममें

से हिंदुओं की शब्दावली निकालकर, फारसी शब्दा के आधार पर उर्दू की नींव पड़ रही थी। 1800 ई० के लगभग मुरादशाह लिखते हैं —

विज्ञोडा फारसी के उस्तखा को
किया पुर मज्ज तब हिंदी जवाँ को
फसाहत फारसी से जब निकाली
लताफत शेर मे हिंदी के डाली ।

इस प्रकार जसा कि हम आगे देखेंगे, 'हिंदी' शब्द का प्रयोग इसके विरुद्ध सामान्य अर्थों में लगभग 19वीं सदी के मध्य तक मिलता है।

यह ध्यातव्य है कि 'हिंदवी' या 'हिंदी' का प्रयोग यद्यपि मध्यदेश की जन-भाषा के लिए चल रहा था और वह उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भी जा पहुँचा था, किंतु इसका स्वीकृत भाषाओं में अक्षरके काल तक नाम नहीं मिलता। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ 'नुहेसिहेर' में उस काल की प्रसिद्ध ग्यारह भाषाओं (सिंधी लाहौरी, काश्मीरी, बंगाली, गौड़ी, गुजराती, तिलगी, मारवी (कोकणी), ध्रुव समुद्री, अवधी, देहलवी) का उल्लेख किया है, किंतु इनमें 'हिंदवी' या 'हिंदी' नहीं है। अबुलफजल की 'आइने अकबरी' में दी गई बारह भाषाओं (देहलवी, बंगाली, मुलतानी, मारवाडी, गुजराती, तिलगी, मरहठी, बर्नाटकी, सिंधी, अफगानी, बलूचिस्तानी, काश्मीरी) में भी इसका नाम नहीं आता। हाँ एक बात अवश्य विचार्य है। खुसरो और अबुलफजल दोनों ही ने 'देहलवी' का उल्लेख किया है और मध्यप्रदेश की कोई भाषा नहीं ली है। इसका आशय यह हुआ कि खुसरो से लेकर अबुलफजल के काल तक इस भाषा का प्रचलित नाम शायद 'देहलवी' था। 'हिंदवी', 'हिंदी' नाम कदाचित् केवल साहित्य तक ही सीमित थे।

ऊपर यह सकेत किया जा चुका है कि 'हिंदी' शब्द मूलतः मुसलमानों की 'हिंदी' के लिए प्रयुक्त होकर, फिर हिंदुओं की भाषा की ओर आ रहा था। किंतु 19वीं सदी के मध्य के पूर्व तक उर्दू के लेखकों में प्रायः इसका प्रयोग 'उर्दू' या 'रज्जा' के समानार्थी रूप में चल रहा था। हातिम (18वीं सदी उत्तरार्ध), नासिख सोदा (1713-1780 ई०) और (1719-1758 ई०) आदि न एकाधिक बार अपने शेरों को 'हिंदी शेर' कहा है। गालिन ने अपने खाने में 'उर्दू', 'हिंदी', 'रेख्ता' को कई स्थलों पर समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयुक्त किया है। 1803 ई० लिखित 'तजकिरह मराज्ज उलगरायब' में आता है— दरखवान हिंदी कि मुराद उर्दू अस्त। फोट विलियम कॉलेज के हिंदी अध्यापक गिलनिस्ट के लेखों से पता चलता है कि वह 'हिंदी', 'उर्दू' तथा 'रेख्ता' आदि को समानार्थी समझते थे, किंतु उनका परिनिष्ठित रूप अरबी फारसी मिश्रित 'उर्दू' ही था। 1820 में उनकी एक किताब 'उर्दू-ए-महा हिंदी' पुस्तक पर अर्ध-नाम 'ules' है।

है, निम्नमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आश्रमण Grammar। पुस्तक में भीतर सब ही हिन्दी या रेगता' शब्द का प्रयोग है, किन्तु व्याकरण उर्दू का है। इसकी भाषा भी अरबी फारसी शब्दों में लदी है, जमा कि 'ताम (बयानीन-मक) म भी स्पष्ट है। आशय यह है कि सन् 1800 के आग पाम 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग 'उर्दू' तथा 'रेगता' के लिए हो रहा था।

हिन्दी के आधुनिक अर्थ में प्रयुक्त होना का इतिहास बड़ा विचित्र है। पीछे के नूर मुहम्मद तथा मुरादशाह के उद्घरणों से इस बात का कुछ सबेद मिलता है कि बनी-बनी उगवा प्रयोग हिन्दुओं की भाषा या अरबी फारसी के बठिन शब्दों पर रहित मध्यदेशीय भाषा के लिए होता था किन्तु एमे प्रयोग प्राय अपवाद रूप में हैं। प्राय 'हिन्दी' का प्रयोग उम भाषा के लिए मिलता है, जो अरबी-फारसी में भरती जा रही थी, या जा वह भाषा थी जो बाद में विकसित होकर 'उर्दू' कहलाई। जनता में 19वीं सदी के प्राय मध्य तक कुछ अपवादों का छाडकर 'हिन्दी' का इसी अर्थ में प्रयोग मिलता है।¹

आधुनिक अर्थ में 'हिन्दी' शब्द के व्यापक प्रयोग का श्रेय मूलतः अंग्रेजों को है। 1800 ई० में बलकत्ते में फोट विलियम कालिज की स्थापना हुई। वहाँ गिलब्राइस्ट हिन्दी या हिन्दुस्तान के अध्यापक नियुक्त हुए। यदि गिलब्राइस्ट ने मध्य-प्रदेश की वास्तविक प्रतिनिधि भाषा को, जो न तो अधिकांश अरबी फारसी की ओर झुकी हुई थी और न सस्कृत की ओर, अपनाया होता, तो आज हिन्दी-उर्दू नाम की दो भाषाएँ न होती और हिन्दी भाषा एवं उसके साहित्य का नक्शा कुछ और ही होता। किन्तु उनकी हिन्दी (जसा कि उनके हिन्दी-व्याकरण के नाम 'कवानीने-सफ-य नहो हिन्दी' से स्पष्ट है) बहुत ही बठिन उर्दू थी। व सन् 1904 तक अध्यापक रहे, अतः वही भाषा हिन्दी बही जाती रही। किन्तु वहाँ के कमचारियों का ध्यान इस बात की ओर गया कि प्रतिनिधि भाषा वह नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि 'हिन्दुस्तानी' शब्द तो अरबी फारसी शब्दों से युक्त गिलब्राइस्ट की हिन्दी (जो वस्तुतः उर्दू थी) के लिए प्रयुक्त होना लगा और 'हिन्दी' शब्द हिन्दुओं में प्रचलित सस्कृत मिश्रित भाषा के लिए। इस अर्थ में 'हिन्दी' शब्द की परम्परा प्राप्त साहित्य में कहीं-कहीं ही मिली है। सम्भव है, जनता में उस समय 'हिन्दी' नाम का कुछ अधिक प्रचार रहा हो, जहाँ से अंग्रेजों ने उसे लिया। इस नवीन अर्थ में 'हिन्दी' का स्पष्ट रूप से लिखित प्रयोग कदाचित् सवप्रथम कप्टन टलर ने किया। 1812 में फोट विलियम कालिज के वार्षिक विवरण में वह कहत है—'मैं केवल हिन्दुस्तानी या रेगता का जिक्र कर रहा हूँ जो फारसी लिपि में लिखी जाती है मैं हिन्दी का जिक्र नहीं कर रहा, जिसकी अपनी लिपि

1 शासन के लोगों में इस रूप में प्रयुक्त होने पर भी हिन्दी शब्द उर्दू के अर्थ में साहित्यिक तथा जनता आदि में 19वीं सदी के लगभग मध्य तक चलता रहा। कालिज ने अपने कई पत्रों में हिन्दी उर्दू और रेगता को प्रायः समान शब्दों में प्रयुक्त किया है।

से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर-पश्चिम प्रांत की भाषा थी" (Imperial Records, Vol IV, पृ० 276 77)। इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि उस समय तक 'हिंदी' शब्द इस जय में कम से कम कालिज के लोग में कुछ समझा जाने लगा था, किंतु बहुत अधिक नहीं, क्योंकि उसे 'हिंदुस्तानी' या 'रेखना स जलग स्पष्ट करने की आवश्यकता अभी समाप्त नहीं हुई थी जसा कि टेलर के कथन से स्पष्ट है। उक्त कालिज में हिंदी उर्दू (या हिंदुस्तानी) का यह अलगाव बढ़ता ही गया। 1824 में उक्त कालिज के हिंदी प्राफेसर विलियम प्राइस ने स्पष्ट शब्दों में हिंदी के लगभग सभी शब्दों के संस्कृत श्रुत होने की बात कही तथा हिंदुस्तानी के शब्दों के अरबी फारसी के होने की। 1825 में कालिज के वार्षिक अधिवेशन के भाषण में लॉड ऐमहस्ट ने 'हिंदी भाषा को हिंदुआ से सम्बद्ध कहा तथा उर्दू का उनके लिए उतनी ही विदेशी कहा, जितनी 'अंग्रेजी। इस प्रकार अंग्रेजी ने, जिस नीयत से भी किया हो, 19वीं सदी के प्रथम 25 वर्षों में एक ओर 'हिंदी' या 'हिंदी देवनागरी संस्कृत हिंदू' शब्दों को जाड़ दिया, तो दूसरी ओर 'हिंदुस्तानी रेखना या उर्दू फारसी लिपि अरबी फारसी मुसलमान' शब्दों को। सम्भवतः शासन के ही इशारे पर 1862 में हिंदी उर्दू का प्रश्न शिक्षा के संयोजकों के समक्ष आया और इस प्रकार 19वीं सदी के तीसरे चरण में 'हिंदी' आजकल के अर्थ में निश्चित रूप से स्वीकृत हो गई। उर्दू और हिंदी भाषा को लेकर उस काल में कितनी गरमगरमी थी, इसके चित्र 'सितार हिंद' और 'भारते दु' उपाधि की अंत कथा में मूर्तिमान हैं।

इस तरह नामों के अध्ययन में एक तरफ तो भाषाविज्ञान, इतिहास, समाज शास्त्र, संस्कृति, भूगोल आदि की जानकारी अपेक्षित होती है, और दूसरी ओर शब्दों का अध्ययन भाषा इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृति तथा प्राचीन भूगोल आदि पर प्रकाश डालने के लिए बड़ी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है।

शब्दध्वनिविज्ञान

यहाँ 'शब्दध्वनिविज्ञान' शब्द का प्रयोग भाषा विशेष म प्रयुक्त शब्दों के आधार पर उम भाषा की ध्वनियों के अध्ययन के लिए किया जा रहा है। अंग्रेजी म इस अर्थ म 'वडफोनॉलजी' का प्रयोग होता है। इस या भी कहा जा सकता है कि इसका अन्तगत किसी भाषा के शब्दों का ध्वनि की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है।

वस्तुतः समग्रत किसी भाषा की ध्वनि व्यवस्था का अध्ययन तथा मान शब्दों के आधार पर उसकी ध्वनि-व्यवस्था के अध्ययन म थोड़ा अन्तर होता है। इस प्रसंग मे मुख्यतः दो तीन बातें कही जा सकती हैं। एक तो यह कि शब्दध्वनि-विज्ञान मे मान शब्दों की रचना म प्रयुक्त हान वाली सधियों का अध्ययन आता है, किन्तु यदि भाषा की पूरी व्यवस्था को लें तो कुछ सधियाँ वाक्य म प्रयुक्त दो शब्दों के बीच म श्री उच्चारण के स्तर पर मिलती हैं। जैसे मार + डाला = माडडाला, दूध + दो = दूदो। इस तरह की सधियाँ शब्द स्तर पर प्रायः नहीं मिलती। दूसरे, यदि तान भाषाओं (Tone language) की बात छोड़ दें तो हिंदी आदि भाषाओं म अनुतान (Intonation) शब्द के स्तर पर न होकर वाक्य स्तर पर होता है अतः भाषा की सामान्य ध्वनि व्यवस्था म तो अनुतान किया जायगा किन्तु ऐसी भाषाओं के शब्दध्वनिविज्ञान मे यह नहीं जाएगा। हा, तान भाषाओं मे शब्द स्तर पर तान (Tone) को अवश्य लिया जाता है। ऐसे ही सगम, विवर्तित या सहिता (Juncture) का विचार भी शब्दध्वनिविज्ञान मे नहीं किया जाता।

शब्दध्वनिविज्ञान मे सबसे पहले भाषा विशेष के शब्दों म आने वाली ध्वनियों म स्वनियों का निर्धारण करते हैं। ये स्वनियम, स्वर तथा व्यंजन आदि खड्य भी होने हैं तथा दीघता अनुनासिकता आदि खड्यतर भी। साथ ही सयुक्त व्यंजन व्यंजन अनुक्रम, सयुक्त स्वर, स्वरानुक्रम तथा अक्षर जाद की व्यवस्था का भी विश्लेषण किया जाता है। (विस्तार के लिए देखिए, प्रस्तुत लेखक की पुस्तक भाषाविज्ञान का ध्वनिविज्ञान शीपक अध्याय 1)

शब्दध्वनिविज्ञान मे ध्वनियों के निर्धारण मे यह ध्यान रखना चाहिए कि लिखित सामग्री मे शब्दों की वतनी ध्वनियों या उच्चारण की दृष्टि से कभी-कभी बहुत भ्रामक होती है। अतः अध्ययन म हमारा ध्यान उच्चारण पर होना चाहिए, वतनी पर नहा। इस दृष्टि से कई बातें सकेत्य हैं जो आगे दी जा रही ह।

शब्दों में ध्वनियाँ आसपास की ध्वनियों से प्रभावित होती हैं। होता यह है कि प्रायः आगे आनेवाली ध्वनि के उच्चारण की तैयारी में उच्चारण-अवयव पूर्ववर्ती ध्वनि का उच्चारण परवर्ती ध्वनि के अनुरूप कर देते हैं। उदाहरण के लिए जब हम 'डाकघर' शब्द बोलते हैं तो वस्तुतः 'डाकघर' नहीं कहते। 'घ' का उच्चारण करने के लिए स्वरतंत्रिया पहले से एक दूसरे के समीप आ जाती हैं। अतः पूर्ववर्ती ध्वनि 'क' 'ग' हो जाती है। 'घ' के घोष होने के कारण 'क' का घोष रूप 'ग' हो जाता है अर्थात् घोष हो जाना की प्रक्रिया काम करती है। इसका आशय यह हुआ कि जिस रूप में कोई भी भाषा लिखी जाती है उसी रूप में यदि कोई पढ़ने का यत्न करे तो उस भाषा का स्वाभाविक उच्चारण वह नहीं कर सकता। इस तरह, इस दृष्टि से शब्दों का अध्ययन, शब्दों का ठीक उच्चारण जानने के लिए आवश्यक है। उच्चारण में यदि कोई व्यक्ति इन बातों का ध्यान न रखे तो वह शब्दों का ठीक उच्चारण नहीं कर सकता। हिन्दी शब्दों का इस दृष्टि से विश्लेषण किया गया है जिसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्नांकित हैं —

(1) शब्द के मध्य या अन्त में आने वाला कोई ऐसा सयुक्त व्यंजन जिसका दूसरा सदस्य य, व, र या ल हो, उच्चारण में तीन व्यंजनों का युक्त रूप हो जाता है, क्योंकि प्रथम व्यंजन द्वित्त या दीर्घीकृत हो जाता है

धतनी	वास्तविक उच्चारण
उप-यास	उप-यास
अ-य	अ-य
क-या	क-या
शक्य	शक्य
अ-वय	अ-वय
परिपक्व	परिपक्व
तत्त्व	तत्त्व
चक्र	चक्र
अजस्र	अजस्र
अक्ल	अक्ल

(2) उपयुक्त परिस्थितियाँ म यदि प्रथम व्यंजन महाप्राण हो तो उसका पूर्व एक अल्पप्राण व्यंजन आ जाता है —

अभ्यास	अभ्यास
सम्भ	सम्भ
मुद्ध्य	मुद्ध्य
मध्य	मद्ध्य
मध्व	मदध्व

(3) यदि पूर्ववर्ती अक्षर (syllable) की अंतिम ध्वनि क, च, ट, त, प, हो और परवर्ती अक्षर की प्रथम ध्वनि घोष व्यंजन हो तो क, च, ट, त, प, क्रमशः ग, ज, ङ, द, ब हो जाते हैं —

डाकघर	डाग्घर
नाकघर	नाज्घर
ठाटवाट	ठाड्वाट
मतदाता	मदटाता
धूपवृत्ती	धूवृत्ती

(4) इसके विपरीत यदि परवर्ती अक्षर की प्रथम ध्वनि अघोष व्यंजन हो तो पूर्ववर्ती अक्षर के अंत में आने वाले ग, ज, ङ, द, ब क्रमशः क, च, ट, त, प हो जाते हैं —

नागपुर	नाग्पुर
आजकल	आज्कल
वदतमीज	वत्तमीज
किताबवापी	किताप्कापी

(5) उपर्युक्त परिस्थितियों में पहले ख, छ, ठ, ध, फ हो तो क्रमशः क, च, ट, त, प हो जाते हैं —

लेखपाल	लेक्पाल
पूछताछ	पूच्ताछ
अठपहला	अटपह्ला
हाथपाँव	हात्पाँव
हाँफकर	हाँफ्कर

संस्कृत सर्वाध्यायों के नियम भी इसी प्रकार थे। एक बड़ी अजीब बात है कि यद्यपि विश्व के सभी लोगों के उच्चारण अवयव प्रायः समान होते हैं किंतु इस प्रकार के नियम विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर हमने देखा कि पूर्ववर्ती ध्वनि, परवर्ती से प्रभावित हो रही थी। अंग्रेजी में बात ठीक उलटी है। परवर्ती ध्वनि पूर्ववर्ती से प्रभावित होती है। इसी कारण dogs, clubs, buds के उच्चारण डॉग्ज, क्लबज, बडज होते हैं। यदि ये शब्द हिंदी में होते तो इनके उच्चारण डॉक्स, क्लप्स, बटस हो जाते। तो, इस तरह वतनी उच्चारण की दृष्टि से भ्रामक होती है।

ऊपर पाश्र्ववर्ती ध्वनियों के प्रभाव के कारण परिवर्तन से वतनी और उच्चारण में अंतर की बात की जा रही थी। शब्दा की वतनी और उच्चारण में एक अर्थ प्रकार का भी अंतर मिलता है, और उसका भी अध्ययन शब्दध्वनिविज्ञान

मे अपक्षित है। होता यह है कि प्रारंभ में जब कोई भी भाषा लिखी जाती है, तो शब्दों की वतनी उच्चारण के अनुकूल होती है, किंतु वतनी तो वही रहती है और उच्चारण परिवर्तित होता चला जाता है। उच्चारण में जितना ही अधिक परिवर्तन होता है वतनी और उच्चारण के बीच की दूरी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अंग्रेजी में डाटर डाक्टर (daughter), टॉक टॉल्क (talk), नाकनोव (Know), साइकालजी प्साइकालजी (psychology), नाँ नाँ (gnaw), हैच-हैटच (hatch) में यह अंतर स्पष्ट है।

हिंदी में प्रायः लोग समझते हैं कि उच्चारण और वतनी में कोई अंतर नहीं है किंतु वास्तव में यह बात नहीं है। कुछ प्रमुख अंतर निम्नांकित हैं —

(1) हिंदी शब्दों के लेखन में अक्षरात् अ वतनी में तो है, किंतु उच्चारण में नहीं है। राम—राम आवश्यकता—आवश्यकता, अपना—अपना, बोलचाल—बोलचाल, फार्सी—फारसी, चलना—चलना।

(2) अनेक तत्सम शब्दों में हम प का प्रयोग करते हैं किंतु वास्तविक उच्चारण में श बोलते हैं। शेष—शेष वश—वप, विशम—विपम।

(3) इसी प्रकार कुछ तत्सम शब्दों में हम ऋ लिखते हैं किंतु वीरुष में हम 'रि' बोलते हैं। क्रिड्डे—कृष्ण, रिनु—ऋनु, क्रिपा—कृपा, कर्त्रि—कर्त।

(4) जिसमें हम ण लिखते हैं उसका भी अधिकांश भाषियों में उच्चारण डे हो गया है। क्रिड्डे—क्रिण, प्रड्डे—प्रण, मड्डि—मणि, विशड्डे—विपण।

(5) विसर्ग को हम ह उच्चारित करते हैं। प्रायह—प्रायः, विशेषतह—विशेषतः, क्रमशह—क्रमशः।

(6) ञ का मूल उच्चारण ज + ञ था, आज लिखते तो श ही है किंतु आयसमाजी लो? इसका उच्चारण जय या ज्ये करते हैं तथा अय लोग इसे ग्य या ग्ये बोलते हैं। भराठी आदि अय भाषाओं में इसका उच्चारण तो और भी भिन्न है। ज्ञान ज्ञान ग्यान ग्यान द्नाँन—ज्ञान।

(7) क्ष का मूल उच्चारण क + ष है किंतु अब इस बहुत से लोग क् + श् बोलते हैं। दक्ष—दक्ष, कक्षा—कक्षा।

(8) कुछ फुटबल शब्द ऐसे हैं जो लिखे तो और तरह से जाते हैं किंतु बोने और तरह से जाते हैं —

लिखित रूप

उच्चारित रूप

साहित्यिक

साहित्यिक

स्यायी

स्याई

गयी

गई (ऐसे भी लिखित)

गय

गए (, , ")

लिये

लिए (" " ")

ध्वनियों का ऐतिहासिक अध्ययन, ध्वनि परिवर्तन और उसके कारणों से मन्त्रद्वय है। ध्वनियों में परिवर्तन लोप (ध्वनि का लुप्त हो जाना—म्याली थाली, एकादश ग्यारह, द्वादश बाह, काकिल कायल), आगम (किसी नई ध्वनि का आ जाना—अस्थि हड्डी, भक्त भगत, दजन दजन, समुद्र समुद्र), विषय (दा ध्वनियों का एक दूसरे के स्थान पर चला जाना—वाराणसी-बनारस चिह्न चिह्न, ब्राह्मण ब्राम्हण, बफ-बफ), समीकरण (दा असमान ध्वनियों का समान हो जाना—चक्र-चक्की पत्र पत्ता धम (प्राकृत में) धम्म), विषमोक्ति (दो समान ध्वनियों का असमान हो जाना)। यह प्रवृत्ति बहुत कम मिलती है तथा जिन शब्दों में मिलती भी है, उन्हें और रूपों में भी देखा जा सकता है। लागूली लगूर) महाप्राणीकरण [अल्पप्राण का महाप्राण हो जाना—सब सभ (भागपुरी में) नब्बे नब्बे (पश्चिमी हिंदी के उच्चारण में), धप भेष], अल्पप्राणीकरण (महाप्राण का अल्प प्राण हो जाना—आज बोलने में प्रायः हम भूख के स्थान पर भूक तथा हाथ के स्थान पर हात कहते हैं। उदू में ता भूक धोका लिखत भी है), घोषीकरण अघोष ध्वनि का घोष हो जाना—मकर मगर, कर्ण-कगन, कुचिका-कुजी) स्वतः अनुनासिकता (श्वास सास अश्रु आसू, भू भौ, सप साँप) आदि रूपों में होता है तथा इसके कारण मुख सुख या उच्चारण-मुविधा अनाद, ध्रामक व्युत्पत्ति, बोलने में शीघ्रता, लेखन आदि हैं (विस्तार के लिए देखिए लेखक की पुस्तक 'भाषाविज्ञान के 'ध्वनिविज्ञान शीपक अध्याय का ध्वनि परिवर्तन' शीपक अंश)।

ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान के शब्दों में हुए ध्वनि-परिवर्तनों के अध्ययन विश्लेषण और वर्गीकरण के आधार पर ध्वनि परिवर्तन-सबधी नियमों का भी निर्धारण होता है। ग्रिम ग्रासमान और वनर के प्रसिद्ध ध्वनि नियम (देखिए लेखक की पुस्तक भाषाविज्ञान के 'ध्वनिविज्ञान अध्याय का ध्वनि नियम शीपक अंश) इसी प्रकार के हैं। हिंदी में भी इस प्रकार के कुछ नियमों का निर्धारण (विस्तार के लिए देखिए लेखक की पुस्तक 'हिंदी भाषा के प्रथम अध्याय ध्वनि' में हिंदी शब्दों में ध्वनि परिवर्तन सबधी सामान्य नियम शीपक अंश) किया गया है। हिंदी के प्रमुख ध्वनि नियम निम्नान्वित हैं—

(1) क्षतिपूर्क दीर्घीकरण का नियम—संस्कृत शब्दों में संयुक्त या दीर्घ (द्वित्त) व्यंजनों के पूर्व यदि ह्रस्व स्वर हो तो हिंदी में उस ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है कम-काम मप्त मात अष्ठ आठ सप साँप, भिक्षा भीष, जिह्वा जीभ, दुग्ध दुध, अगुष्ठ-अंगूठा।

(2) तुर्की फारसी-अरबी के शब्दों के विशेष ह (हा इ-मुहत्तफी) के आ हा जाने का नियम—बस्तह-बस्ता खजानह-खजाना, किनारह-किनारा, कुतह कुत्ता गुस्मह-गुस्ता, तमाशह-तमाशा।

(3) महाप्राणों के 'ह' हो जाने का नियम—संस्कृत शब्दों के हिंदी में तत्भव होने पर स्वरमध्यम महाप्राण ध्वनियाँ 'ह' में परिवर्तित हो जाती हैं मुय मुह

प्राणक पाहुना मघ मेह, यूयी जूही, गाधूम गेहूँ, दधि दही, कटकफल कटहल, आभीर-अहीर गदभ गदहा । अपवाद स्वरूप कुछ शब्दा म अय स्थितियो म हीने पर भी महाप्राण का ह हो जाता है । जैसे 'भू' (धानु) का 'हा' ।

(4) संस्कृत शब्दो के स्वर मध्यम 'म' का 'व' हो जाने का नियम—
श्यामल-भावला, आमतक-आँवला, ग्राम गाँव कमल-कँवल, कुमार कुवर, धूम घुर्वा । ऐसे शब्दो म प्राय, पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता है ।

उपयुक्त नियम स्वरो तथा मूल व्यञ्जनो के सबध मे थे । इसी प्रकार सयुक्त व्यञ्जना के सबध मे भी नियमो का निर्धारण किया जा चुका है (दे० वही) ।

ऐसा प्राय होता है कि किसी एक भाषा से शब्द एक से अधिक भाषाओ मे जाते हैं और उन अलग-अलग भाषाओ मे उसका रूप (ध्वनि की दृष्टि से) अलग अलग हो जाता है । उदाहरण के लिए संस्कृत म 'सपत्नी' शब्द था हिंदी म इम उसका रूप 'सौत' बना कि-तु पंजाबी मे 'सौकन' हो गया (आगे 'व्युत्पत्तिविज्ञान' नामक अध्याय म इम शब्द पर विस्तार से विचार किया गया है) । ऐसे परिवर्तना का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है । जैसे एक ही शब्द कई भाषाओ मे जाकर अनेक रूप धारण कर लेता है ? हाता यह है कि हर भाषा की अपनी विशेष ध्वनि व्यवस्था हाती ह । इसी कारण एक ही शब्द विभिन्न ध्वनि-व्यवस्थाओ म जाकर विभिन्न रूप धारण कर लेता है । कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसे पहचानना भी कठिन (जैम संस्कृत अध्यापक > मैथिली झा) हो जाता है । नीचे इस प्रकार के कुछ वृहत् रूपी शब्द दिए जा रह है ।

- (1) संस्कृत कुठारक > पंजाबी कुल्हाडा, गुजराती कुहाडो, मराठी कुरहाड
- (2) संस्कृत अक्षयततीया > मराठी अखजा, हिंदी आखातीज
- (3) संस्कृत कच्छप > हिंदी कछुआ, उडिया केछु मराठी कासव
- (4) संस्कृत उपाध्याय > सिंधी वाझो, हिंदी वाझा मराठी वाजा
- (5) संस्कृत कपित्थ > भोजपुरी कइँत, सिंधी कविट्टु हिंदी कथ
- (6) संस्कृत अक्षोट > गुजराती अखोड, हिंदी अखरोट
- (7) संस्कृत अग्निष्ठिका > हिंदी अगीठी, मराठी आक्ति
- (8) संस्कृत कुष्मांड > हिंदी कुम्हडा, बंगाली कुमडा, भाजपुरी कोहटा, आसामी कामोरा
- (9) संस्कृत गुड > हिंदी गुड, भोजपुरी गुर, गुजराती गाळ
- (10) संस्कृत वृत्तिना > सिंधी वत्तू, मराठी वात्या, सिहली वति, भोजपुरी वच
- (11) संस्कृत कवत > हिंदी केवट, भाजपुरी खेवट, सिहली केवुळा
- (12) संस्कृत कोकिल > सिहली काबुला, भाजपुरी कोइलर, हिंदी कोयल
- (13) संस्कृत वेदारिका > भोजपुरी कियारी, हिंदी क्यारी
- (14) संस्कृत गध > पंजाबी गधभ, बंगाली गाव, हिंदी गाभा, भाजपुरी गोभा

- (15) सस्त्रुत वणद, वणदिका > हिंदी वीडो, मराठी वणडा, सिहली ववडिय, भाजपुरी वउडी
- (16) सस्त्रुत वदर > मराठी भेर, हिंदी वर, भोजपुरी वइर
- (17) सस्त्रुत मुकुन > बगाली बोल, हिंदी वीर, भोजपुरी मउर, गुजराती मोहोर
- (18) सस्त्रुत चत्वारिणत् > पजाबी चाली, हिंदी चालीस, गुजराती चालीश
- (19) सस्त्रुत छाया > उडिया छाँइ, हिंदी छाँव, छाँह, सिहली सया
- (20) सस्त्रुत घृत > सिहली गिय, भोजपुरी घीउ, घीव, हिंदी घी, पजाबी बयो
- (21) सस्त्रुत सम्वन्धी > भोजपुरी समघी, उडिया समुदी
- (22) अरबी शोरवा > भोजपुरी मुरुवा, उडिया मुरुआ, हिंदी शारवा
- (23) पुतगाली Papaia > हिंदी पपीता, तमिल पप्पइ, नेपाली पपिता, मराठी पपया
- (24) पुतगाली Ananas > हिंदी अनानास, उडिया अनारस, सिघी अनानसु, गुजराती अनेनस, अनस, मराठी अननस
- (25) अंग्रेजी Platoon > हिंदी पलटन, मराठी पलटण
- (26) अंग्रेजी pencil > हिंदी पेंसिल, भोजपुरी पिनसिन, बोलचाल की पजाबी पिल्सन, पिल्सन, बगाली पेंशिल
- (27) अंग्रेजी School > हिंदी स्कूल, भोजपुरी इस्कूल, कुछ अवधी क्षेत्रा में अस्कूल, पजाबी सकूल, गुजराती स्कुल, उडिया इस्कूल, बगाली इश्कुल
- (28) अंग्रेजी Station > हिंदी स्टेशन, पजाबी असटशन, सटेशन, भाजपुरी इस्टेशन, टेसन, टीसन
- (29) अंग्रेजी private > हिंदी प्राइवट, भाजपुरी पराइवट, मराठी प्रायव्हंट, उडिया प्राइभेट, तमिल पिरवट
- (30) अंग्रेजी Doctor > हिंदी डाक्टर, भाजपुरी डगडर, उडिया डाक्टर
- (31) अंग्रेजी Hospital > हिंदी अस्पताल, पजाबी हस्पताल, गुजराती इस्पताल, मराठी इस्पतल, तमिल आस्पति
- (32) अंग्रेजी Jail > हिंदी जेल, भोजपुरी जेहल, तमिल चेजिल, जेजिल

व्युत्पत्तिविज्ञान

व्युत्पत्तिविज्ञान शब्दविज्ञान की एक शाखा है जिसमें शब्दों के पूरे इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में उस शब्द का अभ्ययन तो आता ही है, साथ ही उसको बनानेवाले भाषिक घटकों (जैसे प्रकृति, प्रत्यय आदि) के भी विकास का अध्ययन आता है। इस तरह शब्द का उद्गम, उसकी रचना और उसका विकास तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। इस अध्ययन के लिए हिन्दी में 'व्युत्पत्ति' के अतिरिक्त 'निरुक्त' या 'निवचनशास्त्र' शब्द भी चलते हैं।

'निरुक्त' शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार निस् + वच् + क्त से बना है। यो ता संस्कृत साहित्य में द्राह्मण, उपनिषद् तथा महाभारत आदि में इस शब्द का प्रयोग 'उच्चरित', 'अभिध्यक्त' तथा 'परिभाषित' आदि अनेक अर्थों में हुआ है, किंतु उसका मूल अर्थ 'अलग-अलग करके कहना' या 'अलग-अलग करके कहा हुआ' है तथा उसका मुख्य प्रयोग शब्द की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या के लिए हुआ है। इस अर्थ में यह शब्द छादोग्य उपनिषद् (8 3 3) तथा महाभारत (1 266) आदि कई ग्रंथों में मिलता है। इसी अर्थ के आधार पर 'निरुक्त' नाम से कई प्राचीन ऋषियां ने वदिक शब्दा की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या के लिए ग्रंथ लिखे जिनमें अब केवल यास्क का 'निरुक्त' ही उपलब्ध है।

'निवचन' शब्द 'निरुक्त' से केवल इस बात में भिन्न है कि 'निरुक्त' विशेषण तो है ही, भाववाचक सज्ञा भी है क्योंकि 'क्त' प्रत्यय दोनों अर्थों में आता है, जब कि 'निवचन' केवल सज्ञा है। अर्थात् 'निवचन' केवल 'निरुक्त' की प्रक्रिया है, जबकि 'निरुक्त' प्रक्रिया भी है और वह भी है 'जिसका निवचन किया गया हो'। उसकी रचना 'निस् + वच् + ल्युट' रूप में हुई है तथा इसका अर्थ है 'अलग-अलग करके कहना'।

'व्युत्पत्ति' शब्द 'पद' धातु से बना है जिसका अर्थ है 'गति करना'। इसमें वि + उत उपसर्ग तथा क्तिन् (भाववाचक अर्थ में) प्रत्यय हैं। 'व्युत्पत्ति' शब्द का भी 'निरुक्त' की भांति ही एकाधिक अर्थों में प्रयोग मिलता है, किंतु भाषाशास्त्र के प्रसंग में उसका अर्थ व्याकरणिक विश्लेषण है अर्थात् इसमें शब्द को विश्लेषित करने के धातु उपसर्ग प्रत्यय आदि का निर्देश किया जाता रहा है।

इस प्रकार निरुक्त में शब्द विशेषण की धातु जादि का निर्देश करके अर्थ को स्पष्ट करने पर बल होता है तो व्युत्पत्ति में केवल धातु उपसर्ग, प्रत्यय आदि

व्याकरणिक इकाइया का निर्देश करने पर। यों आज व्युत्पत्ति में जैसा कि पीछे कहा जा चुका है शब्द का एक प्रकार से सर्वांगीण विकासात्मक अध्ययन आता है।

हर नई चीज का विकास आवश्यकतावश ही होता है। हमारा यहाँ प्राचीन काल में बोलचाल की भाषा जैसे जैसे वैदिक भाषा से दूर हटती गई वैदिक भाषा को समझना और उसका ठीक उच्चारण या पाठ करना लोगों के लिए कठिन होता गया। किन्तु वैदिक ऋचाओं का अध्ययन-अध्यापन तत्कालीन पंडित वर्ग के लिए एक प्रकार से अनिवार्य आवश्यक था परिणामतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए दो शास्त्रों का विकास हुआ। अथ समयने के लिए निरुक्त या निवचनशास्त्र का तथा ठीक उच्चारण के लिए शिक्षाशास्त्र का।

या शब्दों के निवचन करने के प्राचीनतम उदाहरण ऋग्वेद में मिलते हैं, जिससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि कदाचित् शब्दों की निरुक्ति देन की मौखिक परम्परा निरुक्त से काफी पुरानी थी। आज भी कभी कभी सामान्य लोग इस प्रकार के अनुमान लगाते पाये जाते हैं।

निवचन या निरुक्त का प्राचीनतम रूप अनुमानाश्रित अधिक रहा होगा। धीरे धीरे समय के साथ उसमें वैज्ञानिकता जाती गई होगी। यास्क के निरुक्त तक जाते-आते इसमें काफी कुछ शास्त्रीयता आ गई थी, किन्तु फिर भी उसमें अनुमान का अंश बिल्कुल न रहा हो ऐसी बात नहीं। व्याकरण शास्त्र कदाचित् निरुक्त या निवचन का ही विकसित रूप है। इसी कारण व्याकरण के आधार पर शब्द विश्लेषण के उदाहरण बहुत पुराने नहीं मिलते, जबकि निरुक्त के उदाहरण बहुत पुराने भी मिल जाते हैं। यह भी कहना कदाचित् अशक्य न है कि अंतिम निरुक्तकार यास्क के बाद ही सच्चे अर्थों में व्याकरण की परम्परा चली। वह बात सधिकांश है। उसके पूर्व निरुक्तकार ही प्रायः भाषा का विश्लेषण करते थे। उसके बाद व्याकरण ने इसका स्थान ले लिया। या यास्क भी व्याकरण के महत्त्व से अपरिचित नहीं थे इसीलिए निरुक्तकार के लिए व्याकरण का ज्ञान उहोने आवश्यक माना है।

अंग्रेजी में व्युत्पत्ति को यों तो डेरिवेशन (derivation) भी कहते हैं, किन्तु इसके लिए मुख्य शब्द एटिमॉलजी (etymology) चलता है। अंग्रेजी में यह शब्द फ्रांसीसी शब्द *etymologie* से आया है और वहाँ यह शब्द लैटिन *etymologia* का विकसित रूप है। लैटिन का भी यह अपना शब्द नहीं है। वहाँ ग्रीक से आया है। ग्रीक 'एटिमॉलोजिया' के मूल में दो शब्द हैं 'एतिमास (etymos) और लॉगॉस (logos) पहले शब्द का अर्थ 'सच्चा' या 'ठीक' है और दूसरे का 'शब्द' या 'लेख' जोड़ा। इस तरह इनका मूल अर्थ हुआ 'सच्चा या सच्चा शब्द' या 'शब्द के सच्चे अर्थ का लेख'। प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक क्रिसिपॉस (Chrysippos) ने जिनका बाल तीसरी सदी ई० पू० है, एक ग्रन्थ 'एटिमॉलोजिका' लिखा था, जिसमें शब्दों के ठीक अर्थ की छानबीन थी। कहना

न होगा कि 'निरुक्त' भी मूलतः इसी के समकक्ष था, और दोनों देशों में इन दोनों का विकास कदाचित् एक ही प्रकार की आवश्यकता के कारण हुआ, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। प्राचीन यूनान में 'एतिमॉलोजी' भाषाविज्ञान की शाखा न होकर दर्शन की एक शाखा थी, जिसमें शब्द द्वारा व्यक्त भाव की यथाथ जानकारी के लिए उसके मूल आदि का अध्ययन किया जाता था। वस्तुतः यूनानी और रोमन लोगों के लिए यह शास्त्र किसी शब्द का मूल अर्थ पान करने का साधन मात्र था। आज की तरह शब्द की उत्पत्ति और उम्र का इतिहास जानना इसका साध्य नहीं था। उत्पत्ति और इतिहास पर विचार होता भी था तो साध्य रूप में नहीं अपितु शब्द का मूल या वास्तविक अर्थ जानने के निम्न साधन रूप में। इस तरह मुख्यतः अर्थ से सम्बन्धित होने के कारण यह विज्ञान उन लोगों के लिए दर्शन की शाखा अथवा अर्थविज्ञान के अंतर्गत आता था।

व्युत्पत्तिविज्ञान मूलतः ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के अंतर्गत आता है किंतु व्युत्पत्तियों के अध्ययन में वणनात्मक एवं तुलनात्मक भाषाविज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है। वणनात्मक की इसलिए कि शब्द किन किन तत्त्वों से बना है, तथा उसका इतिहास के विभिन्न कालों में क्या अर्थ था, आदि बातें भी व्युत्पत्ति के अध्ययन के लिए अपेक्षित हैं। तुलनात्मक की इसलिए कि भाषा विशेष के शब्द विशेष की व्युत्पत्ति में विभिन्न कालों में उम्र शब्द के आर्थिक तथा ध्वनात्मक परिवर्तन की जानकारी के लिए उस परिवार की अन्य भाषाओं से तुलना करनी पड़ती है। वस्तुतः किसी भी प्रकार के परिवर्तन का पता तुलना से ही लगता है। इसका अतिरिक्त यदि शब्द किसी और भाषा से गृहीत है तो मूल से किस दृष्टि से कितना परिवर्तित है इसके लिए उस भाषा से भी तुलना करनी पड़ती है।

व्युत्पत्तियों के अध्ययन में सबसे अधिक सहायता ध्वनिविज्ञान में लेनी पड़ती है। शब्द में ध्वनि की दृष्टि से प्रायः बहुत अधिक परिवर्तन हो जाया करते हैं। 'उपाध्याय' और 'ओझा' में ऊपर से देखने में कोई खास सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता। ध्वनिविज्ञान के सहारे 'उपाध्याय' में सम्भावित परिवर्तनों का पता लगाते हैं और तब यह स्पष्ट होता है कि 'ओझा' शब्द उपाध्याय का ही परिवर्तित रूप है। वृष्ण का 'ह' अर्थ आज, नत्थ नाच को भी ध्वनिविज्ञान की सम्यक जानकारी से ही जोड़ा जा सकता है। ध्वनिविज्ञान अपने मुख्य तीन (वणनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक) रूपों में व्युत्पत्ति देने में सहायता करता है।

व्युत्पत्तिविज्ञान में सहायता पहुँचाने वाली भाषाविज्ञान की दूसरी शाखा अर्थविज्ञान है। शब्द के दो पक्ष होते हैं। एक बाहरी, जिसमें उसका शरीर कह सकते हैं। ध्वनियों के रूप में यही हमारे समक्ष रहता है। शब्द का दूसरा पक्ष भीतरी है जिसमें उसकी आत्मा कह सकते हैं। परिवर्तित शब्द को बाहर और भीतर दोनों आरंभ देखकर ही किसी पूर्ववर्ती शब्द से जोड़ा जा सकता है। अंग्रेजी का शब्द है 'ट्रेजरी' और हिंदी में उसका विकास है 'तिजोरी'। 'ट्रेजरी' से 'तिजोरी' का सम्बन्ध केवल ध्वनि के आधार पर नहीं जोड़ा जा सकता। अर्थविज्ञान ही यह

व्याकरणिक इकाइयों का निर्देश करने पर। यो आज व्युत्पत्ति में जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, शब्द का एक प्रकार से सर्वांगीण विकासात्मक अध्ययन आता है।

हर नई चीज का विकास आवश्यकतावश ही होता है। हमारा यहाँ प्राचीन काल में बोलचाल की भाषा जैसे जैसे वदिक भाषा से दूर हटती गई वदिक भाषा को समझना और उसका ठीक उच्चारण या पाठ करना लोगों के लिए कठिन होता गया। किंतु वदिक ऋचाओं का अध्ययन-अध्यापन तत्कालीन पंडित वर्ग के लिए एक प्रकार से अनिवार्य आवश्यक था, परिणामतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए दो शास्त्रों का विकास हुआ। अथ समझने के लिए निरुक्त या निवचनशास्त्र का तथा ठीक उच्चारण के लिए शिक्षाशास्त्र का।

यो शब्दों के निवचन करने के प्राचीनतम उदाहरण ऋग्वेद में मिलते हैं, जिससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि कदाचित् शब्दों की निरुक्ति देने की मौखिक परम्परा निरुक्त से काफी पुरानी थी। आज भी कभी-कभी सामान्य लोग इस प्रकार के अनुमान लगाते पाए जाते हैं।

निवचन या निरुक्त का प्राचीनतम रूप अनुमानाश्रित अधिक रहा होगा। धीरे-धीरे समय के साथ उसमें वृत्तानुसृतता जाती गई होगी। यास्क के निरुक्त तक जाते-आते इसमें काफी कुछ शास्त्रीयता जा गई थी किंतु फिर भी उसमें अनुमान का अंश बिल्कुल न रहा हो ऐसी बात नहीं। व्याकरण शास्त्र का अर्थ निरुक्त या निवचन का ही विकसित रूप है। इसी कारण व्याकरण के आधार पर शब्द विश्लेषण के उदाहरण बहुत पुराने नहीं मिलते, जबकि निरुक्त के उदाहरण बहुत पुराने भी मिल जाते हैं। यह भी कहना कदाचित् अयथा न हो कि अंतिम निरुक्तकार यास्क के बाद ही सच्चे अर्थों में व्याकरण की परम्परा चली। वह काल सधिका काल है। उसके पूर्व निरुक्तकार ही प्रायः भाषा का विश्लेषण करते थे। उसके बाद व्याकरण ने इसका स्थान ले लिया। यो यास्क भी व्याकरण के महत्त्व से अपरिचित नहीं थे, इसीलिए निरुक्तकार के लिए व्याकरण का ज्ञान उतने आवश्यक माना है।

अंग्रेजी में व्युत्पत्ति को यो तो डेरिवेशन (derivation) भी कहते हैं, किंतु इसके लिए मुख्य शब्द एटिमोलॉजी (etymology) चलता है। अंग्रेजी में यह शब्द फ्रांसीसी शब्द *etymologie* से आया है और वहाँ यह शब्द लैटिन *etymologia* का विकसित रूप है। लैटिन का भी यह अपना शब्द नहीं है। वहाँ ग्रीक से आया है। ग्रीक एटिमोलॉजिया के मूल में दो शब्द हैं एतिमास (etymos) और लागान (logos) पहले शब्द का अर्थ 'यथाय', 'सच्चा या 'ठीक है और दूसरे का 'शब्द या 'लेखा जोखा'। इस तरह इसका मूल अर्थ हुआ यथाय या सच्चा शब्द या 'शब्द के सच्चे अर्थ का लेखा जोखा'। प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक क्रिसिपस (Chrysippos) ने जिनका काल तीसरी सदी ई० पू० है एक ग्रन्थ 'एटिमोलॉजिका' लिखा था, जिसमें शब्दों के ठीक अर्थ की छानबीन थी। कहना

न होगा कि 'निरुक्त' भी मूलतः इसी के समकक्ष था, और दोनों देशों में इन दोनों का विकास कदाचित् एक ही प्रकार की आवश्यकता के कारण हुआ, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। प्राचीन यूनान में 'एतिमालोजी भाषाविज्ञान' की शाखा न होकर दशन की एक शाखा थी, जिसमें शब्द द्वारा व्यक्त भाव की यथाथ जानकारी के लिए उसके मूल आदि का अध्ययन किया जाता था। वस्तुतः यूनानी और रोमन लोगों के लिए यह शास्त्र किसी शब्द का मूल अर्थ जान करने का साधन मात्र था। आज की तरह शब्द की उत्पत्ति और उस का इतिहास जानना इसका साध्य नहीं था। उत्पत्ति और इतिहास पर विचार होता भी था तो साध्य रूप में नहीं, अपितु शब्द का मूल या वास्तविक अर्थ जानने के लिए साधन रूप में। इस तरह मुख्यतः अर्थ से सम्बन्धित होने के कारण यह विज्ञान उन लोगों के लिए दशन की शाखा अथविज्ञान के अंतर्गत आता था।

व्युत्पत्तिविज्ञान मूलतः ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के अंतर्गत आता है किंतु व्युत्पत्तियों के अध्ययन में वणनात्मक एवं तुलनात्मक भाषाविज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है। वणनात्मक की इसलिए कि शब्द किन किन तत्वों से बना है, तथा उसका इतिहास के विभिन्न कालों में क्या अर्थ था, आदि बातें भी व्युत्पत्ति के अध्ययन के लिए अपेक्षित हैं। तुलनात्मक की इसलिए कि भाषा विशेष के शब्द विशेष की व्युत्पत्ति में विभिन्न कालों में उस शब्द के जायिक तथा ध्वन्यात्मक परिवर्तन की जानकारी के लिए उस परिवार की अन्य भाषाओं से तुलना करनी पड़ती है। वस्तुतः किसी भी प्रकार के परिवर्तन का पता तुलना से ही लगता है। इसके अतिरिक्त यदि शब्द किसी और भाषा से गृहीत है तो मूल से किस दृष्टि से कितना परिवर्तित है, इसके लिए उस भाषा से भी तुलना करनी पड़ती है।

व्युत्पत्तियों के अध्ययन में सबसे अधिक सहायता ध्वनिविज्ञान से लेनी पड़ती है। शब्दों में ध्वनि की दृष्टि से प्रायः बहुत अधिक परिवर्तन हो जाया करते हैं। 'उपाध्याय' और 'ओझा' में ऊपर से देखने में कोई खास सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता। ध्वनिविज्ञान के सहारे 'उपाध्याय' में सम्भावित परिवर्तनों का पता लगाते हैं और तब यह स्पष्ट होता है कि 'ओझा' शब्द उपाध्याय का ही परिवर्तित रूप है। दृष्टान्त का यह अर्थ आज, नृत्य नाच को भी ध्वनिविज्ञान की सम्यक जानकारी से ही जोड़ा जा सकता है। ध्वनिविज्ञान अपने मुख्य तीन (वणनात्मक, ऐतिहासिक तुलनात्मक) रूपों में व्युत्पत्ति देने में सहायता करता है।

व्युत्पत्तिविज्ञान में सहायता पहुँचाने वाली भाषाविज्ञान की दूसरी शाखा अथविज्ञान है। शब्दों के दो पक्ष होते हैं। एक बाहरी, जिस उसका शरीर कह सकते हैं। ध्वनियों के रूप में यही हमारे समक्ष रहता है। शब्द का दूसरा पक्ष भीतरी है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। परिवर्तित शब्द को बाहर और भीतर दोनों ओर में देखकर ही किसी पूर्ववर्ती शब्द से जोड़ा जा सकता है। अंग्रेजी का शब्द है 'ट्रेजरी' और हिन्दी में उसका विकास है 'तिजोरी'। 'ट्रेजरी' से 'तिजोरी' का सम्बन्ध केवल ध्वनि के आधार पर नहीं जोड़ा जा सकता। अथविज्ञान ही यह

चतलाएगा कि आधिष दष्टि से भी इनके सयद्ध होने की सभावना है। एम ही ससृत्त 'पशु' और अग्रेजी 'फी', ससृत्त 'सिधु' और अग्रेजी इडि (या), ससृत्त 'गूह' और हिंदी 'घर', ससृत्त 'आमलक' और हिन्दी 'आंवला', ससृत्त 'वाग्बिा', हिंदी 'बारी', ससृत्त 'द्वार' और पजाबी 'बारी' अयविज्ञान के आघाट पर ही जोडे जा सवते हैं। अथविज्ञान के भी तीना रूप (यणन, तुलना, इतिहास) हमारी सहायता करते हैं। अर्थ निर्धारण म यणनात्मक तथा अय-परिवतन की ठीक जानकारी मे तुलनात्मक और यणनात्मक सहायक होते हैं।

इस प्रकार ध्युत्पत्तिविज्ञान म सहायक के रूप म ध्वनिविज्ञान और अथ-विज्ञान दोनो ही एक दूसरे के पूरक हैं।

रूपविज्ञान स भी व्युत्पत्तिविज्ञान को कुछ न कुछ सहायता लनी पडनी है। शब्द यदि कोई पद या रूप है तो उसक विश्लेषण एध उसके अथ निर्धारण म यह हमारी मदद करता है। किसी भाषा का सामान्य व्याकरण हम शब्द विशय के बारे मे अपेक्षित सारी जानकारी नहीं दे पाता या देता भी है तो गलत दता है। इसके लिए भी ध्युत्पत्तिविज्ञान को रूपविज्ञान की शरण लनी पडती है। विशेषत प्राचीन भाषाओ के लिए तो यह और भी सत्य है।

वाक्यविज्ञान भी व्युत्पत्तिविज्ञान की सहायता करता है। कभी-कभी वाक्य से किसी शब्द के अथ तथा व्याकरण से उसके ध्याकरणिक अथ का ठीक पना नहीं चलता। इसके लिए उसका वाक्यो म प्रयोग देखना पडता है, जिसमे वाक्यविज्ञान के बिना हमारा काम नहीं चल सवता। मुख्यत प्राचीन साहित्य के शब्दा के अध्ययन मे तो यह अनिवाय हो जाता है। वदिक ससृत्त, अवेस्ता ग्रीक लटिन शब्दा के व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन मे सचमुच ही इस विज्ञान ने बडी सहायता की है।

भाषाविज्ञान की शाखा शब्दविज्ञान भी व्युत्पत्तिविज्ञान स पयाप्त सम्बन्धित है। एक तो व्युत्पत्तिविज्ञान अपने आप मे शब्दविज्ञान की एक शाखा है कयाकि शब्दविज्ञान शब्दो का अध्ययन है, और व्युत्पत्तिविज्ञान भी एक विशेष दृष्टि से शब्दो का ही अध्ययन है। इसके अतिरिक्त किसी भाषा का शब्दसमूह कसे और कया बदलता है कोई भाषा कहाँ-कहाँ से और कयो शब्द लेती है, य बातें शब्दविज्ञान मे महत्त्वपूर्ण हैं। कहना न होगा कि ध्युत्पत्तिविज्ञान के लिए भी इन बातो की जानकारी अपेक्षित है। मदा, सेवई, दाम जैसे शब्द भारतीय भाषाओ मे यूनान स आये है। अय विज्ञानो की सहायता से हिंदी 'दाम' को हम ससृत्त द्रम्म या प्राकृत दम्म से जोड सवते हैं किंतु शब्दविज्ञान ही यह बतलाएगा कि यह शब्द मूलत ससृत्त का नहीं है और यूनानी 'द्राघ्मे से आया है। वस्तुत विदेशी मूल के सारे शब्दो की व्युत्पत्ति मे हम शब्दविज्ञान से बडी सहायता मिलती है।

भाषाविज्ञान की उपयुक्त शाखाएँ तो व्युत्पत्तिविज्ञान की सहायता करती ही हैं साथ ही इही के माध्यम से या सामग्री या प्रमाण सकलन या विश्लेषण के लिए स्वतंत्र पुरातत्त्व, इतिहास, साहित्य, धर्म, भूगोल, मनोविज्ञान, मानव

विज्ञान आदि से भी इसे पर्याप्त सहायता मिलती है।

व्युत्पत्ति के क्षेत्र में काम करने के लिए निम्नांकित बातें ध्यान में रखनी हैं —

(क) जिस व्यक्ति को इस क्षेत्र में कार्य करना हो उस भाषाविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। विशेषतः ध्वनिविज्ञान में उसकी गति बहुत अच्छी होनी चाहिए।

(ख) शब्द या शब्दों से सबद्ध भाषाओं, साहित्य तथा सस्कृति का अच्छा ज्ञान हो तो उसका कार्य अधिक गहरा तथा विश्वसनीय हो सकेगा।

(ग) सबद्ध पुस्तकों की उमर के पास अधिक से अधिक पूर्ण सूची होनी चाहिए ताकि उस क्षेत्र में जो कुछ कार्य हो चुका है उसमें वह परिचित हो सकें। ऐसा न करने में कभी-कभी तो ऐसे व्यय के कामों में काफी समय लग जाता है जो दूसरे कर चुके हैं, और जिन आधार मानकर काम आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पहले के सारे कार्यों को पढ़ लेना स व्युत्पत्तिशोधकर्ता व बहुत सी श्रुतियाँ करने से बच जाता है जो पूर्ववर्ती लोग कर चुके हैं। इस प्रकार पूर्ववर्ती कार्य जान लेने से उमर का श्रम ठीक प्रकार से व्युत्पत्ति-कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता है, व्यय के कामों में या पिष्टपेपण में नहीं।

(घ) जिस भाषा या भाषा परिवार पर इस दृष्टि से कार्य करना हो उसके बारे में तथा उसकी भाषाएँ एवं बोलियों के बारे में अधिक-से-अधिक जानकारी भी उपयोगी सिद्ध होती है।

(ङ) सबसे पहले जिस (या जिन) भाषा(या) के शब्दों पर कार्य करना हो उनकी ध्वनियों का तुलनात्मक चार्ट बना लेना चाहिए। इस चार्ट के लिए अधिक-से-अधिक तुलनात्मक सामग्री एकत्र करनी चाहिए। इस सामग्री से ऐसे शब्दों का साय-साय रखना चाहिए जिनके किसी एक मूल शब्द से निकलने की संभावना हो। उदाहरणार्थ —

सस्कृत	पालि	प्राकृत	जिप्सी
घन	घित	घिअ	गिर
सिंधी	लहँदा	पंजाबी	बंगाली
गिहू	घिऊ	कथो	घि
उडिया	भोजपुरी	अवधी	हिंदी
घिअ	घीव	घीउ	घी

यहाँ एक शब्द के विभिन्न भाषाओं में प्राप्त रूप एकत्र किये गये हैं। इनके आधार पर यह जाना जा सकता है कि सस्कृत की घ ध्वनि जिप्सी में 'ग', सिंधी में 'ग' तथा पंजाबी में 'क-जसी' है और शेष में घ ही है। यहाँ तो एक शब्द स निष्कप निकाला गया। 40 40, 50 50 इसी प्रकार के शब्द लेकर ध्वनि की आदि, मध्य, अंत, बलाघातयुक्त एवं बलाघातशून्य तथा अक्षर में स्थिति देखकर

उसके विकास की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार सारे स्वरों और सारे व्यंजनों के बारे में पता लगाता है। इसमें इन सभी भाषाओं और बालिया के ध्वनि-समूह का तुलनात्मक ढंग से आपस में तथा ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि के साथ सम्बन्ध का पता चल जाता है। इस ऐतिहासिक और तुलनात्मक चाट के सहारे सरलता से पता चल जाता है कि किसी भाषा की कोई ध्वनि पहले क्या रही होगी —

उदाहरणार्थ मान लीजिए, संस्कृत और हिंदी में सम्बन्ध-स्थापन के लिए आपने कुछ शब्दों की सूची बनाई।

संस्कृत	हिंदी
वन	वन
विवाह	ब्याह
दधि	दही
वधिर	बहरा

उपयुक्त शब्दों से पता चलता है कि आदि स्थान का संस्कृत 'व' हिंदी में 'ब' हो जाता है तथा बीच के स्थान का 'ध' 'ह' हो जाता है। अर्थात् संस्कृत व > हिंदी ब, संस्कृत ध > हिंदी ह। अब मान लीजिए आपको हिंदी 'बहू' की व्युत्पत्ति खोजनी है। उपर्युक्त नियम को उलट दें तो कह सकते हैं कि हिंदी 'ब' संस्कृत में 'व' रहा होगा तथा 'ह' 'ध', अर्थात् इसका पुराना रूप 'वधू' होगा।

वस्तुतः व्युत्पत्ति खोजना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ केवल समझने के लिए यह एक बहुत ही सतही उदाहरण दिया गया। या उपयुक्त प्रकार का चाट तैयार कर लेने पर ठीक व्युत्पत्ति देना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है।

(च) ध्वनि का चाट बनाते समय दो बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ये हैं भाषा की अनुलेखन पद्धति और बतनी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, लिपि चिह्न का नहीं। कभी कभी एक ही अक्षर (letter) कई भाषाओं में कई ध्वनियों का काम करता है। ऐसी स्थिति में उस एक ध्वनि का प्रतीक न मान लेना चाहिए। उदाहरण के लिए 'प' हिंदी में 'श' है किंतु संस्कृत में 'प' था या ऋ संस्कृत में 'ऋ' थी किंतु गुजराती में 'र' है। अंग्रेजी में 'ट' जैसी ध्वनि है तो फ्रांसीसी में 'त' जैसी। जायज यह है कि हमारा ध्यान ध्वनियों पर होना चाहिए और इस दृष्टि से सतक रहना चाहिए। ऐसा न हो कि लिपि चिह्न की अनेकरूपता हम भटका दे। कभी-कभी एक भाषा में भी यह गड़बड़ी मिलती है। अंग्रेजी में 'u' भी है, 'उ' भी, 'ch' 'च' भी है और 'क' भी।

यही बात बतनी के बारे में भी है। बतनी और उच्चारण में अंतर हो तो बड़ी सावधानी से अपने निष्कर्षों को निबालने चाहिए। ऐसी बतनी शब्द के पुराने

रूप या पुराने उच्चारण को (psychology, talk, daughter) तो प्रकट करती है, किंतु वर्तमान उच्चारण (साइकॉलॉजि, टाक, डाटर) भिन्न होता है।

(छ) व्युत्पत्ति में शब्द कभी कभी तोड़कर अर्थात् उसके उपसर्ग मूल शब्द एवं प्रत्यय को जलग अलग करके (अ+कुश+ल+ता) देखना भी उपयोगी होता है।

(ज) बलाघात तथा अनुतान आदि का ध्वनियां पर कभी कभी ऐसा प्रभाव पड़ता है कि परिवर्तन के सामान्य नियम से उन्हें अलग कर देता है। अतः इस पक्ष पर भी ध्यान आवश्यक है।

(झ) ऊपर ध्वनि चाट बनाने की बात कही गई है। कभी-कभी सादृश्य के कारण असाधारण परिवर्तन भी हो जाते हैं। संस्कृत मज्ज > प्राकृत मज्झ से हिंदी 'मज्ज' बनना चाहिए या किंतु बन गया 'मुज्ज'। इससे यह निष्कर्ष निकालना भ्रामक होगा कि संस्कृत अ > प्राकृत अ > हिंदी उ है। वस्तुतः यह तुभ्य > तुज्ज > तुझ का प्रभाव है। यो ध्वनियों का परिवर्तन प्रायः बहुत नियमित होता है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी डबडी सादृश्य के कारण पड़ती है अतः इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए।

(ञ) इसी प्रकार किसी भाषा में गहीत परवर्ती शब्द भी पूर्ववर्ती ध्वनि नियम के अनुसार नहीं चलता। ऐसी स्थिति में यदि उसके बाहर से आन का ध्यान नहीं रखा गया तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उदाहरण के लिए संस्कृत 'कृष्ण' का हिंदी में नामो में 'किशुन' रूप भी मिलता है। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि संस्कृत प हिंदी म श हो जाता है। वय > वरस पष्टि > साठ पड > सांड म प > स है। वस्तुतः 'किशुन' तद्भव शब्द नहीं है। संस्कृत स हिंदी काल में 'कृष्ण' शब्द मूल रूप में आया और उसका यह विकास है अर्थात् तथा-कथित अद्य-तद्भव है।

(ट) कुछ लोग व्युत्पत्ति में 'अनुमान' लगाना अवैज्ञानिक मानते हैं। मैं इस मत से असहमत हूँ। बिना अनुमान या अंदाज के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ यह नहीं कि हम अपने अनुमान को ही सिद्ध करने के लिए कटिबद्ध हो जाएँ। हम चाहिए कि अपने अनुमान को शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। यदि वह उपर्युक्त नियमों के बिल्कुल अनुकूल हो तो उसे मानें, अन्यथा छोड़ दें। अनुमान आगे बढ़ने का एक आधार होना है किंतु यह आवश्यक नहीं कि वह सत्य ही हो। इस प्रकार अनुमान करने के बाद उसके प्रति तन्मय हाँकर हमें छानबीन करनी चाहिए।

(ठ) ध्वन्यात्मक दृष्टि में व्युत्पत्ति ठीक मिल जाने पर उसके अर्थ पर भी विचार कर लेना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं कि अर्थ में अंतर हो तो उसे गलत मान लें। अंतर पर विचार कर लेना चाहिए और यह देखना चाहिए कि अर्थ-परिवर्तन के कारण वह अंतर सम्भव है या नहीं। उदाहरण के लिए संस्कृत 'पशु, अग्नेयी फ्री' एक हैं। पशु भी कभी रूप-रस के स्थान पर दिये लिये

ये अतः ऐसा अर्थ परिवर्तन समझ में आता है, किन्तु हिन्दी के 'आम' (फल) को संस्कृत 'आम्र' से संबद्ध मान लेने पर हिन्दी 'आम' (सामान्य) उससे नहीं जाड़ सकते। यह अलग शब्द है जो अरबी से आया है।

इस तरह अनुमान से प्रारम्भित फिर ध्वन्यात्मक व्यवस्था, एव अर्थ की दृष्टि से पूर्णतः परीक्षित व्युत्पत्ति ही सच्ची व्युत्पत्ति हो सकती है।

कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विश्व की अनेक भाषाओं में पहुँच जाते हैं। उनकी व्युत्पत्ति पर विचार करने में यह भी देखना होता है कि व कहाँ कहाँ से अर्थात् किस रास्ते गए यह ध्वनि के अध्ययन के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द है 'शृग्वर' जिसका अर्थ है 'अदरक'। यहाँ संक्षेप में इसका इतिहास देखा जा सकता है। संस्कृत में एक शब्द है शृग (सींग) इसी के आधार पर सींग जैसी होने से इस 'जड़' (वेर) को 'शृग्वर' कहा गया। वस्तुतः 'शृग' और 'वेर' संस्कृत के अपने शब्द नहीं हैं। ये द्रविड परिवार के हैं और इनका अर्थ क्रमशः 'सींग' और 'जड़' है। अर्थात् शृग्वर ऐसी जड़ है जो सींग जैसी हो। यही संस्कृत में शृग्वर पालि में सिग्वेर तथा प्राकृत में सिग्वेर हो गया। पालि प्राकृत से जाकर यह शब्द सिंहली में 'इगुरु', मध्य ईरानी में Sngrypyl तथा ग्रीक में Zingiberris बना। फिर एक तरफ मध्य ईरानी से (Sngryvel) आर्मेटिक होते यह Zanghebbil रूप में हिब्रू में पहुँचा तो दूसरी ओर आर्मेटिक से अरबी में Zanjabil और तुर्की में Zencefil रूप में। अरबी से स्वाहिली (Tangawizi) आदि के कई अफ्रीकी भाषाओं में यह गया। अरबी से ही जापान (Janjapili) बना। अब ग्रीक से यह लतिन (Zingiber) में पहुँचा और वहाँ से यह एक ओर तो इटलियन (Zenzero), स्पैनिश (Jengibre), पुतगाली (Gengivre) फ्रेंच (Gingembre), अंग्रेजी (Ginger), जर्मन (Ingwer) तथा डच (Gember) आदि में गया और दूसरी ओर हंगेरियन (Gyomder) आदि में। रूसी, बल्श बलगेरियन, अल्बानियन, रूमानियन, उइगुर, फिजियन, इस्तो वियन स्वीडिश फिनिश आदि में भी विभिन्न रूपों में यही शब्द है। यह है संस्कृत 'शृग्वर' की विश्वविजयिनी यात्रा। संस्कृत 'शकरा' शब्द भी इसी प्रकार समार की अनेकानेक भाषाओं में शकर, शूगर, साखर, सक्नीन आदि रूपों में आज प्रयुक्त हो रहा है।

कभी-कभी व्युत्पत्तियों में बड़ी जटिल समस्याएँ आ जाती हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत 'सपत्नी' (इसका शाब्दिक अर्थ है 'पत्नी सहित' अर्थात् 'और पत्नी वाला') से हिन्दी सौत का विकास है। प (>व>व) उ होकर 'स व अ' से मिलकर 'औ' हो जाता है और 'न' व लाप से 'त' शेष रह जाता है। किन्तु इसी संसंबद्ध शब्द पजाबी में है सौकन या 'सौकण'। इसमें 'स' 'औ' 'न' या 'ण' की कोई समस्या नहीं है। किन्तु 'व' कहाँ से आ गया? किसी भी तरह से इसका समाधान नहीं हो रहा था। एक शिक्षाप्रथ में मुझे यह संकेत मिला कि परान जमाने में कुछ प्रदेशों में लोग 'त्न' का ठीक उच्चारण नहीं कर पाते थे, व

'ल को ल्न बोलते थे। इम सन्नेत के प्रकाश म अनुमान यह लगता है कि इत उच्चारण दोष ने ही ल्न का ल्न कर दिया फिर त क लोप और क न क वीच 'अ क आगमन स 'सौकण' बन गया।
नमूने के तौर पर नीचे दो शब्दों (तुम और आप') की व्युत्पत्ति पर कुछ विम्वार से विचार किया जा रहा है।

तुम

तुम शब्द विभिन्न भाषाओं और बोलियों म विभिन्न रूपा (बांगरू तम, तम्ह यम कौरवी तुम, तम ताजुखेकी तम, ब्रज तुम कनौजी तुम तुम्ह, बुली तुम, निमाडी तुम, अवधी तुम तुम्ह वघेली तुम्ह छत्तीसगढी तुम, दक्खिनी तुम राजस्थानी तुम तम पहाडी तुम तुमू तिमि, जिप्सी तिमि, गुजराती तम तम मराठी तुम वगाली आसामी तुमि उडिया तुम्ह आदि) म मिलता है। इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध म बहुत विवाद है। वामता प्रसाद गुरु स० त्वम > प्रा० तुम्ह स इस व्युत्पन्न मानते हैं। श्यामसुन्दर दास इसे म० त्वम > प्रा० तुम स मानते हैं। पिघेल ने इस प्रसंग म यूपम के स्थान पर सस्कृत म तुप्म की कल्पना की है। तैसितारी सुकुमार सेन धीरेन्द्र वर्मा तथा उ० ना० तिवारी आदि सभी इसी से तुम को विकसित मानत है।

मरे विचार म तुम की व्युत्पत्ति मे 'त की समस्या इतनी सामान्य एव सीमित नहीं है जितनी उसे प्राय विद्वाना ने माना है। ऐसी स्थिति म इस प्रश्न को धाडे विस्तार से देखना अपेक्षित है। वस्तुतः तुम' के अपभ्रंश प्राकृत तथा पालि म प्रयुक्त पूर्ववर्ती रूपों की प्राप्ति म कोई कठिनाई नहीं है। इसका विकास पालि 'तुम्ह प्राकृत, अपभ्रंश 'तुम्हे', परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट तुम्ह स स्पष्ट है।

वास्तविक कठिनाई है पालि के तुम्हे के पूर्ववर्ती रूप की प्राप्ति म। वदिक सस्कृत तथा सस्कृत म प्रथमा बहुवचन म रूप था यूपम। वस्तुतः यूपम् रूप भी काल-चित उत्तम पुरुष बहुवचन से प्रभावित वाद का रूप था। जसा कि मूल युष्मद् तथा बहुवचन के अर्थ रूपो युष्मान्, युष्माभि, युष्मभ्यम् 'युष्मत्, 'युष्माक्म' तथा युष्मासु स स्पष्ट है, 'यूपम्' का प्राचीन रूप यूपम रहा होगा। किन्तु तुम्हे या 'तुम आदि का सम्बन्ध 'यूपम या 'यूपम स नहीं ज्ञात होता। वदिक सस्कृत म उत्तम पुरुष अत्म की भाँति मध्यम पुरुष म युष्मद् रूप मिलता है। इनका प्रयोग सम्प्रदान और अपादान म हुआ है, किन्तु कभी-कभी कर्ता म भी य प्रयुक्त हुए हैं। पालि 'तुम्हे इम वदिक युष्मे' के निकट है। किन्तु य का 'त' होना समझ मे नहीं आता। इसी कठिनाई के कारण पालि-प्राकृत 'तुम्हे की उत्पत्ति कल्पित रूप 'तुप्मे से मानी जाती है। यह कल्पित रूप पिशाल का बनाया हुआ है। बाद मे जँसा कि ऊपर सन्नेत किया जा चुका है अर्थ प्राय सभी विद्वाना ने इसी मत को स्वीकार किया है। युष्मे के आधार पर तुप्मे रूप की कल्पना करने मे 'त का आधार जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत ही

श्रय पुरुष (बहुवचन)

	मूल भारोपीय	ग्रीक	लटिन	अवेस्ता	वैदिक	संस्कृत	पालि
कर्ता	*ius	umeis	vos	yuzem	युयम, युष्मे	युयम	तुम्हे वो
वचन	*ues, usme, uos	umas	vos	vo	युष्मान्	युष्मान्, व	तुम्हे वो, तुम्ह, तुम्हाक
करण	*usme	×	vobis	×	"	युष्माभि	तुम्हेहि, तुम्हेभि, वो
संप्रदान	*ues, usmebh	umin	vobis	yus'maoyo	युष्मभ्यम, युष्मे	युष्मभ्यम्, व	तुम्हाक, तुम्हे, वो
अपादान	*usmed	×	vobis	yus'mat	युष्मत, युष्मे	युष्मत्	तुम्हेहि, तुम्हेभि, वो
सम्बन्ध	*ues, usmei, uos	umon	vestrum	yus'makem	युष्माकम्	युष्माकम्, व	तुम्हाक, तुम्हे वो
अधिकरण	*usmin	ummin	vobis	×	युष्मे	युष्मासु	तुम्हेसु

है। यदि अन्य प्राचीन सगोत्रीय भाषाओं में 'त' वाला रूप मिलता तो इस कल्पना में कोई कठिनाई नहीं थी। किंतु प्राप्त रूपों में 'त' कहीं भी नहीं है। (द०पृ० 118)

पीछे की रूपावलि में स्पष्ट है कि न तो मूल भारतीय के पुनर्निर्मित रूप में मध्यम पुरुष बहुवचन में 'त' है और न ग्रीक, लटिन, अवस्ता आदि में। यहाँ स्थानाभाय के कारण और रूप नहीं दिए गये हैं किंतु उल्लेख्य है कि प्राचीन आइरिश, गॉथिक, आल्ड हाई-जर्मन, लिथु० प्रश्न तथा प्राचीन चर्च स्लाव आदि अन्य प्राचीन सगोत्रीय भाषाओं में भी यही स्थिति है। कहीं भी 'त' नहीं है। किसी ऐसी भाषा में जिसका साहित्य उपलब्ध है, कल्पित रूप मानना का अर्थ यह होता है कि वह रूप लोक में व्यवहृत था, किंतु साहित्य में न आ सका अर्थात् अलिखित (unrecorded) रह गया। वस्तुतः वर्तमान समस्या यदि मात्र *तुम्हे तक ही सीमित होती तो मान लिया जाता कि यह रूप लोकप्रचलित था, और साहित्य में न आ सका। किंतु यहाँ समस्या कुछ और ही है। उपर्युक्त रूपा का साथ-साथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल 'तुम्हे' में ही 'त' की समस्या नहीं है। यह समस्या पालि के बहुवचन के सभी रूपा के सम्बन्ध में है। ऐसी स्थिति में संस्कृत में *तुम्हे रूप की कल्पना के विरुद्ध दो बातें आ जाती हैं। (अ) संस्कृत की सगोत्रीय किसी भी भाषा में बहुवचन में 'त' वाले रूप नहीं हैं। (आ) यदि इसके बावजूद पालि 'तुम्हे' के समाधान के लिए संस्कृत में *तुम्हे की कल्पना करें तो यह श्रृंखला यही नहीं समाप्त हो सकती। पालि के सभी कारकों के रूपों के लिए संस्कृत में इसी प्रकार की कल्पना (जैसे—*तुम्हान्, *तुम्हाभि, *तुम्हाम्यम्, *तुम्हाक्म, तथा *तुम्हामु आदि) करनी पड़ेगी। अर्थात् यह मानना पड़ेगा कि संस्कृत बहुवचन में यु—' वाले रूपों के साथ तु—' वाले रूपों की भी एक पूरी श्रृंखला चल रही थी। साहित्य में एक दो रूपों के न आ सकने की बात तो समझ में आती है, किंतु इन दोनों श्रृंखलाओं में एक ही साहित्य में आई और दूसरे के एक ओर से सारे के सारे रूप साहित्य में आए बिना रह गए, यह बात गले से उतरती नहीं। यदि यु—' और तु—' वाले इतने अधिक रूप लोक में प्रचलित थे और यु—' के सभी रूप साहित्य में आ गए तो कोई कारण नहीं था कि 'तु—' का एक भी रूप न आए।

इस प्रकार पिछले की यह कल्पना बहुत समीचीन नहीं जानती। प्रश्न उठता है कि फिर इन रूपों का विकास कैसे हुआ? मुझे एक ही बात सम्भव लगती है। संस्कृत में सभी रूप—एकवचन में 'त—' से प्रारम्भ होते थे और बहुवचन में य—' से किंतु पालि में एकवचन और बहुवचन दोनों ही में सभी रूप त—' से ही प्रारम्भ होने वाले हो गए। लगता है, संस्कृत और पालि के संधिकाल में जब पालि के रूप विकसित हो रहे थे, एकवचन के रूपों का बहुवचन के रूपों पर सामूहिक प्रभाव पड़ा और फल यह हुआ कि सभी रूपा में 'य—' के स्थान पर 'त—' हुआ गया। भाषाओं में इस प्रकार के प्रभाव देखे गए हैं। पालि में ही उत्तम पुरुष प्रथमा बहुवचन रूप 'मय' मिलता है। संस्कृत में यह रूप

था। वय से मय हान से सस्कृत के एक्वचन के रूपा म 'म' के आधिक्य (माम, मा, मया, मह्यम, मे मत, मम, म, मयि) का ही हाथ है। इन रूपों में आनेवाले 'म' ने 'वय' को प्रभावित किया और 'व' के स्थान पर 'म' आ गया। इस प्रकार तुम का विकास निम्न रूप में हुआ माना जा सकता है —

वदिक सस्कृत युष्मे > लौकिक सस्कृत > *युष्मे > सस्कृत-पालि सघ्न-कालीन भाषा (एक्वचन के रूपा के प्रभाव के कारण) *तुम्हे > पालि तुम्हे > अपभ्रंश तुम्हे > परवर्ती-अपभ्रंश तुम्ह > हिंदी तुम।

आप

पिछली सदी में पादरी स्टीवसन ने द्रविड शब्द 'आव' से आदरार्थी 'आप' का सम्बन्ध माना था। द्रविड में 'आव' है जिससे वुग अबु अब, तेलुगु आयन, अब तमिल एवण आदि बनते हैं किंतु इसका अर्थ 'आप' न होकर 'वह' है। यीम्ज, चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि सस्कृत में आत्मन् से इसको विकसित मानते हैं (स० आत्मा > *अत्वां > अत्वां > अत्पा (अशोक का गिरनार शिलालेख) > अप्प > आप)। सस्कृत में आत्मन का अर्थ आत्मा, अपना, बुद्धि, स्फूर्ति, पुत्र आदि ता है, किंतु इसके साथ आदर का भाव नहीं है जिसके आधार पर आदरार्थी 'आप' को इससे सम्बन्ध किया जा सके। पालि, प्राकृत, अपभ्रंश में भी इसके प्रयोग में कहीं भी ऐसा भाव नहीं है। ऐसी स्थिति में 'आत्मन' का इसका स्रोत नहीं माना जा सकता। मुझे तीन और सम्भावनाएँ दिखाई पड़ती हैं। (क) यदि स्टीवसन का व (व > व > प) का प होना माना जाय तो स० 'भवान्' से आप का विकास (भवान् > *भावन > जाप) असम्भव नहीं है। (ख) सस्कृत में एक शब्द 'आप्त' है, जिसका अर्थ बुद्धिमान, 'प्रामाणिक' आदि है। आप्त (> *अप्प > आप) से इसका विकास हो सकता है। (ग) द्रविड भाषाओं में एक मूल शब्द 'अप्प' है जो छवनि और आदरायता में हिंदी आप से दूर नहीं है तमिल अप्पन (पिता) अप्पच्चि (पिता) अप्पातै (बड़ी बहन), मलयालम अप्पन (पिता), कन्नड अप्प (पिता), अप (पिता), तुलु अप्पे (माता), तेलुगु अप्प (पिता माता, बड़ी बहन), गोडी आपोडाल (पिता), कुवी अप्प (दीदी), प्राकृत अप्प (पिता) हिंदी उर्दू आपा (माँ, बड़ी बहन) भी यही है। कन्नड में 'अप्पा' नामों के साथ आदराय (नागप्पा, करिअप्पा, चन्नप्पा निम्मप्पा) जोड़ा जाता है। तेलुगु, तमिल, मलयालम में भी एक सीमा तक आदराय में इसका प्रयोग होता है। मराठी अप्पाजी, अप्पाराव में भी यही है। इस प्रकार इस अप्प से भी 'आप' का सम्बन्ध हो सकता है।

उपर्युक्त में द्रविड अप्प' से 'आप' के निकलने की सम्भावना मेरे विचार में सर्वाधिक है। दूसरी सम्भावना (यद्यपि द्रविड 'अप्प' की तुलना में कम) स० 'आप्त' से हो सकती है।

ध्रामक व्युत्पत्ति

‘युत्पत्ति’ के प्रसंग में ध्रामक व्युत्पत्ति भी विचारणीय है। कभी-कभी लाग किसी जय भाषा के अपरिचित शब्द को ध्वनि साम्य (या कभी-कभी अय साम्य भी) के कारण अपन किसी परिचित शब्द के समान मान बैठते हैं, और उसी रूप में उस अपरिचित शब्द का उच्चारण करने लगते हैं। जैसे हिंदी प्रदेश के कुछ भागों में लोग ‘लाइब्रेरी’ को ‘रायबरेली’ कहते हैं। हुआ यह कि लोग रायबरेली (शहर का नाम) शब्द से परिचित थे। ‘लाइब्रेरी’ उनके लिए नया था, अतः उसे रायबरेली मानकर उसी रूप में बोलने लगे। ऐसी प्रवृत्ति को अंग्रेजी में फोक एटिमॉलजी (folk etymology) या ‘पॉप्यूलर (Popular) एटिमॉलजी’ कहते हैं। हिंदी में लोक-व्युत्पत्ति, लौकिक व्युत्पत्ति, ध्रामक व्युत्पत्ति, या ध्रमात्मक व्युत्पत्ति आदि कई नामों से इस अभिहित करते हैं। चूंकि ऐसा करने में दो तत्त्वतः असम्बद्ध शब्दों को जनता (people, folk) एक मान लेती है अर्थात् दोनों की व्युत्पत्ति एक मान बैठती है, अतः ऐसे नाम दिए गए हैं।

कुछ लोगों ने ‘हाब्सन जाब्सन’ नाम का प्रयोग भी इस प्रकार की व्युत्पत्तियों के लिए किया है। इस शब्द की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अंग्रेज सिपाहियों ने भारत में आने पर मुहरम में पहले-पहल जब शिया मुसलमानों को ‘हसन हुसन चिल्लाते सुना तो उनकी समझ में कुछ न आया। बाद में ध्वनि-साम्य के कारण उन्होंने यह सोचा कि ये लोग कदाचित् ‘हाब्सन जाब्सन चिल्ला रहे हैं। परिणामतः उनके लिए ‘हसन हुसन’ हाब्सन-जाब्सन बन गया। इस प्रकार ‘हाब्सन जाब्सन’ ध्रामक व्युत्पत्ति का अच्छा उदाहरण है। इस प्रसंग में मुझे अपन बचपन की एक घटना याद आ रही है। एक बार एक अनपढ़ बूढ़े ने आंध्र प्रदेश का नाम सुनकर मुझ से पूछा कि क्या वहाँ क्यादातर लोग ‘आहर (=अधे) हैं, जो उसका यह नाम पडा है। भोजपुरी में ‘आहर’ का अर्थ ‘अधा’ होता है। उस बूढ़े की समझ में ‘आ-ध्र’ ता आया नहीं, उसने समझा कि ‘आ-ध्र’ कदाचित् उसकी अपनी बोली का ‘आहर’ ही है, और उसकी बोली में आहर का अर्थ आधा था, अतः उसने आंध्र प्रदेश को ‘आहर प्रदेश’ अर्थात् ‘अधा का प्रदेश’ समझ लिया। इस तरह उसने अपने ढंग से ‘आंध्र प्रदेश’ की व्युत्पत्ति कर डाली।

हिंदी का एक अल्पप्रचलित शब्द है ‘हाथीचक’। यह एक पौधे का नाम है जो दवा के काम आता है। मूलतः यह शब्द अरबी का है जो इतालवी भाषा में आकर Articioceo तथा अंग्रेजी में Art Choke हो गया। अंग्रेजों के साथ भारत में आने पर इसका प्रचार कदाचित् बंगाल में सबसे प्रथम हुआ। वहाँ इसका नाम एक अपरिचित और अस्पष्ट शब्द था अतः लोगों ने ‘आर्टी’ को हाथी कर दिया तथा ‘चोक’ को ‘चाख’। हाथी और चाख’ बँगला में साथक है। इस तरह बँगला में ध्रामक व्युत्पत्ति के कारण यह शब्द ‘हाथी चोख’ हो गया। हिंदी

मे यही 'हाथी चक' है। भोजपुरी प्रदेश में इसे 'हाथीचिघार' अर्थात् 'हाथी की चिघाड' कहते हैं। 'चिघाड' शायद 'चोक' को 'चोकरना' (भोजपुरी में चिघाडना को 'चोकरना' भी कहते हैं) समझ लेने के कारण हुआ।

इसी प्रकार एक अच्छा उदाहरण 'हीराकुण्ड' है। उड़ीसा का प्रसिद्ध बाध है 'हीराकुण्ड'। उड़ीसा भाषा में 'कुण्ड' का अर्थ है 'नदी द्वारा घिरा स्थान'। यह स्थान नदी द्वारा घिरा है तथा यहाँ कभी हीरो की खोज हुई थी अतः इसका नाम 'हीराकुण्ड' पड़ा। यह शब्द जब हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में आया तो लोगों (अनपढ़ लोग ही नहीं, पढ़ लिखे सम्पादकों एवं लेखकों) ने सोचा कि 'हीरा तो ठीक है किन्तु यह कुण्ड क्या है?' सम्भव है यह 'कुण्ड' हो। बस यह सोचना था, इसका नाम हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में हीराकुण्ड हो गया। अब भी हिंदी में इस 'हीराकुण्ड' ही कहते और लिखते हैं। इस प्रकार शब्द भ्रामक व्युत्पत्ति के शिकार सबदा अनपढ़ा के हाथ ही नहीं, कभी-कभी पढ़े लिखे लोगों के हाथ भी हो जाते हैं।

पुलिस और सेना के सिपाही अब तो काफी पढ़े लिखे होते हैं किन्तु पहले यह स्थिति नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि अनेक अंग्रेजी शब्द उनकी बोलचाल में भ्रामक व्युत्पत्ति के चक्कर में पटक-कुछ से कुछ हाँ गए। खजाने पर पहरा देने वाले सिपाही के पास यदि आप 1950 के पूर्व रात में जाते तो वह जार सँकहता, 'हुकुम सँटर'। वस्तु उसको सिखाया गया था 'हू कम्म देयर' (कौन जा रहा है), किन्तु अंग्रेजी न जानने के कारण उसके लिए 'हू कम्म देयर' निरर्थक था अतः उसने इसे 'हुकुमसँटर' समझा और यही कहने लगा। हुकुम सँटर अर्थात् सँदर का हुकुम है कि न आइए। इसी प्रकार सेना में 'स्टैंड एट ईज को ठंडा टी' कहते रहे हैं। 'ठंडा टी' अर्थात् 'ठंडी चाय' की तरह अर्थात् शांत।

बनारस के रिक्शे वाले तथा मजरदूर आदि हिंदू यूनिवर्सिटी के 'आठ कॉलिज' को 'आठ कालिज' कहते रहे हैं। 'आठ' उनके लिए अपरिचित और अस्पष्ट था अतः उसे 'आठ' कर लिया। इसी आधार पर 'आठ कॉलिज' से आगे स्थित 'साइंस कालिज' उनकी भाषा में नौ कालिज' (जो आठ के बाद आए) कहलाता है। एक बार मैं एक रिक्शे वाले से बनारस स्टेशन पर कहा—मुझे हिंदू विश्व-विद्यालय ले चलो। उसने तुरंत पूछा—कहाँ जाएँगे बाबू जी 'आठ कालिज' या नौ कॉलिज'। मैं उसके प्रश्न को बिल्कुल न समझ सका। फिर किसी स्थानीय व्यक्ति ने हमारे उसके बीच दुभाषिए का काम करके समस्या सुलझाई।

'ऑनरेरी मजिस्ट्रेट' का ऑनरेरी' शब्द कुछ भोजपुरी क्षेत्रों में 'अहेरी' हाँ गया है। 'ऑनरेरी मजिस्ट्रेट' को लोग 'अहेरी के साहब' कहते हैं। यहाँ ध्वनि और अर्थ दोनों साम्य, भ्रामक व्युत्पत्ति की पृष्ठभूमि में काम कर रहा है। 'अहेरी' ऑनरेरी में ध्वनि साम्य है ही, अर्थ साम्य यह है कि 'ऑनरेरी मजिस्ट्रेट' घतनिक तो होते नहीं अतः उनके यहाँ रिश्तत का बोलवाला होता है और भोजपुरी में 'अहेरी' का अर्थ होता है 'अयाय'।

यही-वही ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट के 'ऑनरेरी' शब्द को लोगो ने 'अनाडी' भी कर दिया है। यही भी ध्वनि तथा अर्थ दोनों में साम्य है। अर्थ साम्य इसलिए है कि ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट वायद-वानून की नियमित शिक्षा न पाने के कारण इन मामला में कुछ अपवादों को छोड़कर, प्रायः 'अनाडी' से ही होत रहे है।

रहीम त लिया है —

रहीमन याचकता गहे बडे छोट ह्व जात ।

नारायण हूँ वो भयो बावन आंगुर गात ॥

इसमें 'बावन आंगुर गात' ध्यान देने योग्य है। हिंदी तथा उमकी धोनिया में बहुत ठिगन व्यक्ति का 'बीना, बावन' या 'बावण' आदि कहत है। उसे बावन आदि क्या कहत है यह लोगो को स्पष्ट नहीं था। अतः लोगो ने यह साचा कि 52 अंगुल लम्बा हान के कारण 'बावन' या 'बीना' कहलाना है। रहीम जस विद्वान् भी इस भ्रामक व्युत्पत्ति के भ्रम से नहीं बच पाये। वस्तुतः 'बावन' या 'बीना का सम्बन्ध 52 में विस्तृत नहीं है। 'बावन' संस्कृत 'वामन तथा बीना संस्कृत वामन' के तदभव रूप हैं।

ऐसी प्रवृत्ति विश्व की सभी भाषाओं में मिलती है। मद्रास प्रांत में कभी एक कलक्टर आए थे जिनका नाम 'कोलेटपेट (Colletpet)' था। ये कुछ सख्त थे। बहुत जल्द ही वहाँ की जनता में इनका नाम 'कालापेट्टी' प्रसिद्ध हो गया। कालापेट्टी तामिल भाषा का शब्द है जिनका अर्थ है 'सख्त' या 'क्रूर'। इस प्रकार ध्वनि-अर्थ दोनों में साम्य होने के कारण यह परिवर्तन हो गया।

कटक में इसी प्रकार का एक 'माकट बाजार' है। इसमें 'मकट' 'माकॉट' है। उस बाजार का नाम पहले कोई 'माकॉट' था। 'माकॉट' शब्द अस्पष्ट था अतः उसे लोगो ने मिलती जुलती ध्वनि वाला उड़िया शब्द 'मकट' (= बदर, कदाचित वहाँ बदर भी रहे हों) बना दिया। बाजार वह है ही, अतः हा गया 'मकट बाजार'। जिनका अर्थ ऊपर से देखने में लगना है 'बदर बाजार' किन्तु वास्तविक अर्थ है 'बाजार-बाजार'।

अनेक भारतीय शब्द भी अंग्रेजी में जाकर भ्रामक व्युत्पत्ति के चक्कर में कुछ से कुछ हो गये हैं। उदाहरणार्थ अंग्रेजी में एक शब्द है बॉबरे (Bobby) जिसका अर्थ होता है — 'शोरगुल करती हुई बतार' (चैम्बर्स डिक्शनरी 1960, पृ० 115) यह सुनकर कितना आश्चर्य होता है कि मूलतः यह हिंदी शब्द 'बाप रे' है। इसमें भ्रामक व्युत्पत्ति ठीक उस रूप में तो नहीं काम कर रही है किन्तु अंग्रेजी शब्दों एवं रूपा के अनुरूप है अतः अंग्रेजी ने 'बाप रे' सुन उस न समझने के कारण 'बाबरे' कर लिया।

इसी तरह 'शाह शुजाउलमुल्क' (नाम) अंग्रेजी में 'बा शूगर मिल्क' (चाय चीनी दूध 'इंडियन 'बड स इन इगलिश' 1954, पृ० 48) बना गया है।

पटना में एक बाग का नाम 'गदनिया' या 'गन्नी बाग' है। यह

शब्द असल में 'गाडन' का भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण परिवर्तित रूप है। 'गाडन' का अर्थ है 'बाग'। उस बाग का पुराना नाम किमी अंग्रेज के नाम पर गाडन था। 'गाडन' अस्पष्ट एवं अपरिचित था अतः मिलता जुलता शब्द गदनिया या गदनी (गदन का भोजपुरी आदि में प्राप्त रूप) उसने स्थान पर आ गया और बाग था ही, अतः बाग जुड़ गया और हो गया 'गदनिया बाग' अर्थात् 'बाग-बाग'। अब यह बाग कट गया है, फॉलानी है और इसका नाम है 'गदनी बाग कालोनी'।

'पावरोटी' शब्द भी ऐसा ही है। पाउ' पुतगाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है 'रोटी'। 'पाउरोटी' भारत में सर्वप्रथम पुतगाली ले आए और उन्होंने उसे 'पाउ' कहा। स्पष्टता के लिए लोगो ने इसके साथ 'राटी जोड़कर इसे 'पाउरोटी' बनाया। पर 'पाउ' शब्द अस्पष्ट था। रोटी बड़ी थी ही। यह सोचकर कि यह 'पाउ' शब्द 'पाव' (1/4 सर) हो, (पाव भर की एक राटी) उसका भ्रामक व्युत्पत्ति प्राप्त रूप 'पावरोटी' हो गया। इधर अंग्रेजी 'डबल' ने 'पाव' को हटा दिया और 'पावरोटी' शब्द अब 'डबलरोटी' हो गया है।

कुछ दिन पूर्व तक 'अँगरेज' को हिन्दी प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की जनता 'रँगरेज' कहती रही है। यहाँ भी वही बात है। अँगरेज उनका लिए प्रारम्भ में अपरिचित शब्द था किन्तु उससे ध्वनि साम्य रखने वाला 'रँगरेज' परिचित शब्द था अतः लोग 'अँगरेज' के स्थान पर 'रँगरेज' मान बैठे। अनेक लोक गीतों में अँगरेज के स्थान पर 'रँगरेज' मिलता भी है —

देसवा के कइलस बर्बाद रँगरेज वेइमनवा। (भोजपुरी)

इसी तरह 'ऐक्टिंग रजिस्ट्रार' को कहीं-कहीं 'एकटांग रजिस्ट्रार' कहा जाता रहा है। यहाँ भी ध्वनि और अर्थ दोनों साम्य हैं। अर्थ साम्य इसलिए कि स्थायी व्यक्ति ही दोनों टाँगों से टिक सकता है अतः 'ऐक्टिंग' निश्चय ही 'एक टाँग' (अर्थात् एक पर का) कहलाने का अधिकारी है।

'श्रेकवान का बूखभान, चेम्सफोड (वाइसराय का नाम) का कुछ भोजपुरी क्षेत्रों में 'चिलमफोड' (यह कहा जाता है कि वह धूम्रपान का विरोधी था और उसने चिलम फोड दी थी), 'कैम्पवेल' का 'कम्बल', 'चाज शीट का 'चार शीट' (जो चार शीट कागज पर लिखी हो) 'साइबेरी' का 'रायबरेली' (एक शहर के प्रचलित नाम के आधार पर), 'सिगनल' का 'सिक'दर', 'अस्सरे नौ का 'साडे नौ', अरबी 'इतिकाल' का हिन्दी अतकाल' (अंतिम समय = मृत्यु) अंग्रेजी ऐडवास' का भोजपुरी में 'अठवास' (आठवा अर्थ), 'बनर्जी' का बानर जी (हान्सन जाब्सन नामक प्रसिद्ध कोश में), 'एंडरसन' (नाम) का मराठी में 'इन्द्रसन' 'जान मार्ले' नाम का कुछ हिन्दी क्षेत्रों में 'जान मार ले', 'मैन्जेरी' नाम का 'मकखनजी', 'क्वाटर गाड' का 'कातलवारद' तथा अंग्रेजी शब्द 'टैंडेम' (Tandem एक मवारी का नाम) का हिन्दी में 'टमटम' (उसकी घटी टमटम

यजती या बदाचित् इसी कारण यह परिवर्तन हुआ) कुछ अन्य उदाहरण हैं।

भ्रामक व्युत्पत्ति सहज प्रक्रिया है। या कभी कभी पढ़े लिये लोग जान बूझ कर विदेशी शब्दों को स्वदेशी रूप दे देते हैं। इस प्रक्रिया का परिणाम भी वही होता है जो भ्रामक व्युत्पत्ति का। अंतर केवल यह है कि यह सहज न होकर सप्रयत्न होता है। भ्रमसमूलर' का 'मोक्षमूलर', 'अफ़ग़ानिस्तान का आवागमन स्थान (अर्थात् भारत से बाहर जाने और फिर भारत में लौटने का स्थान), 'जापान का 'जयप्राण', 'अलेक्जेंडर' का 'अलशेद्र', 'मिस्टर' का 'मिथ', 'चीन' का 'च्यवन देश', 'क्राइस्ट' का 'कृष्ण' तथा 'स्वीडेनवियन' का 'स्वघनिवासी' आदि उदाहरण इसी श्रेणी के हैं।

11

शब्दकोशविज्ञान

हिंदी में सामान्यतः 'कोशविज्ञान' शब्द का प्रयोग चलता है, किंतु यहाँ उससे थोड़ा अलगाने के लिए 'शब्दकोशविज्ञान' का प्रयोग किया जा रहा है। शब्दकोशविज्ञान तो शब्दों के कोश बनाने का विज्ञान है, जबकि कोशविज्ञान वह विज्ञान है जिसका सामान्य रूप से सभी प्रकार के कोशों के बनाने से संबंध है। उदाहरण के लिए कोशविज्ञान का संबंध उद्धरणकोश, लाकोक्तिकोश, ज्ञानकोश, अब्दकाश आदि से भी है किंतु शब्दकोशविज्ञान का संबंध इनसे नहीं है। वस्तुतः कोशविज्ञान काफ़ी व्यापक है, और इस रूप में शब्दकोशविज्ञान उसका एक अंश है या उसकी एक शाखा है। प्रस्तुत पुस्तक 'शब्दविज्ञान' है उसका संबंध मात्र शब्दों के अध्ययन से है, अतः इसमें केवल शब्दकोश बनाने का विज्ञान ही आ सकता है, और इसीलिए शब्दविज्ञान की एक शाखा के रूप में शब्दकोशविज्ञान को ही यहाँ लिया जा रहा है न कि कोशविज्ञान को। यों आगे प्रायः 'शब्दकोशविज्ञान' के स्थान पर 'कोशविज्ञान' का प्रयोग किया जाएगा तथा 'शब्दकोश' के स्थान पर 'कोश' का क्योंकि कोश मुख्यतः शब्दों के ही होते हैं। इस तरह 'कोश' बहुत करके शब्दकोश है तथा कोशविज्ञान बहुत करके शब्दकोशविज्ञान है।

अत्यंत प्राचीन काल में मानव को शब्दकोश की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मानव का सम्बंध केवल अपनी भाषा से था। न तो उसके पास अपने पूर्वजों की भाषा का कोई रूप था जिसे जानने समझने के लिए वह ऐसा प्रयत्न करे और न एक भाषा भाषी कबीले का दूसरे से बहुत अधिक संपर्क ही आवश्यक था कि वह इस दिशा में कुछ करे। साथ ही, कोश का आधार लिपि है। यह आधार भी उनके पास नहीं था, या था भी तो नगण्य रूप में। लिपि के विकास के साथ-साथ मनुष्य को अपने पूर्वजों की रचनाएँ उच्चराधिकार के रूप में मिली, जिन्हें समझने के लिए शब्दकोशों की आवश्यकता का अनुभव हुआ। इसी प्रकार व्यापारिक या सांस्कृतिक कारणों से एक भाषा भाषी जब दूसरे के संपर्क में आए और एक दूसरे की बातें गहराई से समझने की आवश्यकता हुई तो द्विभाषीय कोशों की नींव पड़ी। इस प्रकार समाज के विकास के साथ-साथ अनेक प्रकार के कोशों का विकास हुआ है और होता जा रहा है।

भाषा के अध्ययन विश्लेषण के कई रूपों के साथ कोश निर्माण भी सबसे पहले

में निघंटुओं की रचना हुई। तब से लेकर 1000 ई० तक, इन दो हजार वर्षों में भारत में कई प्रकार के सैकड़ों कोश बनाए गये, जिनमें से 'अमरकोश' आदि बहुत स तो अब भी उपलब्ध हैं। यूरोप में 1000 ई० के पूर्व ठीक अर्थों में कोश नहीं मिलते। रूमी तथा अंग्रेजी कोशा का इतिहास तो 16वीं सदी के अंतिम चरण में ही प्रारम्भ होता है, यद्यपि अब वे सप्ताह में सम्भवतः सबसे आगे हैं।

शब्दकोशों के प्रमुख प्रकार

अब तक विश्व की अनेकानेक भाषाओं में अनेक प्रकार के कोश बने हैं, और आगे उनके प्रकारों की संख्या हमारे जीवन, ज्ञान और आवश्यकताओं के विकास के साथ-साथ बढ़ती ही जा रही है। मुख्यतः निम्नांकित प्रकार के शब्दकोश मिलते हैं —

व्यक्ति कोश

किसी एक व्यक्ति (लेखक या कवि) द्वारा प्रयुक्त सभी शब्दों के कोश को व्यक्ति कोश कह सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक द्वारा सम्पादित तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त शब्दों का कोश 'तुलसी शब्द सागर' इस प्रकार का हिन्दी का पहला कोश था। बाद में मीरा (डा० शानो प्रभा) कबीर (परशुराम चतुर्वेदी तथा डा० महेन्द्र), सूर, जायसी, केशव आदि के कोश प्रकाशित हुए। अंग्रेजी में शेक्सपियर तथा मिल्टन आदि के कोश इसी प्रकार के हैं।

पुस्तक कोश

किसी एक पुस्तक का कोश पुस्तक कोश है। ग्राइविल कोश, करान कोश इस दृष्टि से काफी प्रसिद्ध हैं। हिन्दी में 'रामचरितमानस कोश' तथा विनय कोश उल्लेख्य हैं।

भाषा कोश

भाषाओं के कोश मूलतः तीन प्रकार के मिलते हैं एकभाषी, द्विभाषी, बहुभाषी। एकभाषी कोश में एक भाषा के शब्दों का अर्थ उसी भाषा में होता है। अंग्रेजी में आक्सफोर्ड, चैम्बर्स, वेबस्टर या हिन्दी में हिन्दी शब्द सागर, इसी प्रकार के कोश हैं। द्विभाषी कोश में एक भाषा के शब्दों का अर्थ दूसरी भाषा में देने है। उदाहरणार्थ हिन्दी-रूसी कोश, अंग्रेजी-हिन्दी कोश, उर्दू-हिन्दी कोश या संस्कृत-अंग्रेजी कोश आदि। बहुभाषी कोश में दो से अधिक भाषाओं के शब्दों साथ-साथ होते हैं। जैसे प्राकृत-अंग्रेजी हिन्दी, अंग्रेजी हिन्दी उर्दू हिन्दी-मराठी अंग्रेजी, हिन्दी उर्दू सिन्धी-अंग्रेजी। उपर्युक्त भाषा-भाषा में पहल और दूसरे में अधिगम गहराई होती है। तीसरे प्रकार के कोशों की श्रेणी में जो भी कोश अब तक प्रकाशित हुए हैं, प्रायः उन सभी की शब्द-समूह और अर्थ दोनों ही

दृष्टियों से अपनी कार्पी सीमाएँ हैं। भाषा-काश विशेषत एकभाषी और द्विभाषी प्रायः दो प्रकार के हात हैं वणनात्मक ऐतिहासिक। तुलनात्मक सामग्री देकर दोनों ही को तुलनात्मक भी बनाया जा सकता है। कोश साहित्य में वणनात्मक और ऐतिहासिक कोशा का विशेष मूल्य है, अतः इन पर नीचे कुछ विस्तार से विचार किया जा रहा है।

वणनात्मक कोश

इसमें किसी भाषा में किसी एक काल में प्रयुक्त सारे शब्दों और उनके सारे अर्थों को देते हैं। इस प्रसंग में यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, तो उन्हें किस क्रम से रखा जाए। हिन्दी में नागरी प्रचारिणी सभा का 'हिन्दी शब्द-सागर' या उसका संक्षिप्त रूप, बहुत हिन्दी कोश या 'प्रामाणिक हिन्दी कोश' आदि इसी प्रकार के वणनात्मक कोश हैं। उनमें जहाँ किसी भी क्रम से न दिया जाकर मनमाने ढंग से जैसे-जैसे याद आते गये, आगे पीछे दे दिये गये हैं। वस्तुतः वणनात्मक कोश में अर्थ प्रचलन के आधार पर क्रमबद्ध किए जाने चाहिए। जो अर्थ सबसे अधिक प्रचलित हों उसे सबसे पहले और जो अर्थ सबसे कम प्रचलित हों उसे बाद में। कभी-कभी अर्थ के कम या अधिक प्रचलन के सम्बन्ध में विवाद भी खड़ा हो सकता है और ऐसी स्थिति में, विवाद प्रस्त अर्थों में किसी को भी आगे पीछे रखा जा सकता है।

ऐतिहासिक कोश

किसी भाषा का ऐतिहासिक कोश उसके विकास आदि को समझने के लिए बहुत सहायक हाता है। ऐतिहासिक कोश में किसी भाषा में केवल प्रचलित शब्दों या उनके प्रचलित अर्थों को ही न लेकर सारे शब्दों और उस भाषा में प्रयुक्त उनके सारे अर्थों को लेते हैं। वणनात्मक काश में हमने देखा कि अर्थ को प्रचलन के आधार पर रखा जाता है। ऐतिहासिक कोश में अर्थ अपने इतिहास के आधार पर रखे जाते हैं। उदाहरणार्थ हम मान लें कि किसी भाषा का एक शब्द है 'अ'। उसका 'आ', 'इ', 'ई', 'उ', 'ऊ', ये पाँच अर्थ हैं। यहाँ देखना होगा कि सबसे पहले किस अर्थ का प्रयोग हुआ और फिर किस किस का। मान लें कि उस भाषा का आरम्भ 1000 ई० से है और 'आ' अर्थ का प्रयोग 1600 ई० में, 'इ' का 1100 में, 'ई' का 1000 में 'उ' का 1700 में और 'ऊ' का 1200 ई० में हुआ है। कहना न होगा यहाँ उन अर्थों को कालक्रम से सजाना होगा अर्थात् 1000 ई० में प्रचलित अर्थ पहले दिया जायेगा, फिर क्रम से 1100, 1200, 1600 और 1700 ई० के अर्थ दिये जायेंगे। अर्थात् अ, ई, इ, ऊ, आ, उ। इस प्रकार का कोश बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस भाषा का साहित्य उपलब्ध हो। एम कोश के निर्माण के पूर्व दो बातें आवश्यक हैं (1) उस भाषा में प्राप्त सभी ग्रन्थों का पाठ पाठालोचन के आधार पर निश्चित कर लिया जाए। यहाँ यह ध्यातव्य है कि

प्रश्लिप्त अशो को निकाल फेंकने की आवश्यकता नहीं, अपितु उनके रचे जा का काल-निर्धारण करके, उन्हें भी उस काल या सदी की रचना मानकर उसके समकालीन साहित्य के साथ रखा जाए। (2) सभी रचनाओं का काल निश्चित कर लिया जाए।

य दो कर लेने पर किस सदी में कौन शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ, इसका निश्चय करना सरल हो जाएगा, और उनके आधार पर सरलता से ऐतिहासिक कोश बन जायेगा। इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि ऐतिहासिक कोश प्रत्येक दृष्टि से बहुत पूर्ण नहीं बन सकता, क्योंकि तयार होने के बाद नई खोजों के आधार पर यदि कोई नई रचना सामने आ गई, पुरानी रचना का नया पाठ आ गया, या किसी रचना का काल कुछ और सिद्ध हो गया तो उनके कारण काश में पर्याप्त परिवर्तन करना होगा। किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा का इस प्रकार का ऐतिहासिक कोश अभी तक नहीं बना। संस्कृत का मानियर विलियम्स का कोश इसी प्रकार का है यद्यपि बहुत अपूर्ण है। संस्कृत का इस प्रकार का एक आदर्श कोश पूना से छप रहा है। अंग्रेजी की जॉक्सफोर्ड डिक्शनरी इस प्रकार का सर्वोत्तम प्रयास है।

पारिभाषिक कोश

पीछे शब्दों के वर्गीकरण में पारिभाषिक और अधपारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया जा चुका है। सामान्य कोशों में सामान्य शब्द तो होते ही हैं उनके साथ कोश के आकार प्रकार के अनुकूल पारिभाषिक शब्द भी होते हैं किन्तु पारिभाषिक कोशों में केवल पारिभाषिक एवं अधपारिभाषिक शब्द ही हात हैं।

ये पारिभाषिक कोश भी मुख्यतः दो प्रकार के हात हैं। एक तो वे जिनमें शब्द का पूरा अर्थ समझाया जाता है। दूसरा वह जिनमें दो या अधिक भाषाओं के पारिभाषिक शब्दों का वर्णानुक्रम से संग्रह हाता है। दूसरे वर्ग के राजनीति, चिकित्साविज्ञान, पत्रकारिता, दशन मनोविज्ञान अथवाशास्त्र जादि अनकानेक विषयों के अनेक अंग्रेजी हिंदी कोश प्रकाशित हो चुके हैं। यूरोपीय देशों में रूसी अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन या फ्रेंच-अंग्रेजी जर्मन या इसी प्रकार के और भी बहुत से 3, 4, 5, 7, 8, 10 भाषाओं के तुलनात्मक पारिभाषिक कोश छप चुके हैं।

पारिभाषिक कोशों में जिनमें पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा दी जाए उन्हें 'परिभाषा कोश' तथा जिनमें मात्र प्रतिशब्द हो उन्हें पारिभाषिक शब्दावली कहा जा सकता है।

पर्याय कोश

पर्याय कोश में शब्दों के पर्याय होते हैं। ये कोश मुख्यतः तीन प्रकार के हात हैं (1) थिसारस—जिनमें शब्दों का क्रम वर्णानुक्रम से न हाकर विषयानुसार होता है। जैसे वनस्पतियों का नाम, देवताओं के नाम जादि। मरा वृहत् पर्यायवाची

कोश' ऐसा ही है। इसमें पर्याय के साथ-साथ विलोम के भी सवेन होते हैं। हिन्दी में इसके लिए कोई उपयुक्त नाम नहीं है। (2) पर्याय कोश—इसमें वर्णानुक्रम से शब्द होते हैं तथा साथ में उनके पर्याय दिए होते हैं। (3) विवेचनात्मक पर्याय कोश—इसमें पर्याय देन के साथ साथ उनमें अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से अंतरों पर भी विचार होता है। घंटाघर का 'अंग्रेजी पर्याय' ऐसा ही कोश है।

विलोम कोश

यह विलोम शब्दों का कोश होता है। अनेक व्याकरणों में भी विलोमार्थी शब्दों की सूचियाँ दी रहती हैं। अब तक इस तरह का कोई अच्छा कोश मेरे देखने में नहीं आया।

मुहावरा कोश

यह मुहावरों का कोश होता है। मुहावरा कोश वर्णनात्मक, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक तीनों प्रकार का या मिलाजुला हो सकता है। वर्णनात्मक में इनका अर्थ और प्रयोग रहता है ऐतिहासिक में इनका पूरा इतिहास (जब किस भाषा से आया है या मूलतः किस पर आधारित है या अर्थ में क्या कुछ विकास हुआ है) दत्त हैं। तुलनात्मक में अर्थ भाषाओं के समानार्थी मुहावरों को भी दत्त हैं।

प्रयोग कोश

इसमें प्रयोग दिए होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हिन्दी का प्रयोग कोश वन तो राज-राज का भेद, ने की, में, के ठीक प्रयोग करना-माना में अंतर, बहुत अधिक में भेद आदि जैसी बातों का विवेचन होगा। अंग्रेजी में फाउलर का कोश इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

विश्वकोश

यह कोश आज के युग की अनिवार्य आवश्यकता है ताकि एक ही पुस्तक में अपभ्रंश अधिक-से-अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। विश्वकोश दो प्रकार का होता है। एक तो सामान्य होता है, जिसमें सभी विषयों की प्रविष्टियाँ होती हैं। ग्रेटेनिका, अमेरिकाना, हिन्दी विश्वकोश आदि इसी श्रेणी के हैं। दूसरे प्रकार का विश्वकोश अलग अलग विषयों का होता है। जैसे—दशत विश्वकोश, इतिहास विश्वकोश, भौतिकी विश्वकोश आदि।

जीवनी कोश

इसमें विभिन्न कालों के उल्लेख्य व्यक्तियों की जीवनियाँ रहती हैं। कथा कोश या अतः कथा कोश भी इसी के अन्तर्गत आते हैं।

भौगोलिक कोश

इसमें भौगोलिक नामों के सम्बन्ध में जानकारी रहती है। नामों के ठीक उच्चारण का ध्यान इसके लिए भी आवश्यक है।

उच्चारण कोश

इसमें शब्दों का उच्चारण देते हैं। ऐसे कोश में वतनी और उच्चारण में अंतर (लोप जैसे 'राम' का 'राम', आगम जैसे 'रखा' का 'रक्खा', परिवर्तन जैसे 'कोप' का 'कोश') का स्पष्ट उल्लेख रहता है। साथ ही आक्षरिक विभाजन और बलाघात का भी संकेत रहता है। ऐसा कोश ऐसी भाषाओं के लिए अधिक आवश्यक है जहाँ वतनी और उच्चारण में बहुत अधिक भेद है। हिन्दी में भी धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई है। उपन्यास, कृष्ण, पाप, बलदेव, शेष आदि अनेकानेक शब्द हिन्दी में ऐसे हैं जिनका उच्चारण अब वतनी के अनुरूप न रहकर उपन्यास, त्रिशूँ, पाप बलदेव, शेष हो गया है।

कोश-निर्माण-विषयक कुछ आवश्यक बातें

शब्द सकलन

कोश निर्माण में सबसे पहला काम कोशकार को इसी दिशा में करना पड़ता है। कोश यदि जीवित भाषा का बनाना है, तो शब्द लोगों से सुनकर इकट्ठे करने पड़ते हैं। यदि साहित्य या पुरानी भाषा का बनाना हो तो पुस्तकों से लेना पड़ता है। लोगों से सुनकर इकट्ठा करने में पूर्ण कोश बनाना प्रायः असम्भव सा है, क्योंकि हर जीवित भाषा में शब्द बढ़ते रहते हैं, नये शब्द विभिन्न स्रोतों से आते रहते हैं। साहित्य के आधार पर कोश बनाने के लिए सम्बद्ध सारी पुस्तकों की पूरी शब्दानुक्रमणी बना लेना सबसे अच्छा होता है। ऐसा कर लेने पर कोई शब्द या अर्थ छूटने नहीं पाता। ऐतिहासिक कोशों के लिए तो यह अनिवार्य है। पीछे 'शब्द सकलन' अध्याय में इस सम्बन्ध में विस्तार के साथ विचार किया गया है।

वतन

शब्द-सकलन के बाद उन्हीं कोश में देने के लिए उनकी वतनी (spelling) निश्चित कर लेना आवश्यक है। इस दृष्टि से सबसे अधिक आवश्यक चीज है एकरूपता। अनेकरूपता होने पर होता यह है कि कभी कभी 'शब्द' कोश में होता है कि तु मिलता नहीं। इस विषय में आवश्यक निणयों का उल्लेख भूमिका में अवश्य किया जाना चाहिए, ताकि देखने वाले सहायता ले सकें। साथ ही यदि किसी शब्द की एक से अधिक वतनियाँ प्रचलित हों तो (जैसे लिए लिये) अधिक प्रचलित रूप के साथ अर्थ देना चाहिए तथा दूसरे को यथास्थान दक्कन अर्थ के लिए प्रथम के सदृश का संकेत कर देना चाहिए।

अथ देने चाहिए। व्याकरण के साथ-साथ उससे बनने वाले अनियमित रूप भी अवश्य देने चाहिए (जैसे जाना में 'गया' या करना में 'किया')।

अथ

वणनात्मक कोश में अथ प्रचलन के आधार पर और ऐतिहासिक में इतिहास के आधार पर दिया जाता है। इसे पीछे समझाया जा चुका है। अथ दो प्रकार से दते हैं। एक में केवल समानार्थी शब्द होते हैं (जैसे गज का अथ हाथी) दूसरे में परिभाषा देते हैं या समझाते हैं (जैसे हाथी एक जानवर है जो)। शब्दकोश में दोनों प्रकार का उचित प्रयोग होना चाहिए। या व्याख्या जहाँ अपेक्षित हाँ वही दी जानी चाहिए। एकभाषिक कोश में व्याख्या अधिक अपेक्षित होती है, किन्तु द्विभाषी कोश में समानार्थी शब्द देना ही पर्याप्त है। जैसे अंग्रेजी हिंदी कोश में elephant की हिंदी में व्याख्या निरर्थक है। वहाँ केवल 'हाथी' शब्द दे देना पर्याप्त है। हाँ यदि ऐसा शब्द यदि हिंदीभाषी के लिए अपरिचित हो, तो व्याख्या अपेक्षित होगी।

उद्धरण

अथ के स्पष्टीकरण या उदाहरण के लिए अथ के साथ उसके प्रयोग भी दिए जाते हैं। ऐसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहिए। यदि कई दिये जाएँ तो उह काल-क्रमानुसार रखना अच्छा होता है।

चित्र

कभी-कभी अथ, पर्याय या व्याख्या से स्पष्ट नहीं होते। ऐसी स्थिति में वस्तु का चित्र आवश्यक हो जाता है, प्रमुखतः ऐसी चीज़ों का जिनसे कोश का प्रयाक्ता अपरिचित हो। उदाहरणार्थ हाथी का चित्र भारतीय कोश में अपेक्षित नहीं होगा किन्तु ऐसे देश के कोश में जहाँ हाथी नहीं होता यह बहुत आवश्यक है। भारतीय कोश में कंगारू का चित्र आवश्यक हो सकता है।

उच्चारण

कोश में उच्चारण भी आवश्यक है। क्योंकि मात्र मार्याय वतनी (spelling) से वह स्पष्ट नहीं होता। अंग्रेजी, फ्रेंच आदि कोशों में इसी कारण उच्चारण दिया रहता है। इन भाषाओं के तो ऐसे उच्चारण-कोश प्रकाशित हो चुके हैं जिनका काम केवल उच्चारण बतलाना है। हिंदी भाषा में उच्चारण नहीं रहता। नागरी लिपि के समयको का कहना है कि जसा हमारा उच्चारण है, वसा ही नागरी में लिखते हैं, अतः अलग उच्चारण की हिंदी में आवश्यकता नहीं। किन्तु ऐसा मानना अवैज्ञानिक है। हिंदी में सभी शब्दों का उच्चारण वही नहीं है जो लिखा जाता है। उदाहरणार्थ 'ऋषि' का उच्चारण 'रिषि', 'द्विबदी' का 'दुबदी',

'साहित्यिक' का 'साहित्यिक', 'उपभाग' का 'उपभाग', 'शाम' का 'शाम' तथा 'समय' का 'समय' है। टिप्पणी में हम प्रकार के द्वारा यह है कि का उच्चारण मधी के अनुसार नहीं है। ऐसे मात्र मात्र का उच्चारण कासा में किया जाता था। टिप्पणी टिप्पणी का टिप्पणी मधी के अनुसार है व जाना है कि बोला व ऐसा न हो व किन्ती बर्तिकाई टिप्पणी है। इसी प्रकार उच्चारण व मात्र-मात्र समाधान (stress) तथा भावार्थिक विभाजन का मधी भी कासा में आता है।

किसी भाषा में शब्दों के प्रयोग के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यहाँ शब्दप्रयोग विज्ञान नाम का प्रयोग किया जा रहा है। कहना न होगा कि भाषा शब्दों के प्रयोग से ही बनती है, इसीलिए भाषा और शब्दों के अध्ययन में शब्दों के प्रयोग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। किसी कविता लेखक या कवि की भाषा कितनी अच्छी या बुरी, प्रभावी या अप्रभावी है इसका पता उसके शब्दप्रयोग से ही लगाया जा सकता है।

पर्याय में चयन

शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विशिष्ट सद्भाव में प्रयोग के लिए कौन सा शब्द चुनें। यह चयन पर्यायों में से करना होता है। यह ध्यान देने की बात है कि जो तो पर्याय शब्द एकार्थी समझे जाते हैं, किंतु तत्त्वतः वे एकार्थी न होकर समानार्थी होते हैं तथा एक ही शब्द के विभिन्न पर्यायों में सभी का प्रयोग सभी स्थानों पर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 'पानी' और 'जल' पर्याय तो हैं किंतु 'जलपान कर लीजिए' के स्थान पर न तो 'पानीपान कर लीजिए' कह सकते हैं और न 'शम के मारे पानी-पानी होना' के स्थान पर 'शम के मारे जल-जल होना'। इस तरह 'पानी' और 'जल' के पर्याय होने के बावजूद प्रयोक्ता के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि कहाँ 'जल' शब्द का प्रयोग किया जाए और कहाँ 'पानी' का।

प्रयोग के लिए पर्यायों में से एक का चयन सबसे अधिक विशेषणों और सजाओ में करना होता है। यहाँ बानगी के लिए कुछ विशेषणों और सजाओ पर विचार किया जा रहा है —

अधिक-बहुत—हिंदी में 'अधिक' और 'बहुत' दोनों ही ज्यादा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु प्रयोगों से पता चलता है कि 'बहुत' केवल ज्यादा होने का बोध कराता है —

राम बहुत बोलता है।

सीता बहुत सुंदर है।

किंतु दूसरी ओर 'अधिक' तुलनाबोधक शब्द है —

राम अधिक बोलता है।

इस दूसरे वाक्य का अर्थ यह है कि किसी और की तुलना में यह बान कही जा रही है।

राम मोहन से अधिक बालता है।

इसी प्रकार

सीता अधिक सुंदर है।

जर्वात किसी की तुलना में

सीता राधा से अधिक सुंदर है।

ऊपर के दोनों वाक्यों में 'अधिक' के स्थान पर यदि 'बहुत' रखें तो घोर भी बातें सामने आती हैं —

(1) राम मोहन से अधिक बोलता है।

राम मोहन से बहुत बोलता है।

(2) सीता राधा से अधिक सुंदर है।

सीता राधा से बहुत सुंदर है।

स्पष्ट है पहले वाक्य में 'बहुत' रख देने से वाक्य का अर्थ बदल गया है, और दूसरे में 'बहुत' का प्रयोग ठीक नहीं लगता। यहाँ केवल 'अधिक' ही आ सकता है 'बहुत' नहीं। इस तरह दोनों शब्द समानार्थी तो हैं पर दोनों के प्रयोग में अंतर है। वस्तुतः प्रयोग में अंतर का अर्थ यह है कि ऊपर से वे समानार्थी भले हों, सूक्ष्म दृष्टि से उनका अर्थ एक नहीं है। दूसरे शब्दों में वे समानार्थी हैं किंतु एकार्थी नहीं हैं। इस समानार्थी होने और 'एकार्थी न होने' को केवल अर्थ बतलाकर समझाना कठिन है। प्रयोग दिखलाकर ही शब्दों की शक्ति और सीमा स्पष्ट की जा सकती है। यो 'बहुत' और 'अधिक' कभी-कभी साथ साथ भी आते हैं—

वह बहुत अधिक सुंदर है।

दोनों मिलकर अत्यधिक का भाव व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में एक बात और भी सकेत्य है। 'बहुत' शब्द 'अधिक' के पहले आ सकता है किंतु 'अधिक' 'बहुत' के पहले नहीं आ सकता।

क्रोधी क्रोधित—दोनों ही शब्द क्रोध के आधार पर बने हुए विशेषण हैं, किंतु दोनों के प्रयोगों में अंतर है। 'क्रोधी' शब्द का प्रयोग किसी की आदत बतलाने के लिए किया जाता है जबकि 'क्रोधित' का किसी विशिष्ट समय में किसी का 'गुस्से होने' के लिए। उदाहरणार्थ —राम बहुत क्रोधी है। राम बहुत क्रोधित है। पहले में राम के स्वभाव का वर्णन है, ता दूसरे में उसकी वर्तमान मानसिक दशा का।

आहट टोह—दोनों ही शब्दों का प्रयोग 'लेना' क्रिया के साथ प्राय होता है किंतु 'टोह लेना' का प्रयोग खुद आगे बढ़कर जानने के लिए होता है, जबकि 'आहट लेना' के प्रयोग के लिए खुद जाना या आगे बढ़ना आवश्यक नहीं है।

गीला भीगा—अथ की दृष्टि से दोनों पर्याय हैं, किन्तु दोनों के प्रयोग में अन्तर है। 'मैं भीगा हूँ' तो कहा जा सकता है किन्तु 'मैं गीला हूँ' नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार आप 'भीगी बिल्ली' तो बन सकते हैं, 'गीली बिल्ली' नहीं बन सकते। किन्तु 'मेरे कपड़े गीले हैं' और 'मेरे कपड़े भीगे हैं', दानो ही प्रयोग चलते हैं। लगता है कि जानदार के लिए 'भीगा' ही आता है किन्तु बेजान के लिए दोनों आते हैं। या दोनों के अर्थ में भी कुछ अन्तर है। 'गीला' की तुलना में 'भीगा' में अधिक गीले या भीगे होने का भाव है। किन्तु प्रयोग में अर्थ के इस अन्तर पर कदाचित् लोग विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, हा ऊपर संकेतित प्रयोग पर पूरा ध्यान देते हैं।

होशियार-चालाक—'होशियार' का प्रयोग कुशलता व्यक्त करने के लिए आना है किन्तु 'चालाक' में धूर्तता का भाव है। कुछ लोगों के प्रयोग में 'होशियार' में भी कुछ धूर्तता का भाव मिलता है, किन्तु उनके प्रयोग में भी 'चालाक' अपेक्षाकृत अधिक धूर्त है। सामान्यतः किसी का होशियार होना अच्छा माना जाता है किन्तु चालाक होना बुरा। रोगी होशियार डॉक्टर के यहाँ जाना और चालाक डॉक्टर से बचना चाहता है।

सरल-सुगम—पहला 'आसान' है और दूसरा 'सरलता से जाने योग्य'। इमी-लिए कार्य को 'सरल तथा माग को 'सुगम' कहना अच्छा प्रयोग है। यो सरल माग' भी चल जाता है किन्तु 'सुगम कार्य' नहीं चल सकता।

कारण-वजह—दोनों अर्थ की दृष्टि से एकार्थी हैं, किन्तु प्रयोग में थोड़ा अन्तर है। इसका कारण क्या है? 'इसकी वजह क्या है?' दोनों प्रयोग ठीक हैं। किन्तु 'आप किस कारण आए' प्रयोग कभी-कभी सुनाई पड़ जाता है, परन्तु 'आप किस वजह आए' प्रयोग नहीं मिलता। 'वजह' के बाद ऐसी रचना में 'से' का आना आवश्यक है पर कारण के बाद से आता भी है और नहीं भी आता। इन दोनों में न आने का अनुपात ही कदाचित् अधिक है। यो 'किस कारण के स्थान पर 'किस लिए' का प्रयोग अधिक चलता है।

घमड़-गव—घमड़ निन्दनीय है किन्तु गव अच्छा भी होता है मुझे अपने देश पर गव है। घमड़ प्रायः व्यक्तिगत बातों पर होता है और गव सामूहिक पर भी।

ठीक सही—'ठीक' उचित या वाजिब के लिए प्रयुक्त आता है, किन्तु 'सही' गलत का उल्टा है। 'सवाल गलत है या ठीक' की तुलना में 'सवाल गलत है या सही' अधिक अच्छा प्रयोग है।

अनबन खटपट—पहले का प्रयोग ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए आना है जब दा (व्यक्ति या वग) में चन्नी न हो। जिनमें अनबन होती है व प्रायः एक-दूसरे में अलग रहते हैं बोलते चालते नहीं या मक्क नहीं रखते। इसके विपरीत खटपट का प्रयोग यह व्यक्त करने के लिए होता है कि दोनों में मक्क या बोलचाल है, किन्तु थोड़ा बहुत खगडा है, पटती नहीं। इस तरह खगडा खटपट

से आगे की चीज है ।

भाषा में शब्दों का प्रयोग भाषा की विभिन्न शक्तियों पर भी निर्भर करता है । उदाहरण के लिए हिन्दी भाषा की ही तीन शैलियाँ प्रचलित हैं हिन्दी—जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है । उर्दू—जिसमें अरबी-फारसी-तुर्की शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है । हिन्दुस्तानी—जिसमें संस्कृत या अरबी-फारसी-तुर्की के कुछ-कुछ शब्द नहीं होते बसल व होत हैं जो गण-चाल के अपेक्षाकृत अधिक निकट हैं । या मभी लेखन एवं बक्ता मभी स्तरा पर हिन्दी उर्दू हिन्दुस्तानी के इस भेद का विवाह नही करते, और शायद कर भी नही सकते, कि तु अनेक प्रयोगा म यह अंतर स्पष्ट हुए बिना नही रहता । प्रयाक्ता को पयाया म मे प्रयोग के लिए शब्द चुनन म इस बात का ध्यान रखना चाहिए । हरिऔध के 'प्रिय-प्रवास', प्रसाद की 'वामायनी', और निराला के 'तुलसादास' की हिन्दी, इन दृष्टि से बच्चन की 'मधुशाला' या नीरज के गीता से भिन्न है । हरिऔध का ही 'प्रिय प्रवास' उनकी अन्य रचनाओं से इस दृष्टि से अलग है । इस प्रकार के कुछ शैलीय पयाय हैं नगर-शहर स्वयं-खुद, ग्राम गाँव आश्रय-अचरज प्रतिष्ठित इन्द्रतदार, कलम-लेखनी, पत्र चिट्ठी-पत्र, द्वार-दरवाजा, सुन्दर-खूबसूरत, बढिया उम्मा, आशा-उम्मीद, अनाज-गल्ला, कृषि-खेती-कास्त, दफतर-कार्यालय, बढा-सदन, वाटिका-बाग, नदी-दरिया, बुद्धि-अक्ल, वायु-हवा, मूय मूरज आदि । स्पष्ट ही हिन्दी म यह अंतर तत्सम-तद्भव (मूय-मूरज) तत्सम विदेशी (वाटिका-बाग), तद्भव-विदेशी (अनाज गल्ला, खेती-कास्त) तथा तत्सम-तद्भव विदेशी (कृषि खेती-कास्त) शब्दों में है । भाषा के प्रयाक्ता को इस प्रकार के अंतर का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए ।

भाषा में शब्दों के प्रयोग में इस बात का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है कि बात किससे कही जा रही है या किसके बारे में कही जा रही है । जापानी भाषा में इस प्रकार का अंतर सप्तर की भाषाओं में सर्वाधिक है । वहाँ अनेक सज्ञाओं, सवनाओं तथा क्रियाविशेषणों के लिए एक से अधिक शब्दों का बग है, जिनमें एक का प्रयोग आदरार्थी माना जाता है तो दूसरे का सामान्य । उदाहरण के लिए दार (dare) सामान्य कौन है ता दोनता (donata) आदरार्थी । हिन्दी उर्दू में तू-तुम आप, आना पधारना-तशरीफ लाना, बठना बिराजना-तशरीफ रखना म इसी प्रकार का अंतर है । ऐसे शब्दों में सामाजिक अर्थ का अंतर बहते हैं । शब्द प्रयाक्ता को इस तरह के सामाजिक अर्थ के अंतर का भी ध्यान रखना चाहिए ।

सहप्रयोग

प्रायः मभी भाषाओं में एक यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि कुछ शब्दों कुछ विशेष शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं जिसे शब्दों का सहप्रयोग कह सकते हैं । इसके कई भेद विभेद भाषाओं में प्रयोग के आधार पर किये जा सकते हैं । उदा

हरण के लिए हिन्दी में सहप्रयोग के निम्नांकित भेद किए जा सकते हैं। कुछ शब्द हिन्दी में ऐसे हैं जो केवल किसी एक या बहुत सीमित शब्दों के साथ आते हैं, और केवल प्रारम्भ में ही आते हैं अजायब (अजायबघर, अजायबखाना), साठ (साठ गठ), आस (आस-पास)। दूसरी ओर कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक या बहुत सीमित शब्दों के साथ आते हैं और केवल अंत में ही आते हैं सुलफ (सौदा-सुलफ), बक्काल (बनिया-बक्काल) मुवाहिसा (बहस मुवाहिसा), घुप्प (अँधेरा-घुप्प) मडन (खडन मडन), गलौज (गाली गलौज)। भोजपुरी में इसी प्रकार कोतर (कान कानर), कुवाम (कर्जा कुवाम) गीठा (गहना-गीठा), पहिता (सग-पहिता) आदि हैं।

इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल कुछ ही क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं खचापच (भरना, होना), गोर (करना, होना), गोरवावित (करना हाना), धिग्घो (बँधना)। इसके विपरीत कुछ क्रियाओं का प्रयोग सीमित होता है। मोहन के पिता जी आज गुजर गये' प्रयोग करते हैं किंतु 'चूहा आज गुजर गया' नहीं।

कुछ विशेषण भी कुछ सीमित सज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। जस गँदला (पानी), चीना (कपडा, परदा, आवरण), दशनी (हुण्डी), बनैला (सूअर) आदि।

ऐसे ही 'खाना' का सहप्रयोग 'खाना' के साथ है (खाना खा लो) तो 'भाजन' का करना' के साथ (भाजन कर लो)। पूड़ी नाश्ते में भी ले सकते हैं खान में भी। पर नाश्ता करते हैं और खाना खाते हैं।

इस तरह प्रयोक्ता को सहप्रयोग का भी ध्यान रखना चाहिए।

लिंग

व्याकरणिक लिंग सभी भाषाओं में नहीं होता। फारसी, उर्दू, इस्तानियन आदि विश्व में कई भाषाएँ हैं जिनमें लिंग का प्रयोग नहीं होता। उनमें क्रिया, विशेषण, मवनाम या सज्ञा के रूपा में लैंगिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं होते। जिन भाषाओं में लिंग होता भी है, उनमें भी आपस में एकरूपता नहीं मिलती। चाँद (moon) अंग्रेजी में स्त्रीलिंग है तो हिन्दी में पुल्लिंग। यही नहीं, भाषाओं के लिंग का प्राकृतिक लिंग से बहुत अधिक सम्बन्ध नहीं होता। मेज निर्लिंग है किंतु हिन्दी में स्त्रीलिंग है, दीवान भी निर्लिंग है किंतु हिन्दी में पुल्लिंग है। जमन में महिला (frau) स्त्रीलिंग है तो कुमारी (fraulein) नपुंसक लिंग है। संस्कृत में 'दारा', स्त्री और कलत्र' तीनों शब्द स्त्री के वाचक हैं किंतु प्रयोग में पहला शब्द पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग है। स्त्री-पुरुष से सम्बन्ध का भी लिंग पर प्रभाव नहीं है। 'दाढ़ी मूछ पुरुष को होते हैं किंतु स्त्रीलिंग है जबकि 'कुच' पुल्लिंग है। वस्तुतः भाषिक लिंग प्रयोगाश्रित है।

लिंगप्रयोगी भाषाओं में शब्दों के प्रयोग में लिंग की दृष्टि से भी ध्यान रखना

पडता है। ध्यान से आशय है उक्त भाषा में प्रयोग किये जाने वाले शब्द के लिंग का ध्यान। इस दृष्टि से भाषाओं में अनेकानेक गड़बड़ियाँ मिलती हैं। हिंदी में गिट्ट, कौआ, चीटा आदि यद्यपि नर भी हाते हैं और मादा भी, किंतु इनका प्रयोग पुल्लिंग में ही होता है, इसी प्रकार चील, चीटी, मंता नर भी हात हैं किंतु इनका प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है। हिंदी में पद तथा व्यवसायबोधक काफ़ी शब्द ऐसे भी हैं जो उभयलिंगी हैं। पहले 'भारत के प्रधानमंत्री' प्रयोग में आता था, अब 'भारत की प्रधानमंत्री' आता है। डॉक्टर, कम्पाउण्डर, इंजीनियर, मिनिस्टर या मंत्री, राज्यपाल या गवर्नर, रीडर, व्याख्याता या लेक्चरर, मैनेजर आदि सब से ऊपर शब्द हिंदी में उभयलिंगी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदी में प्रयोग के स्तर पर दो लिंग हैं, किंतु शब्द-व्यंग के स्तर पर तीन।

कुछ भाषाओं के कुछ उदाहरणों में बड़ी अजीब बात मिलती है। मादा के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है और नर के लिए स्त्रीलिंग का। उदाहरणार्थ हिंदी में पपीता पपीती। इसी प्रकार कुछ भाषाओं के कुछ उदाहरणों में स्त्रीलिंग के रूप का प्रयोग एक प्राणी (कीड़ा) के लिए मिलता है तो पुल्लिंग का दूसरे के लिए। जैसे हिंदी में ही चीटा-चीटी।

कुछ स्थितियाँ ऐसी भी मिलती हैं जिनमें पुल्लिंग-रूप पति के लिए आता है तो स्त्रीलिंग रूप उसकी पत्नी के लिए—चाचा चाची, मामा मामी, जीजा जीजी, नाना नानी, किंतु कुछ उदाहरणों में पुल्लिंग रूप भाई के लिए तो स्त्रीलिंग बहन के लिए साला-साली। कभी कभी ऐसा भी होता है एक पुल्लिंग शब्द के दो अर्थ होते हैं और दोनों अर्थों में उसके स्त्रीलिंग के रूप अलग-अलग होते हैं दादा (बड़ा भाई)—दीदी (बड़ी बहन) दादा (पितामह)—दादी (बाप की माँ)।

कुछ उदाहरणों में लिंग परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन भी हो जाता है गदेल —लडका, गद्दा) गदेली (गद्दी, हथोरी)।

यहाँ यह जोड़न की आवश्यकता नहीं कि विभिन्न भाषाओं में प्राप्त स्त्रीलिंग रूप प्रायः पुल्लिंग रूपों से बने माने तथा दिखाए जाते हैं। समाज में पुरुष की महत्ता या प्रधानता के कारण, सामाजिक सम्बन्धों की प्रतीक भाषा में ऐसा होना तथा इस रूप में उसका विश्लेषण असहज नहीं है। उदाहरणार्थ जर्मनी में author- authoress, host hostess, lion lioness, actor actress, master- mistress, hero heroine संस्कृत में ब्राह्मण ब्राह्मणी नद नदी, सुत-मुता, प्रिय प्रिया भव भवानी ज़रबी में साहब साहिबा वालिद-वालिदा तुर्की में खान खानम, वग-वेगम, हिंदी में लडका लडकी दादा दादी, बेटा बेटिया, हिरन हिरनी सुनार सुनारिन अँट अँटनी ठाकुर ठाकुराई।

या रघर गहराई में विश्लेषण करने पर पुल्लिंग के प्रति यह पक्षपात कुछ शब्दों में समाप्त हो गया है। उदाहरण के लिए पहले लडका' से 'लडकी को बना

माना जाता था। अब मूल शब्द न तो पुल्लिङ्ग माना जाता है और न स्त्रीलिङ्ग। वह निलिङ्ग शब्द लडक् है जिसमें पुल्लिङ्ग प्रत्यय 'आ' जोड़कर लडका बनता है तथा स्त्रीलिङ्ग प्रत्यय 'ई' जोड़कर लडकी। इसी प्रकार घोड़, बच्चा, गध् माम् आदि भी।

यो पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने के विपरीत कुछ उदाहरण ऐसे भी मिल जाते हैं जहाँ स्त्रीलिङ्ग रूप मूल है तथा पुल्लिङ्ग इसके आधार पर बना है भेड़-भेड़ा, भैंस भैंसा, राँड रड्आ।

हिंदी के सम्बन्धवाचक शब्दों में एक अजीब बात यह है कि परंपरागत भारतीय परिवार में जिन सम्बन्धियों के लिए स्थान था उनके लिए ता पुराने नाम रहे हैं, किंतु जिनके लिए स्थान नहीं था उनके लिए नाम नहीं रहे हैं। अब जब उनका स्थान परिवार में हो गया है तो स्त्रीलिङ्ग शब्दों के आधार पर उनके लिए नये शब्द बना लिए गये हैं। उदाहरण के लिए ननद, मौसी, बहिन व लिए परिवार में स्थान पहले था, अतः संस्कृत में उनके लिए क्रमशः ननद, मातस्वसु, भगिनी शब्द थे जिनसे हिंदी में ननद, मौसी तथा बहन का विकास हुआ। किंतु इसमें विपरीत ननदोई मौसा, बहनोई के लिए परिवार में विशेष स्थान न था, अतः उनके लिए विशेष नाम का प्रयोग नहीं हुआ। अब जब उनका परिवार में स्थान हो गया तो इन स्त्रीलिङ्ग शब्दों के आधार पर पुल्लिङ्ग शब्द बना लिए गये हैं ननद-ननदोई, मौसी-मौसा (अब उनमें मूल निलिङ्ग मौस् मानकर आ, ई जोड़े जा सकते हैं) बहन-बहनोई। ऐसे ही जीजी से जीजा शब्द बना लिया गया है। इसका विकास बड़ा लम्बा है—संस्कृत तात + क > दादा (बड़ा भाई) > दीदी (बड़ी बहन) > जीजी > जीजा (ई का आ करके)।

वचन

वचन का प्रयोग विश्व की सभी भाषाओं में होता है। कुछ में दो का, कुछ में तीन का और अपवादतः कुछ में चार का। यो यदि एकवचन, बहुवचन आदि के रूपों का सीधे इन्हीं वचनों में प्रयोग होता और सामान्यतः सभी शब्दों के विभिन्न वचनों के रूप होते तो प्रयोग में कोई खास परेशानी न होती। किंतु वास्तविकता यह है कि कभी तो एकवचन के रूप दूसरे वचन में प्रयुक्त होते हैं, और कभी कुछ शब्दों का प्रयोग प्रायः एकवचन में होता है तो दूसरा का प्रायः बहुवचन में। प्रयोग की दृष्टि से इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। संस्कृत, अंग्रेजी आदि में क्रिया एकवचन कर्ता के साथ एकवचन में होती है किंतु फारसी, हिंदी, आदि में आदराथ में एकवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आती है शख सादी मी गूयद = शीख सादी कहते हैं। शुद्ध व्याकरणिक दृष्टि से फारसी में 'गोयद' तथा हिंदी में 'कहता है' होना चाहिए किंतु होता है 'मी गूयद' और 'कहते हैं'। इसी तरह हिंदी में प्रश्नवाचक तथा उत्तम पुरुष को छोड़ कर अन्य अधिकांश सबनामों

के एकवचन रूपों के स्थान पर आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। सू-तुम, वह व, यह-य, जिस जि-ह। उत्तम पुरुष म अत्र 'मैं' के स्थान पर 'हम' का ही प्रयोग अधिक हो रहा है।

विश्व की अनेक भाषाओं में ऐसी बहुत सी शब्दाएँ हैं जिनके बहुवचन के रूप प्रायः नहीं प्रयुक्त होते। अंग्रेजी में अगणनीय (noncountable) शब्दाएँ इसी प्रकार की हैं। जैसे copper, tin, wood, (लकड़ी), iron, kindness, air, good, force इनके प्रयोग एकवचन में ही होते हैं। यदि उनके बहुवचन के रूप बनाए जाएँ तो अर्थ बदल जाते हैं coppers = सिक्के के सिक्के, tins = टिन के डिब्बे, woods = जंगल, irons = बर्तियाँ, kindnesses = श्रुपापूज काय (बहुवचन), airs = अकड़, goods = सामान, forces = सेनाएँ।

कुछ शब्दों के एकवचन में दो अर्थ होते हैं। किन्तु बहुवचन केवल एक अर्थ में ही होता है। उदाहरण के लिए people (1 राष्ट्र, 2 लोग)—peoples (कई राष्ट्र), practice (1 आदत, 2 अभ्यास)—practices (आदतें)।

कुछ शब्दों के दो बहुवचन होते हैं किन्तु दोनों के दो अर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ अंग्रेजी में cloth cloths = बिना सिले कपड़े, clothes = पोशाक, brother-brothers = एक माँ-बाप के लड़के, bretheren = एक समाज या संप्रदाय के सदस्य, die dies = सिक्के की मुहरें, dice = खेल की गोठियाँ।

कुछ भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी में 'दशन' ऐसा ही शब्द है उनके दशन हुए, आपके दशना के लिए आया हूँ। 'घुघराला' की भी यही स्थिति है। 'घुघराले' रूप में ही प्रयुक्त होगा है। घुघराले वाला। अंग्रेजी में भी ऐसे शब्द हैं, cattle people, poultry।

कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्वरचना की दृष्टि से बहुवचन लगते हैं किन्तु वे एकवचन के होते हैं और उनका प्रयोग एकवचन में ही होता है—physics, news, mechanics, innings politics। हिन्दी में लड़के, घोड़े बच्चे, गंदहे आदि भी ऐसे ही शब्द हैं। उदाहरणार्थ —

उस लड़के का क्या नाम है ?

राम घोड़े पर है।

धनुवादकों के सामने वचन-संबन्धी एक अजीब समस्या कभी कभी आ जाती है। एक भाषा में जहाँ एकवचन का प्रयोग होता है वहाँ दूसरी भाषा में बहुवचन का होता है। उदाहरण के लिए हिन्दी-अंग्रेजी में —

तुम्हारा चश्मा कहाँ है ?

Where are your spectacles ?

इसी प्रकार कैंची = scissors, चिमटा = tongs, सँडसी = pincers, दरार = drawers पाजामा = trousers, चेचक = measles गलसुआ = mumps, बिलियर्ड = billiards, कहानी, इतिहास = annals धन्यवाद = thanks।

क्रम

शब्दों के प्रयोग में क्रम (जिसे वाक्य में शब्दक्रम या पदक्रम कहते हैं) काफी महत्त्वपूर्ण है। क्रम में परिवर्तन से अर्थ कुछ का कुछ हो जाता है —

राम मोहन कहता है।
मोहन राम कहता है।
Ram killed Mohan
Mohan killed Ram

किंतु यह बात अयोगात्मक या विश्लेषणात्मक या क्रमप्रधान भाषाओं में ही विशेष महत्त्व रखती है। पुरानी अरबी, ग्रीक, संस्कृत जैसी यागात्मक भाषाओं में शब्द के क्रम में परिवर्तन से अर्थ में अंतर नहीं आता।

राम मोहन अहनत।
मोहन राम अहनत।

संस्कृत के उपर्युक्त दोनों वाक्यों में शब्द-क्रम एक नहीं है, किंतु अर्थ दोनों ही वाक्यों का एक है।

हिंदी, अंग्रेजी, चीनी जैसी भाषाओं में शब्द क्रम का महत्त्व है किंतु इन भाषाओं की पुस्तक में प्रायः कर्ता, क्रम, क्रिया क्रियाविशेषण आदि के क्रम का ही सामान्य उल्लेख रहता है। उदाहरण के लिए हिंदी के बारे में कहा जाएगा कि कर्ता प्रारम्भ में आता है, क्रिया अंत में और क्रम या क्रियाविशेषण बीच में। या फिर बल देन के लिए इस क्रम में परिवर्तन करके बलपूर्वक को पहले रख देते हैं। वस्तुतः क्रम की बड़ी मोटी बातें हैं। भाषा में शब्दों के प्रयोग में क्रम और भी कई स्तरों पर काम करता है जो क्रम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। उदाहरण के लिए वाक्य में केवल कर्ता, क्रिया, क्रम क्रियाविशेषण ही नहीं, उपवाक्य और पदबंध भी विशेष क्रम से आते हैं वस्तुतः क्रम की पूरी व्यवस्था कुछ इस प्रकार है शब्द विशेष क्रम से समस्त पदों (ग्राममल्ल, मल्लग्राम) तथा पदों (राम न) में आता है, तथा इसी प्रकार पद विशेष क्रम से पदबंध (मकान की ऊपरी मजिल में मोहन रहता है) एवं उपवाक्यों में, पदबंध विशेष क्रम से उपवाक्यों या वाक्यों में और उपवाक्य विशेष क्रम में वाक्यों में आते हैं। इन क्रमों का ध्यान न रखने पर कभी तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलता और कभी भाषा की सहज गति प्रभावित होती है और वाक्य अजीब-सा लगन लगता है।

यहाँ हिंदी को लेकर क्रम सम्बन्धी कुछ बातें ली जा रही हैं। हिंदी में विशेषण का प्रयोग कभी तो सज्ञा के पूर्व होता है —

अच्छा लडका

और सभी सज्ञा के बाद होता है —

लडका अच्छा है।

पहले को विशेष्य विशेषण और दूसरे को विधेय विशेषण कहते

यह समझा जाता है कि सभी विशेषण शब्द इन दोनों क्रमों में आ सकते हैं। किंतु वास्तविक स्थिति यह नहीं है। हिन्दी में ऐसे विशेषण भी हैं जो सजाक पूर्व नहीं या नहीं के बराबर आते हैं। उनका प्रयोग विधेय विशेषण के रूप में ही प्रायः होता है। उदाहरण के लिए 'वे अग्रसर हुए', 'मैं इस बात से अवगत हूँ', 'वह देश पर कुर्बान, हो गया', 'मुझे यह स्थिति गवारा नहीं' आदि में अवगत, कुर्बान, गवारा ऐसे ही हैं। इस दृष्टि से अभी तक काय नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि ऐसे शब्द काफी मिल सकते हैं, जिनका प्रयोग विशेष्य के पूर्व या तो विष्कूल नहीं होता या बहुत ही कम होता है, और वह भी विशेष प्रकार की रचनाओं में। हिन्दी विशेषणों के प्रयोग की पूरी तरह समझने के लिए इनका सकलन एवं विश्लेषण आवश्यक है।

इसी प्रकार 'कला' और 'खुद' ऐसे शब्द हैं जो केवल स्थानवाचक नामों के बाद ही ('बड़े' और 'छोटे' के अर्थ में) आते हैं, शेरपुर कला, शेरपुर खुद। कभी कभी विशेषणों की भी विशेषता बतानेवाले विशेषणों का प्रयोग हिन्दी में होता है जिन्हें प्रविशेषण कहा जा सकता है। इनके भी क्रम की एक सामान्य व्यवस्था है। उदाहरण के लिए 'वह बहुत अधिक सुन्दर है' तो प्रयोग होता है किंतु 'वह अधिक बहुत सुन्दर है' नहीं होता। ऐसे ही 'वह बड़ा धूल है', 'वह बहुत धूल है' तो प्रयुक्त होते हैं किंतु 'वह बड़ा बहुत धूल है' नहीं होता। इसी तरह 'बड़ा भारी' या 'निहायत घटिया' तो प्रयोग में आते हैं किंतु 'भारी बड़ा' या 'ज्यादा बहुत' आदि नहीं। इस दिशा में काम अपेक्षित है। ऐसे प्रयोगों के भीतर एक व्यवस्था है, जिसकी जानकारी ठीक प्रयोगों के लिए आवश्यक है।

कभी कभी एक से अधिक विशेषण एक साथ आते हैं, और उनमें भी एक सामान्य क्रम होता है। उदाहरण के लिए यदि सावनामिक और गुणवाचक विशेषण का प्रयोग अपेक्षित हो तो सामान्यतः सावनामिक पहले आयगा तथा गुणवाचक बाद में। इतनी अच्छी पुस्तक, वह बड़ा घोड़ा, यह सुन्दर चित्र, वह काला आदमी। सख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण हाता सख्यावाचक पहले आयगा दो काले कुत्ते तीन खूखार शेर। सम्बन्धवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण हो तो पहले सम्बन्धवाचक आयगा उसका सफेद रूमाल, मेरी काली पेंसिल। सम्बन्धवाचक, सख्यावाचक तथा गुणवाचक हाता इसी क्रम से आयेंगे मोहन की एक नई पुस्तक, सीता की दो सुनहरी चूड़ियाँ। सख्यावाचक, प्रविशेषण और गुणवाचक हो तो वे भी इसी क्रम से प्रयुक्त होंगे। एक बड़ी अच्छी पुस्तक, दो बड़े अच्छे कवि।

यह तो विभिन्न प्रकार के विशेषण थे। कभी-कभी एक विशेष्य के साथ एक से अधिक गुणवाचक विशेषण भी आते हैं, और उनका भी एक विशेष क्रम ही प्रायः प्रयोग होता है। पुराना लाल कोट, उसकी काली बड़ी-बड़ी आँखें, सफेद ऊँची इमारत, अच्छा भला आदमी। कभी-कभी क्रम बदला भी जा सकता है किंतु तब अर्थ बदल जाता है 'अच्छा खासा आदमी — खासा अच्छा आदमी',

‘काली बड़ी आँखें’—‘बड़ी काली आँखें’, ‘बड़ी भारी पुस्तक’—‘भारी बड़ी पुस्तक’ ।

लगभग या निश्चय का भाव व्यक्त करने के लिए कभी-कभी एक से अधिक सख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग होता है । उनका भी एक निश्चित क्रम होता है कम पहले, अधिक बाद में एक-दो, दो-तीन, दो-चार, दस-बीस पचास-साठ, सत्तर-अस्सी, दो सौ-चार सौ, दस-बीस-पचास । किंतु इनमें भी कुछ प्रयोग अपवादस्वरूप ऐसे भी हैं जिनमें दोनों प्रकार के प्रयोग चलते हैं पचास-सौ, सौ पचास, पाँच सौ-हजार, हजार-पाँच सौ, पाँच दस, दस पाच, पच्चीस-पचास, पचास-पच्चीस ।

यहाँ हिंदी से कुछ थोड़े से उदाहरण थे । वास्तविक स्थिति यह है कि सभी भाषाओं में विशेषणों के प्रयोग में क्रम सवधी अनेकानेक नियम काम करते हैं । अभी तक विश्व की किसी भी भाषा में प्रयुक्त इन नियमों पर काम नहीं हुआ है ।

अव्यय के प्रयोग में भी क्रम का महत्त्व कम नहीं है । अव्यय शब्द हिंदी वाक्यों में प्रायः तीन स्थानों पर आते हैं —

मुड़ते ही शेर ने बल की पीठ पर अपना पंजा इतनी जोर से मारा कि घराशायी हो गया ।

इनमें भी विशेष क्रम होता है, जिसमें कुछ सीमा तक ही परिवर्तन किये जा सकते हैं । ‘कि’ को उपर्युक्त वाक्य में स नहीं हटा सकते । पहले तीन को, तीन के स्थान पर दो (शेर ने मुड़ते ही बल की पीठ पर) या एक (मुड़ने ही बल की पीठ पर इतनी जोर से) स्थान पर कर सकते हैं, किंतु क्रम को सामान्यतः नहीं बदल सकते जब तक कि किसी पर बल देना अभीष्ट न हो ।

जब एक से अधिक क्रिया शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग हो तो उनमें भी विशेष क्रम होता है सना बढती चली आ रही है, अब दरवाजा खोल दिया जा सकता है । मुख्य अर्थ की द्योतक क्रिया (खोल) पहले आती है, उसके बाद रजक क्रिया (देना), फिर वाच्यसूचक (जा) फिर सक-वर्गीय (सक, चुक आदि) और अंत में ‘हाना’ के रूप ।

क्रिया के साथ भर, ही, मात्र, तो, भी, मत, नहीं, न का प्रयोग भी अवधारण या निषेध के लिए होता है । ये भी क्रम में स्वतंत्र नहीं हैं । इनकी सीमाएँ हैं, उदाहरणार्थ —

पुस्तक नहीं खरीदी जा सकती ।

पुस्तक खरीदी नहीं जा सकती ।

तो ठीक है किंतु,

पुस्तक खरीदी जा नहीं सकती ।

अल्पप्रयुक्त है जोर आता भी है ता विशेष अर्थ में । दूसरा उदाहरण है —

साँप को नहीं मारा जा सकता था । (बहुप्रयुक्त)

साँप को मारा नहीं जा सकता था । (प्रयुक्त)

साप को मारा जा नहीं सकता था । (अल्पप्रयुक्त)

साप को मारा जा सकता नहीं था । (प्राय अप्रयुक्त)

साप को मारा जा सकता था नहीं । (प्राय अप्रयुक्त)

रुम से शब्दों के वाग्भाग में भी अंतर पड़ता है

खभे टेढे गडे हैं ।

टेढे खभे गडे है ।

समाजशब्दविज्ञान

समाज के सम्मम भाषा व अध्ययन का समाजभाषाविज्ञान कहा जाता है। उमो प्रकार समाज व सदम म शब्दा व अध्ययन व लिए यहाँ समाजशास्त्र विज्ञान नाम का प्रयोग किया जा रहा है। यो यदि इस नाम व दा अथ ल लिए जाएँ तो भी कोई आपत्ति नहीं हानी चाहिए। इस दृष्टि स समाजशास्त्रविज्ञान का एक अध्ययन-क्षेत्र तो है 'समाज के परिप्रेक्ष्य म शब्दों का अध्ययन' तथा दूसरा अध्ययन-क्षेत्र है 'समाज पर प्रकाश डालने के लिए या समाज विशेष को जानने के लिए शब्दा का अध्ययन'। यहाँ प्रथम दोना को लिया जा रहा है।

समाज के परिप्रेक्ष्य मे शब्दों का अध्ययन

वस्तुतः समाजभाषाविज्ञान म शब्दा के स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है, वह यही है। उदाहरण के लिए हिंदी म मध्यम पुरुष के लिए तीन सवनाम शब्द हैं तू, तुम, आप। इनका प्रयोग सामाजिक संबंधों पर आधारित है। अपवादों की बात छोड़ दें तो जो लोग सामाजिक संबंधों म वक्ता स छोटे ह, तथा जिनके साथ सामाजिक संबंधों म औपचारिकता नहीं है, उनके लिए वक्ता 'तू' का प्रयोग करता। वह व्यक्ति अपना वक्ता भी हो सकता है नौकर भी और घनिष्ठ मित्र भी। 'तुम' इसकी तुलना मे कुछ ऊपर है। यह भी अनौपचारिक है किंतु 'तू' जितना नहीं। 'आप' का प्रयोग सामाजिक संबंधों की दृष्टि से अपने से बड़े या तथा एसा व लिए करत हैं जिनके साथ वक्ता के संबंध औपचारिक हैं। वद व्यक्ति पिता भी हो सकता है समाज का कोई घनी मानी व्यक्ति भी हो सकता है वडा अधिकारी भी हो सकता है और अच्छे स्तर का दिव्योपाया भण्डारी भी। इस तरह इन शब्दों के प्रयोग के नियम भाषा की संरचना मे निर्धारित नहीं हैं व सामाजिक मायताआ म निहित हैं।

एस ही बहून स शब्द औपचारिक होत है। औपचारिक सामाजिक संबंधों के हान पर ही इनका प्रयोग होता ह। जैसे शुभांग (आपका शुभांग क्या है ?) शुभान्दान (आपका शुभस्थान कहाँ है ?), ठूपा (किस फिर एने जात आने की इच्छा करें) कष्ट (इस अवसर पर आप भी पधारो या कष्ट मरे) आदि। 'तुम' की तुलना म 'नाम' म वह औपचारिकता नहीं है म 'शुभांग' 'स्थान' म है। यहाँ यह ध्यान देओ की बात है कि वक्ता व

औपचारिकता या अनौपचारिकता नहीं होती। सामाजिक मायताएँ ही एक को औपचारिक शब्द बना देती हैं और दूसरे को अनौपचारिक।

कभी-कभी हम देखते हैं कि भाषा का एक शब्द ठीक माना जाता है किंतु उसी अर्थ का दूसरा शब्द अश्लील माना जाता है। प्रश्न यह उठता है कि एक ही अर्थ में प्रयुक्त दो शब्दों में एक अश्लील शब्द क्यों हा गया और दूसरा अश्लील क्यों नहीं माना गया। इसका कारण न तो भाषा की संरचना में है और न शब्द में। इसका कारण भी समाज ही है। वस्तुतः पाखाना, पिशाच, जननाद्रिय आदि से संबद्ध शब्द जब समाज में बहुत प्रचलित हो जाते हैं तो समाज उन्हें अश्लील ठहरा देता है जिसका परिणाम यह होता है कि शिष्ट भाषा में उनका प्रयोग वर्जित हो जाता है तथा समाज उनके स्थान पर नए शब्दों का प्रयोग शुरू कर देता है। इस तरह नए शब्द पुराने अश्लील शब्दों को धक्का देकर सामाजिक प्रयोग से बाहर कर देते हैं। इसी तरह अंग्रेजी के शिष्ट प्रयोग से 'लिट्रिन' और 'यूरिनल' को 'वाथरूम' ने निकाल बाहर किया, फिर 'वाथरूम' भी अश्लील हो गया ता 'टुवॉयलेट' आया। हिंदी में मल, मूत्र, वीर्य आदि के समानार्थी समाज प्रचलित अनन्य शब्द इसी तरह अश्लील माने जाने के कारण प्रयोग से निकल गए हैं। 'वह गभवती है' न कहकर 'उसका पेट भारी है' कहना इसीलिए पसंद किया जाता है। अंग्रेजी में इसी तरह 'प्रेगनेंट' का प्रयोग न करके 'इन फेमिली व' का प्रयोग करते हैं। ता हमने देखा कि शब्दों पर 'अश्लीलता' समाज द्वारा आरोपित होती है।

इस प्रसंग में कुछ अन्य प्रकार के शब्दों की घटना की बात भी की जा सकती है। हिंदी क्षेत्र के अनेक गाँवों में दिन में तो लोग 'साँप' तथा बिच्छू शब्दों का प्रयोग करते हैं किंतु रात में वे लोग 'साँप' को 'जेवर' या 'रसरी' तथा बिच्छू को 'टेढ़की' कहते हैं। इसका कारण यह है उनका विश्वास है कि रात में नाम लेने से वे दोनों काट खाने को आ जाएँगे। इसी तरह के भय ने कुछ बीमारियाँ को अच्छे-अच्छे नामों द्वारा या शब्दों द्वारा पुकारने को बाध्य किया है। उदाहरण के लिए चंचक के विभिन्न प्रकारों के लिए 'माता', 'शीतला', 'दुलारी' जैसी शब्दों के प्रयोग के पीछे इसी तरह की भावना काम कर रही है।

कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत से शब्दों को ही उदाहरण के लिए कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी-क्लेक्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि शब्द पहले पुल्लिंग में, किंतु अब वे पुल्लिंग में ही 'नर्स' शब्द पहले केवल स्त्रीलिंग था, किंतु ऐसा क्या हुआ, इसका कारण हमें हिन्दी भाषी समाज में यह चूँकि कलेक्टर, कमिश्नर आदि के पदों पर पुरुष काम करते हैं, अब इन पदों पर स्त्रीलिंग भी हैं। इसी प्रकार ही करती थी, अब यह शब्द स्त्रीलिंग में

स दो

पुरुष काम
भी काम
हैं।
के

पुरुष भी यह काम करत हैं, अतः यह शब्द अब उमर्भानगी हा गया है। इस तरह के शब्द लिंग परिवर्तन के पीछे सामाजिक परिवर्तन काम करते हैं।

शब्दों में ध्वनिया की दृष्टि से परिवर्तन होते हैं, तथा कभी-कभी इन परिवर्तन के पीछे सामाजिक कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी विहार के बहुत से ब्राह्मण घरों में 'गोभी' को 'कोभी' कहत रहे हैं। 'ग' के 'क' में इस परिवर्तन के पीछे कारण यह रहा है कि 'गो' का अर्थ 'गाय' है, अतः खान के नाम में इसे नहीं आना चाहिए। इसलिए 'गोभी' का 'कोभी' करके अत्यधिक धर्मांध लोगोंने यह सोचकर सतोष की सास ली कि उहाँन 'गोभी' खा भी ली और उनका धर्म भी बच गया। कुछ ऐसे ही कारणों से पंजाब तथा पश्चिमी हिंदी प्रदेश में 'मसूर' शब्द के स्थान पर 'मलका' शब्द चल पड़ा। हुआ यह कि, 'सूअर' मुसलमानों के लिए 'हराम' है, और 'सूअर' को पश्चिमी क्षेत्र में 'सूर' भी कहते हैं, यह 'सूर' चूँकि 'मसूर' शब्द में भी आता है, अतः किसी खाद्य पदार्थ को 'मसूर' कहना मुसलमानों को उचित नहीं लगा और वे अपनी इस पसंदीदा दाल को 'मलका' कहन लग गये। इसीलिए बहुत से लोग 'मसूर' को 'मलका' मसूर' भी कहते हैं। बहुत से हिंदू 'माम' से परहेज करत हैं, और 'मसूर' में प्रारम्भ में 'मस' है, अतः उत्तर प्रदेश के काफी हिंदू घरों में 'मसूर' की दाल नहीं खाई जाती। 'मसूर' का मास की तरह लाल होना भी इसका एक कारण है।

यह तो ध्वनि और शब्द के बदलने की बात थी। कभी-कभी सामाजिक कारणों से शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए 'बौद्ध' का अर्थ है 'बुद्ध का अनुयायी', किंतु इसी से विकसित शब्द 'बुद्धू' का अर्थ है 'मूर्ख'। हुआ यह कि भारत में जब बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा तथा इसके अनुयायियों में तरह-तरह की बुराईयाँ आने लगी तो स्वभावतः हिंदू समाज इस धर्म को 'हीन' तथा इसके अनुयायियों को 'मूर्ख' मानन लगा, और परिणाम यह हुआ कि 'बुद्धू' शब्द का अर्थ 'बुद्ध धर्म का अनुयायी' से हटकर मूर्ख हो गया। हिंदी का 'नगा-लुच्चा' शब्द भी कुछ इसी प्रकार हेयार्थी बना। प्रारम्भ में कुछ जन साधुओं को 'नग्न' (दिगंबर) रहने के कारण 'नग्नक' तथा आत्मपीडन के लिए अपन बाल नोचन के कारण 'लुचक' कहते थे। बाद में इन साधुओं का समाज जब ध्रष्ट हो गया तो 'नगा-लुच्चा' रूप में इनका नाम हेयार्थी विशेषण बन गया। वस्तुतः कोई भी समाज च्युत होता है तो उसका नाम भी अपन उच्चाथ खोकर हेयार्थी बन जाता है। इसी तरह स्वतंत्रता पूर्व के उच्चारण शब्द 'बाग्रेसी' तथा 'नता' अब हेयार्थी हो गए हैं; इसके विपरीत भी कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं। 1930-40 के आस पास इंग्लैंड में 'इंडियन' का जो अर्थ था, आज निश्चय ही वह नहीं है।

इस तरह शब्दों का अध्ययन विश्लेषण, अनेक दृष्टियों से समाज के सद्भ में करना संभव है।

समाज की जानकारी के लिए शब्दों का अध्ययन

समाज विशेष की जानकारी के लिए शब्दों का अध्ययन विश्लेषण काफ़ी काम का होता है। अनेक पुरानी सस्कृतियों के अध्ययन में वहाँ के पुराने शब्द भांडार का अध्ययन इसी रूप में सहायक होता है। भाषाविज्ञान के अध्येताओं ने यह बात छिपी नहीं है कि जब पिछली सदी के उत्तरार्ध में तथा इस सदी के पूर्वार्ध में यह प्रश्न उठा कि सस्कृत, अवस्था, पुरानी फारसी, ग्रीक, जर्मन, रूसी आदि की मूलभाषा 'भारोपीय' बोलने वाले लोग (जिन्हें कुछ लोग ने आर्य भी कहा है) मूलतः कहाँ रहते थे, तो विद्वानों को शब्दों के अध्ययन की ही सहायता सर्वाधिक लेनी पड़ी। किया यह गया कि इन सभी भाषाओं के शब्द भांडार की तुलना करके मिलते-जुलते शब्द अलग कर लिए गए और यह माना गया कि ये शब्द उस मूल भाषा में भी किसी न किसी रूप में रहे होंगे। फिर इन शब्दों का विषयानुसार वर्गीकरण किया गया। इसके उपरान्त इन वर्गीकृत शब्दों के आधार पर उस पुराने समाज की बहुत सी बातों को खोज निकालने का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए नाते रिश्ते की समान शब्दावली के आधार पर यह पता लगाया गया कि उस समाज में किन किन संबंधों को स्वीकृति मिली थी, तो ख़ास विषयक समान शब्दावली से यह पता चला कि वे लोग क्या खाते-पीते थे। इसी तरह पशु पक्षियों की समान शब्दावली ने उनके परिचित पशु-पक्षियों की जानकारी दी। इसी तरह उनके धर्म और विश्वास उनके व्यवसाय तथा उनकी गणना पद्धति आदि के बारे में भी ज़रूरत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। इन सबके साथ-साथ शब्दों के आधार पर भौगोलिक जानकारी भी प्राप्त की गई और उसके आधार पर उनके मूल निवास-स्थान के बारे में अनुमान लगाए गए। इस तरह समाज विशेष पर प्रकाश डालने के लिए शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं।

कभी-कभी तो शब्दों के विश्लेषण और उनकी तुलना से सस्कृतियों के बारे में ऐसी-ऐसी बातों का उदघाटन होता है जिनकी ओर सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता। उदाहरण के लिए भारत में अभिवादन के शब्द सामाजिक संस्था पर आधारित हैं 'दंडवत' (धड़ा से डंडे के समान किसी के सामने भूमि पर पड़ जाना) का प्रयोग लोग बहुत पहूँचे हुए साधु महात्माओं के लिए करते हैं, 'पालागन' (पैर छूना) अपने से बड़े सगे संबंधियों आदि के लिए करते हैं, 'प्रणाम' (अर्थ है विशेष झुकना) अपने से बड़े किसी का भी कर सकते हैं, यह अधिन औपचारिक है, 'नमस्कार' (अर्थ है झुकना), 'नमस्त', 'आशीर्वाद' (पुराने लोग अपने से छोटा के लिए इसका प्रयोग करते हैं) भी एतद् ही क्रम में सामाजिक मापदंड पर ऊपर से नीचे जाते हैं। इसकी तुलना अंग्रेज़ी आदि यूरोपीय अभिवादन प्रणाली से करें तो हम पाते हैं कि उनके शब्द (Goodmorning, Goodevening, Goodnight) सामाजिक संस्था पर

आधारित न होकर समय विभाजन पर आधारित है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा समाज 'सामाजिक' सबधो में 'बड़े होने छोटे होने' को अधिक महत्त्व देता है तो उनका समाज 'समय' को अधिक महत्त्व देता है। यह ध्यान देने की बात है कि शब्द इस तरह की बड़ी पत्ते की बहुत सारी बातें विभिन्न समाजों के बारे में बता सकते हैं, यदि उनका इस दृष्टि से अध्ययन विश्लेषण अच्छी तरह किया जाए।

कुछ और तरह के उदाहरण लें। यदि कोई यह पूछे कि प्राचीन भारतीयों में कौन कौन से अधविश्वास प्रचलित थे तो सामान्यतः उनका लेखा जोखा कहीं एक स्थान पर नहीं मिलेगा, किंतु संस्कृत के शब्दों में ऐसे काफी संकेत हैं जो इस बात पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए 'चाद' के कुछ संस्कृत पर्यायों को लें—सुधाकर, सुधारश्मि, अमृताशु, सुधानिधि। इनके विश्लेषण से स्पष्ट हो जाएगा कि लोगों का यह विश्वास रहा है कि चंद्रमा में अमृत की निधि है जो उसकी किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। आज भी बहुत से लोग कार्तिक पूर्णिमा की रात में चादनी में खीर रखकर प्राप्त जो खाते हैं उसके पीछे इसी विश्वास का अवशेष है। वही अमृत उस खीर को दीर्घायुता की विशेषता प्रदान करता है। इसी तरह चाद के 'मगाक' और 'हरिणाक' पर्याय यह बता रहे हैं कि लोगों का विश्वास था कि चाद में जो काला निशान है वह 'हिरन' है। इसी आधार पर ये शब्द बनाए गए हैं। 'कपूर' के लिए संस्कृत में 'घनसार' तथा 'मेघसार' शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसके पीछे यह अधविश्वास है कि स्वाति नक्षत्र के बादल की बूँदें बेलों के पेड़ में पड़कर कपूर बन जाती हैं और पृथ्वी के अचला, निश्चला, स्थिरा पर्याय शब्द क्या कहते हैं? कहते हैं कि पृथ्वी अचल है, निश्चल है, स्थिर है—ऐसी भावना इन शब्दों के रचयिताओं के भस्तिष्क में निश्चय ही रही होगी। कहना न होगा कि यह भावना भी अधविश्वास है, सत्यता तो पृथ्वी चला, अस्थिरा है, अचला, स्थिरा नहीं।

हिंदू गोहत्या के बहुत ही विरोधी रहे हैं किंतु वैदिक साहित्य में अतिथि का पर्यायवाची शब्द 'गोघ्न' कुछ और कहानी कहता है। 'गोघ्न' का अर्थ है जिसके लिए गौ मारें। बृहदारण्यक उपनिषद् में भी आता है कि सम्मान्य अतिथि के आने पर महोत्सव (अच्छा बैल) मारे जाते थे। कुछ संस्कृत नाटकों में भी इस प्रकार के उल्लेख हैं। वास्तविकता यही है कि पहले आय गोमांस खाते थे बाद में 'गाय' और 'बल' की उपयोगिता देखकर 'गोहत्या' पर बंदिश लगी और तब 'गाय' के लिए एक नए पर्याय का निर्माण हुआ। वह पर्याय है 'अघ्न्या अपात्' 'वह जो मारने योग्य न हो'। इस प्रकार 'गोघ्न' तथा 'अघ्न्या' शब्द हिंदू समाज की वर्तमान भावनाओं से पूर्णतः अलग एक लुप्त परंपरा का उद्घाटन करते हैं।

हिंदुआ में मुर्दा जलाते हैं तथा मुसलमानों और ईसाइयों में गाड़ते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि पुराने आय भी अपने मुर्दे गाड़ते थे। 'श्मशान' शब्द का सबध 'शी' धातु से है। 'शी' का अर्थ है 'लेटना', 'सोना'। अर्थात् 'श्मशान' वह

है जहाँ मुद्दे लिटाए या गाड़े जाते थे। भारतीय सस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान् आचार्य क्षितिमोहन सन भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'भारतीय सस्कृति' में इसी निष्पत्ति पर पहुँचे हैं कि आय अपन मुद्दे गाड़ते थे, जलाते नहीं थे। वस्तुतः जलाने की परंपरा आर्यों ने बाद में अनार्यों से ग्रहण की।

एक बार भारतीय सस्कृति पर मरा एक भाषण था। भाषण के बाद एक पंडित जी मेरे पास उठकर आए। भाषण की प्रशंसा करते हुए बोल, 'डॉक्टर साहब, आप भारतीय सस्कृति के इतने अच्छे जानकार होकर भी पैट-बुग्शट पहनते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। आपको तो 'कुर्ता' पहनना चाहिए। पंडित जी कुर्ता पहन हुए थे। पहल तो मैंने सोचा कि चुप रहूँ फिर मन में आया कि उनका भ्रम दूर हो जाना चाहिए, अतएव मुझे उन्हें बताना पड़ा कि 'कुर्ता' तुर्की शब्द है, और यह कपड़ा मुसलमानों के साथ भारत में आया है। ऐसे ही 'पजामा' फारसी शब्द है। मूल है 'पायजामा'। 'पाय' अर्थात् 'पैर' और 'जामा' यानी कपड़ा। तो 'पैजामा' का फारसी अर्थ है 'पैर का कपड़ा'। इस तरह पैट-बुग्शट जितने विदेशी हैं, उतने ही विदेशी पायजामा कुर्ता भी हैं। वस्तुतः अपने यहाँ के पुराने कपड़े 'अगरक्षक' तथा 'अधोवस्त्र' थे। पहले का अर्थ है 'अंगों की रक्षा करने वाला'। यही शब्द मध्यकाल में 'अंगरक्षा' बन गया था। दूसरे शब्द 'अधोवस्त्र' का अर्थ है नीचे पहनने का कपड़ा'। इसी का विकास घोंती है। अपवादों की बात छोड़ दें तो यह प्रायः पाया जाता है कि जब किसी सस्कृति से कोई वस्तु आती है तो उसका नाम भी वही से आता है। इस तरह ऐसे ही अपने यहाँ अंग पोछने के लिए पहले एक कपड़े का प्रयोग होता था जिस 'अंगप्रोक्षक' कहते थे, इसका अर्थ है 'अंग पोछने वाला'। 'अंगोछा' यही है। पुतगालिया के साथ 'तौलिया' शब्द आया। प्रायः लोग 'तौलिया' को अंग्रेजी 'टॉवेल' से निकला समझते हैं किंतु ऐसा है नहीं। अंग्रेजा के आने के पूर्व तौलिया, बिस्कुट, लालटेन—वस्तुएँ तथा शब्द—पुतगालिया के साथ भारत में आ चुके थे। 'मदा' और 'सेवर्ड' (सेधियाँ) दोनों की ही प्रयोग परंपरा यूनान से भारत में आई है, और ये दोनों शब्द मूलतः यूनानी शब्द 'सेमिदालिस' हैं। मिठाइयों में कौन भारतीय हैं तथा कौन विदेशी, उनके नामों के आधार पर यह भी सरलता से जाना जा सकता है। उदाहरणार्थ 'मोदक', 'लड्डू' अपन हैं तो 'जलेबी', 'बर्फी' मुसलमानों के साथ आए हैं। ये फारसी शब्द हैं। आधुनिक काल की मिठाइयाँ (पेस्ट्री, केक टाफी चॉकलेट) के बारे में हम जानते ही हैं कि वे हमारे समाज को अंग्रेजों की देन हैं।

इस तरह कोई समाज क्या सोचता रहा है, क्या मानता रहा है, कैसा रहा है क्या उसका अपना है तथा क्या उसने अंग्रेजों से लिया है—आदि इत्यादि बातों का बहुत अच्छा लखा जोखा हम उस समाज की भाषा के शब्द दे सकते हैं, यदि हम गहराई से उनका अध्ययन-विश्लेषण करें।

आधारभूत शब्दावली

'आधारभूत शब्दावली' में 'शब्दावली' का अर्थ है किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दा का समूह। इसके हिंदी में अर्थ नाम 'शब्दसमूह', 'शब्दभंडार' तथा 'शब्द-भांडार' है। अंग्रेजी में इसे 'वाक्यबुलरी' (Vocabulary) कहते हैं। 'आधारभूत' का अर्थ है 'जो आधार हो'। इसे 'मूल' या 'मूलभूत' या 'बुनियादी' भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे 'बेसिक' (Basic) कहा जाता है। इस तरह 'आधारभूत शब्दावली' अंग्रेजी 'बेसिक वाक्यबुलरी' का हिंदी पर्याय है।

जसा कि पीछे शब्दसमूहविज्ञान (आरेख के लिए वहा देखिए) शीपक अध्याय में हम देख चुके हैं 'प्रयोग' और 'प्रकृति' की दृष्टि से किसी भी भाषा की शब्दावली या उसके शब्दसमूह के शब्दा का तीन वर्गों में रखा जा सकता है उच्च मध्यवर्ती तथा आधारभूत। उच्च शब्द भाषा के शब्दसमूह में सबसे दाहिनी होते हैं। इस वर्ग में उच्च भाषा में विभिन्न विज्ञान शास्त्रों, कलाओं एवं दिशाओं के पारिभाषिक शब्द आते हैं तथा कुछ व शब्द आते हैं जो माहिरों में कर्मियों प्रयुक्त होते हैं, अतः प्रायः क्लिष्ट माने जाते हैं तथा इनका ज्ञान इन के लोगों को होता है। मध्यवर्ती शब्द उच्च शब्दा की तुलना में आधा जो शब्दों में भीतरी होते हैं किंतु उतने नहीं जितने आधारभूत शब्दों में हैं। इनका ज्ञान अपेक्षाकृत काफी लोगों को होता है, किंतु इनमें से कुछ शब्दों की विशेष शब्दावली के भाग होते हैं सक्रिय शब्दावली के शब्दों में से हैं किंतु विभिन्न विधाओं में ही इनका प्रयोग प्रायः होता है। इन शब्दों में से कुछ व आधारभूत शब्द भाषा की संरचना में भीतरी शब्द हैं। इन शब्दों में से कुछ शब्दों को प्रयोग में लाया जा सकता है।

बहुत छोटी हाती है तथा उसमें उन सभी सामान्य एवं सावजनिक वस्तुओं एवं सम्पन्नाओं (concepts) की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित शब्दावली, गवनाम, विशेषण क्रिया तथा अव्यय शब्द होना हैं जो किसी भाषायी समाज के दैनिक जीवन में आपसी सम्पर्क के आधार होते हैं। प्रत्येक भाषा में अर्थ शक्ति की तुलना में आधारभूत शब्दावली का ही प्रयोग अधिक होता है। किसी भाषा की अधिकांश बोलियों में ये शब्द यदि ध्वन्यात्मक परिवर्तना की बात छोड़ दें तो प्रायः समान होते हैं। एक बोली भाषी व्यक्ति दूसरी बोली भाषी का इन्हीं के आधार पर समझ लेता है।

आधारभूत शब्दावली की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी उल्लेख्य है कि उच्च या मध्यवर्ती शब्दावली की तुलना में यह अर्थ भाषाओं से बहुत कम प्रभावित होती है। बाह्य प्रभाव तकनीकी क्षेत्रों में पहले उच्च में आता है तथा अर्थ क्षेत्रों में प्रायः मध्यवर्ती में। अर्थ भाषाओं के कम ही शब्द, आधारभूत शब्दावली तक पहुँच पाते हैं, और जो पहुँचते हैं वे भी कुछ अपवादों को छोड़कर, प्रायः बहुत दूर में।

किसी भाषा की आधारभूत शब्दावली का वनानिक ढंग से पता लगाने का काम इस सदी के तीसरे दशक में शुरू हुआ। 1922 में डॉ० थॉर्नडाइक (Thorndike) ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से अंग्रेजी के सर्वाधिक प्रयुक्त बीस हजार शब्दों की सूची (Teacher's Wordbook of Twenty Thousand Words found most frequently and widely in general literature) प्रकाशित की। इस काम के लिए प्रयोगों के एक करोड़ काट बनाए गए थे जिनके आधार पर इन 20 हजार शब्दों की छँटाई हुई। यह सूची सच्चे अर्थों में आधारभूत शब्दावली की तो थी नहीं किन्तु काम उसी दिशा में था। ये बीस हजार व शब्दों के जो सर्वाधिक प्रयुक्त होते थे। आगे चलकर इनके आधार पर शिक्षा के लिए स्तरित (graded) पाठ्यपुस्तकें बनाई गई थीं। 1927 में कैम्ब्रिज के आर्थो-लाजिबल इन्स्टीट्यूट ने अंग्रेजी की आधारभूत शब्दावली पर काम शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी भाषा में आधारभूत शब्द 850 मान गए। रूसी भाषा पर इस दृष्टि से बहुत विस्तृत काम हुआ है। सावियत संघ की इस्तानिया जनतंत्र की राजधानी ताल्लिन की अकादमी के रूसी विभाग ने 300 व्यक्तियों से इस दिशा में 3 वर्षों (1959-1962 तक) काम कराया और बाद में रूसी भाषा के सर्वाधिक प्रयुक्त शब्दों पर पुस्तक प्रकाशित की। भारत में इस दिशा में अभी कुछ ही काम हुआ है। गुजराती (Phonemic and Morphemic Frequencies of the Gujarati Language—P. B. Pandit, Poona 1965) तथा मराठी (Phonemic and Morphemic Frequencies of the Marathi Language—S. V. Bhagwat) में इस दिशा में दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं।

हिन्दी में इस दृष्टि से कई काम हुए हैं। 1958 में मूलतः श्रीराम शर्मा द्वारा तैयार की गई, हिन्दी के 500 शब्दों की सूची (Basic Hindi Vocabulary)

भारत सरकार ने प्रकाशित की। उसी वर्ष मूलतः उमेशलाल सिंह द्वारा प्रस्तुत हिन्दी के 2000 शब्दों की सूची (Basic Hindi Vocabulary) भी भारत सरकार ने छपी। 1964 में पूना से हिन्दी के सर्वाधिक प्रयुक्त 19,211 शब्दों की एक सूची (Phonemic and Morphemic Frequencies in Hindi — A M Ghatge) प्रकाशित हुई। इस प्रसंग में बद्रीनाथ कपूर के 1102 हिन्दी शब्दों की सूची (Basic Hindi, वाराणसी 1962) अजमल छाँ की 1100 शब्दों की सूची [नवभारत टाइम्स (18 10 62) में लेख 'बुनियादी हिन्दी का नया प्रयोग'] तथा जगदीशप्रसाद अग्रवाल की 800 शब्दों की सूची (वैदिक हिन्दी शब्द-सूची मुरादाबाद) भी उल्लेख्य हैं। 1967 में केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा की ओर से 5 हजार हिन्दी शब्दों की एक सूची (हिन्दी की आधारभूत शब्दावली) प्रकाश में आई। उसके एक वर्ष बाद डॉ० कलाशचंद्र भाटिया की 2005 शब्दों की सूची (हिन्दी की वैदिक शब्दावली) अलीगढ़ विश्वविद्यालय से छपी, जो हिन्दी में इस दिशा में अब तक का हुआ सारे कार्यों में निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है।

इस प्रसंग में यह प्रश्न सहज ही उठता है कि किसी भाषा की आधारभूत शब्दावली खोजने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है भाषा विशेष के शब्दभंडार के सबसे आवश्यक एक मूल अंश की जानकारी। यह जानकारी कई क्षेत्रों में हमारे बड़े काम की हाती है। उदाहरणार्थ उस भाषा की मातृभाषा या अथवा भाषा के रूप में पढ़ने के लिए, बिना किसी क्रम से शब्द सिखाने की तुलना में सबसे पहले इसी शब्दों की स्तरीकृत जानकारी देना अधिक लाभकर होता है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में आधारभूत शब्दावली का प्रयोग आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी देन है। इससे अपेक्षाकृत कम समय में, भाषा सीखने वाला जटिल भाषा में अच्छी गति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आशुलिपि निमाण, मशीनी अनुवाद एतिहासिक भाषाविज्ञान (विशेषतः भाषाकालक्रमविज्ञान जैसे क्षेत्रों में), जहाँ भाषाओं की तुलना के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण तथा उस भाषा के बालक बालिका की मूलभूत आवश्यकताओं एवं मनोविज्ञान को समझना आदि अनेकानेक अन्य क्षेत्रों में भी किसी भाषा की आधारभूत शब्दावली हमारी बहुत सहायता करती है।

किसी भाषा की आधारभूत शब्दावली ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है। वस्तुतः यही सबसे टेढ़ी खीर है। आधार सामग्री में अंतर के कारण परिणाम में अंतर पड़ना स्वाभाविक है। केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा डॉक्टर कालिज पूना तथा कलाशचंद्र भाटिया ने हिन्दी शब्दभंडार के सम्बन्ध में उपर्युक्त पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं किन्तु तीनों में काफी असमानता है। यह असमानता मुख्यतः आधार सामग्री में अंतर के कारण है। वस्तुतः अभी तक भाषाविज्ञान इस सम्बन्ध में कोई सिद्धांत नहीं दे सका है कि किसी भाषा की आधारभूत शब्दावली ज्ञात करने के लिए

आधार सामग्री कितनी और कैसी हो। अर्थात् उप-यास, कहानी, नाटक, एकाकी, निवृत्त, आलोचना, रेखाचित्र, जीवनी, सम्मरण, पत्र पत्रिका आदि में क्या क्या लिया जाए। किसका प्रतिशत क्या हो? सोवियत संघ के जिस वृत्त काय की चर्चा ऊपर की गई है, उसमें आधार सामग्री इस प्रकार थी —

उप-यास, कहानी	59%
नाटक	7%
आलोचना, लेख	14%
पत्र पत्रिकाएँ	20%

गुजराती पर जिस काय की चर्चा ऊपर है, उसमें तीन प्रकार के साहित्य से शब्द लिए गए —

(1) पुस्तकों से	28500 शब्द
(2) रेडियो प्रोग्राम से	21500 शब्द
(3) समाचार पत्रों से	49687 शब्द
	<hr/> 99687

पूना से प्रकाशित हिन्दी सूची में —

(1) पत्र पत्रिकाओं से	45208 शब्द
(2) सरल साहित्य से	23153 शब्द
(3) वार्तात्मक और गम्भीर साहित्य से	15340 शब्द

(4) अनुवाद, बाल साहित्य, रेडियो वार्ता तथा स्त्री साहित्य आदि से	<hr/> 14210 शब्द
	97911

उपरोक्त स स्पष्ट है कि आधार सामग्री में कोई एक-रूपता नहीं है। इस अनेकरूपता के कारण ही एक भाषा के एक ही काल को लेकर यदि चार स्थानों पर अलग-अलग काम हो तो परिणामों में अंतर होगा। सभी के परिणाम पूर्णतः एक नहीं हो सकते। इसलिए गणना के आधार पर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि अमुक भाषा के अमुक काल में इतने ही और यही ही आधारभूत शब्द थे। वस्तुतः आधारभूत शब्दावली के शब्द और उनकी संख्या केवल 'लगभग ही' हो सकती है।

माटे रूप से यह जवश्यक कहा जा सकता है कि आधार सामग्री जितनी ही अधिक होगी, परिणाम उतन ही अच्छे होंगे। आधारभूत शब्दावली ज्ञात करने

की पद्धति यह है कि आधार-सामग्री से एक एक शब्द को अलग-अलग काड पर लिखते हैं। फिर सारे काडों को वर्णानुक्रम से रख लेते हैं। ऐसा करने से प्रत्येक शब्द के सार काड एक स्थान पर आ जाते हैं, जिनसे यह पता चल जाता है कि कौन शब्द कितनी बार आया है। जो शब्द सबसे अधिक बार आया है उसे सबसे पहले रखते हैं, उससे कम आने वाले को उसके बाद और इसी प्रकार आगे भी। इस तरह से जो सूची बनती है, उससे प्रथम 500, 700, 1000, 2000, 2500 या 3000 शब्द, जसी भी आवश्यकता हो, आधारभूत शब्दावली माने जा सकते हैं। यो सामान्यतः यह देखा गया है कि अधिकांश भाषाओं के 2000 से 3000 तक ऐसे शब्द खोजे जा सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के साहित्य एवं बोलचाल में 65 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक आते हैं। शेष 35 से 20 प्रतिशत तक शब्द उच्च या मध्यवर्ती होते हैं।

यहां स्पष्टीकरण के रूप में कुछ बातें और कही जा सकती हैं। शब्द से यहाँ अर्थ है ऐसी भाषिक इकाई, (लेखन में) जिसके दोनो ओर खाली जगह होती है। उदाहरणार्थ वह घर चला गया' वाक्य में 'वह' 'घर' 'चला' 'गया' ये चार शब्द हैं। एक शब्द के यदि जनेक रूप (घोडा, घोडे, घोडो) हो तो सूची में मूल शब्द (घोडा) ही रखा जाता है। कभी-कभी एक ही शब्द दो या अधिक पूर्णतः भिन्न अर्थों में आता है आम (सामान्य, एक फल), पर (परंतु पख), सोना (स्वर्ण सोने की त्रिया)। ऐसे शब्दों के आने पर इन्हें अलग-अलग शब्द मानना चाहिए। अर्थ के साथ इनके अलग-अलग काड बनाने चाहिए। जितने सूची में भी ये अलग अलग रखे जाएँगे साथ ही स्पष्टता के लिए हर एक के साथ अर्थ का भी संकेत रहेगा।

बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सभी भाषाओं की आधारभूत शब्दावली एक होती है। इसी कारण से कुछ लोगो ने अंग्रेजी के आधारभूत शब्दावली के आधार पर अन्य भाषाओं (जैसे हिंदी) की आधारभूत शब्दावली बनाने का प्रयास किया है, किंतु ऐसा सोचना पूर्णतः भ्रामक है। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक, सामाजिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है इसी कारण प्रत्येक भाषा की मूलभूत आवश्यकताएँ भी एक सी नहीं हो सकती। भारत जैसे कृषिप्रधान देश की भाषाओं के शब्दभंडार में खेती' शब्द का जितना प्रयोग होगा, कुवत जैसे देश की भाषा में नहीं हो सकता। इसी प्रकार रूसी भाषा में धूम शब्द का उतना प्रयोग नहीं हो सकता, जितना हिंदी आदि धूमप्रधान क्षेत्र की भाषाओं में होगा। अमरीकी अंग्रेजी के लिए वीडियो, टेलीविजन, एलिवटर जैसे शब्द आधारभूत शब्दावली में हगि किंतु अत्यंत पिछड़े देश की भाषाओं में ऐसा नहीं हो सकता।

यही नहीं किसी एक भाषा के आधारभूत शब्दभंडार में भी समय के साथ परिवर्तन आता रहता है। हिंदी के आदि काल में 'पाठशाला' का प्रयोग बहुत ज्ञाता था, किंतु अब 'स्कूल' का प्रयोग उसकी तुलना में कहीं अधिक होता है

अभी कुछ ब्रज पहले तक आना, दुबनी, सेर, छटाक हिन्दी में बहुत प्रयुक्त होते थे, बीच में नया पैसा भी आ गया था, किन्तु अब मान पैसा, किलोग्राम ही प्रयोग में आते हैं।

निष्कपत न तो दो भाषाओं की आधारभूत शब्दावली एक हो सकती है, और न किसी एक भाषा की आधारभूत शब्दावली सबदा एक रह सकती है। इस तरह किसी भाषा की आधारभूत शब्दावली देश, काल, सभ्यता और सस्कृति पर बहुत कुछ आधारित होती है।

इस प्रसंग में कुछ बातें मैं अपनी ओर से भी कहनी चाहूँगा। मेरे विचार में केवल उपर्युक्त ढंग की गणना के आधार पर भी किसी भी भाषा की आधारभूत शब्दावली सूचीबद्ध नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, आगर की शब्दसूची में 'गुरुवार' है किन्तु 'बृहस्पतिवार' नहीं है। हालाँकि इसका प्रयोग 'गुरुवार' से कम नहीं होता। इसी तरह 'दोगुना' है, 'तीनगुना' नहीं है, 'चौथा' है पर 'पाँचवाँ', 'छठा' नहीं है, 'उहोने' है, 'इहोने' नहीं है। इस तरह की कमियाँ सांख्यिक आधार पर बनी सभी शब्द-सूचियों में मिलती हैं। शिक्षा मंत्रालय की सूची में कमर, नमस्कार पैर, फिल्म जैसे शब्द नहीं हैं। इस प्रकार के कुछ मूलभूत शब्द तो आधारभूत शब्दावली में, सामग्री का विश्लेषण चाहे जो भी रहे, सम्मिलित कर ही लेना चाहिए। मेरे विचार में किसी भी भाषा की आधारभूत शब्दावली में सभी मुख्य सवनाम, दिनो तथा महीनो के सभी प्रचलित नाम, 1 से 100 तक की, ऋणबोधक तथा अपूर्णाबोधक संख्याएँ प्रमुख रंग, फलों, अनाज, खानो अंगो, कपडो तथा सबधियों आदि के नाम, सवसामाय विशेषण तथा क्रियाविशेषण एवं सामाय क्रियाया क बोधक शब्द (धातुएँ) आदि निश्चित ही आने चाहिए।

इस तरह उपर्युक्त पद्धति पर तयार की गई आधारभूत शब्दावली में इस प्रकार के अतिरिक्त शब्दों को जोड़कर सूची को अधिक पूर्ण तथा सच्चे अर्थों में भाषा विशेष की आधारभूत शब्दावली बनाया जा सकता है।

पारिभाषिक शब्द

कुछ शब्द ता सामान्य होते हैं (जैसे खाना, कपडा, मकान आदि), जिनका प्रयोग सामान्य रूप से बालबाल आदि में किया जाता है, इसके विपरीत कुछ शब्द जमानामय होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त न होकर मात्र प्रशासन, विभिन्न विज्ञानों तथा शास्त्रों आदि विविध प्रकार के विषयों में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे दशन में 'अद्वैत', साहित्यशास्त्र में 'वचनक' या भाषाविज्ञान में 'रूपिम' आदि।

'पारिभाषिक' शब्द में दो शब्द हैं 'परिभाषा' और 'शब्द'। 'शब्द' पर इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में विचार किया जा चुका है। अतः यहाँ पहले 'परिभाषा' पर विचार किया जा रहा है।

परिभाषा

अथ भाव या सिद्धांत आदि की दृष्टि से किसी शब्दादि के सम्बन्ध में सुनिश्चित और स्पष्ट बचन को परिभाषा कहते हैं।

परिभाषा में निम्नांकित गुणा का होना अपेक्षित होता है —

(1) परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए। अर्थात् उसे ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जितने पर उसके लिए लागू होना अपेक्षित है, उससे अधिक पर लागू हो। जैसे 'पुस्तक उसे कहते हैं जिसे पढा जाए।' इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि वह किसी भी पढी जाने वाली चीज़ (समाचार पत्र, पत्रिका, चिट्ठी आदि) पर लागू हो रही है।

(2) परिभाषा में अव्याप्ति दोष भी नहीं होना चाहिए। अर्थात् उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने पर उसके लिए लागू होना अपेक्षित हो, उससे कम पर वह लागू हो। उदाहरण के लिए 'पुस्तक उसे कहते हैं जिस पर जिल्द हो' में अव्याप्ति दोष है, क्योंकि बिना जिल्द की भी पुस्तक होती है।

(3) परिभाषा एकवाक्यीय होनी चाहिए। अर्थात् उसे एक वाक्य का होना चाहिए। उदाहरण के लिए 'दो अथवा अधिक शब्दों के मिलकर, अथ के स्तर पर एक हो जाने को समास कहते हैं।' (व्याकरण), अथवा 'वे प्रक्रियाएँ शिक्षा कहलाती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक और सामाजिक आदि सभी पक्षों का विकास होता है।' (शिक्षाशास्त्र)।

(4) परिभाषा में क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे सावकालिकता का बोध

हो। जैसे 'है', 'होता है' आदि। 'था', 'रहा', 'रहा था', 'रहा होगा', 'होगा', आदि जसी क्रियाओं का नहीं, जो एकात्मिक हैं।

(5) परिभाषा में यथासम्भव ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो ऐसे न हों कि उनका अर्थ किसी से छूटना या कहीं दखना पड़े।

(6) परिभाषा के स्पष्ट करने वाले अर्थ में उसी पारिभाषिक शब्द या उससे बन रूप का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिगमी परिभाषा दी जा रही हो।

(7) परिभाषा निर्वैयक्तिक होनी चाहिए। उसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(8) परिभाषा यथासाध्य सक्षिप्त, सुगठित और स्पष्ट होनी चाहिए।

संक्षेप में, 'किसी भी शब्द आदि के सम्बन्ध में सिद्धांत या अर्थ की दृष्टि से ऐसे सुनिश्चित तथा स्पष्ट कथन का परिभाषा बहुत है जो अति-याज्ञि तथा अव्याप्ति दोष से रहित, एकवाक्यीय, सावकालिकताबोधक क्रियायुक्त, तथा निर्वैयक्तिक हो।'

'परिभाषा' पर विचार कर लेने के बाद अब 'पारिभाषिक शब्द' का निम्नांकित रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

पारिभाषिक शब्द

जो शब्द सामान्यतः न प्रयुक्त होकर, केवल विभिन्न शास्त्रों, विज्ञानों तथा प्रशासन आदि विशिष्ट विषयों में ही सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा विभिन्न विषयों के सदर्भ में जिनकी निश्चित परिभाषा दी जा सकती है, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं।

वस्तुतः इन शब्दों की परिभाषा दी जा सकती है, इसीलिए इन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं।

पारिभाषिक शब्दों को हिंदी में 'तकनीकी शब्द' (Technical Term) भी कहते हैं। तकनीकी अंग्रेजी शब्द 'टेक्निकल' का हिंदी रूपांतर है। 'टेक्निकल' का सम्बन्ध या तो 'टेक्नीक' और 'टेक्नॉलजी' से है, किन्तु तकनीकी शब्द का प्रयोग मात्र 'टेक्नीक' या 'टेक्नॉलजी' से सबद्ध शब्दों के लिए न होकर सभी तरह के पारिभाषिक शब्दों के अर्थ में ही होता है जिसमें प्रशासन, मानविकी, विज्ञान तथा टेक्नॉलजी (विज्ञान का अनुप्रयुक्त रूप) आदि सभी के शब्द आ जाते हैं।

पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएँ

पारिभाषिक शब्दों में मुख्यतः निम्नांकित विशेषताएँ हानी चाहिए —

- (1) उनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए।
- (2) एक विषय या सिद्धांत में उनका एक ही अर्थ होना चाहिए।
- (3) एक विषय में, एक संकल्पना या वस्तु के लिए एक ही पारिभाषिक

शब्द होना चाहिए।

(4) पारिभाषिक शब्द यथासम्भव छोटा हाना चाहिए ताकि प्रयोग में असुविधा न हो।

(5) उसे यथाभाष्य मूल होना चाहिए, व्याख्यात्मक नहीं। उदाहरण के लिए, जीवविज्ञान में 'दीमक' शब्द ठीक है, उसी के लिए चलनेवाला दूसरा शब्द 'नफ़ेन् चीटी' (white ant) नहीं, जो व्याख्यात्मक है। ऐसे ही 'अनशन' ज़्यादा अच्छा है वनिस्वत 'भूख हड़ताल' (hunger strike) के।

(6) पारिभाषिक शब्द ऐसा होना चाहिए, जिससे सरलतापूर्वक नये शब्द बनाये जा सकें। जैसे 'मानव', जिससे मानवता, मानवीय, मानवीयता, मानवीकरण, मानविकी आदि सरलता में बन गये हैं। इसके स्थान पर 'न' ले तो उससे इस प्रकार शब्द बनाना कठिन होगा, यद्यपि उनका भी अर्थ 'मानव' ही है।

(7) समान श्रेणी के पारिभाषिक शब्दों में एकता होनी चाहिए। जैसे भाषाशास्त्र में स्वनिम, रूपिम, अर्थिम, लखिम या उपस्वन, उपरूप, उपअर्थ, उपलेख आदि। इसके विपरीत यदि स्वनिम को ध्वनिग्राम कहे तो रूपिम आदि के साथ उसकी एकरूपता नहीं रहेगी। इसी प्रकार रसायनशास्त्र में नाइट्रोजन, आक्सिजन तथा हाइड्रोजन इत्यादि।

प्रकार

कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे भी मिलते हैं जो विषय विशेष में तो पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं किंतु उस विषय से बाहर उनका प्रयोग सामान्य भाषा में सामान्य अर्थ में भी होता है। दूसरे शब्दों में, ये शब्द कुछ प्रयोगों में पारिभाषिक होते हैं तो कुछ में सामान्य। इस बात को ध्यान में रखते हुए पारिभाषिक शब्दों को दो वर्गों में बाटा जा सकता है —

(1) पूणपारिभाषिक—य शब्द जो मात्र पारिभाषिक अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इनका प्रयोग क्षेत्र ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र ही होता है। सामान्य बोलचाल का नहीं। उदाहरण के लिए 'व्याकरण का क्रियाविशेषण' दशन का जड़न नाट्यशास्त्र का 'प्रकरी या गणित का दशमलव' इसी प्रकार के शब्द हैं।

(2) अधपारिभाषिक—इस नाम का यह अभिप्राय नहीं है कि इन शब्दों के सभी प्रयोगों में इनकी पारिभाषिकता आधी या खण्डित रहती है। वस्तुतः अधपारिभाषिक ऐसे शब्दों का कहते हैं, जो कि एक तरफ तो विशिष्ट विज्ञान या शास्त्र में प्रयुक्त होने पर पूणपारिभाषिक शब्द का कार्य करते हैं, और दूसरी ओर साधारण व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होने पर सामान्य शब्द के रूप में आते हैं। उदाहरण के लिए, असंगति, शक्ति, अक्षर आपत्ति, रेखा तथा ध्वनि आदि शब्द इसी प्रकार कह जा सकते हैं। अक्षरशास्त्र, भौतिकी, व्याकरण, विधिशास्त्र ज्यामिति तथा भाषाविज्ञान में तो पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु साधारण बोलचाल की भाषा में अपारिभाषिक अर्थवा सामान्य अर्थ

मे। निष्कपत यह कहा जा सकता है कि अधपारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो पारिभाषिक एव सामान्य दोनों ही अर्थों में व्यवहृत होते हैं, किन्तु जब पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तो उनका सामान्य अर्थ नहीं लिया जा सकता, और जब सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तो उनका पारिभाषिक अर्थ अभिप्रेत नहीं होता। इसतरह ये शब्द ऐसे नौकर होते हैं, जिनको दो स्वामिनियों की सेवा करनी पड़ती है, कभी सामान्य भाषा की, तो कभी शास्त्रीय भाषा की।

प्रयुक्ति-भेद और पारिभाषिक शब्द

‘प्रयुक्ति’ का अर्थ है ‘प्रयोग-क्षेत्र’, अर्थात् ‘विषय’। या प्रयोग-क्षेत्र विषय में प्रयुक्त भाषा दूसरे किसी विषय में प्रयुक्त उसी भाषा से, कुछ न-कुछ अलग होती है। उदाहरण के लिए हिन्दी के प्रयोग-क्षेत्र साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिकी, कार्यालय आदि अनेकानेक हैं, और इन सभी की हिन्दी एक दूसरे से अलग है। हिन्दी के ये अलग-अलग रूप ही हिन्दी की अलग-अलग प्रयुक्तियाँ हैं। हिन्दी की विभिन्न प्रयुक्तियों में वाक्य-प्रयोग की दृष्टि से अंतर अपेक्षाकृत कम मिलता है किन्तु पारिभाषिक शब्दावली का अंतर काफी मिलता है। प्रयुक्ति-भेद और पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से मुख्य रूप से तीन बातें सन्नेत्य हैं (क) हर विषय या हर प्रयुक्ति में आनेवाले पारिभाषिक शब्द काफी कुछ अलग हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्म, माया, अद्वैत आदि दशन के शब्द हैं, तो सक्रिय पूजा, सौदाशक्ति, अवमूल्यन, केना एकाधिकार अर्थशास्त्र के, लक्षणा, अभिधा, श्रम, वक्रोक्ति आदि साहित्य के, विशेषण, अव्यय क्रियाविशेषण, सम्प्रदान, अपादान आदि व्याकरण के और विद्वत्परिपद, कलासकाय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा शिक्षा शास्त्र के। (ख) दूसरी बात यह है कि एक ही शब्द का हिन्दी की अलग-अलग प्रयुक्तियों में कभी-कभी अलग-अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए ‘धातु’ शब्द का व्याकरण में एक अर्थ है, रसायन में दूसरा है तथा आयुर्वेद में तीसरा है। ऐसे ही ‘व्युत्पत्ति’ का कायशास्त्र में एक अर्थ है तो व्याकरण या भाषाविज्ञान में दूसरा। (ग) हम लोग पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग, प्रायः अंग्रेजी शब्द को मस्तिष्क में रखकर करते हैं। इसीलिए यह भी यहाँ मकेत करना आवश्यक है कि समशब्दों की दृष्टि से हिन्दी और अंग्रेजी में, विभिन्न प्रयुक्तियों में पूर्ण समानता नहीं है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में व्याकरण और वनस्पतिविज्ञान में ‘रूट’ शब्द है, किन्तु हिन्दी में इसके लिए व्याकरण में ‘धातु’ है तो वनस्पतिविज्ञान में ‘जड़’। इसके विपरीत, हिन्दी में व्याकरण, आयुर्विज्ञान तथा रसायन में ‘धातु’ शब्द है तो इन तीनों ही के लिए अंग्रेजी में क्रमशः तीन शब्द हैं रूट, एलिमेंट तथा ‘मटल’। ऐसे ही अंग्रेजी का कार्डेंस के लिए हिन्दी में व्याकरण में अचिन्ति, या ‘अवयव’ शब्द चलता है तो पुस्तकालयविज्ञान में ‘शदानुक्रमणी’, अंग्रेजी फाकस के लिए हिन्दी में गणित में नाभि है तो भौतिकी में ‘फोकस’ और भूगोल में ‘उदगमकेन्द्र’, फक्शन के लिए भाषाविज्ञान में ‘प्रकाय’ शब्द है तो विधि (लॉ) में

‘कृत्य’, ‘डिनोटेसन’ के लिए आलोचना में ‘मुख्याथ’ तो तकशास्त्र में ‘वस्त्वथ’ ।

इस तरह प्रयुक्त भेद के अनुसार पारिभाषिक शब्दों का अर्थ समझने तथा उनका प्रयोग करने में काफी सतकता अपेक्षित है ।

हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के ग्रहण और निर्माण की मुख्य प्रवृत्तियाँ

हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के ग्रहण और निर्माण की प्रवृत्तियाँ या संप्रदाय पाँच हैं—राष्ट्रीयतावादी अथवा पुनरुद्धारवादी अंतर्राष्ट्रीयतावादी अथवा आदानवादी, प्रयोगवादी, लोकवादी तथा समन्वयवादी । इनमें से मुख्य निम्नांकित चार ही हैं—

1 राष्ट्रीयतावादी

इस प्रवृत्ति को पुनरुद्धारवादी, शुद्धतावादी आदि भी कहा गया है । इसमें विश्वास रखने वाले लोग पारिभाषिक शब्दों के लिए या तो संस्कृत से शब्द ग्रहण करना चाहते हैं या संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, शब्द आदि के आधार पर नये शब्द बनाना चाहते हैं । ऐसे बहुत सारे शब्द लिये तथा बनाये भी गये हैं । इस संप्रदाय के लोगो द्वारा लिये जाने वाले शब्दों में नेपालज (सखिया) तथा शुल्वारि (गधक) आदि हैं, तो बनने वाले शब्दों में मुद्रणालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय, न्यायालय, मुर्यालय, दूरभाष, दूरदर्शन, दूरमुद्रक आदि हैं ।

इस प्रवृत्ति के पक्ष में एक ही बात कही जा सकती है और वह यह कि संस्कृत के शब्दों के ग्रहण करने पर उनके आधार पर आवश्यकतानुसार नये शब्द सुविधा से बनाये जा सकते हैं । जैसे—‘विधान’ से विधान सभा, विधान परिषद सविधान, वैधानिकता, सवधानिक आदि । लोक में प्रचलित या अंग्रेजी से गृहीत शब्दों से ऐसा करना संभव नहीं है । उनमें इतनी उबरता नहीं होती ।

इस प्रवृत्ति के विरुद्ध निम्नांकित बातें कही जा सकती हैं— (1) हिन्दी में प्रचलित देशज, विदेशी तथा बहुत से तदभव शब्दों का लाभ इस संप्रदाय ने नहीं उठाया जब कि ये हिन्दी की सम्पत्ति हैं । उदाहरणार्थ इसमें ‘दूरबीन’ के स्थान पर ‘दूरक्ष’ ‘बलक’ के स्थान पर ‘लिपिक’ या ‘चेक’ के स्थान पर ‘घनादेश’ जैसे शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है । (2) शब्दों के निर्माण में इसने या तो संस्कृत के उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता ली, या नये प्रत्यय बनाये, किन्तु हिन्दी के बहु-प्रचलित उपसर्गों प्रत्ययों (जैसे ना, वे, दार बद, ची आदि) का पूणत बहिष्कार किया है । (3) इस संप्रदाय ने प्राचीन-साहित्य से जो शब्द लिये हैं, वे आज इतने दुरूह हैं कि उन्हें सामान्यतः समझना कठिन है । (4) जो नये शब्द बनाये गये हैं उनमें बहुत से शब्दों की रचना अंग्रेजी शब्द के उपसर्गों प्रत्ययों को दबकर यत्रवत् (जैसे mani + pula + tion = प्र + हस्त + न, per + meter = परि + माप, आदि) कर दी गयी है बिना इन बातों का ध्यान रखे कि वे आज की

जीवित भाषा में चल भी सकते हैं या नहीं—जैसे 'दिनालियापन' के लिए 'नष्ट-निधिता'। (5) हमारी आज की सृष्टि मिश्रित सृष्टि है, अतः हमारा शब्दावली को भी उसी प्रतिनिधित्व करना चाहिए, किंतु इस संप्रदाय ने मध्यकाल में अरबी फारसी तुर्की तथा आधुनिक काल में अंग्रेजी के योगदान को नकारते हुए दो हजार वर्ष पीछे जाकर हमारी भाषा का सृष्टि अनुस्यू करना चाहा है, तथा उसे जनता के बीच में उठाकर वेदा शास्त्रों के सृष्टि मंडित मिहातन पर आसीन करने का प्रयास किया है।

2 अंतर्राष्ट्रीयतावादी

इसे आदानवादी, शब्दग्रहणवादी, स्वीकारवादी आदि नाम भी दिए गए हैं। हमारा अधिकांश वैज्ञानिक इसी मत के हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के लिए हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्द बनाने या संस्कृत आदि से लेने की आवश्यकता नहीं। इससे अच्छा यह है कि इन शब्दों का ज्वा का त्याग, या हिंदी आदि की ध्वनि व्यवस्था के अनुरूप इन्हें अनुकूलित करके, ले लिया जाय। इससे तीन लाभ होंगे (क) शब्द बनाने या प्राचीन साहित्य से शब्द खोजने आदि के झंझट से हम बच जायेंगे, (ख) उन शब्दों का ले लेने से, अंग्रेजी, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अन्य ऐसी भाषाओं में अपने प्रयोग में जुड़े रहने जो इन शब्दों का प्रयोग करती हैं (ग) पूर्णतया नयी पारिभाषिक शब्दावली स्वीकारने पर व भारतीय वैज्ञानिक जो अपने-अपने क्षेत्रों में लगे हैं भारतीय भाषाओं में ग्रंथ रचना करना भी चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि नये शब्दों से परिचित होने तथा उन्हें याद करने का समय निकालना उनके लिए समय नहीं है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तथा अंग्रेजी शब्दों को ले लें, तो यह बठिण्डाई उनके सामने नहीं आएगी और वे सरलता से हिंदी में भी पुस्तकें लिख सकेंगे। यों तो इसमें सन्देह नहीं कि हमें काफी ऐसे शब्दों को ग्रहण किया है और सभी जीवित भाषाएँ ऐसा करती हैं किंतु सच्चाई यह है कि सारे के सारे शब्दों को ग्रहण करना किसी भी भाषा के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में दा-तीन बातें ध्यान देने की हैं (क) किसी भी समुचित देश में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शब्द किसी दूसरी भाषा से लिये गये हों। भूतत् यह प्रश्न कि व्यक्तिगत से जुड़ा होता है, अतः सारे शब्द हम अंग्रेजी में नहीं ले सकते, (ख) अंग्रेजी के सारे पारिभाषिक शब्द हिंदी में भी नहीं सकते, वस्तुतः कोई भी भाषा मुख्यतः अंग्रेजी हिंदी जैसे अंतरवाली किसी दूसरी भाषा के सारे शब्द नहीं पचा सकती (ग) गृहीत शब्द (लोन बड स) अद्वयमत होते हैं क्योंकि उनमें जनन शक्ति (नये शब्द बनाने की क्षमता) या तो बहुत कम होती है या बिलकुल नहीं होती। किंतु हमारे शब्दों को ऐसा हाना चाहिए कि उनसे सुविधानुसार नये शब्द बनाये जा सकें। या हिंदी ने एक सीमा तक एक अंतर्राष्ट्रीय शब्द लिये हैं तथा उनके आधार पर नये शब्द भी बनाये हैं। जैसे मीटर, लीटर, राडार, टन,

रेडियो, आक्सीजन, नाइट्रोजन, फोकसित, रजिस्ट्रीकृत, वाडरित, माटर गीका, आदि।

इस प्रसंग में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित शब्दावली-आयोग का भी निष्पत्ति है कि निम्नांकित दो प्रकार के शब्द भारतीय भाषाओं में ल लिए जाएँ (क) एस शब्द का व्यक्तित्व का नाम का आधार पर बनाया गया है, जैसे माक्सवाद (वालमाक्स) ब्रल (ब्रेल), वायनाट (कॉप्टिन वायवाट), गिलोटिन (डा० गिलोटिन), आदि, (ख) ऐसे अ य शब्द जिन्हा विषय की काफी भाषाओं में प्रयोग होता है—जैसे टेलीफोन लाइसेंस, रायल्टी परमिट, टैरिफ आदि।

3 लोकवादी

लोकवादी सम्प्रदाय लोकप्रचलित शब्दों का आधार पर पारिभाषिक शब्द बनाने का पक्षधर रहा है। उदाहरण के लिए यदि मटनिटी हाम को अपनाए के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीयतावादी रहे हैं, तो प्रसूतिगृह को लेने के पक्ष में राष्ट्रीयतावादी किंतु लोकवादी लोकप्रचलित जच्चा तथा घर' में 'जच्चाघर' बना कर अपनाए के पक्ष में रहे ह। घुसपटिया दलबन्धु पावती भी इसी प्रकार का शब्द हैं। वस्तुतः इसमें सन्देह नहीं कि हिंदी की अपनी पूरी शब्दावली यदि इस श्रेणी की बनायी जा सके तो बहुत अच्छा हो किंतु कठिनाई यह है कि सभी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण लोकप्रचलित शब्दों का आधार पर संभव नहीं है, क्योंकि लोकप्रचलित शब्द इस दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए, आकाशवाणी और रेडियो के समकक्ष कोई लोकनिर्मित शब्द रखना कठिन है, यही स्थिति टेलीविजन दूरदर्शन, टेलीफोन-दूरभाष, मिनिस्ट्री मंत्रालय सफ्टवेयर सचिव के संबंध में भी है। यो जिन शब्दों के लिए लोक शब्द उपलब्ध हो उन्हें अवश्य अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 'कचहरी' क रहते, 'काट और 'यायालय के हिंदी में प्रचलित होने या स्वीकार होने का शर्ती भेद के अतिरिक्त कोई और औचित्य नहीं है।

4 समवयवादी

वस्तुतः काफी पठे लिखे लोग इस पक्ष में हैं कि हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के लिए सर्वोत्तम भाग समवयवाद का हो सकता है अर्थात् उपयुक्त तीनों का यथोचित समवय। इसकी मूलभूत बातें यह हैं (क) अपने लोकप्रचलित शब्दों में बदल, उपसर्ग तथा प्रत्यय आदिका पूर्ण उपयोग करें। चाहे शब्द ग्रहण करने की समस्या हो, अथवा नये शब्द बनाने की, (ख) ऐसे विदेशी, दशज तथा तदभव शब्द जो खूब चल पड़े हैं या नये हैं किंतु जिनके लिए नये शब्द लेने या गठन की आवश्यकता नहीं है व ले लिये जाएँ। यह लेना अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का भी हो सकता है अग्रजों शब्दों का भी अपनी परंपरा के प्राचीन शब्दों का भी तथा

अथ भारतीय भाषाया या बोलियो के शब्दो का भी । हर जीवित भाषा एसा करती है और उस करना भी चाहिए, (ग) लिया जान वाला कोई शब्द यदि ध्वनि की दृष्टि से हमारी ध्वनि-व्यवस्था के अनुकूल नहीं, तो उसे अनुकूलित कर लेना चाहिए—जसे 'एवेडमी' के लिए 'अवादमी' या 'टेक्नीक' के लिए 'तक्नीक', (घ) अनिवाय होने पर अपनी भाषा के उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, धातु या अथ भाषाआ से गहीत शब्दो के आधार पर नये शब्द बनाय जायें, किंतु यह ध्यान रखा जाये कि उनमे अटपटापन न हो तथा व अपनी भाषा म प्रयोक्ता, श्रोता या पाठक का चौंकाये बिना सरलता से चल सकें, (ङ) और अत मे, हिंदी की शलिया की दृष्टि से किसी एक पारिभाषिक शब्द के लिए, हमारे पास यदि एका धिक् शब्द हा तो हम काई आपत्ति नहीं होना चाहिए । वसी स्थिति मे शैली के अनुसार चयन की गुजाइश रहेगी । उदाहरणाय —

Suspense Account	उचती छाता, निलखित लेखा
Actual Cost	असली कीमत, वास्तविक मूल्य
Absurd Statement	बेतुका बयान, अथहीन वक्तव्य
Affidavit	हलफनामा, शपथपत्र
Agreement Form	करारनामा, अनुघपत्र
Adulterated Drugs	मिलावटी दवाएँ, अपमिश्रित ओषधियाँ
No Admission	अदर आना मना है, प्रवश निषेध
Rejected Application	नामजूर अर्जी, अस्वीकृत आवेदनपत्र

पारिभाषिक शब्दो की रचना

हिंदी म पारिभाषिक शब्दो की कमी दूर करने के लिए दो प्रकार के प्रयास किये गये हैं —

(क) विभिन्न भाषाओ और बोलियो से शब्द ग्रहण

(ख) नये शब्दा का निर्माण

शब्द ग्रहण मुख्यत निम्नावित स्रोतो से हुए है—

(अ) संस्कृत से—जैसे तस्कर (स्मगलर)

(आ) हिंदी भाषा की बोलियो मे—जसे दलबदल (डिफेक्शन), दलबदलू (डिफेक्टर), घुमपठिया (इनफिल्ट्रेटर) भाई भतीजावाद, आया राम गया राम (दलबदलू) आदि ।

(इ) भारत की आधुनिक भाषाओं से—जसे बैंगला से साजगह(श्रीनरुम), कन्नड से प्रतिष्ठान (इस्टब्लिशमेन्ट) आदि ।

(ई) विदेशी भाषाओ(मुख्यत जर्मनी) से—जैसे मीटर, लीटर, विटामिन, राडार, आक्सीजन आदि ।

नये शब्दो का निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास पद्धतिकी सहायता से हुआ

है। इनमें प्रायः तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, और कुछ अंग्रेजी शब्दों का। तदभव तथा हिन्दी में गहीत अरबी फारसी शब्दों से अपेक्षाकृत कम ही शब्दों की रचना हुई है। यों कभी कभी विदेशी शब्दों की छाया पर भी पारिभाषिक शब्द बना लिये जाते हैं। जैसे — 'ट्रैजेडी' से 'त्रासदी', 'कमेडी' से 'कामदी', 'इटरिम' में 'अतरिम' पराबोला' से 'परवलय' आदि।

निर्माण और प्रयोग की अशुद्धियाँ

हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण और उनके प्रयोग से सबद्ध अशुद्धियाँ मुख्यतः दस ग्यारह प्रकार की हो सकती हैं —

(1) रचना सबधी—पारिभाषिक शब्दों की रचना में प्रायः अशुद्धियाँ ही जाती हैं। जैसे 'अतरपणन (आविट्टेज) के लिए 'अतपणन' (अतर + पणन), 'अत श्वसन' (इनहेलेशन) के लिए 'अतश्वसन' (अत + श्वसन), 'अत पाशी' (इटरलाकिंग) के लिए 'अतर्पाशी (अत + पाशी), पुन स्मरण' (रीवाल) के लिए पुनस्मरण (पुन + स्मरण), 'पुनरधिगम (रीलनिंग) के लिए पुन अधिगम' या 'पुनरअधिगम' (पुन + अधिगम), 'वाक्-सुधार' (स्पीच-करेक्शन) के लिए 'वाक्सुधार' या 'वाग सुधार' या 'वाक्सुधार' (वाक् + सुधार), 'प्राणिविज्ञान' (बाइलजी) के लिए 'प्राणीविज्ञान', 'प्राणिजात (फाणा) के लिए 'प्राणीजात' आदि। ये अशुद्धियाँ उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास प्रक्रिया से बनाये गये यौगिक पारिभाषिक शब्दों में संधि आदि की दृष्टि से होती हैं। यह आवश्यक है कि शब्दनिर्माण करते समय संधि और समास प्रक्रिया सबधी नियमों का ध्यान रखा जाए।

(2) प्रयोग-सबधी—पारिभाषिक शब्दों की मात्र जानकारी ही पर्याप्त नहीं है, उनका ठीक प्रयोग भी जानना चाहिए। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में एक शब्द 'इमोजनल' है। इसके लिए हिन्दी में 'भावुक' और 'भावप्रधान' दो शब्द हैं, किन्तु इन दोनों का प्रयोग एक-सदम में नहीं किया जा सकता। व्यक्ति तो 'भावुक' होता है और रचना 'भावप्रधान' होती है अर्थात् रचना को 'भावुक नहीं कहा जा सकता और न व्यक्ति को 'भावप्रधान'। यदि ऐसा कहा जाये तो प्रयोग-सबधी अशुद्धि हो जायगी। इसी प्रकार तकशास्त्र का एक अंग्रेजी शब्द है 'इनफरेंस'। इसके लिए हिन्दी में 'अनुमान' और 'अनुमिति' दो शब्द हैं। दोनों ही सना हैं किन्तु वाक्य में 'अनुमान करना' या 'अनुमान लगाना' तो कह सकते हैं किन्तु 'अनुमिति करना' या 'अनुमिति लगाना' नहीं कह सकते। इसी प्रकार अंग्रेजी 'जेनेरेटर' के लिए हिन्दी में 'जनित्र' और 'जनक' दो पारिभाषिक शब्द हैं और दोनों का अर्थ एक है, किन्तु 'जनित्र' का प्रयोग 'यंत्र' के लिए ही होता है, जबकि 'जनक' का प्रयोग अयंत्र।

(3) अर्थ-सबधी—कुछ पारिभाषिक शब्द रूपीय साम्य के कारण काफी मिलते जुलते होते हैं, किन्तु उनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग में

सतक रहना चाहिए नहीं तो अर्थ की अशुद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए, भाग, विभाग, अनुभाग, प्रभाग लें। इन्हीं 'भाग' पाठ/पोशन है, तो 'विभाग डिपार्टमेंट, 'अनुभाग सेक्शन तथा 'प्रभाग' डिवीजन। एस ही आदेश (आडर), अनुदेश (इंस्ट्रक्शन), निर्देश (रफरेंस), प्रवर, अवर आधिक (इकनामिक) आर्थी, विशानी, वैज्ञानिक, विज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति, दाता, आदाता (रिसीवर), अनुदाता (ग्राटर), निर्देशक (सुपरवाइजर), निदेशक (डायरेक्टर), निरीक्षक (इंस्पेक्टर), अधीक्षक (सुपरिन्टेंडेंट), पयवेक्षक (सुपरवाइजर) यास (ट्रस्ट) विद्यास, दशक, परिदशक (विजिटर) नियम परिनियम (स्टैच्यूट), परिरोध (क्वाइन्टमेट), अनुरोध (रिक्वेस्ट) निरोध (डिटेंशन), योजना (प्लान), परियोजना (प्रोजेक्ट), अनुलिपि (ट्रान्स्क्रिप्शन), प्रतिलिपि (कापी) युक्ति, प्रयुक्ति, नियुक्ति, शासन, प्रशासन, अनुशासन, अनुष्ठान (सालेमनाइजेशन), प्रतिष्ठान (फाउंडेशन), पूरक (काम्प्लीमेंटरी), अनुपूरक (सप्लीमेंटरी), सहाय (फैक्ल्टी), निकाय (बॉडी), तथा अतिरमण (वायोलेशन), अधिक्रमण (एनक्रोचमेंट) आदि।

कुछ शब्दों में रूप की समानता तो रही होती किन्तु अर्थ का अंतर होता है, अतः उनके प्रयोग में भी सतक रहना चाहिए, जैसे निकालना, निलंबन करना, बर्खास्त करना निवृत्त करना, या निष्कासन (एक्सपल्शन), निलंबित (सस्पेंशन), बर्खास्तगी (डिस्मिसल) निवृत्ति (रिटायरमेंट), आदि।

(4) प्रयुक्ति-संबन्धी—प्रयुक्ति का अर्थ है प्रयोग-क्षेत्र या विषय-क्षेत्र के अनुसार भाषा के विविध रूप या शैलीय भेद। उदाहरण के लिए, साहित्य की हिंदी, वकीलों की हिंदी सरकारी कार्यालय की हिंदी, इजीनियरों की हिंदी पूणत एक नहीं होती। ये हिंदी की अलग अलग प्रयुक्तियाँ हैं। इनमें वाक्य रचना का तो अंतर होता ही है, मुख्य अंतर शब्दावली का होता है। यों कुछ पारिभाषिक शब्द तो एकाधिक विषयों में एक ही रहते हैं, जम गणित, भौतिकी, भूगोल तथा भूविज्ञान में अंग्रेजी शब्द 'डायमिनेट' के लिए हिंदी में 'प्रभावी' शब्द चलता है, या धातु' शब्द धातुविज्ञान आयुर्वेद तथा व्याकरण तीनों में ही चलता है, किन्तु बहुतों से शब्द ऐसे होते हैं जो हर विषय के लिए अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में गणित, भौतिकी तथा भूगोल में एक ही शब्द 'फाक्स' चलता है, किन्तु हिंदी में इसके लिए गणित में 'नाभि', भौतिकी में 'फोन्स' तथा भूगोल में 'उदगम-केंद्र' प्रयुक्त होते हैं। अतः यदि कोई भूगोल में 'नाभि' या गणित में 'उदगम केंद्र' का प्रयोग करे तो यह प्रयुक्ति की अशुद्धि मानी जाएगी। एसी ही अंग्रेजी 'क्वाड्रेंस' के लिए पुस्तकालयविज्ञान में 'शब्दानुक्रमणी' है तो भाषा विज्ञान में 'अवयव', या अंग्रेजी 'सेक्यूलर' के लिए राजनीति में 'धर्मनिरपेक्ष' ता अर्थशास्त्र में 'सुदीघवाली'।

(5) रूपांतर-संबन्धी—कभी-कभी पारिभाषिक शब्दों में, प्रयोग के अनुसार अर्थ रूप बनाने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसकी व्यावहारिक जानकारी भी प्रयाक्ता के लिए आवश्यक है। यदि वह नहीं जानता तो उगधे लिए प्रयोग करना

बठिन होता है। जैसे 'पजीयन' या 'पजीकरण', किंतु 'पजीकृत पत्र' 'निलबन' किंतु 'निलबित व्यक्ति', 'भाषा-अधिगम' किंतु 'अधिगत भाषा', 'ग्रहण' किंतु 'गृहीत', 'अनुवाद' किंतु 'अनूदित', 'परित्याग' किंतु 'परित्यक्त', 'अनुराग' किंतु 'अनुरक्त', 'विराग' किंतु 'विरक्त', 'परिग्रहण' किंतु 'परिगृहीत', 'विस्तार' किंतु 'विस्तृत', 'व्यपदेशन' (रिप्रेजेंटेशन) किंतु 'व्यपदिष्ट' (रिप्रेजेंटिड), 'आरक्षण' किंतु 'आरक्षित', या कार्यावयन कार्यावित', 'सपोपक-सपोपण-सपुष्ट', 'आदेश आदिष्ट' आदि।

(6) सहप्रयोग-संबन्धी—'सहप्रयोग' का अर्थ है 'साथ-साथ प्रयोग'। कभी-कभी एक ही विषय में अलग-अलग शब्दों के सदृशों में अलग-अलग शब्दों का प्रयोग अपेक्षित होता है। उदाहरण के लिए राजनीतिविज्ञान के 'सेक्युलर लाइफ', 'सेक्युलर पालिटिक्स', 'सेक्युलर पावर' तीन शब्द लें। अंग्रेजी में तीनों में 'सेक्युलर' है, किंतु हिंदी में इनके लिए क्रमशः 'ऐहिक जीवन', 'धर्मनिरपेक्ष राजनीति' तथा 'लौकिक शक्ति' शब्द चलते हैं अर्थात् 'जीवन' के साथ 'ऐहिक' राजनीति के साथ 'धर्मनिरपेक्ष' और 'शक्ति' के साथ 'लौकिक'। यदि कोई व्यक्ति तीनों शब्दों में 'ऐहिक', 'धर्मनिरपेक्ष' या 'लौकिक' का प्रयोग करे तो सहप्रयोग-संबन्धी अशुद्धि हो जायेगी। ऐसे ही अर्थशास्त्र में 'प्रकाशित दर' (पेपर रेट), 'रुक्के पर उधार' (पेपर क्रेडिट), 'करेंसी नोट' (पेपर करेंसी) तथा 'कागजी मुद्रा' (पेपर मनी) में अंग्रेजी 'पेपर' के लिए चार शब्द हैं।

(7) हम लोग प्रायः पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी प्रयोग की दृष्टि में रखकर करते हैं। ऐसे में प्रायः यह ही जाता है कि अंग्रेजी में कोई शब्द यदि कई अर्थों में आ रहा है तो हिंदी में एक ही शब्द को उन अर्थों में प्रयुक्त करने का प्रयास करते हैं। एक विचार आता है प्रथम कक्षा का बनर। स्पष्ट ही अनुवादक ने अंग्रेजी 'क्लास' की शिक्षाशास्त्रीय प्रतिशब्द का प्रयोग अनपेक्षित स्थान पर करने की अशुद्धि इसमें की है। होना चाहिए प्रथम श्रेणी का बनर या 'बहुत ही अच्छा बनर'। ऐसे ही यह आवश्यक नहीं कि अंग्रेजी में विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों में एक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हिंदी में भी ऐसा ही हो। उदाहरण के लिए अंग्रेजी 'रूट' व्याकरण में भी आता है वनस्पतिविज्ञान में भी किंतु उसके स्थान पर हिंदी में एक में 'धातु' का प्रयोग होगा तो दूसरे में 'जड़' का ऐसे ही अंग्रेजी 'फाउंडेशन' हिंदी में प्रशासन में 'प्रतिष्ठान' है तो वास्तुशास्त्र में नींव है। इसके विपरीत कभी कभी अंग्रेजी में कई शब्दों का प्रयोग आता है, और हिंदी में उन सभी के लिए एक शब्द आता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में धातुविज्ञान में 'मटल', आयुर्विज्ञान में 'एलिमेंट' तथा व्याकरण में 'रूट' है, किंतु हिंदी में तीनों के लिए धातु है।

(8) तकनीकी शब्दों के स्थान पर सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 'रसायन में पानी' और 'नमक' का प्रयोग न कर 'जल' और 'लवण' का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही प्रशासन में 'आदेश' शब्द

उपयुक्त है न कि 'आज्ञा' ।

(9) पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग, जहाँ अपेक्षित न हो, सामान्य भाषा में नहीं करना चाहिए । उदाहरण के लिए 'ऐज ए मॅटर आफ फॅक्ट' के लिए 'तथ्य के पुद्गल के रूप में' का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यद्यपि 'मॅटर' के लिए दशन में 'पुद्गल' तथा 'फॅक्ट' के लिए 'तथ्य' का प्रयोग होता है । इसके लिए 'तत्त्वतः', 'वस्तुतः', या 'वास्तव में' उपयुक्त होंगे । ऐसे ही सामान्य भाषा में 'आज्ञा' का प्रयोग ही ठीक है, 'अनुदेश' का नहीं ।

(10) यो तो किसी भी एक भाषा में एक सकल्पना या एक वस्तु आदि के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द होना चाहिए, किंतु हिंदी में अभी तक पारिभाषिक शब्दों का पूर्ण निश्चयन नहीं हुआ है, अतः एक सकल्पना के लिए एकाधिक शब्द चल रहे हैं । उदाहरण के लिए, भाषाविज्ञान के पारिभाषिक शब्द 'फोनीम' के लिए हिंदी में ध्वनिग्राम, ध्वनिम, स्वनिम, 'एलोफोन' के लिए सध्वनि, सस्वन, उपस्वन, या 'फिजिक्स' के लिए भौतिकी, भौतिकविज्ञान, भौतिकशास्त्र । ऐसी स्थिति में यह ध्यान देने की बात है कि एक लेख, पुस्तक, भाषण या बातचीत में एक का ही प्रयोग किया जाए, कभी एक, और कभी दूसरे का नहीं ।

(11) हिंदी में हिंदी-हिंदुस्तानी उर्दू तथा अंग्रेजी मिश्रित शलियों के कारण कई पारिभाषिक शब्द एक ही अर्थ में चल रहे हैं । जैसे प्रसूतिगृह-अच्छाधर-मॅटरनिटी होम, राजयक्ष्मा तपेदिक-टी०बी०, मसूरिका चेचक माता-स्मालपॉक्स मूल्य दाम-कीमत प्राइस आदि । प्रयोक्ता को अपनी शैली के अनुसार इनमें से शब्द चुन लेने चाहिए । एक शैली में दूसरी शैली का प्रयोग अटपटा लगता है । या ज्यादा अच्छा हो कि 'मॅटरनिटी होम', 'टी०बी०', 'स्मालपॉक्स' तथा 'प्राइस' जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिंदी में न किया जाय और पढ़े लिखे लोग में प्रचलित अंग्रेजी मिश्रित शैली से बचा जाए ।

□□

डॉ० भोलानाथ तिवारी

तिवारी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक गाँव में १९२३ में हुआ था। आपकी शिक्षा दीक्षा मुख्यतः प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। तिवारी जी का जीवन बहुत ही सघनपूर्ण रहा है तथा कुली, चपरासी, एकाउंटेंट, टाइपिस्ट से लेकर महाराज रीवा के मंत्री के रूप में आपने दसिया नौकरियाँ करते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शिक्षा प्राप्त की है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी आपका अत्यंत निकट का संबंध रहा है। 1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन में आपके सीने पर दो गोलियाँ मारी गई थीं किंतु मृत्यु और जीवन के सघन में जीवन की विजय हुई और तिवारी जी मरकर भी बच गए।

पचास से अधिक पुस्तकों के लेखक तिवारी जी भाषा-विज्ञान के जाने माने विद्वान हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं —

हिंदी ध्वनियाँ और उनका उच्चारण, हिंदी वतनी की समस्याएँ हिंदी भाषा, अच्छी हिंदी, राजभाषा हिंदी, ताजुद्दीनी (मोवियत सघ की हिंदी बोली), अनुवादविज्ञान, अनुवाद की व्यावहारिक समस्याएँ, काव्यानुवाद की समस्याएँ कायालयी अनुवाद की समस्याएँ, पारिभाषिक शब्दावली कुछ समस्याएँ, कोशविज्ञान, हिंदी मुहावरों का कोश, बहूत पर्यायवाची कोश, भाषाविज्ञान काश, तुलसी शब्दसागर, शैलीविज्ञान, शब्दाका जीवन, शब्दा की कहानी, भाषाविज्ञान, आधुनिक भाषाविज्ञान, भारतीय भाषाविज्ञान की भूमिका